

# वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2011-12



सिंडिकेटबैंक  
**SyndicateBank**

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

# निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री रवि चटर्जी  
कार्यपालक निदेशक

**Sri Ravi Chatterjee**  
Executive Director



श्री म.गि. संघवी  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**Sri M G Sanghvi**  
Chairman & Managing Director



श्री एम.आंजनेय प्रसाद  
कार्यपालक निदेशक

**Sri M Anjaneya Prasad**  
Executive Director



श्री एच.प्रदीप राव  
निदेशक

**Sri H. Pradeep Rao**  
Director



श्री ए.एस.राव  
निदेशक

**Sri A. S. Rao**  
Director



श्री नरेंद्र एल. दवे  
निदेशक

**Sri Narendra L. Dave**  
Director



श्री दिनकर एस.पूजा  
निदेशक

**Sri Dinkar S. Punja**  
Director



श्री दिलीप कुमार सक्सेना  
निदेशक

**Sri Dilip Kumar Saxena**  
Director



श्री जगदीश राज श्रीमाली  
निदेशक

**Sri Jagdish Raj Shrimali**  
Director



श्री रमेश एल. अडिगे  
निदेशक

**Sri Ramesh L. Adige**  
Director



श्री एआर नागप्पन  
निदेशक

**Sri AR Nagappan**  
Director



श्री भूपिन्दर सिंह सूरी  
निदेशक

**Sri Bhupinder Singh Suri**  
Director

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (29.02.12 तक), श्री वी.के. नागर, कार्यपालक निदेशक (31.07.2011 तक) तथा श्री एम.भास्कर राव, निदेशक (12.05.2011 तक) भी सेवारत थे ।

During the year 2011-12 following Directors also served on the Board of the Bank.

Sri Basant Seth, Chairman & Managing Director (Upto 29.02.12), Sri V K Nagar, Executive Director (Upto 31.07.2011) and Sri M Bhaskar Rao, Director (Upto 12.05.2011)

# महाप्रबंधक गण General Managers



श्री विनय रंजन राव  
Sri. Vinay Ranjan Rao



श्री टी.मुरलीधरन  
Sri. T. Muralidharan



श्री यू.गणेश कामत  
Sri. U. Ganesh Kamath



श्री एस. के. अबरोल  
Sri. Sudarshan Kumar Abrol



श्री पी.के.चंद्रशेखर हेरले  
Sri. P. K. Chandrashekar Herle



श्री आर वेंकटरामन  
Sri. R. Venkataraman



श्री पी. एम. वसंतराजन  
Sri. P. M. Vasantharajan



श्री पी. के. सक्सेना  
Sri. P. K. Saxena



श्री एस.के.डींगरा  
Sri. S K Dhingra



श्री के.पी.मुरलीधरन  
Sri. K P Muralidharan



श्री एच. एन. विश्वेश्वर  
Sri. H N Vishweshwar



श्री जॉर्ज एम.कुरियन  
Sri. George M Kurian



श्री हरि कपूर  
Sri. Hari Kapoor



श्री विश्वनाथन नायर  
Sri. T. Viswanathan Nair



श्री एस.बालकृष्णन  
Sri. S. Balakrishnan



श्री अनिल कुमार अर्गल  
Sri. Anil Kumar Argal



श्री एम. के. जैन  
Sri. M K Jain



श्री आई एन राघवेंद्र भट  
Sri. I N R Bhat



श्री के संतोष कामत  
Sri. Santhosh Kamath

वर्ष 2011-12 के दौरान, महा प्रबंधक श्री के. देवानंद उपाध्याय (31.01.2012 तक), श्री सुब्राय शेट (31.05.2011 तक), श्री एम.आर. बगाडे (13.06.2011 तक), श्री आई. विजय कुमार (31.01.2012 तक), श्री एस. रामजी (31.10.2011 तक), श्री जी. रामनाथन (29.02.2012 तक), श्री जी.सी. मिश्र (31.12.2011 तक), श्री काशीनाथ पाण्डेय (30.09.2011 तक) भी सेवारत थे।

During the year 2011-12 following General Managers also served the Bank.

Sri K Devananda Upadhyaya (Upto 31.01.2012), Sri Subraya Shet (Upto 31.05.2011), Sri M R Bagade (Upto 13.06.2011), Sri I Vijaya Kumar (Upto 31.01.2012), Sri S Ramji (Upto 31.10.2011), Sri G Ramanathan (Upto 29.02.2012), Sri G C Mishra (Upto 31.12.2011) and Sri Kashinath Pandey (upto 30.09.2011)





एक ही दिन में खुली 108 शाखाओं का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन करते हुए माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ।

Sri Namo Narain Meena, Hon'ble Union Minister of State for Finance inaugurating 108 Branches on a single day by lighting the Lamp.

पद्मनाभनगर, बेंगलूर में संपूर्ण महिला शाखा का उद्घाटन करती हुई श्रीमती मीणा ।

Smt Meena inaugurating All Women Branch at Padmanabha Nagar, Bengaluru.



बेंगलूर स्थित भीमनकुप्पे में अल्ट्रा स्मॉल शाखा का उद्घाटन करते हुए माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ।

Sri Namo Narain Meena, Hon'ble Union Minister of State for Finance inaugurating Ultra Small Branch at Bheemanakuppe, Bengaluru.

ग्रामीण विकास पर संसदीय समिति का मंगलूर दौरा ।

Visit of Parliamentary Committee on Rural Development to Mangalore.



अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर अधीनस्थ विधायी समिति के अध्यक्ष श्री जनार्दन वाघमारे का माल्यार्पण करके स्वागत करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री एम. आंजनेय प्रसाद ।

Sri M Anjaneya Prasad, Executive Director, is seen garlanding the Sri Janardhan Waghmare, Chairperson of the Committee on Subordinate Legislation visit to Andaman & Nicobar Islands.

फरीदाबाद स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत पौधा लगाते हुए कार्यपालक निदेशक श्री एम. आंजनेय प्रसाद ।

Sri M Anjaneya Prasad, Executive Director, is seen planting a sapling during RBI Outreach programme held at Faridabad.



फरीदाबाद स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के आउटरीच कार्यक्रम के दौरान एक ग्रामीण को ऋण स्वीकृति पत्र सुपुर्द करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री एम. आंजनेय प्रसाद ।

Sri M Anjaneya Prasad, Executive Director, is seen handing over loan sanction letter to a villager during RBI Outreach programme held at Faridabad.

नई दिल्ली में वित्तीय समावेशन पर आयोजित बैठक तथा बोर्ड मीटिंग को संबोधित करते हुए भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री डी.के. मित्तल, भा.प्र.से. ।

Sri D K Mittal, IAS, Secretary, Dept of Financial Services, Government of India, is seen speaking on the occasion of Board Meeting and Meeting on Financial Inclusion held at New Delhi.



लक्षद्वीप स्थित कडमत द्वीपसमूह में भा.रि.बैंक के आउटरीच कार्यक्रम के दौरान स्वसहायता समूह के स्टॉल का अवलोकन करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री म.गि.संघवी ।

Sri M G Sanghvi, Chairman & Managing Director, visited SHG Stall during RBI Outreach Programme held at Kadamat Islands, Lakshadweep.

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थित न्यू बिंबलिटन ग्राम में भा.रि.बैंक के आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कार्यपालक निदेशक श्री रवि चटर्जी ।

Sri Ravi Chatterjee, Executive Director, inaugurated RBI Outreach Programme held at New Bimbliton Village, Andaman & Nicobar Islands.





दवे गार्मेंट, ए.पी.एम.सी. शाखा, हुबळी  
Dave Garments, APMC Branch, Hubli



बागबानी फार्म, अत्तीबेले शाखा, बेंगलूर  
Horticulture Farm, Attibele Branch, Bangalore



मेधा आटोमेशन पी.सी. रोड शाखा, बेंगलूर  
Medha Automation, P C Road Branch, Bangalore



तीर्थकर पेपर मिल्स, मोर्वी शाखा, अहमदाबाद  
Theerthankara Paper Mills, Morvi Branch, Ahmedabad



माइकॉन ई.एन.एफ. कार्यशाला, हुबळी  
Micon ENF Workshop, Hubli



पॉल्ट्री फार्म, चिकमगलूर शाखा  
Poultry Farm, Chickmagalur Branch



ड्रीम होम एक्सपो प्रगति मैदान, नई दिल्ली के स्टॉल का दृश्य  
Stall put up at Dream Home Expo  
Pragati Maidan, NewDelhi



श्रीनिवासम् एक्सपोर्ट, ऑंगोल शाखा  
Sri Srinivasam Exports, Ongole Branch



वुडमैन विनियर्स प्रा. लिमिटेड, गाँधीधाम शाखा, अहमदाबाद  
Woodman Venears Pvt. Ltd., Gandhidham Branch,  
Ahmedabad



साउथ ईस्ट इलेक्ट्रो कंपोनेंट प्रा. लि. गाजियाबाद मुख्य शाखा  
South East Electro Components Pvt. Ltd.,  
Ghaziabad Main Branch




बिंदु इंजीनियरिंग अविनाशी रोड शाखा, कोयंबतूर  
Bindu Engineering, Avinashi Road Branch, Coimbatore



ई.एम.यू. यूनिट, कर्नूल मुख्य शाखा  
EMU Unit, Kurnool Main Branch



अहमदाबाद में आयोजित जीवंत गुजरात कार्यक्रम के दौरान सिंडिकेटबैंक और उद्योग एवं खान, निवेश विभाग, गुजरात द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर MOU signed between SyndicateBank and Industries and Mines, Dept of Investment, Gujarat during Vibrant Gujarat event held in Ahemadabad



वसंती फाउंड्री, अविनाशी रोड शाखा, कोयंबतूर  
Vasanthi Foundry, Avinashi Road Branch, Coimbatore



हर्ब एवं स्वास्थ्य, गदग शाखा  
Herb & Health, Gadag Branch



एम.टी.उद्योग, साहिबाबाद शाखा  
M T Industries, Sahibabad Branch



# प्रगति एक दृष्टि में

## Progress at a Glance


कुल जमा राशियां (₹ करोड़ों में)  
Total Deposits (₹ in crore)




कुल अग्रिम (₹ करोड़ों में)  
Total Advances (₹ in crore)



कुल कारोबार (₹ करोड़ों में)  
Total Business (₹ in crore)



निवल ब्याज मार्जिन (%)  
Net Interest Margin (%)



पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल - II)  
Capital Adequacy Ratio (Basel II)



कर्मचारी उत्पादकता (₹ करोड़ों में)  
Employee Productivity (₹ in crore)







## विषय सूची CONTENTS

### वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2011 – 2012

	पृष्ठ Page		पृष्ठ Page
• अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	3	• नकदी प्रवाह विवरण Cash Flow Statement	136
• सूचना Notice	10	• समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet	138
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	23	• सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	168
• नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	56	• ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	185
• बासेल - II प्रकटीकरण - मार्च 2012 Basel II Disclosures - March 2012	98	• प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	187
• लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	108	• फार्म 2बी Form 2B	189
• तुलन-पत्र Balance Sheet	110	• उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	191
• लाभ व हानि लेखा P & L Account	111	• मतदान पत्र पास Ballot Paper Pass	193
• लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	112	• नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण : बिना कागज के Green Initiative in Corporate Governance: Go Paperless	196
• महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	118	• लाभांश अधिदेश पत्र Dividend Mandate Form	197
• लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	123	• शिकायत पंजीकरण फार्म Grievance Registration Form	199
		• अनुबंध - निदेशकों का चुनाव Annexure-Election of Directors	201

### निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

**म गि संघवी**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**M G Sanghvi**  
Chairman & Managing Director

**रवि चटर्जी, कार्यपालक निदेशक**  
**एम आंजनेय प्रसाद, कार्यपालक निदेशक**  
**एच प्रदीप राव, निदेशक**  
**ए एस राव, निदेशक**  
**नरेन्द्र एल दवे, निदेशक**  
**दिनकर एस पूंजा, निदेशक**  
**दिलीप कुमार सक्सेना, निदेशक**  
**जगदीश राज श्रीमाली, निदेशक**  
**रमेश एल अडिगे, निदेशक**  
**एआर नागप्पन, निदेशक**  
**भूपिन्दर सिंह सूरी, निदेशक**

**Ravi Chatterjee, Executive Director**  
**M Anjaneya Prasad, Executive Director**  
**H Pradeep Rao, Director**  
**A S Rao, Director**  
**Narendra L Dave, Director**  
**Dinkar S Punja, Director**  
**Dilip Kumar Saxena, Director**  
**Jagdish Raj Shrimali, Director**  
**Ramesh L Adige, Director**  
**AR Nagappan, Director**  
**Bhupinder Singh Suri, Director**

लेखा-परीक्षक

Auditors

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

Registrars & Share Transfer Agents

मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स

M/s Jain & Associates

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्रा) लिमिटेड

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.

मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी

M/s Prakash Chandra Jain & Co.

यूनिट: सिंडिकेट बैंक

Unit: Syndicate Bank

मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स

M/s S Sonny Associates

प्लॉट सं. 17 से 24

Plot No. 17 to 24

मेसर्स आर वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स

M/s R Vender Gupta & Associates

विठ्ठलराव नगर, माधापुर

Vithalrao Nagar, Madhapur

मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी

M/s Thakur, Vaidyanath Aiyar & Co

हैदराबाद - 500 081

Hyderabad - 500 081

मेसर्स चंडोक एण्ड गुलियानी

M/s Chandok & Gulliani

दूरभाष: 04044655000 विस्तार: 116 या


Ph.: 040 44655000-Extn: 116 or

040 44655116 (सीधा)

040 44655116 (D)

फैक्स: 040 23420814

Fax: 040 23420814





## अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की तरफ से तथा सिंडिकेट बैंक के अपने सहयोगियों की ओर से और अपनी तरफ से मैं आपके बैंक की इस तेरहवीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणियों को साथ-साथ प्रस्तुत करते हुए मुझे काफी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

यद्यपि वर्ष 2011-12 की शुरुआत अत्यंत उत्साहमय वातावरण में हुई और बाज़ार का रुख भी तेजी की ओर था तभी वैश्विक अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संकट की मार पड़ी अर्थात् यूरो जोन के सार्वभौमिक ऋण का संकट और यू एस की स्थावर संपदा की कमजोर स्थिति, पण्यों के बढ़े हुए मूल्य, उभरते बाज़ारों में जबर्दस्त उछाल, कच्चे तेल के मूल्य और भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने की रफ़्तार धीमी हो गई है।

भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के संशोधित आकलन के अनुसार देश की सकल घरेलू उत्पाद को वर्ष 2011-12 के लिए 6.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए इसे 8.4 प्रतिशत दर्ज किया गया था, कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी, खाद्यान्नों के मूल्यों में हुई वृद्धि, निवेश में तेजी से गिरावट और बाह्य मांग में कमी का होना तथा मुद्रास्फ़ीति का बने रहना प्रमुख कारण हैं।

मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि इस संकट की घड़ी में भी आपके बैंक ने बेहतर परिणाम हासिल किया है जो आपके बैंक की वित्तीय विवरणियों में परिलक्षित होता है।

**वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के वित्तीय निष्पादन का वैशिष्ट्य निम्नलिखित है :**

क) बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 283558 करोड़ के वैश्विक कारोबार की उपलब्धि हासिल की है जो वर्ष 2010-11 के ₹ 243946 करोड़ की तुलना में 16.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वैश्विक जमा राशियों में 16.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह ₹ 157941 करोड़ हो गई है तथा वैश्विक अग्रिम 15.94 प्रतिशत की दर से बढ़कर ₹ 125617 करोड़ हो गया।

## CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, my colleagues at SyndicateBank and also on my personal behalf, I extend a very warm welcome to all of you to this Thirteenth Annual General Meeting of your Bank. It gives me great pleasure to present the Annual Report of the Bank together with the audited financial statements for the financial year ended 31st March 2012.

Even though the year 2011-12 started with great optimism and bullish market sentiments, the Global economy got hit by the world's biggest financial crisis i.e. euro zone sovereign debt crisis and weakness of the US real estate market, escalating commodity prices, overheating of certain emerging markets, crude oil prices and geo-political tensions leading to slow down in recovery of the global economy.

The country's GDP is estimated to grow by 6.5 per cent during 2011-12 as per the revised estimate of Central Statistics Office of Government of India as against 8.4 per cent registered in FY 2010-11, with the inflation continuing to be a dominant factor due to burgeoning crude oil prices, surge in food prices, sharp fall in investments and fall in external demand.

Even in this critical period, I am pleased to announce that your Bank could achieve a better result, which is reflected in our Bank's Financial Statements.

**The highlights of the Bank's financial performance for the Financial Year 2011 -12 are outlined below:**

a. Global Business registered a staggering figure of ₹ 283558 crore in 2011-12, rising from ₹ 243946 crore in 2010-11 registering a growth of 16.24 per cent. Global Deposits grew by 16.48 per cent to ₹ 157941 crore and Global Advances grew by 15.94 per cent to ₹ 125617 crore.





- बैंक का घरेलू कारोबार 2010-11 के ₹ 224331 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 258660 करोड़ हो गया है और इसमें 15.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- ख) कासा जमाराशि (घरेलू) 31.03.2012 को ₹ 46424 करोड़ हो गई है जो कुल घरेलू जमाराशियों का 31.43 प्रतिशत है।
- ग) बैंक के परिचालन लाभ में 21.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2010-11 के ₹ 2749.78 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 3346.80 करोड़ हो गया है।
- घ) निवल लाभ में 25.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2010-11 के ₹ 1047.95 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1313.39 करोड़ हो गया है।
- ङ) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अग्रिम में वर्ष 2011-12 के दौरान 12.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा वह ₹ 41383 करोड़ हो गया है जो ए.एन.बी.सी. (समायोजित निवल बैंक ऋण) का 45.21 प्रतिशत बनता है जबकि अधिदेशी आवश्यकता 40 प्रतिशत ही है।
- च) कृषि ऋणों में 17.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो 2010-11 के ₹ 14798 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹ 17409 करोड़ हो गया है।
- छ) वर्ष 2011-12 के दौरान कुल आय में 32.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बढ़कर ₹ 16344.23 करोड़ हो गई है जबकि गैर ब्याजी आय में 17.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो बढ़कर ₹ 1075.88 करोड़ हो गई है।
- ज) बैंक की ब्याजी आय में 33.34 प्रतिशत की लाभप्रद वृद्धि दर्ज की गई है जो 2010-11 के ₹ 11450.86 करोड़ से बढ़कर 2011-12 को ₹ 15268.35 करोड़ हो गई है।
- झ) निवल ब्याज आय में 16.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2010-11 के ₹ 4383 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 5085 करोड़ हो गई है।
- ञ) निवल अनर्जक आस्तियाँ 2010-11 के ₹ 1030.84 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1185.43 करोड़ हो गई हैं जो निवल अग्रिम का 0.96 प्रतिशत हैं।
- ट) निवल ब्याज मार्जिन में 2010-11 के 3.40 प्रतिशत से सुधार हुआ है और वह 2011-12 में 3.43 प्रतिशत हो गई है।
- ठ) बैंक के अग्रिमों पर प्रतिफल में 31.03.2012 को 10.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 30.03.2011 को 9.52 प्रतिशत थी।
- ड) प्रोविजन कवरेज अनुपात 31.03.2011 के 77.18 प्रतिशत से सुधरकर 31.03.2012 को 80.06 प्रतिशत हो गया है।
- ढ) प्रति शेयर बही मूल्य 2010-11 के ₹ 122.99 से सुधरकर 2011-12 को ₹ 150.13 हो गया है।
- ण) जोखिम भारत परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सी आर ए आर) 31.03.2012 को 12.24 प्रतिशत रहा है जबकि 31.03.2011 को यह 13.04 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹ 327.20 करोड़ की पूंजी जुटाई है।

### शाखा विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने घरेलू शाखा विस्तार के तहत 214 शाखाएं खोली हैं और कुल शाखाओं की संख्या 2709 हो गई है, जिनमें से 873 ग्रामीण, 672 अर्धशहरी, 584 शहरी, 566 मेट्रो एवं पोर्ट टाउन शाखाएं हैं और 14 अल्ट्रा छोटी शाखाएं हैं।

बैंक ने वर्ष के दौरान 30 ए टी एम जोड़े हैं और अब कुल ए टी एम की संख्या 1240 हो गई है जो देश भर के 668 केन्द्रों पर स्थित हैं।

बैंक ने एक ही दिन में (31.03.2012) 108 शाखाओं को खोलकर एक नया इतिहास रचा, जिसका उद्घाटन माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीणा जी ने किया।

- Domestic Business of the Bank increased from ₹ 224331 crore in 2010-11 to ₹ 258660 crore in 2011-12 registering a growth of 15.30 per cent.
- b. CASA Deposit (domestic) stood at ₹ 46424 crore as at 31.03.2012 constituting 31.43 per cent of Total Domestic Deposits.
- c. Operating Profit of the Bank jumped by 21.71 per cent from ₹ 2749.78 crore in 2010-11 to ₹ 3346.80 crore in 2011-12.
- d. Net Profit, zoomed by 25.33 per cent from ₹ 1047.95 crore in 2010-11 to ₹ 1313.39 crore in 2011-12.
- e. Priority Sector Advances grew by 12.19 per cent to ₹ 41383 crore during 2011-12 and constituted 45.21 per cent of the ANBC (Adjusted Net Bank Credit) against the mandatory requirement of 40 per cent.
- f. Agriculture Credit increased from ₹ 14798 crore in 2010-11 to ₹ 17409 crore in 2011-12 registering a growth of 17.64 per cent.
- g. Total Income grew by 32.17 per cent to ₹ 16344.23 crore, whereas non-interest income grew by 17.57 per cent to ₹ 1075.88 crore in 2011-12.
- h. Interest Income of the Bank registered a healthy growth of 33.34 per cent from ₹ 11450.86 crore in 2010-11 to ₹ 15268.35 crore in 2011-12.
- i. Net Interest Income grew by 16.02 per cent from ₹ 4383 crore in 2010-11 to ₹ 5085 crore in 2011-12.
- j. The Net NPA increased from ₹ 1030.84 crore in 2010-11 to ₹ 1185.43 crore in 2011-12 constituting 0.96 per cent of the Net Advances.
- k. Net Interest Margin (NIM) improved from 3.40 per cent in 2010-11 to 3.43 per cent in 2011-12.
- l. Yield on Advances of the Bank soared to 10.98 per cent as on 31.3.2012 from 9.52 per cent as on 31.3.2011.
- m. Provision Coverage Ratio improved from 77.18 per cent as at 31.03.2011 to 80.06 per cent as at 31.03.2012.
- n. Book Value per Share improved from ₹ 122.99 in 2010-11 to ₹ 150.13 in 2011-12.
- o. The Capital to Risk-Weighted Assets Ratio (CRAR) stood at 12.24 per cent as at 31.03.2012, compared to 13.04 per cent as at 31.03.2011. During the year the Bank received a capital infusion to the tune of ₹ 327.20 crore from LIC of India.

### BRANCH NETWORK

During the year, 214 branches were opened taking the domestic branch network to 2709 comprising 873 rural, 672 semi-urban, 584 urban, 566 metro & port town branches and 14 Ultra small branches.

The Bank has added 30 ATMs during the year to bring the total number of ATMs to 1240 spread across 668 centres throughout the country.

The Bank created history by opening 108 branches across the country on a single day (31.03.2012) which was inaugurated by Shri Namo Narain Meena, Honourable Union Minister of State for Finance.



बैंक की लंदन में एक शाखा है जो विदेश में हमारी उपस्थिति दर्ज कराती है। साथ ही, कातार एवं सुल्तानेट ऑफ ओमान में स्थित दो विनिमय गृहों का प्रबंधन बैंक द्वारा किया जाता है।

#### विविध क्षेत्रों में कारोबार

- खुदरा ऋण बैंक के उधार का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है और उसमें उधार की वृद्धि दर 9.10 प्रतिशत है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों तथा कृषि अग्रिमों ने अधिदेशी स्तर से काफी अधिक बढ़त हासिल कर ली है।
- भारत सरकार के निदेशानुसार आपके बैंक ने अनर्जक आस्तियों की पहचान, और उसमें और अधिक पारदर्शिता लाने तथा प्रभावी निगरानी के लिए सिस्टम आधारित पहचान को कार्यान्वित किया है।
- आपके बैंक ने विभिन्न ऋण योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है।
- अल्पसंख्यकों और अनु.जा./अनु.जन जाति के लाभार्थियों को अग्रिम प्रदान करने के मामले को आपके बैंक ने हमेशा से तरज़ीह दी है।
- आपका बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना में सहभागिता कर रहा है। जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूह की सभी सदस्य महिलाएं शामिल होंगी और इसमें भारत सरकार के द्वारा प्रीमियम पर आर्थिक सहायता उपलब्ध है।
- आपका बैंक सदा से सामाजिक विकास के कार्यों से जुड़ा रहा है और इसके लिए सरकार की गरीबी हटाओ योजनाओं और रोजगार सृजन योजनाओं का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा है।
- आपके बैंक ने भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय समावेशन के तहत 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 1553 गाँवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया है।
- आपके बैंक ने हरियाणा के मेवात जिले को मॉडल वित्तीय समावेशन जिला के रूप में अंगीकार किया है।
- कारोबारी योजना, अधिवर्षिता, परित्याग आदि को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति योजना तैयार की गई है जो मध्यम और दीर्घावधि की जरूरतों का निर्धारण करती है।
- आपके बैंक द्वारा ग्राहकों की अपेक्षाओं को सम्मान देते हुए प्रौद्योगिकी युक्त बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, एस एम एस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं/डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नकद प्रबंधन सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निपटान प्रणाली, पेमेंट गेटवे सेवाएं तथा और भी बहुत कुछ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
- आपके बैंक ने 29.09.2011 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे देश में एक समान ग्राहक मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया और ग्राहकों के साथ संवाद किए गए।
- आपके बैंक ने बेंगलूर में एक बिजनेस प्रासेस मैनेजमेंट सेन्टर खोला है जो बैंक आफिस कार्यकलाप करेगा, जैसे खाता खोलना, चेक बुक जारी करना आदि।
- अब जबकि बैंक हर वर्ष बेहतर निष्पादन दर्शा रहा है, ऐसी स्थिति में उसने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़े कार्यक्रमों (सी एस आर) के महत्व को भी समझा है क्योंकि समाज के प्रति अपना दायित्व भाव प्रकट करने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
- आपके बैंक ने टाटा मोटर्स, कर्नाटक राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन, असित सी.मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरीज और मास्टर कार्ड के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है ताकि बैंक की शुल्क आधारित आय में सुधार हो और आम जनता/ग्राहकों को बेहतर मूल्यवर्द्धित सेवाएं प्राप्त हो सकें।

The Bank has already made its overseas presence felt by having a Branch in London and managing two exchange houses in Qatar and Sultanate of Oman.

#### BUSINESS CROSS SECTION

- Retail lending continues to be the main thrust area of the Bank with the lending level growing by 9.10 per cent.
- Priority Sector Advances and Agriculture Advances has well surpassed the mandatory levels set by the Government.
- In tune with the guidelines issued by the Government of India, your Bank has implemented system based identification of non-performing assets for more transparency and effective monitoring.
- Your Bank has paid special attention for upliftment of women through its various credit programmes.
- The Advances to minorities and SC/ST beneficiaries have always been a focused attention of your Bank.
- Your Bank is also participating in "Janashree Bima Yojana" of LIC of India for covering all the women members of SHGs wherein the premium is subsidized by Government of India.
- Your Bank has always been instrumental in social development activities by earnestly implementing various developmental schemes of the Government under poverty alleviation and employment generation programme.
- Your Bank has implemented the directions of the Government of India for extending banking facilities by covering 1553 villages under Financial Inclusion Plan for villages above population of 2000.
- Your Bank has adopted Mewat District in Haryana as Model Financial Inclusion District.
- Manpower Planning exercise is being carried out by taking into account the Business Plans, Superannuation, Attrition, etc., and assessing the manpower requirement for both medium and long term.
- Your Bank is in tune with the aspirations of its customers in providing technology driven banking services like internet banking facilities, SMS banking, mobile banking facilities, debit / credit card, cash management services, electronic payment settlement system, payment gateway services and so on.
- Your Bank had conducted a Uniform Customer Meet on 23.09.2011 by interacting with its customers spread far across the country through video conferencing.
- Your Bank opened a Business Process Management Centre to do back-office activities like account opening, issuance of cheque books etc. at Bengaluru.
- While bank is endeavoring to show better performance every year, it also recognizes Corporate Social Responsibility Activities (CSR) as one way of showing good gesture to the society.
- Your Bank entered into strategic tie ups and alliances with Tata Motors, Karnataka State Public Service Commission, Asit C. Mehta Investment Intermediaries and MasterCard for improving the fee based income of the Bank and for providing value added services to the public/customers.



- आपके बैंक को कर्नाटक में कार्यरत सभी वाणिज्यिक बैंकों में से स्व सहायता बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत “उच्चतम औसत ऋण आकार” के तहत उत्कृष्ट निष्पादन दर्शाने के उपलक्ष्य में नाबार्ड ने ‘बेस्ट पर्फार्मर’ की मान्यता दी है।
- आपके बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान बाज़ार और अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक रुख अपनाते हुए कारोबार में जोरदार वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- आपके बैंक ने बाज़ार के रुख को ध्यान में रखते हुए एक पारदर्शी पहल को अपनाया है जो मीडिया एवं एनलिस्ट के साथ उपलब्धियों एवं भविष्य की योजनाओं की साझेदारी करते हुए पूरी की जाएगी।

कठोर आर्थिक वातावरण के बावजूद, बैंक के उत्साहजनक वित्तीय परिणामों को देखते हुए आपके निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 38 प्रतिशत का लाभांश प्रदान करने की संस्तुति की है।

### अगली मंज़िल

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंकिंग उद्योग ने कई कठिन चुनौतियों का सामना किया है परंतु ठोस नीतियों, सुनियोजित योजनाओं तथा स्टॉफ सदस्यों के आत्मविश्वास और अपने व्यापक ग्राहक आधार के सहयोग की बदौलत हम तूफानों का सामना करने में सफल रहे और हमने उद्योग में अपनी वृद्धि को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की। मित्रो, आनेवाली बैंकिंग और अधिक उत्कट तथा जटिल होगी और उसके लिए हमें खुद को तैयार रखना है ताकि कठिन समय और चुनौती से परिपूर्ण परिस्थितियों का मुकाबला और अधिक जोश तथा ताकत के साथ किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आपके बैंक ने ₹ 3,50,000 करोड़ के कुल कारोबार का महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही, 300 और शाखाएं खोलकर कुल 3000 शाखाओं का लक्ष्य रखा गया है।

बैंक ने (क) शुल्क आधारित आय और (ख) मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट की बैंकिंग/ ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग से वर्टिकल स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।

बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों में शुल्क आधारित आय के संवर्धन के लिए विपणन प्रयासों को तेज करने हेतु एक अलग से वर्टिकल की शुरुआत करने की पहल की है।

विशेष निगरानी खाते (एस एम ए) और अनर्जक आस्तियों (एन पी ए) के मामले में जोरदार वसूली प्रक्रिया को चलाने हेतु तथा शाखाओं द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में और तेजी लाने के लिए एक समर्पित टीम की शुरुआत की है जिसे स्ट्रेस टाइनी आस्ति रिकवरी टीम (स्टार्ट) का नाम दिया गया है।

रणनीतिक तौर पर हमारा ध्यान खुदरा बैंकिंग पर केन्द्रित रहेगा जिसमें कासा की वृद्धि, आवास ऋण, एम एस एम ई, कृषि, शुल्क आधारित आय, अनर्जक अस्तियों के स्तर को कम करना तथा अधिक से अधिक खुदरा ऋणों का संवितरण शामिल है। बैंक ने अंग्रेजी भाषा के शब्द ‘LEAD’ अर्थात् ‘अग्रणी’ बनने को वर्ष 2012-13 के लिए कारपोरेट थीम के रूप में अपनाया है। अंग्रेजी भाषा के इन चार अक्षरों का निहितार्थ निम्नलिखित है :

### लीड (LEAD)

कासा हमारी प्राथमिकता बने

शुल्क आधारित आय एवं लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश अनर्जक आस्तियों पर जबर्दस्त ध्यान केन्द्रित करके उसे कम करना शाखा/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारों के तहत अधिक ऋण संवितरण

- Your Bank was adjudged by NABARD as the ‘Best Performer’ among commercial banks operating in Karnataka for its performance under the ‘Highest Average Loan Size’ category in relation to the SHG - Bank linkage programme.
- Your Bank aims to achieve a robust growth in its business during the next financial year with a proactive approach in its outlook towards the market and economy.
- Your Bank has adopted a transparent approach towards market sentiments by interacting with the media and analysts in sharing its achievements and future plans.

In spite of the tough economic environment, and keeping in tune with the buoyant financial performance of the Bank, your Directors are pleased to recommend a dividend of 38 percent for the financial year 2011-12.

### THE WAY AHEAD

During the year 2011-12, banking industry had faced various critical challenges, but through sound policies, careful planning and the confidence of staff members and patronage of our huge customer base, we have been fortunate to ride the storm and succeeded in consolidating our growth in the industry. Friends, the future banking is rather more intense and complex and we have to get ourselves ready to face the difficult times and challenging situations with even more vigor and strength.

Your Bank has set target of ₹ 3,50,000 crore milestone in total business and opening of 300 branches to cross the landmark of 3000 branches during the financial year 2012-13.

The Bank has initiated process to establish a separate vertical for (a) Fee based Income and also (b) Mid Corporate segment to cater to their banking/credit requirements.

Bank has also initiated steps for creation of a separate vertical at Corporate Office, Regional Offices to accelerate marketing efforts to augment fee based income.

In order to drive the recovery process aggressively in respect of Special Monitoring Accounts (SMA) and Non Performing Assets (NPA), through a dedicated team supplementing the efforts of branches, Bank has operationalised a focused recovery team called “Stressed Tiny Assets Recovery Team” (START).

Strategically, our focus continues to be on the Retail Banking viz. CASA growth, lending for Housing, MSME, Agriculture, fee based income, reducing NPA level and more retail credit disbursement. The Bank has opted “LEAD” as the corporate theme for the financial year 2012-13 which signifies as under:

### LEAD

Let CASA be our Priority

Endeavour to increase Fee Based Income & Profitability

Attack and bring down NPA

Disburse More Credit under RO/Branch powers





बहुविध तथा विविधता से भरपूर कारोबारी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारा बैंक मध्यम अवधि से दीर्घावधि तक की वृद्धि को बनाए रखने के अपने मूल मिशन को बरकरार रखते हुए अपनी सारी ताकत को एकजुट करेगा। मुझे आशा है कि वर्तमान की सक्रिय प्रबंधन टीम, समर्पित स्टॉफ सदस्य और 28 मिलियन ग्राहकों के बलबूते निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लिया जाएगा और हम इस जीवंत संस्था को उपलब्धियों की और बुलंदियों तक पहुँचाने में कामयाब होंगे।


**आभार:**

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक को उनके बहुमूल्य सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हमारे शेयरधारकों ने हममें जो आस्था एवं विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने सभी ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग तथा समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संस्था के निष्पादन को बुलंदियों तक पहुँचाने वाले अपने स्टॉफ सदस्यों की प्रशंसा करता हूँ तथा उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण एवं मूल्यवान योगदान को अभिलेखित करता हूँ।

अंत में, मैं आप सभी को इस बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सादर,

आपका,



(म गि संघवी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल

दिनांक : 09.06.2012

With diversified and multiple business lines, our Bank is recharging for growth for the medium to long term while aiming at long term sustainability and maintaining focus on its core mission and realigning all its strengths. I hope with the support of present proactive management team, dedicated staff members and patronage of our 28 million customers, the targets set will be achieved smoothly further taking this vibrant organization to greater heights of achievements.


**ACKNOWLEDGEMENT**

I take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India for their valuable support and guidance. I thank all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us. I thank all our customers for their continued co-operation and support. I also place on record my appreciation for the dedication and commitment put in by our staff members for enabling the Bank to scale new heights and performance.

Finally, I thank one and all of you for attending this meeting.

With regards,

Yours Sincerely,




(M G Sanghvi)

Chairman & Managing Director

Place : Manipal

Date : 09.06.2012





## वार्षिक आम बैठक / ANNUAL GENERAL MEETING

17 जुलाई, 2012 – मणिपाल / 17th July, 2012 – MANIPAL

### घटनाओं का महत्वपूर्ण कैलेंडर / IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने तथा चुनाव में सहभागिता करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified Date for ascertaining the shareholders eligibility to attend AGM and participate in election	15.06.2012
शेयरधारकों की सूची जिसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जानी है । List of shareholders to be made available for the candidates	26.06.2012
नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तिथि Last date for submission of nomination form on or before	02.07.2012
नामांकन की छानबीन Scrutiny of nominations	03.07.2012
अभ्यर्थियों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण Ascertaining the fit and proper status of the Candidates	04.07.2012
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी फॉर्मों और संकल्पों की प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख Last date of receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	12.07.2012
नामांकन को वापस लेना Withdrawal of Nominations	16.07.2012
बहियों का समापन (दोनों दिवस सम्मिलित) Book Closure (Both days inclusive)	13.07.2012 से /to 17.07.2012 तक
वार्षिक आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Annual General Meeting	17.07.2012 प्रातः 11.00 बजे (मंगलवार/Tuesday) 11.00 a.m.

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:

मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड

यूनिट : सिंडिकेट बैंक

प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर

माधापुर, हैदराबाद 500 081

दूरभाष: 040 44655000 - विस्तार: 116

या 040 44655116 (सीधा)

फैक्स सं.: 040 23420814

Registrars & Share Transfer Agents:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.

Unit: SyndicateBank

Plot No. 17 to 24, Viithal Rao Nagar

Madhapur, Hyderabad 500 081

Phone No. 040 44655000 – Extn.: 116

or 040 44655116 (D)

Fax No. 040 23420814



## सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56 के अनुसार सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक दि. 17 जुलाई, 2012 को प्रातः 11.00 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104, में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।
2. वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश की घोषणा करने के लिए ।
3. दि. 26 जून, 2012 को होनेवाली रिक्तियों को भरने तथा उन शेयरधारकों के संबंध में जिनसे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'योजना' कहा गया है) और सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियमावली" कहा गया है) जो अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बनाए गए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डी.बी.ओ.डी.सं.बी.सी.सं. 95/29.39.001/200-11 दि. 23 नवंबर, 2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. 46 को और 47/29.39.001/2007-08 दि. 1 नवंबर, 2007 की शर्तों के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त होने के कारण, बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का चयन करने तथा निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए:

संकल्प किया जाता है कि उक्त योजना तथा विनियमावली और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 (3) (i) की शर्तों के अनुसार वर्तमान निदेशकों की सेवा निवृत्ति की वजह से हुई रिक्तियों को भरने के लिए केन्द्र सरकार से भिन्न, अन्य शेयरधारकों में से उन दो निदेशकों को बैंक के निदेशकों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जिनके मामले में वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं और वे दि. 18 जुलाई, 2012 से अपना कार्यभार संभालेंगे जो वर्तमान निदेशकों की निवृत्ति के बाद की तारीख है और वे निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर रहेंगे ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा  
कृते सिंडिकेट बैंक

*म. गि. संघवी*

(म. गि. संघवी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल

दिनांक : 19.06.2012



## NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to Regulation 56 of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 that an ANNUAL GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of SYNDICATE BANK will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 (Karnataka State) on 17th July 2012 at 11.00 a.m. to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the Financial Year 2011-2012.
3. To elect two Directors from amongst shareholders of the Bank (other than the Central Government) to fill in the vacancies which will be caused on 26th June 2012 and in respect of whom valid nominations have been received in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 and The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification Nos. DBOD No.BC.46 & 47 /29.39.001/2007-08 dated 1st November 2007 read with DBOD.No.BC.NO. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter to as the RBI Notification") and to pass the following resolution:

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme and Regulations made thereunder and RBI Notification be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from 18th July 2012 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of their assumption of office as Directors."

By Order of the Board of Directors  
For SYNDICATE BANK

(M G Sanghvi)  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place : MANIPAL  
Date : 19.06.2012



**नोट:**

(i) बैठक के कारोबार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

**(ii) मतदान अधिकार**

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार से भिन्न समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत से अधिक शेयर रखता/रखती है तो वह मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि उक्त अधिनियम, योजना और विनियमावली में किए गए किसी संशोधन की वजह से इस सूचना में दी गयी वर्तमान प्रक्रिया के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो उक्त संशोधन अभिभावी होगा।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, विनियमावली 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम विनिर्दिष्ट तारीख को यानी शुक्रवार 15, जून 2012 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है वह अपना हाथ उठाकर वोट दे सकता है और मतदान के मामले में वह प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट के लिए पात्र है।

उक्त विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उस से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो उस व्यक्ति को एकल शेयरधारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में सबसे पहले उल्लेख किया गया हो। यदि शेयर संयुक्त नाम में हैं तो केवल प्रथम व्यक्ति बैठक में उपस्थित होने के लिए पात्र है और वह बैठक में केवल नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र है।

**(iii) निर्दिष्ट तारीख**

विनियमावली के विनियम 12 के अनुसार चुनाव में सहभागिता करने के लिए यानी, केन्द्र सरकार से भिन्न बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले दो निदेशकों के चयन के लिए निदेशकों को नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र शेयरधारकों के नामों को निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु निर्दिष्ट तारीख शुक्रवार 15 जून, 2012 है।

**(iv) प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

तथापि, ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं है।

ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सिंडिकेट बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो, उसे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त न किया जाए।

उक्त विनियमावली 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी के किसी लिखत का गारंटर उस बैठक में वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा जिस लिखत से वह संबद्ध हो।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 12 जुलाई, 2012 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए।

**NOTES:**

(i) The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

**(ii) VOTING RIGHTS**

In terms of the provisions of Sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

**Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date, i.e. Friday, 15th June 2012, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.**

**As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.**

**(iii) SPECIFIED DATE**

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, Friday, 15 June 2012 is the Specified Date for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of two Directors representing the shareholders of the Bank, other than the Central Government, as mentioned in the notice.

**(iv) APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Thursday, 12th July, 2012.



**(v) प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, जो कि शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 12 जुलाई, 2012 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं करता/करती है।

**(vi) उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।

**(vii) वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेज दी गई है। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) पर भी प्रदर्शित है।

**(viii) लेखा विषयक सूचना**

शेयरधारक यदि खाले के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि बैंक को लिखें और उनके द्वारा मांगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधक वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय उसके जवाब दिए जायेंगे।

**(ix) बही बंदी**

वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और अंतिम लाभांश 2011-12 की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी शुक्रवार, 13 जुलाई, 2012 से मंगलवार, 17 जुलाई, 2012 (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।

**(x) लाभांश का भुगतान**

निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को जिनके पास फिजिकल फार्म में शेयर हैं और जिनके नाम बैंक के शेयरधारक/सदस्यों के रजिस्टर में मंगलवार, 17 जुलाई, 2012 तक दर्ज हैं और बेकागजीकृत रूप के शेयरों के मामले में गुरुवार, 12 जुलाई, 2012 को कारोबार की समाप्ति के समय की स्थिति के अनुसार डिपाजिटरी द्वारा उपलब्ध की गई हिताधिकारी स्वामियों की सूची के अनुसार लाभांश वारंट वार्षिक आम बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर डाक से भेजे जाएंगे/जमा कर दिए जाएंगे।

**(v) APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Thursday, 12th July 2012.

**(vi) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy-holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy-holders/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

The portion of the Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

**(vii) COPIES OF ANNUAL REPORT**

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses. Additionally, the Annual Report has been hosted on Bank's website [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in).

**(viii) INFORMATION ON THE ACCOUNTS**

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

**(ix) BOOK CLOSURE**

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Friday, 13th July, 2012 to Tuesday, 17th July, 2012 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend 2011-2012.

**(x) PAYMENT OF DIVIDEND**

Payment of dividend to shareholders, as proposed by the Board of Directors, shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Members/Shareholders of the Bank as on Tuesday 17th July, 2012 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business hours on Thursday, 12th July, 2012. The dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of Annual General Meeting.



**(xi) लाभांश हेतु बैंक अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ई सी एस)**

- क) शेयरधारकों से अपेक्षा है कि वे जहाँ पर अपने लाभांश वारंटों को जमा कराना चाहते हों, उस बैंक का नाम, शाखा का नाम, स्थान एवं खाता संख्या का उल्लेख करें। ये सूचनाएं लाभांश वारंट के चेक हिस्से में शेयरधारक के नाम के साथ मुद्रित की जाएंगी ताकि लाभांश वारंट का कपटपूर्ण नकदीकरण कराने से बचा जा सके। उपर्युक्त विवरण प्रथम/एकमात्र धारक द्वारा फोलियो संख्या, धारित शेयरों की संख्या, धारिता संबंधी ब्यौरे आदि बताते हुए सीधे हैदराबाद स्थित रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
- ख) बैंक, विनिर्दिष्ट शहरों में रहनेवाले शेयरधारकों को ई.सी.एस. की सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांशों को जमा करवाने के लिए, शेयरधारक बैंक अधिदेश प्रणाली के बदले में इस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। विकल्प फार्म इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
- ग) बैंक के सभी शाखाओं को सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) के अंतर्गत लाया गया है। हमारे बैंक में खाता रखनेवाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपनी 14 अंकोवाली बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश की रकम को सीधे खाते में जमा किया जा सके।

**(xii) अंतरण**

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। मई 2009 से सेबी ने शेयरों के अंतरण के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरिती द्वारा “पैन कार्ड” के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

**(xiii) पते में परिवर्तन**

- क) **कागज़ी फॉर्म में शेयर रखना**  
कागज़ी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्बी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड  
यूनिट: सिंडिकेटबैंक  
प्लॉट सं. 17 से 24  
विठ्ठलराव नगर, माधपुर  
हैदराबाद – 500 081  
दूरभाष सं.: 040 44655000 एक्स्टेंशन 116  
या 040 44655116 (सीधा)  
फैक्स सं. 040 23420814

यदि पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया जाता है तो अनुरोध-पत्र के साथ पते का सबूत किया जाना चाहिए जैसे दूरभाष बिल की अनुप्रमाणित प्रति, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि।

- ख) **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना**

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखनेवाले हिताधिकारी

**(xi) BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS)**

- a) The shareholders are required to furnish their Bank Account number, the name of the Bank and the Branch, where they would like to deposit the Dividend Warrants for encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of Dividend Warrants, besides the name of the shareholders so as to avoid fraudulent encashment of warrants. These details should be furnished by the first/sole shareholder directly to the Registrar & Share Transfer Agent at Hyderabad, quoting the folio number, number of shares held, details of the holdings etc.
- b) The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Option Form is annexed to this Report.
- c) All the branches of our Bank are in the Core Banking Solution (CBS) network. The investors, who maintain their accounts with our Bank, are requested to provide us their 14 digit Savings Bank/Current/Overdraft Account Number for direct credit of dividend to their accounts.

**(xii) TRANSFERS**

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for effecting transfer. Since May 2009, the SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) mandatory by the Transferee(s) at the time of submission for transfer of shares.

**(xiii) CHANGE OF ADDRESS**

- a) **Holding of shares in Physical Forms**

Shareholders' holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.

Unit: SyndicateBank

Plot No. 17 to 24

Vithal Rao Nagar, Madhapur

HYDERABAD – 500 081

Phone No. 040 44655000 – Extn.: 116

or 040 44655116 (D)

Fax No. 040 23420814

Request for change of address should be submitted alongwith self attested copies of PAN Card and address proof, such as attested copies of Telephone Bill, Passport, Voter ID Card, Ration Card, Driving License etc.

- b) **Holding of shares in Electronic Form**

In case of Beneficial owners holding shares in





स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे कि पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत् अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें।

(xiv) बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डिमैट) अनिवार्य शेयर व्यापार भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून, 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है।

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को भेजे जाएं।

(xv) बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं हमारे बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएं प्रदान करता है:

1. बेकागज़ीकरण
  2. पुनः कागज़ीकरण
  3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना
  4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान-ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डिपोजिटरी।
  5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
  6. डीमैट खातों को जब्त करना/मुक्त करना
- डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक के वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) पर उपलब्ध हैं।

(xvi) फोलियो का समेकन

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयरधारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयर पूंजियों को एक ही पूंजी के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

(xvii) निवेशक संबंध केन्द्र

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने नैगम कार्यालय, बेंगलूर में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव

निवेशक संबंध केन्द्र

सिंडिकेटबैंक, नैगम कार्यालय

2 क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूर - 560 009 (कर्नाटक)

दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030

ईमेल: [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in) (सामान्य)

निवेशक की शिकायत : [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in)

Electronic Form i.e. through a Demat account, the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE, THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

(xiv) **COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM**

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

(xv) **DP services offered by the Bank**

Our Bank provides following DP Services –

1. Dematerialization.
2. Rematerialisation.
3. Holding of securities in electronic form.
4. Settlement of trades by delivery – On market, off market and Inter – depository.
5. Pledge/Unpledge of securities.
6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.

Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in)

(xvi) **CONSOLIDATION OF FOLIOS**

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

(xvii) **INVESTOR RELATIONS CENTRE**

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Syndicate Bank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance –

The Company Secretary

Investor Relations Centre

SyndicateBank, Corporate Office

2nd Cross Gandhinagar

Bengaluru – 560 009 (Karnataka)

Tel 080 – 22283030, Fax – 080 – 22283030

E-mail: [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in) (General)

Investor Grievances: [syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in)



**(xviii) निदेशकों का चुनाव**

**निदेशक मंडल की संरचना**

9(3) जहाँ बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम) की धारा 3 की उप-धारा (2 बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी:

- I. कुल प्रदत्त पूंजी के 16% तक है, तो एक निदेशक,
- II. कुल प्रदत्त पूंजी के 16% से अधिक किंतु 32% से कम है, तो दो निदेशक,
- III. कुल प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक है तो तीन निदेशकों का चयन केन्द्रीय सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों द्वारा किया जाएगा।

**व्याख्यात्मक कथन**

**दो शेयरधारक निदेशकों का चयन**

**• निदेशकों के चयन के लिए शेयरधारकों के अधिकार**

बैंक ने 26 जून 2009 को संपन्न वार्षिक आम बैठक के दौरान आयोजित चुनाव में श्री एम. भास्कर राव, श्री ए. आर. नागप्पन और श्री भूपिन्दर सिंह सूरी को शेयरधारक निदेशकों के रूप में चयनित किया। उन्होंने सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 की विनियम 66 (iii) की शर्तों के अनुसार दि. 27 जून 2009 को तीन वर्षों की अवधि के लिए पदभार ग्रहण किए।

बैंक की पूंजी को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त पूंजी जुटाने के कारण मार्च 2011 में सरकार का शेयरधारण बढ़कर 69.47% हो गया, अतएव पब्लिक का शेयरधारण घटकर 32% हो गया। तदनुसार, अधिनियम की धारा 9 (3)(i) तथा योजना के खण्ड 4ए की शर्तों के अनुसार 12.05.2011 को श्री एम. भास्कर राव ने बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया।

भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के लिए हाल ही में 2,86,64,284 ईक्विटी शेयर जारी किए जाने के परिणाम स्वरूप बैंक के पब्लिक शेयर धारण बढ़कर 33.83% हो गया, इससे बैंक तीन शेयरधारक निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र है। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाने की संभावना है, इससे पब्लिक शेयरधारण 32% से भी कम हो सकता है और बैंक केवल दो शेयरधारक निदेशकों का ही चयन कर सकेगा। इस प्रकार चयनित निदेशक दि. 01 जुलाई 2012 को अपना पदभार संभालेंगे।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और दि. 26 जून 2012 को हुई रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से बैंक ने केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से दो निदेशकों का चयन करने हेतु चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है। अतएव, शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) विभिन्न तथा संगत अधिनियमों, विनियमावली, योजना, विनियमन अधिनियम और भा.रि.बैं. की अधिसूचना में दी गयी प्रक्रियाओं के अनुसार अपने नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं। संगत भाग निम्नवत् हैं:

**(xviii) ELECTION OF DIRECTORS**

**Composition of the Board of Directors**

9(3) Where the capital issued under clause (c) of Sub-section (2B) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 [Act] is :

- I. not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director,
- II. more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, two Directors,
- III. more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors,

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves.

**EXPLANATORY STATEMENT**

**ELECTION OF TWO SHAREHOLDERS- DIRECTORS**

**• RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS**

The Bank had conducted an election at the Annual General Meeting held on 26th June 2009 and elected Mr. M Bhaskara Rao, Mr. AR Nagappan and Mr. Bhupinder Singh Suri as the shareholder Directors. They assumed office in terms of Regulations 66 (iii) of the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 on 27th June 2009 for a period of three years.

Consequent upon increase in Government shareholding in March, 2011 to 69.47, due to infusion of additional capital for augmenting Capital of the Bank, the public shareholding fell below 32%. Accordingly, Sri M Bhaskara Rao, ceased to be a director of the Bank in terms of Section 9(3)(i) of the Act and clause 4A of the scheme with effect from 12.05.2011.

Pursuant to the recent issue of 2,86,64,284 equity shares to various schemes of LIC of India, the public shareholding in the Bank has increased to 33.83%, thereby entitling the Bank to elect three shareholder directors. However, there is a likelihood of Government of India infusing additional capital during the current financial year and in that eventuality, public shareholding may fall below 32% thereby the Bank would be entitled to elect only two shareholder directors.

In view of the aforesaid and with a view to filling in the vacancies that will arise on 26th June, 2012 on account of retirement of existing Shareholders Directors, the Bank has decided to conduct, to elect two Directors from amongst Shareholders, other than the Central Government. The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedures detailed in various provisions of the scheme, Regulations and the RBI Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.



इस प्रकार चयनित एक निदेशक 18 जुलाई, 2012 से कार्य करेगा।

**विधिक प्रावधान**

इस संबंध में लागू होनेवाले विभिन्न अधिनियमों/योजना/विनियमावलियों/अधिसूचनाओं में शामिल उपबंधों के व्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

अधिनियम/योजना/अधिसूचनाएँ	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949	धारा 16 (1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य निदेशक पर निषेध</li> <li>किसी भी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध</li> </ul>
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3 (2 ई) धारा 9 (3)(i)  धारा 9(3 ए) से (सी) तक धारा 9 (3 एए)  धारा 9 (3 ए.बी.)  धारा 9 (3 बी)  धारा 13 (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>वॉटिंग अधिकार पर प्रतिबंध</li> <li>शेयरधारकों द्वारा चयन किए जानेवाले निदेशकों की संख्या</li> <li>कुछ क्षेत्रों में विशेष जानकारी</li> <li>कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक बनने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ट्रेड रिकार्ड के आधार पर निष्ठा और भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट अन्य मानदण्डों के अनुसार उचित और उपयुक्त न हो।</li> <li>उचित और उपयुक्त को निर्धारित करने का प्राधिकार</li> <li>उस चयनित निदेशक को हटाने के लिए भा.रि.बैं. को प्राप्त अधिकार जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) और 9 (3 एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो</li> <li>निष्ठा और गोपनीयता का अनुपालन</li> </ul>
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970	खण्ड 4 ए  खण्ड 9 (4) खण्ड 10  खण्ड 11 खण्ड 11 ए खण्ड 11 बी खण्ड 12 (8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त चयनित निदेशक को निर्धारित करने का ढंग</li> <li>चयनित निदेशकों की पदावधि</li> <li>बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता मानदण्ड</li> <li>निदेशक के पद को रिक्त करना</li> <li>चयनित निदेशक को पद से हटाना</li> <li>कुल व्यवस्थाओं में निदेशकों के हितों का प्रकटीकरण जिन पर वे हितबद्ध हैं।</li> </ul>
सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग</li> <li>आम बैठक में वॉटिंग</li> <li>आम बैठक में चयनित निदेशकगण</li> <li>शेयरधारकों की सूची</li> <li>चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन</li> <li>चुनाव संबंधी विवाद</li> <li>मतदान अधिकारों का निर्धारण</li> <li>सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान</li> <li>प्रॉक्सी</li> </ul>
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. सं. 46 और 47/29/39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 और सं. डी.बी.ओ.डी.बी.सी. सं. 95/29.39.001/2010 दि. 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 की धारा 9 (3 ए ए) और धारा 9 (3 ए बी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में चयनित निदेशकों के लिए उचित और उपयुक्त मानदण्ड

संगत अधिनियमों/योजना/विनियमावली/अधिसूचनाओं इत्यादि का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना तथा भा.रि.बैं. की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ. डी. सं. बी.सी.सी. सं. 46 और 47/29/39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 तथा सं. डी.बी.ओ.डी. बी.सी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011 के संगत उद्धरणों को बैंक के वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) पर अपलोड किया जाएगा। इसकी सूचना इस नोटिस के अंत में दी गयी है। उक्त उद्धरण को इच्छुक अभ्यर्थियों को भी ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा। बशर्ते वे नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख यानी 2 जुलाई 2012 से

A Director so elected shall assume office with effect from 18th July, 2012.

**LEGAL PROVISIONS**

The following table indicates the provisions contained in various Acts / Scheme / Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prohibition of Common Director</li> <li>Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors</li> </ul>
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i)  Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA)  Section 9(3AB) Section 9(3B)  Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restriction on voting rights</li> <li>No. of directors to be elected by the shareholders</li> <li>Special knowledge in certain fields</li> <li>No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.</li> <li>Authority to determine fit and proper</li> <li>Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.</li> <li>Obligation as to fidelity and secrecy</li> </ul>
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 4A  Clause 9(4) Clause 10  Clause 11 Clause 11A Clause 11B  Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manner of determination of excess elected Director</li> <li>Term of office of elected directors</li> <li>Disqualifications from being elected as a Director of the Bank</li> <li>Vacation of office of Director</li> <li>Removal from office of an elected Director</li> <li>Filling of vacancy in the office of an elected Director.</li> <li>Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.</li> </ul>
Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exercise of rights of joint holders</li> <li>Voting at General Meetings</li> <li>Directors to be elected at General Meetings</li> <li>List of Shareholders</li> <li>Nomination of candidates for election</li> <li>Scrutiny of nominations</li> <li>Election disputes</li> <li>Determination of voting rights</li> <li>Voting by duly authorized representative</li> <li>Proxies</li> </ul>
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29/39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3A) and Section 9(3B) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks

**EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.**

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 will be hosted in the Bank's website [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in). The same are also reproduced at the end of this Notice. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Syndicate Bank, General Manager, (Personnel), Head Office, Manipal, on or



पहले सिंडिकेट बैंक, महा प्रबंधक (कार्मिक) प्रधान कार्यालय, मणिपाल को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करते हैं ।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित अर्हताएँ

- i) अधिनियम की धारा 9(3A) की शर्तों के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखता है,
  - क) उसे निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो:
    - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
    - बैंकिंग
    - सहकारिता
    - अर्थशास्त्र
    - वित्त
    - विधि
    - लघु उद्योग
    - किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो ।
  - ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा
  - ग) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।
- ii) उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए ए) की शर्तों के अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी जो बैंक का शेयरधारक है वह बैंक का निदेशक बनना चाहता है तो उन से अपेक्षित है कि वे भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय जारी किए जानेवाले निदेशों/अधिसूचनाओं के अनुसार “उचित और उपर्युक्त” स्थिति बनाए रखें ।
- iii) पुनः, चयनित निदेशक को चाहिए कि वे प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करें और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करें ।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता

- क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित और निदेशक बनने के अयोग्य हैं :
  - क) यदि उसे कभी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया है, अथवा
  - ख) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषित किया है; अथवा
  - ग) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनाई है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा
  - घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ के पद पर है किन्तु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 में (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद ग्रहण कर सकता है ।

before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 2nd July, 2012.

#### QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- i) In terms of Section 9 (3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall –
  - A) Have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely :
    - agriculture and rural economy
    - banking
    - co-operation
    - economics
    - finance
    - law
    - small scale industry
    - any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.
  - B) represents the interest of depositors, or
  - C) represents the interest of farmers, workers and artisans.
- ii) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status pursuant to Reserve Bank of India's directives/notification from time to time in this regard.
- iii) Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

#### DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 [Scheme], a person shall be disqualified from being appointed as, and from being a Director:
  - (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
  - (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
  - (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or
  - (d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

और

and





ख) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी.बी.सी. सं. 95/39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 के साथ पठित अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. सं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार यदि वे बैंक के निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा “उचित और उपर्युक्त” व्यक्ति नहीं पाए जाते हों ।

#### निदेशकों का कार्यकाल

योजना के खंड 9(4) के अधीन निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल 3 साल का होगा और वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा ।

हालांकि ऐसा निदेशक 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियमित रूप से अपने पद पर नहीं बना रह सकेगा ।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9 (3ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे निदेशक को जो अधिनियम की धारा 9 (3अ) में वर्णित आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है उसे अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अंतर्गत पद से हटाने का अधिकार दिया गया है ।

#### अतिरिक्त चयनित निदेशक की निवृत्ति का ढंग

योजना के खण्ड 4ए के उपबंधों के अनुसार:

‘अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग’ कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के द्वितीय शर्त के अनुसार किया जाएगा और शेयरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा चयनित ऐसे निदेशकों की संख्या के बराबर संख्या के निदेशक निवृत्त हो जाएंगे और जिस निदेशक ने सबसे लम्बि अवधि तक सेवा की है वे निदेशक सबसे पहले निवृत्त होंगे ।

बशर्ते यदि दो या उससे अधिक निदेशकों की सेवा अवधि समान है तो उनमें से सबसे अधिक उम्रवाले निदेशक पहले निवृत्त होंगे ।

#### शेयरधारकों की सूची

सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 64 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में मदद करने की दृष्टि से शेयरधारकों की सूची, अध्यक्ष का सचिवालय, सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल में दि. 26 जून 2012 से उपलब्ध होगी । इसकी कीमत हार्ड प्रति के लिए ₹50,000/- जिसे सिंडिकेट बैंक पर आहरित मणिपाल/उडुपि में देय मांग ड्राफ्ट जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है। शेयरधारकों की सूची की सॉफ्ट प्रति ₹10,000/- में उपलब्ध होगी ।

#### शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों (रविवार और बैंक अवकाश के दिनों को छोड़कर) यानी सोमवार से शुक्रवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक और शनिवार के दिन सुबह 11.00 बजे से मध्याह्न 1.00 तक निरीक्षण हेतु उपलब्ध है । यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की जरूरत है तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके भाग के लिए ₹5/- की दर से पूर्व-भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

B. In terms of Notification of Reserve Bank of India-DBOD No. BC. No. 46& 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011, he is not found to be ‘fit and proper’ person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

#### TENURE OF DIRECTORS

Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Directors shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) of the said Act.

#### Manner of retirement of excess elected director

Clause 4A of the Scheme provides as under:

“The number of excess directors shall be determined under the second proviso to clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director.

Provided that, if two or more directors have served for the same period of time, the older among the said directors shall retire first.”

#### LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 as of the specified date i.e., Friday, 15th June 2012 will be made available at Head Office, with Sri T Muralidharan, General Manager (Personnel), Syndicate Bank, Head office, Post Box No.1, Maniपाल – 576 104 from 26 June 2012 onwards for purchase by shareholders on payment of ₹50,000/- by demand draft in favour of Syndicate Bank payable at Maniपाल / Udupi along with an application made for this purpose. However, soft copy of the list of shareholder will be made available for ₹10,000/-.

#### INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Friday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. to 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.



## चुनाव में सहभागिता करना

ऐसे शेयरधारक, जिनके नामों का उल्लेख 15 जून 2012 की स्थिति में एन.एस.डी. एल./सी.डी.एस.एल./एस.टी.ए. द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/हिताधिकारी स्वामी रजिस्टर में किया गया हो, वे चुनाव में सहभागिता करने यानी अभ्यर्थियों को नामित करने, चुनाव में लड़ने तथा केन्द्र सरकार से भिन्न अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में वोट डालने के लिए पात्र हैं।

विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम दि. 15 जून 2012 को, यानी आम बैठक की तारीख से पहले निर्दिष्ट तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, यह अपना हाथ उठाकर अपना वोट डाल सकता है और मतदान के मामले में शेयरधारक के पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

## चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

### नामांकन की वैधता

निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी प्रत्याशी का नामांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमन 65 के विनियम के अंतर्गत, डी.बी.ओ.डी.बी.सी. सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23 मई 2011 के साथ पठित डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 तथा इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार वैध होगा, बशर्ते:

- वह सिंडिकेट बैंक में 17 जुलाई 2012 को यानी चुनाव में भाग लेने की निर्दिष्ट तारीख को 100 शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो और दि. 15 जून 2012 को या उसके बाद भी यानी उसकी पदावधि की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखता हो।
- उसे, 2 जुलाई 2012 को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 या अधिनियम/योजना/विनियमावली/भा.रि.बैं. की अधिसूचनाओं के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
- उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में माँग-राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उस से पूर्व माँग-राशि अदा कर दी हो।
- नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् संघटित अर्टॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कि कोई शेयरधारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर महा प्रबंधक, (कार्मिक), सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल - 576 104 को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- शेयरधारको (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन में या उस के साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषण पत्र हो कि यह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने का इच्छुक है और यह कि उसे इस अधिनियम के तहत या इस योजना या सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली, 1998 के तहत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

## PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL / STA as on 15th June 2012, shall be entitled to participate i.e. Nominate, Contest and Vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on 15th June 2012, the Specified Date, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him / her.

## NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

### Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- he is a shareholder holding minimum 100 shares in the Bank as on 15th June 2012 being the Specified Date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till 17th July 2012 and thereafter till the end of his tenure if he is elected;
- as on 2nd July 2012 (Last date for receipt of Nominations) he is not disqualified to be Director under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or under the Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications;
- he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
- the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorneys, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the General Manager (Personnel), Head Office of the Bank addressed to the Head office, Post Box No.1, Manipal - 576 104 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
- the nomination by the shareholders (Minimum 100) is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub- Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any other nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified under the said Act or the said Scheme or the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 from being a Director;

- उक्त विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार नामांकन फार्म तथा घोषणपत्र (प्रोफार्मा हमारे बैंक के वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) में उपलब्ध है)

#### नामांकन फार्म का प्रस्तुतीकरण

केन्द्र सरकार के अलावा, अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को चाहिए कि वे

- विधिवत् भरे गए घोषणा-पत्र
- चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- वैयक्तिक सूचना, घोषणा-पत्र और वचन-पत्र के साथ-साथ संगत दस्तावेज, शंसापत्र यानी बायो-डाटा, शैक्षिक अर्हता, अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र, इत्यादि को इस सूचना के साथ संलग्न फार्मेट के साथ एक मुहरबंद लिफाफे में डालकर उसे महा प्रबंधक, कार्मिक प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल-576 104 को वार्षिक आम बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चौदह दिन पहले किसी भी तारीख को यानी बैंक के कार्य समय से पहले यानी दि. 2 जुलाई, 2012 को सायं 5.00 बजे के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

#### नामांकन की जांच

- नामांकनों की जांच नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस यानि दि 3 जुलाई 2012 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन मान्य नहीं है तो इसके लिए कारणों को अभिलेखित करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति का निर्धारण करने के लिए नामांकन पत्र की छानबीन की जाएगी।
- यदि चुनाव हेतु भरी जानेवाली दो रिक्तियों के लिए केवल दो वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो नामित अभ्यर्थियों को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उनके नामों और पते को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में वार्षिक आम बैठक को रद्द कर दिया जाएगा। तथापि निर्वाचित अभ्यर्थीगण दि. 18 जुलाई, 2012 को अपना-अपना पदभार ग्रहण करेंगे।
- जितनी संख्या में निदेशकों को चुना जाना है, यदि उससे अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों के नाम अखबारों में प्रकाशित करवाए जाएँगे तथा अधिक मत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी चुने जाएँगे और उनके नामों की घोषणा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करेंगे एवं इसे अखबारों में प्रकाशित भी किया जाएगा। वे दिनांक 18 जुलाई, 2012 को कार्य ग्रहण करेंगे।
- यदि कोई विवाद हो तो विनियमावली के विनियम 67 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा।

#### दि. 17.07.2012 को मतदान की प्रक्रिया

निदेशकों के चुनाव को हाथ उठाकर वोट डालने की पद्धति के आधार पर नहीं किया जाएगा, किंतु चुनाव प्रक्रिया में गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाएगा।

- the nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in).);

#### SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the General Manager - Personnel, Head office, Post Box No.1, Manipal - 576 104, together with connected documents, complete in all respects, on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 p.m.. on 2nd July, 2012, failing which, the nominations are liable to be rejected.

#### SCRUTINY OF NOMINATIONS

- Nominations shall be scrutinized by the Bank on 3rd July 2012 the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) thereof.
- Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notification.
- If there are only two valid nominations for the two vacancies to be filled-in by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event, the Agenda item relating to election of Shareholder Directors will not be taken up at the Annual General Meeting. However, the elected candidates shall assume office only on 18th July, 2012.
- If valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and candidates polling the majority of the votes shall be elected and their names will be announced by the Chairman & Managing Director and also published in newspapers. They will assume office on 18th July, 2012.
- If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

#### POLL PROCESS on 17.07.2012

The Voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of secret Ballot.



अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान-पत्र जारी किया जाएगा और वह अपराह्न 3.00 बजे तक जारी रहेगा। पंजीकरण के समय जारी किए गए मतदान-पत्र को काउंटर पर प्रस्तुत करने पर शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मत पत्र जारी किए जाएंगे। वोटों की संख्या और उनके द्वारा दि. 15 जून 2012 तक रखे गए शेयरों की संख्या बराबर होगी।

शेयरधारकों से अपेक्षा है कि वे मतपत्र में अपनी पसंद के अनुसार दो अभ्यर्थियों के नामों के सामने (X) की रबड़ की मोहर लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

उसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और तदनंतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का आयोजन बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र परामर्शदाता है जिनकी नियुक्ति बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु की गयी है और भारत सरकार के नामिती द्वारा चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण किया जाएगा, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।


#### नामांकन को वापस लेना

यदि कोई अभ्यर्थी नामांकन को वापस लेना चाहता है तो बैंक कारोबार समय की समाप्ति से पहले किसी भी समय या दि. 16 जुलाई 2012 को शाम 5.00 बजे से पहले अपना नामांकन वापस ले सकता है।

#### निदेशकों के हित

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ते हैं तो उनपर उक्त मर्दे लागू होगी।

स्थान : मणिपाल  
दिनांक : 19.06.2012

  
(म गि संघवी)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman & Managing Director and continue upto 3.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders/ Proxy holders/ authorized representatives on surrender of Ballot Paper issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 15th June 2012.

Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of two candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman & Managing Director.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.


#### WITHDRAWAL OF NOMINATIONS

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do at any time prior to closing hours of the Bank on or **before 5.00 P.M.** on 16th July 2012.

#### INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

Place : Manipal  
Date : 19.06.2012

  
(M G Sanghvi)  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



## निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल, 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलना-पत्र, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ व हानि लेखा विवरण सहित बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है।

### प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

#### व्यापक आर्थिक परिदृश्य

##### वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

बड़े उभरते एवं विकासशील देशों में आई मंद वृद्धि के साथ-साथ पूरे विश्व में व्याप्त राजकोषीय एवं वित्तीय अनिश्चितताओं का जो दौर रहा उससे पिछले पूरे वर्ष के दौरान एक जबरदस्त दबाव बना रहा। यूरो क्षेत्र में आए सरकारी उधार के संकट की वजह से सार्वजनिक उधार संबंधी मुद्दे को स्थिर बनाए रखने के लिए कई देशों के सामने विकट चुनौतियाँ आ गईं। इसके बावजूद, प्रभावित यूरो क्षेत्र को बचाने के लिए राहत पैकेज देकर चौरफा उपाय किए गए, पर संकट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है और वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के मार्ग में अभी भी जोखिम मंडरा रही है। यूरो क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो जोखिम नामक संक्रामक बीमारी को फटकने न दें।

अमरीका के घरेलू क्षेत्र में आई कमजोरी, उभरते हुए बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं की कीमतों में आई मंदी तथा उनके आवक पूँजी प्रवाह में अचानक आई गिरावट, विकासशील अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का दबाव, कारोबार ध्वस्त होना और उपभोक्ताओं का विश्वास टूटना आदि ऐसे घटक हैं जिनकी वजह से वैश्विक विकास की जोखिम एक बार फिर से प्रबल होती जा रही है और वैश्विक वृद्धि का भविष्य और असुरक्षित होता जा रहा है।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011 में गिरकर 3.8 प्रतिशत पर आ गया जो कि वर्ष 2010 के दौरान 5.2 प्रतिशत दर्ज किया गया था। विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वर्ष 2012 में 2.5 प्रतिशत हो जाएगी तथा 2013 में 3.1 प्रतिशत पर जाएगी जबकि जून 2011 में यह आकलन किया गया था कि यह प्रति वर्ष 3.6 प्रतिशत बढ़ेगी। यूरो क्षेत्र के बारे में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि का जो आकलन था उसकी तुलना में यह 0.3 प्रतिशत कम हो जाएगी। यू एस की वृद्धि दर 2.29 प्रतिशत से कम होकर 2.2 प्रतिशत हो गई है।

#### घरेलू परिप्रेक्ष्य

ग्रीक का सरकारी उधार संकट, वैश्विक रूप से तेल की कीमतों में वृद्धि तथा अस्थिर पूँजी प्रवाह की वजह से घरेलू वसूली पर दबाव पड़ा। फलस्वरूप, देश की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कम हो गई। खनिज, विनिर्माण तथा निर्माण उद्योग में आई गिरावट का असर भी दृष्टिगोचर हुआ।

केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी.एस.ओ.) के पूर्वानुमान के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011-12 के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि 2010-11 में संशोधित वृद्धि 8.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वित्तीय वर्ष 2010-11 में दर्ज की गई वृद्धि कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्रमशः 7.0 प्रतिशत, 7.2 प्रतिशत तथा 9.3 प्रतिशत थी, इसके मुकाबले इस वर्ष के दौरान ये वृद्धि क्रमशः 2.8 प्रतिशत, 3.4 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत रही।

पिछले वर्ष दर्ज की गई 16.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 23 मार्च, 2012 की स्थिति में मुद्रा आपूर्ति ₹ 7347530 करोड़ पहुँचकर 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करा पाई। इसी प्रकार पिछले वर्ष के दौरान दर्ज की गई 21.3 प्रतिशत की

## DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors is pleased to present the Bank's Directors' Report along with the Audited Balance Sheet as on 31st March 2012 and the Profit & Loss Account statement for the financial year ended 31st March 2012.

### MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

#### MACRO ECONOMIC SCENARIO

##### GLOBAL PERSPECTIVE

The year just gone by had witnessed tremendous pressure due to prevailing fiscal and financial uncertainties around the world as well as decelerating growth in major emerging and developing countries. The emergence of Sovereign debt crisis in the euro area posed critical challenges before many countries in stabilizing the issues relating to public debt. Despite, significant measures and relief packages undertaken from several fronts to rescue the troubled euro zone, the crisis does not yet seem to be over and still remain as the key risk to global financial stability. The euro zone's 'firewall' against contagion risk need to be further strengthened.

Risk to global growth further accentuated due to a combination of various other factors viz. weakened US housing sector, slump in commodity prices in emerging market economy and a sudden reversal in their inward capital flows, elevated inflationary pressure in developing economies, dampening business and consumer confidence etc. which has proved to be more vulnerable to global growth forecast.

The global GDP grew by 3.8 per cent in 2011, a sharp drop from 5.2 per cent registered during the year 2010. World Bank has predicted global GDP growth to 2.5 per cent in 2012 and 3.1 per cent in 2013 as against its earlier projection of 3.6 per cent for each year in June 2011. The euro area may contract 0.3 per cent, compared with previous estimates of 1.8 per cent gain. The US growth outlook was also cut to 2.2 per cent from 2.29 per cent.

##### DOMESTIC PERSPECTIVE

The spillover effect of Greek sovereign debt crisis, escalating global oil prices and volatile capital flows have put pressure on domestic recovery leading to lower than expected GDP growth of the country. The impact has further been exacerbated by decelerated growth in mining, manufacturing and construction industries.

As per the revised estimate of CSO, country's GDP is estimated to grow by 6.5 per cent during 2011-12 as compared to the growth of 8.4 per cent in 2010-11. Agriculture, industry & services sector grew by 2.8 per cent, 3.4 per cent & 8.9 per cent respectively as compared to 7.0 per cent, 7.2 per cent and 9.3 per cent recorded in FY 2010-11.

Money supply grew by 13.1 per cent to ₹ 7347530 crore as at March 23, 2012 as compared to a growth of 16.1 per cent registered during the corresponding previous year. Flow of





वृद्धि की तुलना में 23 मार्च, 2012 की स्थिति में वाणिज्यिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋण प्रवाह ₹ 4950280 करोड़ पर पहुँचकर मात्र 16.8 प्रतिशत की वृद्धि ही दर्ज करा पाई।

पिछले वर्ष दर्ज की गई 8.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अप्रैल-फरवरी 2012 के दौरान संचयी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मुख्य क्षेत्र, जिसमें प्राकृतिक गैस उत्पादन भी शामिल हैं, की वृद्धि में काफी गिरावट आई है, अर्थात् पिछले वर्ष इस क्षेत्र में दर्ज की गई 12.3 प्रतिशत की तुलना में यह वृद्धि घटकर 8.8 प्रतिशत पर आ गई।

औसत थोक मूल्य सूचकांक स्फीति वर्ष 2010-11 के दौरान दर्ज 9.56 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 में केवल 8.79 प्रतिशत दर्ज की गई। पिछले वर्ष दर्ज की गई 9.68 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में मार्च 2011 से मार्च 2012 के दौरान मुद्रास्फीति की दर 6.89 प्रतिशत रही।

#### बैंकिंग परिदृश्य:

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियाँ वर्षानुवर्ष के हिसाब से 25 मार्च, 2012 को 17.4 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 6112480 करोड़ रही जो पिछले वर्ष 25 मार्च, 2011 को 15.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 52,04,703 करोड़ थी। वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सावधि जमा राशियों में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और मांग जमा राशियों में 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान 16 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है।

दूसरी ओर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण, 25 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार ₹ 3938659 करोड़ यानी 19.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 30 मार्च, 2012 को ₹ 4704790 करोड़ हो गया जो 21.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान, खाद्य ऋण की वृद्धि 24.1 प्रतिशत दर्ज की गई जबकि गैर-खाद्य ऋणों की वृद्धि 19.4 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2012-13 के लिए गैर-खाद्य ऋण में बढ़ोत्तरी का लक्ष्य 17 प्रतिशत रखा गया है।

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश 25 मार्च, 2011 को ₹ 1500039 करोड़ था जबकि 30 मार्च, 2012 को यह ₹ 1744960 करोड़ हो गया और उसमें वर्षानुवर्ष के हिसाब से 16.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

#### बाह्य क्षेत्र

देश का पण्य-निर्यात वर्ष 2010-11 के यूएस डॉलर 25.1 बिलियन की तुलना में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2011-12 में यूएस डॉलर 303.7 बिलियन पहुँच गया जबकि आयात पिछले वर्ष यूएस डॉलर 369.8 बिलियन की तुलना में वर्ष के दौरान 32.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यूएस डॉलर 488.6 बिलियन पर पहुँच गया। फलस्वरूप, 2010-11 में हुए यूएस डॉलर 118.7 बिलियन के व्यापार-घाटे की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान यूएस डॉलर 184.9 बिलियन का रिकार्ड व्यापार-घाटा दर्ज किया गया।

आयात सूची में प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पाद, सोने एवं चांदी थे। पेट्रोलियम उत्पाद का आयात 46.9 प्रतिशत वृद्धि के साथ यूएस डॉलर 155.6 बिलियन दर्ज किया गया जबकि सोने एवं चांदी का आयात यूएस डॉलर 61.5 बिलियन का हुआ तथा पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 44.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पेट्रोलियम उत्पाद तथा सोने के भारी आयात के कारण व्यापार-घाटे में रिकार्ड वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत पर पहुँच गया जबकि प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसका अनुमान 3.6 प्रतिशत लगाया था।

credit to commercial sector stood at ₹ 4950280 crore as at March 23, 2012 registering a growth of 16.8 per cent as against a growth of 21.3 per cent recorded during the corresponding previous year.

The cumulative Index of Industrial Production (IIP) grew by 3.5 per cent during Apr-Feb'12 as compared to 8.1 per cent in the corresponding period a year ago. Core sector that saw sharp drops in the growth include natural gas production which has registered a contracted growth of 8.8 per cent compared to its growth at 12.3 per cent during the same period of the previous fiscal.

The average WPI inflation during 2011-12 stood at 8.79 per cent as compared to 9.56 per cent recorded in 2010-11. The build-up of inflation since March 2011 to March 2012 stood at 6.89 per cent as against 9.68 per cent in the corresponding period last year.

#### BANKING SCENARIO

The Scheduled Commercial Banks (SCBs) aggregate deposits grew y-o-y by 17.4 per cent from ₹ 5204703 crore as at March 25, 2011 to ₹ 6112480 crore as at March 30, 2012 as against a growth of 15.9 per cent in the corresponding period of previous year. Term deposits of SCBs increased by 17.7 per cent whereas demand deposits grew by 15.8 per cent during the period. The Reserve Bank of India has projected a growth of 16 per cent in SCBs' deposits in FY2012-13.

On the Contrary, SCBs credit grew by 19.5 per cent from ₹ 3938659 crore as at March 25, 2011 to ₹ 4704790 crore as at March 30, 2012 as compared to a growth of 21.5 per cent recorded during corresponding previous period. Food credit grew by 24.1 per cent and Non-Food credit registered an increase of 19.4 per cent during the period. Non-food credit was projected to grow at present rate of 17 per cent in 2012-13.

Scheduled Commercial Banks Investment in Govt. and other approved securities stood at ₹ 1744960 crore as at March 30, 2012 as against ₹ 1500039 crore as at March 25, 2011, registering a y-o-y growth of 16.3 per cent.

#### EXTERNAL SECTOR

The country's merchandise exports reached USD 303.7 billion in 2011-12, a rise of 21 per cent over USD 251.1 billion in 2010-11, while imports stood at USD 488.6 billion, rising 32.1 per cent compared with USD 369.8 billion in the previous financial year resulted in a record trade deficit of USD 184.9 billion in 2011-12 as against trade deficit of USD 118.7 billion in 2010-11.

The major items in import list were Petroleum products, gold and silver. Petroleum products grew by 46.9 per cent to USD 155.6 billion whereas imports of gold and silver valued at USD 61.5 billion registering an increase of 44.4 per cent over the previous year.

The swelling of trade deficit to record levels was primarily attributed to a huge surge in the imports of petroleum products and gold. India's Current Account Deficit (CAD) stood at 4 per cent of GDP in 2011-12 exceeding the forecast of 3.6 per cent by the Prime Minister's Economic Advisory Council.





देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अप्रैल-फरवरी, 2012 के दौरान यूएस डॉलर 28.40 बिलियन रहा जबकि पिछले वर्ष यह मात्र यूएस डॉलर 18.35 बिलियन था। वर्ष के दौरान जिन क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह ज्यादा रहा, इनमें सेवा क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स, निर्माण तथा दूरसंचार क्षेत्र प्रमुख हैं।

भारत की विदेशी मुद्रा, आरक्षित निधियाँ, 25 मार्च, 2011 की स्थिति में यूएस डॉलर 303.5 बिलियन की तुलना में 3 प्रतिशत गिरावट के साथ 30 मार्च, 2012 की स्थिति में यूएस डॉलर 294.4 बिलियन पर आ गई। विदेशी मुद्रा आस्ति, 25 मार्च, 2011 को यूएस डॉलर 273.7 बिलियन से घटकर 30 मार्च, 2012 को यूएस डॉलर 260.1 बिलियन हो गई।

मार्च, 2011 की तुलना में मार्च 2012 में रुपये का मूल्यहास यूएस डॉलर से 11.90 प्रतिशत, स्टर्लिंग पाउंड से 9.56 प्रतिशत, जापानी येन से 11.0 प्रतिशत तथा यूरो से 5.58 प्रतिशत हुआ है।

### वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के निष्पादन की विशिष्टताएं

#### पूँजी एवं आरक्षित निधि

31-03-2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 3000 करोड़ हो गई तथा प्रदत्त पूँजी ₹ 601.95 करोड़ हो गई (प्रति शेयर ₹10 की दर से 601949955 ईक्विटी शेयर)।

बैंक की प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष वर्षानुवर्ष 30.28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 के ₹ 6477.55 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 8439.20 करोड़ हो गए।

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 10/- मूल्यवाले 2,86,64,284 ईक्विटी शेयरों को ₹ 104.15 प्रति शेयर की प्रीमियम दर पर भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹ 327.20 करोड़ की राशि जुटाई है।

#### निवल मालियत

बैंक की निवल मालियत (प्रारक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन को छोड़कर) 31 मार्च, 2011 के ₹ 6656.78 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2012 को ₹ 7994.32 करोड़ हो गई है।

#### लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 3.80 प्रति शेयर (38 प्रतिशत) अंतिम लाभांश का प्रस्ताव शेयरधारकों के अनुमोदन की प्रत्याशा के साथ किया है जो कुल ₹ 265.85 करोड़ है (इसमें ₹ 37.11 करोड़ का लाभांश कर शामिल है) जबकि वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान प्रति शेयर लाभांश ₹ 3.70 (37 प्रतिशत) घोषित किया गया था।

#### कारोबार वृद्धि

बैंक का वैश्विक कारोबार, वर्ष 2010-11 के ₹ 243946 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 16.24 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 283558 करोड़ दर्ज किया गया, जबकि बैंक जबकि घरेलू कारोबार 2011-12 के ₹ 258660 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 के दौरान बढ़कर (15.30 प्रतिशत) ₹ 34330 करोड़ होगया है।

#### जमा संग्रहण

बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 16.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2010-11

Foreign direct Investment inflows into the country during April-February 2012 stood at USD 28.40 billion as against USD 18.35 billion during the corresponding previous year. The sector which received large FDI inflows during the year includes services, pharmaceuticals, construction & telecom.

India's foreign exchange reserves declined by 3 per cent from USD 303.5 billion as at March 25, 2011 to USD 294.4 billion as at March 30, 2012. Foreign Currency Assets declined from USD 273.7 billion as at March 25, 2011 to USD 260.1 billion as at March 30, 2012.

The rupee depreciated by 11.90 per cent against US dollar, 9.56 per cent against Pound Sterling, 11.0 per cent against Japanese Yen and 5.58 per cent against Euro in the month of March 2012 over March 2011.

### PERFORMANCE HIGHLIGHTS OF THE BANK DURING THE FINANCIAL YEAR 2011-12

#### CAPITAL & RESERVES

Bank's authorized Share Capital stood at ₹ 3000 crore and the paid-up capital at ₹ 601.95 crore (601949955 Equity Shares of ₹ 10 each) for the financial year ended 31.03.2012.

The Reserves and Surplus of the Bank increased from ₹ 6477.55 crore in 2010-11 to ₹ 8439.20 crore in 2011-12 registering a y-o-y growth of 30.28% per cent over the previous year.

During the year the Bank raised an amount of ₹ 327.20 crores from LIC of India by issuing 2,86,64,284 equity shares of ₹ 10 each at a premium of ₹ 104.15 per share.

#### NET WORTH

The Net Worth of the Bank (excluding revaluation reserves) improved significantly from ₹ 6656.78 crore as at March 31, 2011 to ₹ 7994.32 crore as at March 31, 2012.

#### DIVIDEND

The Bank's Board of Directors has proposed, subject to the approval of shareholders, a final dividend of ₹ 3.80 per share (38 per cent), amounting to ₹ 265.85 crore (including Dividend Tax of ₹ 37.11 crore), for the financial year 2011-12 as compared to dividend of ₹ 3.70 per share (37 per cent) declared during the financial year 2010-11.

#### BUSINESS GROWTH

The global business of the Bank grew by 16.24 per cent from ₹ 243946 crore in 2010-11 to ₹ 283558 crore in 2011-12, whereas, Bank's domestic business rose by ₹ 34330 crore (15.30 per cent) to ₹ 258660 crore during the year 2011-12.

#### DEPOSIT MOBILIZATION

Global deposits of the Bank grew by 16.48 per cent from



के ₹ 135596 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 में ₹ 157941 करोड़ दर्ज की गई। इसी प्रकार, बैंक की घरेलू जमा राशियाँ वर्ष 2010-11 के ₹ 126796 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 में 16.49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 147707 करोड़ दर्ज की गई।

बचत बैंक तथा चालू खातों में जमा राशियाँ बढ़ाने के लिए पूरे वर्ष पुरजोर प्रयास किए गए ताकि ग्राहक आधार को बल मिले। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न अभियान चलाए तथा इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त जमा राशि लाने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित किया गया।

#### कासा जमा राशियाँ

घरेलू कासा जमा राशियों के अंतर्गत बैंक ने वर्ष 2010-11 के ₹ 41,690 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 के दौरान 11.36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 46,424 करोड़ प्राप्त किए। 31-03-2012 की स्थिति में कुल घरेलू जमा राशि की 31.43 प्रतिशत राशि घरेलू कासा जमा राशि की रही।

#### ऋण अभिनियोजन

बैंक का वैश्विक अग्रिम वर्ष 2010-11 के ₹ 108350 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 में 15.94 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 125617 करोड़ दर्ज किया गया। घरेलू अग्रिम वर्ष 2010-11 के ₹ 97535 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 में 13.76 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 110953 करोड़ दर्ज किया गया। इसी प्रकार, पिछले वर्ष के 79.91 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान ऋण जमा अनुपात 79.53 प्रतिशत रहा।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रिम वर्ष 2010-11 के ₹ 36886 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 में समायोजित निवल बैंक ऋण के 45.21 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 41383 करोड़ दर्ज किया गया जबकि इसका अधिदेशी स्तर 40 प्रतिशत है।

कुल कृषि अग्रिम के ₹ 14798 करोड़ से बढ़कर 2011-12 के दौरान ₹ 17409 करोड़ हो गया जो ए.एन.बी.सी. का 19.02 प्रतिशत बनता है, जबकि इसका अधिदेशात्मक स्तर 18 प्रतिशत है।

एम.एस.एम.ई. अग्रिम, वर्ष 2010-11 के ₹ 13382.60 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 में 11.08 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 14865.96 करोड़ दर्ज किया गया।

खुदरा ऋण बैंक के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं जिसके साथ एम.एस.एम.ई. और मिड कॉर्पोरेट सेगमेंट जुड़े हुए हैं। बैंक पर्याप्त सावधानियों का पालन करते हुए ऋण देने की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, गुणवत्तायुक्त वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए ऋणों का प्रभावी अनुप्रवर्तन कर रहा है।

#### लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2010-11 के ₹ 2749.78 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 में 21.71 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 3346.80 करोड़ दर्ज किया गया है।

बैंक का निवल लाभ वर्ष 2010-11 के ₹ 1047.95 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 के दौरान 25.33 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 1313.39 करोड़ दर्ज किया गया है।

#### कर्मचारी उत्पादकता

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति कर्मचारी कारोबार ₹8.75 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹10.74 करोड़ दर्ज किया गया। प्रति कर्मचारी लाभ भी 31 मार्च, 2011 के ₹3.99 लाख से बढ़कर 31 मार्च, 2012 में ₹5.29 लाख दर्ज किया गया।

₹ 135596 crore in 2010-11 to ₹ 157941 crore in 2011-12. Domestic deposits grew by 16.49 per cent from ₹ 126796 crore in 2010-11 to ₹ 147707 crore in 2011-12.

The major thrust throughout the year was to strengthen the customer base by canvassing more number of savings bank and current account. To achieve this goal, Bank has conducted various campaigns during the year and encouraged the staff members for canvassing substantial deposits under the segments.

#### CASA DEPOSITS

Domestic CASA deposits of the Bank increased from ₹ 41690 crore in 2010-11 to ₹ 46424 crore in 2011-12, registering a growth of 11.36 per cent. Percentage of domestic CASA to domestic deposits stood at 31.43 per cent as at 31.03.2012.

#### CREDIT DEPLOYMENT

The Bank's global advances rose from ₹ 108350 crore in 2010-11 to ₹ 125617 crore in 2011-12 registering a growth of 15.94 per cent. Domestic advances grew by 13.76 per cent from ₹ 97535 crore in 2010-11 to ₹ 110953 crore in 2011-12. The credit deposit ratio stood at 79.53 per cent in 2011-12 as compared to 79.91 per cent of the last year.

Priority Sector Advances increased from ₹ 36886 crore in 2010-11 to ₹ 41383 crore in 2011-12 forming 45.21 per cent of ANBC as against mandatory level of 40 per cent.

Total Agriculture Advances increased from ₹ 14798 crore in 2010-11 to ₹ 17409 crore in 2011-12 forming 19.02 per cent of ANBC as against mandatory level of 18 Per cent.

MSME Advances increased from ₹ 13382.60 crore in 2010-11 to ₹ 14865.96 crore in 2011-12 registering a growth of 11.08 per cent.

Retail lending is the main focus area of Bank along with MSME and mid corporate segment. Bank is making continuous effort to improve the quality of its lending by following due diligence and undertaking effective credit monitoring to enhance qualitative growth rate.

#### PROFITABILITY

The Bank has registered a substantial increase of 21.71 per cent in Operating profit from ₹ 2749.78 crore in 2010-11 to ₹ 3346.80 crore in 2011-12.

Net profit of the Bank rose by 25.33 per cent from ₹ 1047.95 crore in 2010-11 to ₹ 1313.39 crore in 2011-12.

#### EMPLOYEES' PRODUCTIVITY

Business per employee of the Bank improved from ₹ 8.75 crore as at March 31, 2011 to ₹ 10.74 crore as at March 31, 2012. Profit per employee also improved from ₹ 3.99 lakh as at March 31, 2011 to ₹ 5.29 lakh as at March 31, 2012.



### आय एवं व्यय

बैंक की कुल आय वर्ष 2010-11 के ₹12365.98 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 के दौरान 32.17 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 16344.23 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक की ब्याजी आय वर्ष 2010-11 के ₹ 11,450.86 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2011-12 के दौरान 33.34 प्रतिशत की वृद्धि सहित ₹ 15268.35 करोड़ दर्ज की गई।

बैंक की गैर-ब्याजी आय वर्ष 2010-11 के ₹ 915.12 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 के दौरान 17.57 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 1075.88 करोड़ हो गई।

बैंक द्वारा दिया गया ब्याज वर्ष 2010-11 के ₹ 7068.10 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 के दौरान 44.07 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 10183.32 करोड़ हो गया।

बैंक का परिचालन व्यय 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के ₹ 2,548.10 करोड़ की तुलना में 31.03.2012 को ₹ 2814.12 करोड़ हो गया है।

### महत्वपूर्ण अनुपातों के तहत निष्पादन

- आस्तियों पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है जो वर्ष 2010-11 के 0.76 प्रतिशत के स्थान पर वर्ष 2011-12 में 0.81 प्रतिशत हो गया है।
- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन (NIM) में सुधार हुआ है जो वर्ष 2010-11 के 3.40 प्रतिशत के स्थान पर वर्ष 2011-12 में 3.43 प्रतिशत हो गया है।
- अग्रिमों पर अर्जन में सुधार हुआ है जो वर्ष 2010-11 के 9.52 प्रतिशत के स्थान पर वर्ष 2011-12 के दौरान 10.98 प्रतिशत हो गया है।
- बैंक की जमा राशियों की लागत वर्ष 2010-11 के 5.43 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान 6.74 प्रतिशत हो गई है।
- बैंक का प्रति शेयर अर्जन (ई.पी.एस.) 31 मार्च, 2011 के ₹ 20.03 से बढ़कर 31 मार्च, 2012 की स्थिति में ₹ 22.89 हो गया है।
- बैंक का प्रति शेयर बही मूल्य 31 मार्च, 2011 के ₹ 122.99 से बढ़कर 31 मार्च, 2012 की स्थिति में ₹ 150.13 हो गया है।
- निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ वर्ष 2010-11 के 0.97 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 के दौरान 0.96 प्रतिशत हो गई हैं।
- बैंक का प्रोविज़न कवरेज़ अनुपात 31 मार्च, 2011 के 77.18 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2012 की स्थिति में 80.06 प्रतिशत हो गया है जो भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट अधिदेशात्मक लक्ष्य 70 प्रतिशत से काफी अधिक है।
- बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी.आर.ए.आर.) 31-03-2011 के 13.04 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2012 को 12.24 प्रतिशत हो गया है।

### खुदरा बैंकिंग

बैंक ने शिक्षा ऋण के अंतर्गत “सिंडसुपर विद्या” नामक एक नई योजना की शुरुआत की है ताकि मेधावी विद्यार्थियों को आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.आई.टी. जैसे नामी संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के तथा रियायती ब्याज दर पर ₹ 20 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सके। इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए कुछ ब्रांड उत्पादों का चयन किया गया है जैसे, सिंडनिवास, सिंडविद्या, सिंडसुपरविद्या, सिंडस्वर्ण,

### INCOME & EXPENDITURE

The Bank's total income rose by 32.17 per cent from ₹ 12365.98 crore in 2010-11 to ₹ 16344.23 crore in 2011-12.

The Bank's interest income rose by 33.34 per cent from ₹ 11450.86 crore in 2010-11 to ₹ 15268.35 crore in 2011-12.

The Non-interest income of the Bank improved by 17.57 per cent from ₹ 915.12 crore in 2010-11 to ₹ 1075.88 crore in 2011-12.

The Interest expended by the Bank increased by 44.07 per cent from ₹ 7068.10 crore in 2010-11 to ₹ 10183.32 crore in 2011-12.

Operating expenditure of the Bank stood at ₹ 2814.12 crore as at 31.03.2012 as compared to ₹ 2548.10 crore as at 31.03.2011.

### PERFORMANCE UNDER CRITICAL RATIOS

- The Return on Assets improved from 0.76 per cent in 2010-11 to 0.81 per cent in 2011-12.
- The Bank's Net Interest Margin (NIM) improved from 3.40 per cent in 2010-11 to 3.43 per cent in 2011-12.
- The yield on advances improved from 9.52 per cent in 2010-11 to 10.98 per cent in 2011-12.
- The cost of deposits of the Bank stood at 6.74 per cent in 2011-12 as compared to 5.43 per cent in 2010-11.
- The Earning Per Share (EPS) of the Bank improved from ₹ 20.03 as at March 31, 2011 to ₹ 22.89 as at March 31, 2012.
- The Book Value per share of the Bank improved from ₹ 122.99 as at March 31, 2011 to ₹ 150.13 as at March 31, 2012.
- Net NPA percentage to net advances brought down from 0.97 per cent in 2010-11 to 0.96 per cent in 2011-12.
- The provision coverage ratio of the Bank improved from 77.18 per cent as at March 31, 2011 to 80.06 per cent as at March 31, 2012 which is well above the mandatory 70 per cent stipulated by RBI.
- The Capital Adequacy Ratio (CRAR) of the Bank stood at 12.24 per cent as at March 31, 2012 as compared to 13.04 per cent as at 31.03.2011.

### RETAIL BANKING

Bank has introduced new scheme under educational loans “SyndSuperVidya” to cater to the needs of meritorious students getting admission into the prestigious institutes like IITs, IIMs, NIITs, etc., with financial support upto ₹ 20 lakh without any collateral security and at reduced rate of interest. To achieve qualitative growth under select branded products viz. SyndNivas, SyndVidya, SyndSuperVidya, SyndSwarna, SyndVahan, SyndPigmy, SyndRent,



सिंडवाहन, सिंडपिग्मी, सिंडरेंट, सिंडस्मॉल क्रेडिट, सिंडउद्योग, सिंडव्यापार, सिंडलघुउद्यमी, सिंडनिवास प्लस तथा सिंडसरल बाजार के रूख पर नजर रखते हुए बैंक द्वारा इन उत्पादों हेतु ऋण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2011-12 के दौरान खुदरा ऋण में 9.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंक की कुल बकाया घरेलू खुदरा ऋण और अग्रिमों की राशि 31 मार्च, 2012 को ₹ 24724.59 करोड़ थी जो सकल घरेलू अग्रिमों की कुल बकाया राशि का 22.28 प्रतिशत है।

वर्ष 2011-12 के दौरान खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत जिन प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया, वे हैं: आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण, स्वर्ण ऋण तथा प्राप्य किराया के आधार पर ऋण।

### सिंडनिवास

सिंड निवास योजना की ब्याज दर को कम करके उसे अधिक आकर्षक बनाया गया है और उसकी अधिकतम चुकौती अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। ₹ 20 लाख और उससे अधिक रकम के ऋणों तथा ₹ 20 लाख से कम राशि के ऋणों के लिए एल.टी.वी. के अंतर्गत लिवरेज को बढ़ाकर उसे क्रमशः 80% और 90% कर दिया गया है। रक्षा कर्मियों से कारोबार जुटाने हेतु बैंक ने ए.जी.आई.एफ., ए.डब्ल्यू.एच.ओ. और ए.एन.एच.बी. के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की है। उनके साथ की गई गठजोड़ व्यवस्था से निश्चय ही बैंक को लाभ होगा।

दि. 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार आवास ऋण (प्रत्यक्ष) के अंतर्गत कुल बकाया अग्रिम ₹ 8423.54 करोड़ हो गया और ग्राहक आधार 171290 रहा।

मार्च 2012 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास ऋण के अंतर्गत बकाया अग्रिम ₹ 7437.25 करोड़ तथा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आवास ऋण के अंतर्गत बकाया ऋण ₹ 986.29 करोड़ था।

वर्ष के दौरान आवास ऋणों के संसाधन हेतु 6 और केन्द्रों में केन्द्रीकृत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गयी, फिलहाल, 18 केन्द्रों में सी.पी.सी. उपलब्ध कराए गए हैं और ऋण डिलिवरी प्रक्रिया में जबरदस्त बदलाव लाने के लिए अन्य चुनिंदा केन्द्रों में भी इसकी स्थापना की जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावों को कुशल अधिकारियों द्वारा शीघ्रता से संसाधित किया जाता है जिस से आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार होता है और ऋण संवितरण में भी सुविधा होती है। इस मामले में अनुमोदित बिल्डरों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा ताकि अनुमोदित परियोजना में फ्लैट के खरीददारों का वित्तीयन किया जा सके। बिल्डरों और परियोजनाओं पर सम्यक तत्परता को लागू करने हेतु एक सिस्टम तैयार की गयी है। ऋण की अवधि के दौरान उधारकर्ता का जीवन बीमा करवाने के लिए बैंक ने एक ऐच्छिक जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है।

### सिंडनिवास प्लस

यह सिंडनिवास उधारकर्ताओं के लिए पूर्वानुमोदित टॉप-अप ऋण उत्पाद है जिसे ऋण आहरण के बाद 2 वर्ष के अंदर चुकाना होता है जिससे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है।

मार्च, 2012 के अंत तक सिंडनिवास प्लस के अंतर्गत बकाया अग्रिम ₹ 66.30 करोड़ है।

SyndSmall Credit, SyndUdyog, SyndVyapar, SyndLaghuUdyami, SyndNivas Plus and SyndSaral, Bank has adopted a focused lending approach coupled with strong marketing initiatives.

The growth in retail credit was 9.10 per cent during 2011-12 over the previous year. Bank's total outstanding domestic retail loans and advances amounted to ₹ 24724.59 crore as at March 31, 2012 constituting 22.28 per cent of the total outstanding gross domestic advances.

Main thrust areas under Retail Banking during the year 2011-12 were Housing Loans, Education Loans, Vehicle Loans, Personal Loans, Gold Loans and Loans against rent receivables.

### SyndNivas

SyndNivas scheme is made more attractive with reduction of rate of interest and enhancing the maximum repayment period up to 25 years. Leverage under LTV is enhanced to 80% and 90% for loans of ₹ 20 Lakhs and above and below ₹ 20 Lakhs respectively. In order to garner business of defence personnel, Bank has promulgated special scheme for AGIF, AWHO and ANHB. Their tie-up will definitely prove fruitful in future.

Outstanding advances under Housing Loan (direct) stood at ₹ 8423.54 crore as at March 31, 2012 with a clientele base of 171290.

Outstanding advances under Housing Loans – Priority sector stood at ₹ 7437.25 crore as at the end of March 2012 and Non-Priority sector stood at ₹ 986.29 crore.

Centralized Processing Centres for processing Housing Loans have been extended to 6 more centres during the year and presently CPCs are made available in 18 Centres and will be replicated in other identified centres also to bring about a drastic transformation in the loan delivery process. Under this arrangement, the proposals are processed quickly by skilled officers, thus improving the quality of assets and delivery of credit at ease. The focus is mainly on following the approved builder route for financing the buyers of flats in approved projects. A system has been put in place for conducting due diligence on builders and projects. The Bank has introduced an optional insurance scheme for Housing Loan borrowers for covering the life of borrower during the loan period.

### SyndNivasPlus:

This is a pre-approved top-up loan product for SyndNivas borrowers with prompt repayment track for 2 years from the date of avallment and helps to meet their personal needs.

Outstanding advances under SyndNivasPlus stood at ₹ 66.30 crore as at the end of March 2012.





### सिंडविद्या

राजकोषीय वर्ष 2011-12 के दौरान शिक्षा ऋण संविभाग में एक जबर्दस्त उछाल आया जिसे 31 मार्च, 2011 के ₹ 1902.85 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च, 2012 की स्थिति में 19.28 प्रतिशत वृद्धि के साथ ₹ 2269.76 करोड़ दर्ज किया गया।

अ.जा./अ.ज.जा. की श्रेणी में आनेवाले सभी विद्यार्थी, लागू ब्याज दर से 0.50% की रियायत के लिए पात्र हैं। अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली छात्राओं को ब्याज दर में 0.25% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

बैंक, शिक्षा ऋणों पर उसके चुकौती अवकाश/अधिस्थगन अवधि के दौरान साधारण ब्याज प्रभारित करता है।

### सिंडस्वर्ण:

31.3.2012 को स्वर्णभूषण/सोने की जमानत पर दिए गए ऋणों के अंतर्गत बकाया राशि ₹ 3206.65 करोड़ तक पहुँच गई है जो 65.76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है जो पिछले वर्ष मार्च 31.03.2011 को ₹ 1934.55 करोड़ थी। उद्योग में हमारी यह योजना एक उत्कृष्ट योजना है जो सरल शर्तों और बी आर + 1.25% के कम ब्याज पर उपलब्ध है। स्वर्ण ऋण बाजार की शर्तों के अनुरूप उदारकृत मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने के कारण इस प्रकार की वृद्धि हासिल करने में मदद मिली है। बैंक ने स्वर्णभूषणों पर ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करके इस योजना को लोकप्रिय बनाया है। बैंक ने केन्द्रीकृत रूप से गोल्ड ऋण प्रदान करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों में गोल्ड ऋण शाँपी की स्थापना की है।

### राजकोष और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

#### राजकोष

बैंक का घरेलू निवेश दि. 31 मार्च, 2011 के ₹ 34954.27 की तुलना में 31 मार्च, 2012 को ₹ 40641.46 करोड़ रहा। निवेश संविभाग से प्राप्त कुल आय (व्यापार लाभ को छोड़कर) वर्ष 2010-11 के ₹ 2265.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 2788.16 करोड़ रही। एस.एल.आर. प्रतिभूतियों पर बैंक का निवेश ₹ 36553.54 करोड़ हो गया है जो 31.03.2012 को बैंक के कुल निवेशों का 89.94 प्रतिशत बनता है।

#### अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई बैंक का एकमात्र “श्रेणी ए” का कार्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई में स्थित बैंक के केन्द्रीकृत डीलिंग रूम को नई दिल्ली में स्थित एक लिंक डीलिंग केंद्र से समर्थन प्रदान किया जाता है। ओवरसीज काउंटरपार्टी बैंकों के साथ स्टेट-ऑफ-द-आर्ट वेब प्लेटफार्म का प्रयोग करके वेब आधारित व्यापार करनेवालों में हमारा बैंक प्रथम है। बैंक की 87 नामोद्दिष्ट शाखाएं (श्रेणी बी) हैं, जो स्वयंपूर्ण विदेशी विनिमय व्यवहारों को संभालती हैं और 375 नामोद्दिष्ट शाखाएं हैं जो बैंक के एफ सी एन आर कारोबार को संभालती हैं। बैंक की सभी शाखाओं में एन आर ई/एन आर ओ जमाराशियां स्वीकार की जाती हैं।

बैंक द्वारा केवल वनीला व्युत्पन्न प्रदान किए जाते हैं और कोई जटिल व्युत्पन्न उत्पाद प्रदान नहीं किए जाते हैं।

मुद्रा-वायदे का व्यापार करने के लिए बैंक तीन विनिमय कंपनियों अर्थात् एम.सी.एक्स.-एस.एक्स.-एन.एस.ई. और यू.एस.ई. का व्यापार-सहसमाशोधन सदस्य बन गया है।

### SyndVidya:

During the fiscal year 2011-12, Education Loan portfolio witnessed a quantum jump from ₹ 1902.85 crore as at March 31, 2011 to ₹ 2269.76 crore as at March 31, 2012 registering a growth of 19.28 per cent.

Special concession in rate of interest is extended to the extent of 0.50% to all students belonging to SC/ST category and further concession of 0.25% for girl students belonging to SC/ST category.

Bank is charging simple interest during the Repayment holiday/ Moratorium period on Education loans.

### SyndSwarna:

Outstanding balance under SyndSwarna loans against jewellery/ gold reached ₹ 3206.65 crore as at 31.03.2012 as against ₹ 1934.55 crore as at 31.03.2011, registering an increase of 65.76 per cent. Our scheme is one of the best in the Industry with easy terms and low interest at BR+1.25%. The timely extension of liberalized guidelines in tune with Gold loan market conditions has helped to register such high rate of growth. Bank has also popularized the scheme by providing overdraft facility against gold ornaments. Bank has taken steps to establish gold loan Shoppes at important centres to provide gold loans in a focused way.

### TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

#### TREASURY

The domestic investments of the bank were at ₹ 40641.46 crore as at 31.03.2012 as against ₹ 34954.27 crore as at 31.03.2011. Total income from investment portfolio (excluding trading profits) increased from ₹ 2265.13 crore in 2010-11 to ₹ 2788.16 crore in 2011-12. Bank's investment in SLR securities amounted to ₹ 36553.54 crore, which formed 89.94 per cent of Bank's aggregate investments as on 31.03.2012.

#### INTERNATIONAL DIVISION

International Division, Mumbai is the only “Category A” office of the Bank. The Bank's centralized dealing room at International Division, Mumbai is supported by one Link Dealing centre at New Delhi. The Bank is one of the first to undertake WEB-BASED trading with Overseas counter party Banks by using state-of-the-art WEB PLATFORMS. The Bank is having 87 designated Branches (Category B) to handle full-fledged FX transactions and 375 nominated branches to handle the FCNR BUSINESS of the Bank. NRE/ONR deposits are accepted at all branches of the Bank.

The Bank is offering only plain vanilla derivatives and no complex derivative products are offered by the Bank.

The Bank has become Trading-cum-Clearing Member on three exchanges, i.e., MCX-SX, NSE and USE for undertaking trading in Currency Futures.





वर्ष के दौरान बैंक का कुल फॉरेक्स टर्नओवर पिछले वर्ष के ₹ 4,33,099.82 करोड़ की तुलना में ₹ 4,93,406.78 करोड़ रहा। बैंक का अंतर बैंक टर्नओवर पिछले वर्ष के ₹ 3,74,736.09 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2012 तक ₹ 4,43,009.75 करोड़ हो गया है।

### निर्यात वित्त

निर्यात ऋण की बकाया राशि जो 31 मार्च, 2011 को ₹ 1943.80 करोड़ थी वह मार्च 31, 2012 को ₹ 2144.40 करोड़ हो गई है। सिंड एक्सपोर्ट गोल्ड कार्ड योजना के तहत पात्र निर्यातकों को रियायती और अधिमाम्यता शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है और इसके दायरे को और बढ़ाया गया है ताकि और अधिक निर्यातकों को इसमें शामिल किया जा सके। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर स्पर्धात्मक ब्याज दरों पर रुपया निर्यात ऋण प्रदान किया गया। बैंक ने कुछ निर्धारित क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रूपरेखा के अनुसार ब्याज अनुदान योजना उपलब्ध कराकर रियायती ब्याज दर का लाभ प्रदान किया है।

### विनिमय कंपनियों

बैंक कतार और सुल्तानेट ऑफ ओमान में एक-एक विनिमय कंपनियों का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर रहा है। आठ विनिमय कंपनियों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था रखने के साथ-साथ बैंक ने खाड़ी देशों से भारत में निधियों के किफायती और शीघ्र अंतरण हेतु नौ विनिमय कंपनियों के साथ शीघ्र विप्रेषण व्यवस्था की है।

### समुद्रपारीय परिचालन

विदेश में बैंक की केवल एक शाखा युनाइटेड किंगडम के लंदन में है। यह कोष और विदेशी विनिमय डीलिंग परिचालनों के अलावा मुद्रा बाज़ार परिचालनों में सक्रिय है। यह शाखा भारतीय सिंडिकेशनों और ई.सी.बी. पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके साथ वे भारतीय कॉर्पोरेट शामिल हैं जो वैश्विक बन रहे हैं, इससे शाखा को कारोबार के नए आयाम मिले हैं।

शाखा का कुल कारोबार दि. 31.03.2012 के जी.बी.पी. 3078.698 मिलियन से बढ़कर दि. 31.03.2012 को 3697.586 जी.बी.पी. मिलियन हो गया है।

### आस्ति गुणवत्ता और अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन

बैंक ने अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन को सबसे अधिक महत्व दिया है। इसे अनर्जक आस्तियों की नकद वसूली को बढ़ाकर तथा वर्तमान अनर्जक आस्तियों के स्तरोन्नयन के जरिए किया गया।

बैंक ने बड़े उधारकर्ताओं से भेंट करके उच्च मूल्यवाले अनर्जक आस्तियों का निपटान किया और नैगम कार्यालय स्तर पर एकबारगी निपटान योजना के तहत मामलों का निपटान किया। बैंक ने कृषि ट्रैक्टर ऋणों, संदिग्ध और हानि आस्ति ऋणों के अंतर्गत मार्च 2011 तक ₹ 1,00,000/- एवं उससे कम बही शेषवाले छोटे एन पी ए खातों के अंतर्गत पात्र किसानों और माइक्रो और लघु उधार श्रेणी के अधीन आनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने हेतु विशेष ओटीएस प्रस्तावों की शुरुआत की।

वर्ष के दौरान क्षेत्रीय/समूह स्तर पर कुल 3495 सिंड अदालत आयोजित किए गए और 15874 ओटीएस मामलों का निपटान किया गया।

सरफेसी अधिनियम 2002 के उपबंधों का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। बैंक ने

The total Forex Turnover of the Bank during the year stood at ₹ 493406.78 crore as compared to ₹ 433099.82 crore for the previous Financial year. The Inter-Bank turnover of the Bank stood at ₹ 443009.75 crore as at March 2012 as compared to ₹ 374736.09 crore for the previous year.

### EXPORT FINANCE

Export Credit outstanding stood at ₹ 2144.40 crore as at March 31, 2012, as against ₹ 1943.80 crore as at March 31, 2011. The coverage under the SyndExport Gold Card Scheme, a unique scheme for eligible exporters offering concessional and preferential terms, was broadened to include more number of exporters. Rupee export credit was offered at very competitive interest rates within the ceiling prescribed by RBI. The Interest Subvention Scheme, as designed by Reserve Bank of India, has been made available by the Bank to its customers in certain specified sectors, thus passing on the benefits of concessional interest.

### EXCHANGE COMPANIES

The Bank is successfully managing two Exchange Companies one each at Qatar and Sultanate of Oman. Besides having rupee drawing arrangements with 8 exchange houses the bank also has speed remittance arrangements with 9 Exchange Houses for improved and cost-effective funds transfer to India from Gulf countries.

### OVERSEAS OPERATIONS

Bank's only overseas presence is in UNITED KINGDOM at LONDON. The Branch is active in money market operations, besides treasury and forex dealing operations. The Branch also focuses on syndications and ECBs. With Indian Corporates going global, Branch finds new opportunities of business.

The total business of the branch stands at GBP 3697.586 Million as at March 31, 2012 as against GBP 3078.698 Million as at March 31, 2011.

### ASSET QUALITY & MANAGEMENT OF NPAs

The Bank accorded top most priority for management of Non Performing Assets (NPAs), maximizing cash recovery of NPAs and upgrading the existing NPAs.

Bank took up resolving high value Non Performing Assets by meeting large borrowers and settling under One Time Settlement Scheme at Corporate Office level. Bank has introduced / extended special OTS schemes for considering proposals of farmers eligible under Agricultural Tractor loans, small NPA accounts under doubtful and loss assets category with book balance of ₹ 1,00,000/- & below as at March 2011 and of Micro and Small Enterprises borrowers.

A total number of 3495 Synd Adalats were conducted at regional/cluster level and 15874 OTS cases were settled.

Provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act – 2002



नोटिस जारी करके और संपत्तियों की जब्ती/नीलामी करवाकर वर्ष 2011-12 दौरान ₹ 691.17 करोड़ की राशि वसूल की है।

कर्मचारी सदस्यों की सक्रिय सहभागिता में माध्यम से वसूली को बढ़ाने हेतु वर्ष के दौरान विशेष वसूली अभियान, सिंड वसूली अभियान - 108, एन.पी.ए. वसूली अभियान का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया।

अनर्जक आस्तियों के अंतर्गत ₹ 1137.20 करोड़ की राशि वसूल की गई है जिसमें मूलधन के प्रति ₹ 838.03 करोड़ और अप्रभारित ब्याज के ₹ 296.86 करोड़ और बढ़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण के प्रति ₹ 2.31 करोड़ शामिल हैं। बैंक ने वर्ष के दौरान कुल ₹ 1434.75 करोड़ की अनर्जक आस्तियों की नकद वसूली की है।

दि. 31.03.2012 की स्थिति में सकल अनर्जक आस्ति स्तर तथा सकल अनर्जक आस्ति अनुपात क्रमशः ₹ 3182.70 करोड़ और 2.53 प्रतिशत हैं। बैंक ने अप्रत्याशित चूकों को सुधारने के लिए पर्याप्त रूप में अपेक्षित प्रावधान किए हैं। प्रोविज़न कवरेज अनुपात 31.03.2012 की स्थिति में 80.06 प्रतिशत है जो भा.रि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट कवरेज अनुपात 70% से काफी अधिक है।

## जोखिम प्रबंधन

### जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक में जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्रवाई का प्रमुख दायित्व निदेशक मंडल का है। जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) मंडल की शीर्ष समिति है जो संगठन की जोखिम प्रवृत्ति का निरूपण करती है। बैंक की मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को ऋण जोखिम के संबंध में ऋण जोखिम प्रबंधन समिति से (सी.आर.एम.सी.) आस्ति देयता प्रबंधन के संबंध में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) से और परिचालनगत जोखिम के संबंध में चलनिधि जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) से सहयोग मिलता है।

कारपोरेट कार्यालय का जोखिम प्रबंधन विभाग पूरे बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन पहल के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

### बासल II मानदंडों का कार्यान्वयन

बैंक में मार्च 31, 2008 से बासल II मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के नए ढाँचे से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाते हुए पिलर-1 की अपेक्षा के अनुसार जोखिम भारिता परिसंपत्ति की गणना की जाती है।

बैंक ने अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आई सी ए ए पी) की नीति को बाजार की वास्तविकताओं तथा आर्थिक वातावरण और नियंत्रक अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया है तथा नियमित आधार पर उसे चुस्त-दुरुस्त किया जाता है ताकि वह बाजार की वास्तविकताओं और आर्थिक वातावरण के अनुकूल हो तथा विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप हो। वास्तविक त्रैमासिक कार्य परिणामों के आधार पर आधारित ऋण योजना की समीक्षा के अलावा पिलर-II जोखिमों का निर्धारण नियमित रूप से किया जाता है। आई सी ए ए पी का प्रमाणीकरण आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है।

बैंक ने संभाव्य समस्यावाले क्षेत्रों के निर्धारण के लिए तथा बैंक के संविभाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले भावी परिवर्तनों को पहचानने के लिए मंडल द्वारा

were effectively utilized. Bank was able to register a recovery of ₹ 691.17 crore during the year 2011-12 by issuing notices and taking possession/auctioning of properties.

Special intensive recovery drive, and Synd Vasuli Abhiyan -108, a NPA Recovery campaign was conducted successfully during the year under review for maximizing recovery through active participation of staff members.

The recovery in NPAs amounted to ₹ 1137.20 crore comprising ₹ 838.03 crore recovery towards principal ₹ 296.86 crore towards uncharged interest and ₹ 2.31 crore towards bad debts written off accounts. In all, Bank could make cash recovery of NPAs of ₹ 1434.75 crore during the year.

The gross NPA level and gross NPA ratio as of 31.03.2012 is ₹ 3182.70 crore & 2.53 per cent respectively. The Bank has maintained sufficient cushion towards provision requirement to cover up the unexpected defaults. The provision coverage ratio at 80.06 per cent as at 31.03.2012 is well above the RBI stipulation of 70% coverage ratio.

## RISK MANAGEMENT

### RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE

The Board of Directors is primarily responsible for the risk management initiatives in the Bank. Risk Management Committee (RMC) of the Board is the apex Committee defining institution's risk appetite. The RMC of the Board is ably assisted by Credit Risk Management Committee (CRMC) with respect to Credit Risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) with respect to Asset Liability Management and Liquidity Risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) with respect to Operational Risk.

Risk Management Department at Corporate Office oversees the overall implementation of various risk management initiatives across the Bank.

### IMPLEMENTATION OF BASEL II NORMS

The Bank is Basel II norms compliant since March 31, 2008. The capital to risk weighted assets ratio is computed as per Pillar I requirements adhering to the new capital adequacy framework guidelines of RBI, adopting Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk.

The Bank has formulated its Internal Capital Adequacy Assessment Process Policy (ICAAP) which is fine tuned regularly so as to be in sync with the market realities and economic environment and regulatory requirements. Pillar II risks are assessed periodically apart from review of capital plan based on actual quarterly working results. ICAAP is subjected to validation by internal auditors.

The Bank has a Board approved Stress Testing Policy to assess areas of potential problems and to identify future changes that



अनुमोदित स्ट्रेस टेस्टिंग नीति को अपनाया है। मूलभूत धारणाएं समय-समय पर परिवर्तित होती रहती हैं अतएव स्ट्रेस टेस्ट की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है ताकि वह बाजार में घटित घटनाओं के प्रति संवेदनशील रहे।

बैंक ने मंडल द्वारा अनुमोदित प्रकटीकरण नीति अपनायी है और बासल-II मानदंडों के पिलर-III के अधीन भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रकटीकरण मानदंड का अनुपालन किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिमों के संबंध में सुनिश्चित नीतियां और प्रणालियां हैं।

### आस्ति देयता प्रबंधन

उच्च प्रबंधन तंत्र के लोग आस्ति देयता प्रबंधन के सदस्य हैं और वे तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम अंतर/असंतुलन जोखिम, आधार जोखिम, पुनर्मूल्यन जोखिम विदेशी विनिमय जोखिम तथा ईक्विटी मूल्य जोखिम आदि के प्रबंधन के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं।

एफ.एस.ए. की चलनिधि व्यवस्था के अंतर्गत हमारी लंदन शाखा के लिए वित्तीय सेवा प्राधिकार, यू.के. के साथ होल फर्म मोडिफिकेशन दृष्टिकोण के लिए बैंक ने लंदन शाखा तथा पूरे बैंक में चलनिधि की प्रभावी निगरानी हेतु एक व्यवस्था तंत्र को अपनाया है।

बैंक ने किसी भी आकस्मिकता के प्रबंधन के लिए एक अच्छी आकस्मिक नकदी निधि योजना तैयार की है। बैंक वर्ष के दौरान अनुकूलतम नकदी का प्रबंधन करने में सफल रहा है।

### राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने में बैंक के अनुभव के आधार पर और गत्यात्मक आर्थिक विकास, सरकारी निदेश, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और सामाजिक आर्थिक दायित्वों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के दौरान प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण खास तौर पर, कृषि के लिए उधार देने पर विशेष ध्यान दिया गया।

वर्ष के दौरान बैंक ने समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए कई रणनीतियां बनाईं जिनमें ऋण वृद्धि की सातत्यता, आस्ति गुणवत्ता में सुधार, उच्च अर्जन और वैविध्यपूर्ण ऋण संविभागों का अच्छी तरह से रख-रखाव शामिल है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत विकास को बरकरार रखा है और अपना स्थिति के समेकन और सुदृढीकरण पर ध्यान केंद्रित रखा है। कृषि, अत्यंत लघु एवं लघु उद्योग, शिक्षा, आवास और अर्थव्यवस्था के अन्य उत्पादक क्षेत्रों को ऋण देने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

बड़ी संख्या में प्राप्त होनेवाले ऋण आवेदन पत्रों के त्वरित निपटान एवं ऋण संबंधी निर्णय लेने की समयवधि को घटाने के उद्देश्य से बैंक ने कृषि ऋण सहित विभिन्न प्राथमिकता क्षेत्र संविभागों के अंतर्गत भावी ग्राहकों को उनकी ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'आन लाइन रिक्वेस्ट' सुविधा लागू की है। भावी ग्राहक बैंक के वेबसाइट में उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकों को विशिष्ट संदर्भ संख्या सहित प्रणाली आधारित अभिस्वीकृति तत्काल उपलब्ध करायी जाती है ताकि वे अपने आवेदनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें।

could have unfavourable effect on the Bank's portfolio. As the underlying assumptions keep changing from time to time, the stress test is reviewed periodically so as to be responsive and sensitive to the happenings in the market.

The Bank has put in place a Board approved Disclosure Policy adhering to the disclosure norms under Pillar III of Basel II as per RBI guidelines. The Bank is having well articulated policies and processes with regard to Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

### ASSET LIABILITY MANAGEMENT

The Asset Liability Management Committee consists members of the top management and regularly meets to manage Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Gaps / mis-match Risk, Basis Risk, Re-pricing Risk, Forex Risk and Equity Price Risk. It includes products pricing for deposits as well as advances and the desired maturity profile of assets and liabilities.

With the Financial Services Authority, UK approving "Whole Firm Modification" approach for our London Branch under the liquidity regime of FSA, the Bank has put in place a mechanism for effective monitoring of liquidity at London Branch and for the Bank as a whole.

The Bank has a well-documented Contingency Liquidity Funding Plan for managing any contingency. The Bank was able to manage its liquidity comfortably during the year.

### NATIONAL PRIORITIES

Based on the Bank's experience in lending to different sectors and considering the dynamics of Economic growth, Government directives, National priorities and Socio-economic obligations, thrust was given during the year to Priority Sector lending especially lending to agriculture.

During the year, Bank has adopted various strategies to achieve sustainable credit growth, improving asset quality, ensuring higher earnings and maintaining well diversified credit folio, covering all sections of the society to ensure inclusive growth. The Bank has continued its growth under Priority Sector lending with added thrust on consolidation of its position and focus on asset quality. The focus areas for credit were Agriculture, Micro & Small Enterprises, Education, Housing and other productive sectors of the economy.

For quick disposal of large number of credit applications and to reduce time taken in credit decisions, the bank has introduced the "Online Request" from prospective clients covering credit requirements under various Priority Sector segments including Agricultural loans. The prospective clients can submit their request for loan through prescribed application form made available on the Bank's website. System generated acknowledgement with unique reference number is provided to the applicants immediately which can be used by them for tracking their applications.



### प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹ 41383.47 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 40 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में निवल बैंक ऋण का 45.21 प्रतिशत बनता है। बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अंतर्गत 24.82 लाख से भी अधिक ग्राहकों को लाभ पहुंचाया है। अत्यंत लघु और लघु उद्यमों को प्रदान किए गए कुल ऋण ₹ 13491.73 करोड़ रहा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों, कमजोर वर्गों तथा महिला हिताधिकारियों की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति नियत किए गए आधार स्तरों से भी अधिक की गई। कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹ 11033.83 करोड़ तक पहुंच गया जो निवल बैंक उधार (ए.एन.बी.सी.) का 12.05 प्रतिशत है तथा इस क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत से अधिक है। महिला ग्राहकों को दिए गए अग्रिम मार्च 2011 के ₹ 6,319.76 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 7344.10 करोड़ हो गए जो 5 प्रतिशत के अधिदेशी मानक की तुलना में ए एन बी सी का 8.03 प्रतिशत बनता है। इसी प्रकार, अल्प संख्यकों को दिए गए ऋण मार्च 2011 के ₹ 5569.30 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 6609.08 करोड़ हो गए जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का 15.97 प्रतिशत है जबकि इसके लिए निर्धारित लक्ष्य 15 प्रतिशत है।

### कृषि एवं अनुषंगी कार्य-कलाप

मार्च 2012 को कृषि ऋण स्तर ₹ 17408.92 करोड़ तक पहुंच गया जो अधिदेशात्मक 18 प्रतिशत के मुकाबले ए.एन.बी.सी. का 19.02 प्रतिशत है। बैंक ने 15.99 लाख से अधिक ग्राहकों को कृषि अग्रिम प्रदान किए। वर्ष के दौरान कृषि ऋण की विशेष योजना के अंतर्गत ₹ 10789 करोड़ की राशि संवितरित की गई जो पिछले वर्ष के ₹ 10045 करोड़ से अधिक है। बैंक ने वर्ष के दौरान अपने ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के माध्यम से 176019 किसानों को अपना ग्राहक बनाया है जिससे प्रति ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखा के लिए औसतन 114 नए किसान जुड़े हैं जो प्रति ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा में कम से कम 100 नए किसानों को ग्राहक बनाने के लिए सरकार द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक है।

### सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एस के सी सी)

बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान 3.48 लाख नए एस के सी सी कार्ड जारी किए हैं। इस प्रकार अब तक जारी किए गए सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्डों की संचयी कुल संख्या नवीकरणों के अतिरिक्त 12.73 लाख हो गई हैं, जिनके अंतर्गत कुल ऋण सीमा ₹ 7391 करोड़ है। वर्ष के दौरान सिंडिकेट किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पुनरीक्षण किया गया और निम्नांकित महत्वपूर्ण बातें जोड़ी गईं।

- वित्त की मात्रा में वृद्धि तथा किसानों की अधिक ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बड़ी सीमाओं को शामिल किया गया।
- डेटस्वैप सुविधा को सरल बनाया गया और अधिक संख्या में किसानों को शामिल करने के उद्देश्य से तथा उन्हें निजी साहुकारों के चंगुल से बाहर आने में सामर्थ्यवान बनाने के लिए पात्रता सीमा को ₹ 1.00 लाख तक बढ़ाया गया।

वर्ष के दौरान सिंडिकेट किसान समृद्धि कार्ड योजना के अंतर्गत, बैंक ने 749 कार्ड जारी किए, जिसकी कुल राशि ₹ 4.98 करोड़ है। यह योजना आवश्यकता आधारित अल्पावधि ऋण प्रदान करने के साथ-साथ आसान निवेश ऋण प्रदान करती है।

### PRIORITY SECTOR ADVANCES

Priority Sector Advances of the Bank reached a level of ₹ 41383.47 crore as at March 2012 constituting 45.21 per cent of ANBC against the mandatory level of 40 per cent. The Bank has covered more than 24.82 lakh customers under Priority Sector Advances. Lending to Micro & Small Enterprises was at ₹ 13491.73 crore. Special care was taken to ensure that the credit needs of SC/ST, Minorities, Weaker sections and Women are fully met exceeding the bench mark levels stipulated. Advances to Weaker Sections have reached a level of ₹ 11033.83 crore forming 12.05 per cent of ANBC, thereby surpassing the prescribed norm of 10 per cent. The advances to women customers increased from ₹ 6319.76 crore as at March 2011 to ₹ 7344.10 crore as at March 2012, forming 8.03 per cent of ANBC against the mandatory norm of 5 per cent. Similarly, advances to minorities increased from ₹ 5569.30 crore as at March, 2011 to ₹ 6609.08 crore as at March, 2012, forming 15.97 per cent of Priority Sector Advances surpassing the mandatory requirement of 15 per cent.

### AGRICULTURE AND ALLIED ACTIVITIES

Credit to Agricultural Sector reached a level of ₹ 17408.92 crore forming 19.02 per cent of ANBC as at March 2012 against the mandatory requirement of 18 per cent. Bank has covered more than 15.99 lakh customers under agricultural advances. The disbursement under Special Plan for Agricultural Credit during the year amounted to ₹ 10789 crore against the disbursement of ₹ 10,045 crore during the corresponding period of last year. The Bank brought 176019 new farmers into its fold during the year through Rural and Semi-urban branches, registering an average of 114 new farmers per rural and semi urban branch and surpassed the Government's stipulation of bringing at least 100 new farmers into Bank's fold, by each rural and semi urban branches.

### SYNDICATE KISAN CREDIT CARD SCHEME (SKCC)

The Bank has issued 3.48 lakh SKCC cards during the year 2011-12. The cumulative number of Syndicate Kisan Credit Cards issued so far, excluding the renewals, is 12.73 lakh with a total credit limit of ₹ 7391 crore. The existing Syndicate Kisan Credit Card Scheme was revisited and the following value additions were introduced.

- To take care of increase in scale of finance and enhancement in credit requirement of the farmers, staggered limits were incorporated.
- Debt Swap facility has been simplified and eligibility limit has been increased to ₹ 1.00 lakh to cover more number of farmers and enable them to come out of the clutches of private money lenders.

Under Syndicate Kisan Samrudhi Credit Card Scheme, the Bank has issued 749 cards with a credit limit of ₹ 4.98 crore during the year, which provides hassle free investment credit in addition to need based short-term credit.





### सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार जनक योजनाओं के कार्यान्वयन में निरंतर सहभागिता की है। इन योजनाओं के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. और महिला हिताधिकारियों एवं अल्पसंख्यक हिताधिकारियों के चयन पर विशेष जोर दिया गया। वर्ष के दौरान इन योजनाओं अर्थात् पी.एम.ई.जी. पी.एस.जी.एस.वाई. तथा एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत संवितरित कुल राशि ₹ 43.45 करोड़ है जिससे 3814 परिवार लाभान्वित हुए। सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन करते समय अ.जा./अ.ज.जा./ओ.बी.सी. और अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

### अ.जा./अ.ज.जा. को अग्रिम

अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, खास तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत शामिल करने की दृष्टि से इन योजनाओं का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। बैंक ने अपनी विभिन्न योजनाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. को जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास किए ताकि वे इन योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। अ.जा./अ.ज.जा. को दिए गए अग्रिम मार्च 2011 के ₹ 1957.84 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 2653.30 करोड़ हो गए जो वर्ष 2011-12 के दौरान 35.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

### अल्पसंख्यक समुदायों को अग्रिम

बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों और अग्रणी जिला कार्यालयों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के बीच ऋण उत्पादों का प्रचार-प्रसार करवाने हेतु अनेक उपाय किए हैं ताकि वे इनका लाभ ले सकें। अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिम मार्च 2011 के ₹ 5569.30 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 6609.08 करोड़ हो गए जिसमें वर्ष 2011-12 के दौरान 18.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति और सचचर समिति की सिफारिशों इत्यादि की जानकारी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है। वर्ष के दौरान बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की सुविधा के लिए विशेष ब्याज योजना की शुरुआत की है।

### स्व सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ना

वर्ष 2011-12 के दौरान 29066 स्व सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ा गया तथा ₹ 636.90 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई है। बैंक ने 31 मार्च, 2012 तक 102340 स्व सहायता समूहों को ₹ 1221.33 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है। इसके अतिरिक्त 809 संयुक्त देयता समूहों को (जे.एल.जी.) ₹ 8.25 करोड़ की ऋण सहायता प्रदान की गई। बैंक ने वर्ष के दौरान कर्नाटक के बैंकों के बीच स्व.स.स. (एस.एच.जी.) को अधिकतम औसत उधार प्रदान करने हेतु रा.कृ.ग्रा.वि. बैं. (नाबार्ड) से राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है।

बैंक ने स्व.स.स. के ऋण से जुड़ी सभी महिला सदस्यों को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना जिसमें प्रीमियम राशि पर भारत सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त है के अंतर्गत बीमा रक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। बीमा रक्षा के अलावा इस योजना में शिक्षा सहयोग योजना के अंतर्गत एक एड-ऑन सुविधा भी है, जिस पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। एड-ऑन सुविधा के अधीन बीमाकृत व्यक्ति के दो बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

### GOVERNMENT SPONSORED SCHEMES

The Bank continued to participate in implementing poverty alleviation and employment generation schemes sponsored by the Government in full scale. Special emphasis was laid on coverage of SC/ST, women and minority beneficiaries under these schemes. The total amount disbursed under these schemes viz. PMEGP, SGSY and SJSRY is ₹ 43.45 crore benefitting 3814 families during the year. Special thrust was given to extend financial support to SC/ST/OBC and minorities, while implementing the Govt. sponsored schemes.

### ADVANCES TO SC/ST

The coverage of SC/ST beneficiaries under various schemes, especially under Govt. Sponsored Schemes is reviewed at regular intervals. Bank has initiated special efforts to create awareness about various schemes of the Bank among SC/STs to motivate them to avail the benefits under these schemes. Advances to SC/ST beneficiaries under Priority Sector, rose from ₹ 1957.84 crore as at March 2011 to ₹ 2653.30 crore as at March 2012, registering a growth of 35.52 per cent during the year 2011-12.

### ADVANCES TO MINORITIES

Bank has taken various measures through Regional Offices and Lead District Offices for popularizing amongst minority communities the various credit products available for their benefit. The advances to Minorities rose from ₹ 5569.30 crore as at March 2011 to ₹ 6609.08 crore as at March 2012, registering a growth of 18.67 per cent during the year 2011-12. The information pertaining to credit flow to Minority communities and status on implementation of Prime Minister's 15 point programme for Minorities and Sachar Committee recommendations are placed in the Bank's website. Special interest scheme was introduced by the Bank during this year for the benefits of minority community under Priority Sector lending.

### CREDIT LINKAGE OF SELF HELP GROUPS/JOINT LIABILITY GROUPS

29066 new Self Help Groups (SHGs) were credit linked with a credit support of ₹ 636.90 crore during the year 2011-12. The Bank had 102340 credit linked SHGs with a credit exposure of ₹ 1221.33 crore as at 31.03.2012. In addition, 809 Joint Liability Groups (JLGs) were credit linked with a credit support of ₹ 8.25 crore. During the year, the Bank secured the state level award from NABARD for highest average lending to SHGs among the Banks in Karnataka.

The Bank is participating in Janashree Bima Yojana of LIC of India to extend insurance cover to all the women members of SHGs credit linked to Bank wherein the premium is subsidized by GOI. Further, the scheme has an add-on benefit under Shiksha Sahayog Yojana wherein two children of the insured member of SHG are provided with scholarship at no additional cost.



## सौर ऊर्जा का उपयोग

सौर ऊर्जा के उन्नयन हेतु बैंक सक्रिय सहभागिता कर रहा है और जलतापन तथा सौर विद्युत प्रणाली के वित्तीय से संबंधित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। बैंक अब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के अंतर्गत नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) से सौर आवास विद्युतीकरण प्रणाली और सौर जल तापन प्रणालियों को वित्त प्रदान करने के लिए इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। बैंक ने वर्ष के दौरान सौर आवास विद्युत प्रणालियों की 399 इकाइयों को ₹ 1.04 करोड़ और सौर जल तापन प्रणालियों की 656 इकाइयों को ₹ 2.63 करोड़ का वित्तपोषण किया है।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिनकी 1598 शाखाएं 5 राज्यों के 32 जिलों में फैली हुई हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय बैंक प्रमुख कारोबार मानदंडों के मामले में देश के 82 क्षेत्रीय बैंक की तुलना में शीर्षपंक्ति में विराजमान हैं। बैंक द्वारा प्रायोजित इन क्षेत्रीय बैंक का कुल कारोबार वर्ष के अंत में ₹ 38307 करोड़ रहा जो वर्ष के दौरान 76.75 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है।

क्षेत्रीय बैंक की कुल जमा राशियों तथा अग्रिमों में वृद्धि होकर वे क्रमशः ₹20594 करोड़ और ₹ 17713 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई हैं जो क्रमशः 11.57 प्रतिशत और 22.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती हैं। इन क्षेत्रीय बैंक का कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम ₹15162 करोड़ रहा जो 31 मार्च, 2012 के कुल अग्रिमों का 87.76 प्रतिशत बनता है। उनका कुल कृषि अग्रिम ₹ 11418 करोड़ तक पहुँच गया जो कुल अग्रिमों का 64 प्रतिशत है। कुल मिलाकर क्षेत्रीय बैंक ने 11.97 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं जिनकी कुल बकाया राशि ₹5812 करोड़ है। क्षेत्रीय बैंक ने वर्ष 2011-12 के लिए कुल ₹452 करोड़ के निवल लाभ अर्जित किए।

भा.रि.बैंक द्वारा क्षेत्रीय बैंक के प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन के संबंध में गठित समूह के सुझावों के अनुसार बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय बैंक ने सी.बी.एस. का कार्यान्वयन किया। हमारे द्वारा प्रायोजित सभी क्षेत्रीय बैंक में ₹5.00 लाख और अधिक शेषराशिवाले खातों के लिए प्रणाली द्वारा जुटाई गई एन.पी.ए. कार्यान्वित हैं।

वर्ष के दौरान कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक को स्व.स.स. बैंक संयोजन में अधिक संख्या में शाखाओं के शामिल होने के लिए और कर्नाटक राज्य में अधिक संख्या में जे.एल.जी. को संयोजित करने के लिए राज्यस्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

## सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.)

सिंडिकेट ग्रामीण विकास न्यास (एस.आर.डी.टी.) की स्थापना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं में ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2000 में की गई। वर्ष के दौरान और एक संस्था खोली गई और इस संस्था के खोले जाने से बैंक ने ग्रामीण गरीबों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 राज्यों और एक संघशासित क्षेत्र में कुल 16 सिंड ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (सिंड आर.एस.ई.टी.आई.) को स्थापित किया है। इन संस्थाओं ने वर्ष 2011-12 के दौरान 323 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे 9739 व्यक्ति लाभान्वित हुए, जिनमें 6585 महिलाएं थीं और 3100 अ.जा./अ.जा. संवर्ग के थे। शुरू से अब तक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 82116 है। नियोजन की दर 67 प्रतिशत है।

## HARNESSING SOLAR ENERGY

The Bank has been actively involved in promoting solar energy and implementing the schemes for financing Solar Water Heating Systems and Solar Lighting Systems. The Bank is presently implementing the scheme to extend finance to Solar Home Lighting Systems and Solar Water Heating Systems with subsidy assistance from MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) under Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). During the year, the Bank has financed ₹ 1.04 crore for 399 units of Solar Home Lighting Systems and ₹ 2.63 crore for 656 units of Solar Water Heating Systems.

## REGIONAL RURAL BANKS

There are 5 Regional Rural Banks sponsored by our Bank, covering 32 districts in 5 states, with a network of 1578 branches. RRBs sponsored by the Bank are in the top league among all 82 RRBs of the country, in respect of key business parameters. Total business of RRBs sponsored by the Bank stood at ₹ 38307 crore, registering an annual growth of 16.75 per cent during the year.

The total deposits and advances of the RRBs reached a level of ₹ 20594 crore and ₹ 17713 crore, with an annual growth of 11.57 per cent and 22.69 per cent, respectively. The total Priority Sector Advances stood at ₹ 15162 crore constituting 87.76 per cent of total advances as at 31.03.2012. Agricultural advances reached a level of ₹ 11418 crore forming 64 per cent of total advances. In all, the RRBs have issued 11.97 lakh Kisan Credit Cards to farmers with an outstanding credit of ₹ 5812 crore. The RRBs have earned a net profit of ₹ 452 crore for the year 2011-12.

As per the suggestions of the working group constituted by RBI on Technology up-gradation of RRBs, the RRBs sponsored by our bank have moved towards implementation of CBS. System generated NPA for accounts having balance of ₹ 5.00 lakh and above is implemented in all RRBs sponsored by us.

During the year, Karnataka Vikas Grameena Bank received the state level awards from NABARD for involvement of highest number of Branches in SHG Bank Linkage and for linking highest number of JLGs in Karnataka State.

## SYNDICATE RURAL DEVELOPMENT TRUST (SRDT)

Syndicate Rural Development Trust (SRDT) was established in the year 2000 to promote rural development and rural entrepreneurship among the rural poor, especially women. During the year one more Institute was opened and with that the Bank has established 16 SyndRural Self Employment Training Institutes (Synd RSETIs) in 5 States and 1 Union Territory for imparting training to rural poor. These institutes have conducted 323 training programmes during the year 2011-12, benefitting 9739 persons, of whom 6585 were women and 3100 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 82116. The settlement rate is 67 per cent.



### ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी)

बैंक ने देशभर में 26 ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रुडसेटी) का सह-प्रायोजन किया है। इन संस्थानों ने वर्ष 2011-12 के दौरान 21881 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया। इनमें से 16564 महिलाएं थी और 4154 अ.जा./अ.ज.जा. के थे। शुरू से अबतक प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 284733 है। नियोजन की दर 71 प्रतिशत है।

रुडसेटी मॉडल को भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोल मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है जिसे देश के प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। वर्ष के दौरान बेंगलूर में रुडसेटी की राष्ट्रीय अकादमी के अनुप्रवर्तन कक्ष की स्थापना हुई।

### अग्रणी बैंक योजना

बैंक के पास लक्षद्वीप के संघशासित क्षेत्र सहित देशभर के 25 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक ने वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के दो नये जिलों यथा, भीमनगर तथा पंचशील नगर में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियां ली हैं। 25 अग्रणी जिलों के अग्रणी जिला कार्यालयों ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों का आयोजन यानी डी.एल.आर.सी. और डी.सी.सी. का आयोजन नियमित रूप से किया है। ऋण आयोजना प्रक्रिया पूर्ण हुई है और भा.रि.बैं. द्वारा प्रवर्तित समय अनुसूची के अनुसार डी.सी.पी. 2012-13 को समय बद्ध रीति से पूरा किया गया। बैंक कर्नाटक राज्य और संघशासित क्षेत्र लक्षद्वीप में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक है और बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वाह किया है। कर्नाटक के लिए एस.एल.बी.सी. और लक्षद्वीप के लिए यू.टी.एल.बी.सी. द्वारा अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

### वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बैंक ने 31 मार्च, 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 1553 गाँवों को शामिल किया है जो बैंक के लिए निर्दिष्ट लक्ष्य से अधिक है। बैंक ने वित्तीय समावेशन गाँवों में पहले से ही 334 शाखाएं खोल रखी हैं और 1219 बी.सी.एजेंटों को इस काम में लगाया गया है और इस प्रकार हमने बैंकिंग केंद्रों सहित आबंटित किए गए गाँवों से भी अधिक 1553 गाँवों को नियत दिनांक के पहले ही शामिल कर लिया है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन हेतु आई.सी.टी. आधारित समाधान के कार्यान्वयन के लिए स्मार्ट कार्ड तकनीक और वाक् आधारित मोबाइल टेक्नोलॉजी को अपनाया है।

हमारे बैंक ने वित्तीय समावेशन वाले गाँवों में 8.89 लाख सादा खाते (नोफ्रिल खाते) खोले हैं और 191187 के सी.सी. 37352 जी.सी.सी. प्रदान किये हैं। सादा खाते के ग्राहकों को 170834 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए हैं।

सभी 5 क्षे.ग्रा.बैं. ने 2000 से अधिक जनसंख्यावाले वित्तीय समावेशन के लिए आबंटित 1606 वित्तीय समावेशन वाले गाँवों में 173 शाखाएं खोलकर तथा 1428 बीसी को लगाकर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, साथ ही मोबाइल वैन के द्वारा 30 गाँवों को भी शामिल किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय के सभी 35 नोडल अधिकारी और सभी आधार शाखा प्रबंधक जो वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में लगे हुए हैं उन्हें वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन

### RURAL DEVELOPMENT AND SELF EMPLOYMENT TRAINING INSTITUTE (RUDSETI)

Bank has co-sponsored 26 Rural Development and Self Employment Training Institutes (RUDSETIs) across the country. These institutes have trained 21881 candidates during the year 2011-12. Out of these trained candidates 16564 were women and 4154 were from SC/ST category. Total candidates trained since inception is 284733. The settlement rate is 71 per cent.

Our RUDSETI model has been accepted by Govt. of India, Ministry of Rural Development, as a role model to be replicated in each district of the country. A monitoring cell of National Academy of RUDSETIs was established at Bengaluru during the year.

### LEAD BANK SCHEME

The Bank has Lead Bank responsibilities in 27 districts inclusive of UT of Lakshadweep across the country. During the year, the Bank took up the responsibilities of Lead Bank in two new districts – Bhimnagar and Panchsheel Nagar in the state of Uttar Pradesh. Lead District Offices of the Bank in 25 lead districts have conducted the District Level Review Committee (DLRC) meetings and District Consultative Committee (DCC) meetings regularly. The credit planning process was completed and District Credit Plan (DCP) 2012-13 was launched as per time schedule envisaged by RBI. The Bank is also the convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) in Karnataka and the Union Territory of Lakshadweep and satisfactorily discharged the responsibilities cast on it as the convener of State Level Bankers' Committee. The SLBC for Karnataka and UTLBC for Lakshadweep are implementing the recommendations of the High Level Committee to review the Lead Bank Scheme.

### FINANCIAL INCLUSION (FI)

Under FI Programme, our bank has covered 1553 Villages having population of over 2000 by March 31, 2012 in excess of target given to the bank. The Bank has already opened 334 branches in FI villages and engaged 1219 BC Agents and thus we have covered 1553 villages, exceeding the allotted villages with banking outlets well ahead of the stipulated date.

The Bank has adopted both Smart Card Technology and Voice based Mobile Technology for implementing ICT based solution for implementation of FI.

Our Bank has opened 8.89 lakh No Frill Accounts in FI villages and has extended 191187 KCCs, 37352 GCCs and issued 170834 smart cards to No Frill Account customers.

All the 5 RRBs have opened banking outlets in the 1606 allotted FI villages with over 2000 population by opening 178 branches, engaging 1428 BCs and also by covering 30 villages through mobile vans.

All 35 Nodal Officers of the Regional Offices and all Base Branch Managers implementing FI Programme have been trained on



के विभिन्न पहलुओं पर समग्र रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। सभी बी.सी.एजेंटों को ग्राहकों का पंजीयन करने और व्यवसाय को जुटाने में समर्थ बनाने के लिए बैंक में उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के बारे में सुग्राही बनाया जाता है। इसके अलावा 1023 बी.सी.एजेंटों को आई.आई.बी.एफ. मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं के जरिए गहन प्रशिक्षण दिया गया है।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत शामिल किए गए गाँवों के ग्राहकों के बीच बैंकिंग लेन-देन को सुसाध्य बनाने के लिए अल्ट्रा स्मॉल शाखाओं की योजना की शुरुआत की गई है।

बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत सभी नो फ्रिल खाताधारों के लिए मेसर्स एस.बी.आई. बीमा कंपनी के साथ गठजोड़ व्यवस्था की है जिसके अंतर्गत मामूली प्रीमियम पर ₹ 25000/- तक के व्यापक जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध है और इसमें बीमारियों के साथ साथ टर्मिनल नैसर्गिक एवं दुर्घटना से होने वाली मृत्यु भी शामिल है।

वित्तीय समावेशन के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कई उपाय किए गए हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:

- ✓ बैंक ने सभी ग्रामीण भूमि हीन परिवारों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप खर्चों की पूर्ति के लिए खाते में बनाए रखे गए जमा शेष के लिए ब.बैं. दर पर ब्याज अदा करने के प्रावधान सहित ₹ 10000/- तक ओवरड्राफ्ट प्रदान करने हेतु एक नए उत्पाद अर्थात् एस.बी. सह ओ.डी. की शुरुआत की है।
- ✓ बी.सी. एजेंटों को माइक्रो ए.टी.एम. किट खरीदने के लिए ₹ 20000/- तक की ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए एक और उत्पाद की शुरुआत की गई है।
- ✓ बैंक ने अर्थपूर्ण और परिपूर्ण वित्तीय समावेशन (एम.एच.एफ.आई.) परिकल्पना के अंतर्गत आदर्श गाँवों के निर्माण हेतु नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को अपनाने के लिए 6 गाँवों को चुना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आनेवाली कार्यकलापों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सौर विद्युत, बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य-विज्ञान आदि शामिल हैं।
- ✓ बैंक ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए गाँवों में जानकारी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए जे.जे.एफ.एल.सी.सी. ट्रस्ट को एक मोबाइल प्रचार वैन प्रदान किया है। इसके अलावा मेवात जिले के पहचाने गए गाँवों में पुतली नाच और जादू प्रदर्शन के जरिए वित्तीय समावेशन के संदेश का प्रचार करने के लिए कस्टमाइज मोबाइल प्रचार वैन को इस कार्य में लगाया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में पैम्पलेटों, पुस्तिकाएं आदि वितरित की गई हैं। गाँवों में प्रमुख स्थानों पर ग्राफिती प्रदर्शित हैं। चुने गए गाँवों में वित्तीय समावेशन से संबंधित 'यक्षगान' कार्यक्रम आयोजित किए गए। बैंक द्वारा उपलब्ध होनेवाले उत्पादों और सेवाओं को बतानेवाली 'कॉमिक पुस्तकों' का प्रकाशन किया गया है और उनका गावों में वितरण किया गया है।
- ✓ बैंक के अग्रणी जिलों में 24 एफ.एल.सी.सी. और 21 एफ.आई.आर.सी. की स्थापना की गई है।
- ✓ ग्रामीणों को वित्तीय समावेशन से अवगत कराने और सादा (नो फ्रिल) खाते खोलने के लिए अभिप्रेरित करते हेतु 193 ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया।
- ✓ बैंक ने बी सी एजेंटों को कारोबारी विकास तथा वसूली हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजना बनाई है।

various aspects of implementation of FI. All BC Agents have been sensitized on the products and services available from the Bank for enabling them to take up enrolment of customers and mobilize business. In addition to this, 1023 BC Agents have been exposed to intensive training through IIBF accredited Training Institutions.

The scheme of Ultra Small branches has been introduced to facilitate increased banking transactions amongst customers of villages covered under financial inclusion. We have opened 14 such branches as at 31.03.2012.

The Bank has entered into an arrangement with M/s SBI Life Insurance company to offer comprehensive life insurance for a sum of ₹ 25000/- at a nominal premium covering natural and accidental death risk with inbuilt terminal illness benefit for all the No Frill Account holders under FI.

A number of initiatives have been taken to fast track implementation of FI and important among them are:

- ✓ Bank has launched a new product viz SB-cum-OD for extending overdraft upto a limit of ₹ 10000/- to all rural landless families for meeting their requirements of consumption based on need with a provision to pay interest at SB Rate for the credit balance maintained in the account.
- ✓ Another product for extending credit facility of ₹ 20000/- to the BC Agents to purchase Micro ATM Kit has also been launched.
- ✓ Bank has selected 6 villages to take up various developmental activities under 'Corporate Social Responsibility' to make them 'Model' villages under Meaningful and Holistic Financial Inclusion (MHFI) concept. Activities taken up under this programme includes training and capacity building, solar lighting, infrastructural development, health and hygiene etc.
- ✓ As part of promoting financial literacy, Bank has donated a Mobile Publicity Van to JJFLCC Trust to take up awareness programmes in villages. In addition a customized Mobile Publicity Van has also been engaged to spread the message of FI by performing puppet and magic shows in identified villages in Mewat District, brochures, pamphlets have been brought out in vernacular languages, graffiti displayed at prominent places in the villages, Yakshagana programmes organized with FI theme in selected villages, 'Comic' books depicting the various products and services available from the Bank have been published and distributed to the villages.
- ✓ 24 FLCCs and 21 FIRC's have been established in the Lead Districts of the Bank.
- ✓ 193 Gram Sabhas have been organized in the villages to mobilize customers and open No Frill Accounts.
- ✓ Bank has introduced a scheme for offering incentives to the BC Agents to motivate them in contributing to the business development of the Bank and also recovery.





- ✓ बैंक ने अनुप्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बीसी सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त करने की एक योजना तैयार की है जो 10-12 बीसी के समूह का पर्यवेक्षण करेंगे।
- ✓ स्कूल जानेवाले छात्रों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाईस्कूल और जूनियर कालेजों में 96 सिंड एफ. आई क्विज़ का आयोजन किया गया।
- ✓ प्रौद्योगिकी पहल के रूप में पूरे बैंक में बीसी एजेंटों द्वारा एच.एच.एम. के माध्यम से एफ.आई लेन देनों की इन्टरोपरेबिलिटी की सुसाध्यता के लिए प्रूफ ऑफ बैंक कान्सेन्ट पूर्ण कर लिया है।
- ✓ आधार नामांकन हेतु यू.आई.डी.ए.आई. के लिए रजिस्ट्रार है और बैंक द्वारा उ.प्र. एवं हरियाणा राज्यों में आधार नामांकन शुरू कर दिये गए हैं और करीब एक लाख तक नामांकन पूर्ण कर लिए गए हैं।

- ✓ In order to strengthen the monitoring arrangement, Bank has come out with guidelines on appointment of retired Bank Officers as BC Supervisors to supervise a cluster of 10-12 BCs.
- ✓ 96 SyndFI Quiz has been organized in High Schools and Junior Colleges located in FI villages to promote financial literacy amongst school children.
- ✓ As part of technology initiative, Bank has already completed Proof of Concept (POC) for enabling interoperability of FI transactions through the HHMs of the BC agents across the Banks.
- ✓ Bank is a Registrar for UIDAI for Aadhaar enrolment and has commenced Aadhaar enrolments in UP & Haryana and has completed enrolments close to a lakh.

### वित्तीय समावेशन के लिए मेवात-रोल मॉडल

बैंक मेवात जिले का अग्रणी बैंक है और वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन पर प्रायोगिक अध्ययन के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मेवात का चयन किया गया है।

सिंडिकेट बैंक के नेतृत्व में वित्तीय समावेशन को लागू करने हेतु जिले में कई पहल की गई, उदाहरण के लिए, के.सी.सी. एवं जी.सी.सी. प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि शत-प्रतिशत पात्र परिवारों को शामिल किया जा सके, किसी खास दिन को वित्तीय समावेशन वाले गाँवों में लोगों से मिलने के लिए विशिष्ट अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया ताकि वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं से लोगों के अंदर जागरूकता ला सके। 2000 से अधिक आबादी वाले सभी गाँवों में बैंकिंग आउटलेट खोले गए। पूरे बैंक में बी.सी. एजेंटों को एच.एच.एम. के माध्यम से वित्तीय समावेशन लेन-देन हेतु अंतर परिचालनीयता के लिए पी.ओ.सी. परीक्षण किए गए। ई. भुगतान के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया एवं उन्हें सुग्राही बनाया गया। आधार नामांकन की शुरुआत की गई। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रम शुरू किए गए, जैसे पेटेशो, मैजिक शो इत्यादि। एस.एच.जी. के गठन और ऋण संबद्धता को सुसाध्य बनाने के लिए ऐंकर एन.जी.ओ की धारणा इत्यादि को अपनाया गया।

बैंक ने जिले में 4353 स्व सहायता समूहों (एस एच जी) का गठन किया गया और 4253 स्व.स.स. को ऋण सहायता से संबद्ध किया गया। बैंक ने मेवात जिले में लोगों को ए. टी. एम., माइक्रो ए.टी.एम. और पी.ओ.एस. के द्वारा परिचालन करने में समर्थ बनाने के लिए डेबिट कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं। व्यापारी प्रतिष्ठानों को ई.डी.सी.पी.ओ.सी. मशीनें उपलब्ध कराई गई ताकि लोग कार्ड संस्कृति को अपना सकें। गुडगाँव प्रामीण बैंक जिसका प्रायोजक सिंडिकेट बैंक है, उसके साथ मिलकर बैंक ने जिले में 60 कृषक क्लबों की स्थापना की और बैंक ने जिले में एक वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श दायी केन्द्र भी खोला है।

मेवात जिला में वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के क्षेत्र में प्राप्त की गई ठोस प्रगति तथा उठाए गए कदमों के संबंध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बैंक की सराहना की है।

### MEWAT-ROLE MODEL FOR FINANCIAL INCLUSION

The Bank is the Lead Bank in Mewat District of Haryana State and Mewat has been selected by DFS, MOF, GOI, for pilot study on implementation of FI.

Under the leadership of Syndicate Bank, a number of initiatives were taken in the District for FI implementation, such as, streamlining the procedures for extending KCC & GCC so as to cover 100% eligible households, strengthening monitoring system in implementation of FI by deputing specific officers to visit FI villages on fixed day and time in a week, opening Banking outlets in all the villages with over 2000 population, testing POC for enabling interoperability of FI transaction through HHMs of BC Agents across the Banks, training and sensitization of staff on e-payment, commencement of Aadhaar enrolment, adopting innovative forms of promoting financial literacy such as puppet show, magic show, etc., adopting the concept of Anchor NGO to facilitate formation and credit linkage of SHG, etc.

Banks in the District have formed 4353 SHGs and credit linked 4253 SHGs. In Mewat District, Bank has issued Debit Cards as well as Smart Cards to enable people to operate through ATMs, Micro ATMs and POS in the District. To inculcate card culture for transaction, Bank has provided EDC POS Machines to merchant establishments. 60 Farmers Clubs have been formed by the Bank along with GGB, sponsored by Syndicate Bank in the District and the Bank has also opened one Financial Literacy & Credit Counselling Centre in the District.

The Ministry of Finance, Government of India, has complemented the Bank for the initiatives taken and the excellent progress made in implementation of FI in Mewat District.



## माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) क्षेत्र के लिए अग्रिम

भारत सरकार और भा.रि.बै. द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को अधिक ऋण प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। 31 मार्च 2012 तक एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को ₹ 14865.96 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया जबकि 31 मार्च 2011 को यह राशि ₹ 13382.60 करोड़ थी और इसमें वर्ष के दौरान 11.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2012 तक माइक्रो और लघु उद्यमों को दिए गए अग्रिमों का स्तर ₹ 13491.73 करोड़ तक पहुँच गया जिसमें 11.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मध्यम उद्यमों के लिए कुल बकाया अग्रिमों में माइक्रो उद्यमों का हिस्सा 61.74 प्रतिशत है जो मार्च 2012 तक के लिए निर्धारित 55% तथा मार्च 2013 के लिए निर्धारित 60% से अधिक है। माइक्रो उद्यमों के अंतर्गत खातों की कुल संख्या मार्च 2012 को 513206 हो गई है, जो मार्च 2011 को 459884 थी, इस प्रकार से बैंक ने इस क्षेत्र में वर्ष के दौरान 11.59 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है।

वर्ष के दौरान, मौजूदा सभी एम.एस.ई उत्पादों पर पुनः विचार किया गया और माइक्रो एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु कम ब्याज दर, मार्जिन तथा उदारकृत शर्तों के साथ एक नई योजना “सिंडएम.एस.ई” की शुरुआत की गई। आगे, माइक्रो उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु, नियमित चुकोती के लिए ब्याज दर में छूट देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। माइक्रो एवं लघु उद्यमों के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों के वित्तीयन हेतु टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित वाणिज्यिक वाहन विनिर्माताओं के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर किए गए। संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण इकाइयों के लिए समय पर पुनर्वास उपाय अपनाने हेतु संभाव्य अर्थक्षम एम.एस.एम.ई इकाई के पुनर्निर्धारण/पुनर्वास के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई नीति अपनाई गई।

## माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि योजना (सी.जी.एम.एस.ई.)

माइक्रो और लघु उद्यमों (एम.एस.ई) को मंजूर की गई संपार्श्विक जमानत राहने ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी देने हेतु भारत सरकार और भा.ल.उ. वि.बैं. (सिडबी) द्वारा सी.जी.एम.एस.ई. योजना की शुरुआत की गई है। बैंक इस योजना को कार्यान्वित करनेवाली उधारदाता संस्था का एक सदस्य है। भा.रि.बै. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ₹ 10.00 लाख तक के एम.एस.ई. को संपार्श्विक जमानत रहित ऋण प्रदान करना और सी.जी.एम.एस.ई. के अंतर्गत सभी पात्र ऋणों को शामिल करना अनिवार्य है। ₹ 100.00 लाख तक के अत्यंत लघु और लघु उद्यमों के बिना किसी तीसरी पार्टी की गारंटी के संपार्श्विक जमानत रहित ऋण प्रदान करने और सभी पात्र खातों को सी.जी.एम.एस.ई. के अंतर्गत शामिल करने के लिए बैंक द्वारा सी.जी.टी.एम.एस.ई. मार्गदर्शी सिद्धांतों का कार्यान्वयन किया गया है।

सी.जी.एम.एस.ई. योजना के अंतर्गत शामिल किए गए तथा तीसरी पार्टी की गारंटी के बिना दिए गए माइक्रो और लघु उद्यमों की संख्या मार्च 2011 के 12971 से बढ़कर मार्च 2012 को 21402 हो गई जो 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

## राजभाषा का कार्यान्वयन

बैंक द्वारा हिंदी के प्रयोग और प्रोत्साहन को विभिन्न रूपों में निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। यह केवल इसलिए नहीं कि यह भारत सरकार की नीति है बल्कि इसलिए भी कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को पाने के मामले में यह भाषा जोरदार एवं आदर्श है।

## ADVANCES TO MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISE (MSME) SECTOR

In tune with the guidelines issued by the Government of India and RBI, the Bank has taken steps for increased flow of credit to MSME sector. Total Advances to MSME sector stood at ₹ 14865.96 crore as at March 31, 2012, against ₹ 13382.60 crore as at March 31, 2011, registering a growth of 11.08 per cent during the year. Advances to Micro and Small Enterprises reached a level of ₹ 13491.73 crore as at March 31, 2012, registering a growth of 11.97 per cent. The total outstanding advances to Micro Enterprises constitute 61.74 per cent of advances to Micro and Small Enterprises Sector exceeds stipulated target of 55 per cent to be achieved by March 2012 and 60 per cent to be achieved by March 2013. Total number of accounts under Micro Enterprises increased from 459884 as on March 2011 to 513206 as on March 2012 registering growth of 11.59 per cent during the year.

During the year, all existing MSE products are revisited and a new scheme “SyndMSE” with reduced rate of interest, margin and liberalized terms and conditions to promote the growth of Micro and Small Enterprises was launched. Further to encourage Micro Enterprises, rebate in interest rate for prompt repayment was introduced. MOUs signed with reputed Commercial Vehicle Manufacturers viz. Tata Motors, TVS Motors and Bajaj Auto Ltd. for financing commercial vehicles under Micro and Small Enterprises. New Board approved policy for Restructure/ Rehabilitation of potentially viable MSME unit is launched to take up timely rehabilitation measures for potentially viable sick units.

## CREDIT GUARANTEE TRUST FUND FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES (CGMSE)

CGMSE scheme was introduced by the Govt. of India and SIDBI, to guarantee collateral free credit facilities sanctioned to Micro and Small Enterprises (MSEs). The bank is a member lending institution (MLI) implementing the scheme. As per RBI guidelines, it is mandatory to grant collateral free loans to MSEs upto ₹ 10.00 lakh and cover all eligible loans under CGMSE. Bank has also implemented CGTMESE guidelines to extend Collateral free loans without third party guarantee to Micro and Small Enterprises up to ₹ 100 lakh and cover all eligible accounts under CGMSE.

The Collateral free loans without third party guarantee granted to Micro and Small Enterprises and covered under CGMSE scheme increased from 12971 as at March 2011 to 21402 as at March 2012 registering a growth of 65 per cent.

## IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank has been displaying a strong and abiding commitment to encourage the greater use of Hindi in various forms, not only because it is the policy of the Government of India but also as an ideal and powerful medium of Financial Inclusion.



सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय एवं पोर्ट ब्लेयर, अगाती तथा कवरत्ती शाखाओं में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया।

हमारी हिंदी गृह पत्रिका 'जागृति' को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित हिंदी पत्रिका प्रतियोगिता में वर्ष 2010-11 के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्षे.का. कोयंबतूर और क्षे.का. भुवनेश्वर को क्रमशः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोयंबतूर और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भुवनेश्वर द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा क्षे.का. हैदराबाद को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

### शाखाओं का विस्तार

वर्ष के दौरान बैंक ने 214 शाखाएं खोली हैं और अब देश भर में शाखाओं की कुल संख्या 2700 से अधिक हो गई है।

इन शाखाओं में से 200 सामान्य बैंकिंग शाखाएँ और 14 अल्ट्रा लघु शाखाएँ हैं। 68 शाखाएँ कम बैंक सुविधावाले जिलों में हैं और 44 शाखाएँ अल्पसंख्यक बहुजिलों में हैं। वर्ष के दौरान, 85 अनुषंगी कार्यालय खोले गए हैं।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गाँवों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से अल्ट्रा लघु शाखाएँ और अनुषंगी कार्यालय खोले गए हैं। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में है।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गाँवों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के मामले में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और कर्नाटक का भीमनकुपे गाँव वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जानेवाला 1500 वाँ गाँव है।

बैंक ने 31 मार्च 2012 को एक ही दिन में देशभर में 108 शाखाओं को खोलकर एक नया इतिहास रचा है।

इन 108 शाखाओं को खोले जाने की घोषणा माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा तथा माननीय केन्द्रीय रेल राज्य मंत्री श्री के. एच. मुनियप्पा जी की उपस्थिति में एक भव्य समारोह में की गई।

गुवाहाटी क्षेत्र में तीन शाखाएँ खोली गईं और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक का और विस्तार हुआ है।

उपर्युक्त के अलावा, निम्नलिखित कार्यालय खोले गए।

आवास ऋणों/खुदरा ऋणों के प्रसंस्करण हेतु 14 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र खोले गए। शुरुआती तौर पर बचत बैंक खाता खोलने हेतु बेंगलूर में एक कारोबार प्रसंस्करण केंद्र खोला गया।

लंदन शाखा सहित बैंक की कुल 2710 शाखाएँ हो गई हैं। देशी शाखा नेटवर्क

Hindi Day was celebrated in all the Regional Offices/Head Office, Corporate Office & Port Blair, Agatti and Kavaratti branches in a befitting manner.

Our Hindi House Magazine 'Jagriti' has been consecutively awarded III prize for the year 2010-11 in the Hindi Magazine competition conducted by the Reserve Bank of India. RO: Coimbatore & RO: Bhubaneshwar were awarded first prize by the TOLIC, Coimbatore & TOLIC, Bhubaneshwar respectively. RO: Hyderabad was awarded 2nd prize by the Regional Implementation Office, Dept. of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

### EXPANSION OF BRANCH NETWORK

During the year the Bank has added 214 branches to its network thus crossing the landmark of 2700 branches spread throughout the country.

The addition of branches includes 200 General Banking brick and mortar branches and 14 Ultra Small branches. 68 branches are in under banked Districts and 44 branches in minority concentration Districts. During the year, 85 Satellite Offices have been opened.

The opening of ultra small branches and satellite offices are in compliance with the directions of the Government of India, Ministry of Finance to make the banking facilities available to villages coming under financial inclusion.

The target of extending banking facilities to villages coming under financial inclusion has been reached and Bheemanakupe village in Karnataka is the 1500th village to be included under our financial inclusion programme.

The Bank achieved a unique milestone of opening 108 branches spread throughout the country, on a single day on 31st March 2012.

The 108 branches were declared open amidst gala function at a venue in Bengaluru which was graced by Shri Namo Narain Meena, Union Hon'ble Minister of State for Finance and Shri K.H.Muniyappa, Union Hon'ble Minister of State for Railways.

Three branches have been opened in the Guwahati Region increasing the bank's presence in the North Eastern Part of India.

In addition to the above, the following offices have been opened.

14 Central Processing Centres for processing Housing Loans/Retail Loans. One Business Processing Centre at Bengaluru to cater to opening of savings bank accounts to begin with.

The total number of branches of the Bank stood at 2710 including London branch. The domestic branch network consisted of 873 rural branches, 672 semi-urban branches, 584 urban branches,



में 873 ग्रामीण शाखाएँ, 672 अर्ध-शहरी शाखाएँ, 584 शहरी शाखाएँ, 566 महानगरीय एवं पोर्ट टाऊन शाखाएँ तथा 14 अत्यंत लघु शाखाएँ शामिल हैं। 31-3-2012 को अनुषंगी कार्यालयों की कुल संख्या 89 हो गई और एटीएम की संख्या 1240 हो गई है।

31 मार्च, 2012 को बैंक के ग्राहकों की संख्या 28.39 मिलियन रही जबकि पिछले राजकोषीय वर्ष के दौरान 26.38 मिलियन थी, जो 7.62 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

### परिवेश एवं विजिबिलिटी

बैंक की छवि को बढ़ाने तथा कारोबारी परिवेश को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए शाखा/कार्यालय में आनेवाले ग्राहक सकून एवं प्रसल्ला का अनुभव कर सकें।

### सूचना प्रौद्योगिकी

नई प्रौद्योगिकी की अपनाकर ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने में बैंक सदा से अग्रणी रहा है चाहे वह 1970 में प्रधान कार्यालय में “मैन फ्रेम” लगाने वाले कुछ बैंकों में से एक हो या फिर कोर बैंकिंग समाधान को वर्ष 2001 में शुरू करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से प्रथम होने की ही बात क्यों न हो। इसका उद्देश्य केवल आगे बढ़ते जाना है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं।

### कोर बैंकिंग समाधान (सी.बी.एस.)

बैंक 31.3.2012 को सी.बी.एस. नेटवर्क के अंतर्गत 32 राज्यों और संघशासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 1842 केंद्रों में 2710 शाखाओं तथा 127 कार्यालयों के नेटवर्क के साथ अपना कारोबार बढ़ाता जा रहा है। इनमें भारत सरकार की महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत खोली गई 334 नई शाखाएँ भी शामिल हैं।

आज जब बैंक में प्रौद्योगिकी को अपनाना एक धुन बन गया है, तब बेहतर ग्राहक सेवा हेतु प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए मौजूदा प्रणालियों में निरंतर उन्नयन/सुधार/वृद्धि को सतत रूप से जारी रखना जरूरी है ताकि बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके।

### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) के लिए सी.बी.एस.:

भा.रि. बैं. के निदेशानुसार, बैंक द्वारा प्रायोजित सभी पाँचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, यथा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटक, नॉर्थ मलबार ग्रामीण बैंक, केरल, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रदेश, गुडगाँव ग्रामीण बैंक, हरियाणा और प्रथमा बैंक, उत्तर प्रदेश को नियत तारीख 30.9.2011 से काफी पहले ही कोर बैंकिंग प्रणाली (सी.बी.एस.) के अंतर्गत सफलतापूर्वक शामिल कर दिया गया है।

### डेलिवरी चैनल:

कोर बैंकिंग सोल्यूशन को अपनाने के कारण, किसी भी समय, कहीं भी, कैसे भी (एएए) बैंकिंग सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु ग्राहक को स्वाभाविक रूप से बैंकिंग के वैकल्पिक चैनल उपलब्ध हो गए हैं।

566 metro & port town branches and 14 Ultra small branches. These ultra small branches have been opened under Financial Inclusion programme of Government of India. Total number of Satellite offices stood at 89 and the number of ATMs installed reached to 1240 as at 31.03.2012.

The bank has a customer base of 28.39 million as at March 31, 2012 as against 26.38 million at the end of the previous fiscal, registering a growth of 7.62 per cent.

### AMBIENCE AND VISIBILITY

As an image building exercise consistent efforts are made to ensure a neat and tidy business premises with better visibility to make customers more comfortable when they visit the Branch/ Offices for their banking needs.

### INFORMATION TECHNOLOGY

The Bank has been relentless in adopting new and emerging technologies to provide best of customer services and streamlining its internal processes, whether it being one of the first few to adopt “Main Frame” computer at Head Office in the 1970s or being the first among the Public Sector Banks to adopt and implement “Core Banking Solution” in year 2001 to provide technology based banking services to the customers. This passion is only growing and the Bank has achieved several milestones in the reporting Financial Year.

### CORE BANKING SOLUTION (CBS)

The Bank continues to spread its wings with a network of 2710 Branches and 127 Offices in 1842 centres covering 32 States and Union Territories under the CBS Network as on 31.03.2012. These include 334 branches newly opened under the Govt. of India’s ambitious Financial Inclusion project.

While adopting Technology has almost become passion in the Bank, constant upgradation / improvement / enhancement in the existing systems has also been a continuous endeavour to improve the systems and procedures for better customer services.

### CBS FOR REGIONAL RURAL BANKS (RRB)

In accordance with the RBI directive, all the five Regional Rural Banks viz., Karnataka Vikas Grameena Bank, Karnataka, North Malabar Gramin Bank, Kerala, Andhra Pragathi Grameena Bank, Andhra Pradesh, Gurgaon Gramin Bank, Haryana and Prathama Bank, Uttar Pradesh sponsored by the Bank have been successfully brought under Core Banking System (CBS) well before the stipulated cut-off date of 30.09.2011.

### DELIVERY CHANNELS

With adoption of Core Banking Solution, providing alternate channels of banking to the customer for providing Anytime, Anywhere, Anyhow (AAA) banking convenience was a natural extension.





### ए.टी.एम. नेटवर्क:

दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास 1240 द्विभाषिक ए.टी.एम. हैं, जिनका विस्तार देश के सभी जनसंख्यावाले 668 केंद्रों में है। ए.टी.एम. के चरणबद्ध ढंग से त्रिभाषीकरण किया जा रहा है। वीसा और मास्टर कार्ड पेमेंट गेटवे द्वारा बैंक के ग्लोबल डेबिट-सह-ए.टी.एम. कार्ड के ग्राहकों की संख्या 48 लाख है जो विश्व भर के ए.टी.एम. और पी.ओ.एस. टर्मिनलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए.टी.एम. के माध्यम से हर महीने किया जानेवाला नकदी का वितरण लगभग ₹1000 करोड़ तक पहुँच गया है। ग्राहकों को, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ के तत्वावधान में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एन.सी.पी.आई.) द्वारा परिचालित नैशनल फाइनेन्शियल स्विच (एन.एफ.एस.) के माध्यम से देश के 63 अन्य बैंकों के लगभग 91324 ए.टी.एम. की सुविधा तथा कैश ट्री ए.टी.एम. नेटवर्क वाले 14 बैंकों के अन्य 10853 ए.टी.एम. की सुविधा प्रदान की गई है।

### एस.एम.एस. बैंकिंग

ग्राहक को उसके खाते में हुए लेन-देन की त्वरित सूचना देने हेतु, साथ ही उसके खाते की सूचना संदेश आधारित बैंकिंग के माध्यम से प्रदान करने हेतु बैंक ने शॉर्ट मेसेज सर्विस (एस.एम.एस.) बैंकिंग की शुरुआत की है। यह सुविधा अपनाएनेवाले ग्राहकों की संख्या 268506 (मार्च 2011) से बढ़कर मार्च 2012 को 383211 हो गई है।

### मोबाइल बैंकिंग

बैंक द्वारा वर्ष के दौरान मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को कार्यान्वित किया गया जिसके अंतर्गत ग्राहक मोबाइल फोन द्वारा अपना बैंकिंग व्यवहार कर सकते हैं। इसमें खाते में शेष रकम की पूछताछ, खाता विवरणी, बैंक के ग्राहकों के बीच निधि का अंतरण, आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एन.पी.सी.आई.) द्वारा दी जानेवाली इंटर-बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विसेज़ (आई.एस.पी.एम.) के माध्यम से अन्य बैंकों को निधि के अंतरण की भी शुरुआत की गई। दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करनेवाले ग्राहकों की संख्या 5255 है।

### भा.रि.बैं. की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली:

बैंक द्वारा बैंकों के बीच निधि अंतरण सुविधा के लिए एन.ई.एफ.टी. एवं आर.टी.जी.एस. सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक की केन्द्रीकृत भुगतान प्रणाली के तहत की जाती है। 2560 शाखाएँ आरटीजीएस सुविधा तथा 2765 शाखाएँ एन.ई.एफ.टी. सुविधा प्रदान करती हैं। इसका उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और मार्च 2012 के दौरान एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किए गए लेन-देनों की संख्या 751834 है जिसके अंतर्गत ₹ 3605.79 करोड़ का लेन-देन किया गया और आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किए गए लेन-देनों की संख्या 156840 है जिसके अंतर्गत ₹110628 करोड़ का लेन-देन किया गया।

### इंटरनेट आधारित सेवाएँ

बैंक ने वर्ष 2003 में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा की शुरुआत की। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करनेवालों की संख्या 31 मार्च 2012 को 6.35 लाख हो गई है, जो मार्च 2011 के बाद 0.69 लाख की वृद्धि दर्शाती है। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से अन्य बैंकों के खातों में निधियों के अंतरण हेतु नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (एन.ई.एफ.टी.) और रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) सुविधा, रेल टिकट का आरक्षण, उपयोगिता बिलों का भुगतान, आय कर, नगर-निगम कर, वेट जैसे करों का भुगतान आदि सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बैंक के इंटरनेट बैंकिंग वेबपृष्ठ पर हिट्स की संख्या मार्च, 2011 की 36.28 लाख से बढ़कर मार्च, 2012 को 45.79 लाख हो गई है।

### ATM NETWORK

The Bank has operationalised 1240 bi-lingual ATMs as at 31.03.2012, spread across 668 centres covering all demographics across the country. Tri-lingual feature in ATMs is being introduced in a phased manner. The Bank has Global Debit-cum-ATM cards through VISA and Master Card payment gateways with a Card-base of over 48 Lakhs for global access to ATMs and POS terminals. Average Cash Disbursal through ATMs has touched close to ₹ 1000 crore per month. Customers have been given access to around 91324 ATMs of 63 other Banks in the Country through National Financial Switch (NFS) operated by National Payments Corporation of India (NPCI) under the aegis of Reserve Bank of India and Indian Banks' Association and to another 10853 ATMs of 14 banks belonging to Cash Tree ATM Network.

### SMS BANKING

In order to keep the customer instantly informed of the transactions that went through their account, as also to provide information of their account through message based banking, Bank has introduced Short Message Service (SMS) banking. The number of customers who have availed this facility has grown from 268506 (March, 2011) to 383211 as at March 2012.

### MOBILE BANKING

The Bank has implemented Mobile Banking Services during the year, whereby customers can conduct their banking transactions through mobile phones. This includes balance enquiry, statement of accounts, funds transfer within customers of Bank, etc. In addition, funds transfer to other Banks through Interbank Mobile Payment Services (IMPS), offered by National Payment Corporation of India (NPCI) has also been introduced. The number of customers who have availed of Mobile Banking facility as on 31.03.2012 stands at 5255.

### CENTRALISED PAYMENTS SYSTEM OF RBI

The Bank is offering NEFT and RTGS, the fund transfer facility among the Banks, under the RBI's Centralised Payments System, through 2560 branches for RTGS and 2765 branches/offices for NEFT. The usage is steadily increasing and during March, 2012, there were 751834 NEFT transactions involving an amount of ₹ 3605.79 crore and 156840 RTGS transactions involving an amount of ₹ 110628 crore.

### INTERNET BASED SERVICES

Bank introduced Internet Banking facility in the year 2003. The User base now stands at 6.35 Lakhs as at 31st March 2012, with an increase of 0.69 Lakhs over March, 2011. National Electronic Funds Transfer (NEFT) and Real Time Gross Settlement (RTGS) facility for transfer of funds between accounts of different banks, Railway Ticket reservation, Utility Bills payments, Payment of Taxes, such as Income Tax, Municipal Corporation Taxes, VAT etc. facilities are being extended through Internet Banking Facility. The number of hits on the Bank's Internet Banking webpage, increased from 36.28 Lakhs in March, 2011 to 45.79 Lakhs in March, 2012.



अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षित इंटरनेट बैंकिंग का अनुभव सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं जैसे ग्राहक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन करने से पहले सेफटी टिप्स का दर्शाया जाना, वर्चुअल की-बोर्ड का प्रावधान, जिसमें स्क्रीन पर की-बोर्ड दिखाई पड़ता है और प्रत्येक स्ट्रोक के साथ, की-बोर्ड में की का स्थान बदल जाता है, इंटरनेट बैंकिंग सुरक्षा उपायों के बारे में इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करनेवालों को शिक्षित करना, फिशिंग/धोखाधड़ी के प्रयासों का पता लगाने हेतु चौबीसो घंटे निगरानी आदि।

अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, 2-फैक्टर अधिप्रमाणन, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करते समय यूजर आई.डी. और पासवर्ड के अलावा द्वितीय अधिप्रमाणन की शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी।

### पेमेंट गेटवे सेवाएं

मेसर्स एवेन्यूज़ इंडिया लिमिटेड (सी.सी.एवेन्यू), मेसर्स इंडिया आइडियाज़ डॉट कॉम लिमिटेड (बिल डेस्क) और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा चलाया जानेवाला सेंट्रलाइज़्ड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम (सीपीएस) जैसे सर्विस प्रोवाइडरों के साथ अनुकूल प्रबंध करते हुए बैंक ने अपनी पेमेंट गेटवे सेवाओं की शुरुआत की है। जहाँ सी.सी.एवेन्यू और बिलडेस्क द्वारा होटल चेन्स, फ्लोरिस्ट, आर्ट गैलरी, बुक सेलर, मैरेज ब्यूरो, स्टॉक ब्रोकर्स, ट्रावेल एजेंट्स, ज्वैलर्स, बीमा, म्यूचुअल फंड, बीएसएनएल आदि जैसे सामान्य वाणिज्य के लिए गेटवे प्रदान किया जाता है, वहीं सीपीएस द्वारा अपने ग्राहकों से पोर्ट प्राधिकरण को देय बिलों के भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है।

### सरकारी लेन-देन

- कर्नाटक राज्य में वाणिज्यिक करों का ई-भुगतान प्रचलित किया गया।
- कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के लिए मूल्य-योजित कर (वैट) की वसूली की सुविधा प्रारंभ की गई।
- वर्ष के दौरान कर जमा विवरणी (फॉर्म 26एस) को देखने की सुविधा।
- दिल्ली राज्य और संघशासित प्रदेश पांडिचेरी में इसे लागू किया जा रहा है।
- उत्पाद और सेवा कर के ई-भुगतान हेतु, एनएसडीएल से लिंक प्रारंभ किया गया।
- कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन का केंद्रीकृत प्रसंस्करण और भुगतान का कार्यान्वयन किया गया।
- नियंत्रक महा लेखा (सीजीए) (वित्त मंत्रालय) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई केंद्रीय आयोजना अनुप्रवर्तन प्रणाली (सी.पी.एस.एम.एस.) का सीजीए द्वारा बनाई गई अनुसूची के अनुसार कार्यान्वयन प्रगति पर है।
- केंद्र सरकार के ई-भुगतान गेटवे (जी.ई.पी.जी.) का बैंक द्वारा कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

### श्री-इन-वन खाता

स्टॉक की ऑन लाइन ट्रेडिंग अत्यंत लोकप्रिय हो गई है। हमारे ग्राहकों को इसके लिए सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक ने दि. 24.10.2011 को सिंड ई. ट्रेड ब्रांड नाम के अंतर्गत श्री-इन-वन खाते की शुरुआत की है।

यह सुविधा ग्राहकों को अपने शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित जमा करने हेतु डिपॉजिटरी सुविधा उपलब्ध कराती है।

The Bank has been taking proactive steps to ensure a safe Internet Banking experience for its customers by display of safety tips before logging in to Internet Banking by the customer, provision of virtual keyboard, wherein the key board is displayed on the screen and with each stroke, the position of key changes in the keyboard, educating users on Internet Banking safety measures, round the clock monitoring to detect any attempts of phishing / fraud etc.

As an additional security measure, 2-Factor Authentication, wherein second authentication, apart from user ID and Password while using Internet Banking is being introduced shortly.

### PAYMENT GATEWAY SERVICES

Bank introduced its Payment Gateway Services by entering into strategic arrangements with service providers such as M/s Avenues India Limited, (CCAvenue) M/s Indiaideas.com Limited, (BillDesk) and Centralised Port Community System (CPS) floated by Indian Ports Association. While CCAvenue and BillDesk provide gateway for generic commerce such as Hotel Chains, Florists, Art Galleries, Book Sellers, Marriage Bureaus, Stock Brokers, Travel Agents, Jewelers, Insurance, Mutual Funds, BSNL etc, CPS provides convenience of payment of bills due to the Port authorities by their customers.

### GOVERNMENT TRANSACTIONS

- e-Payment of Commercial Taxes in the State of Karnataka made operational.
- Facility for collection of Value Added Tax (VAT) for Karnataka and Maharashtra States introduced.
- Facility for viewing Tax Credit Statement (Form 26AS) operationalised during the year.
- Delhi State and UT of Pondicherry is in the pipeline.
- For e-payment of Excise and Service Tax, the link through NSDL has been made operational.
- Centralised Processing and payment of Pensions of Karnataka State Govt. employees is being implemented.
- Implementation of Central Plan Scheme Monitoring System (CPSMS) undertaken by the Govt. of India through Controller of General of Accounts (CGA) (Ministry of Finance) is in progress as per the schedule drawn up by the CGA.
- The Bank is in the process of implementing Central Government e-Payment Gateway (GePG).

### THREE-IN-ONE ACCOUNT FOR EQUITY TRADING

Trading in stocks online has gained immense popularity. To facilitate our customers in this venture, the Bank has launched the Three-in-One account facility under the Brand name of Synd e-trade on October 24, 2011.

This facility enables customers to avail Depository facility for safe deposit of their shares in electronic form.



इस सुविधा में 'कासा' खाता, डी.पी. खाता और ट्रेडिंग खाता शामिल हैं जिसके माध्यम से हमारे ग्राहक कासा खातों में रखी गयी निधियों का उपयोग करके सीधी प्रक्रिया के माध्यम से डी.पी. खाते में बेकागज़ी प्रतिभूतियों के माध्यम से ऑन लाइन पर शेयरों का लेन-देन कर सकते हैं।

#### डाटा वेयरहाउस परियोजना

दि एंटरप्राइस डाटा वेयरहाउस तथा बिजनेस इंटेलिजेन्स (ई.डी.डब्ल्यू.बी.आई.) सोल्यूशन विश्लेषणात्मक उद्देश्य से तथा एम.आई.एस. के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए एक व्यापक सिंगल डाटा बेस स्थापित कर रहा है। यह परियोजना आंशिक रूप से परिचालित हो गई है और दि. 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार इस प्रणाली के माध्यम से 160 रिपोर्टें बनाई जा चुकी हैं। बैंक को व्यापक रूप से ग्राहकों के लेन-देनों को जानने तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने हेतु डाटा की डी-डुप्लिकेशन प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। यह बैंक की धन-शोधन निवारण इत्यादि जैसे मामलों में भी सुविधा उपलब्ध कराती है।

#### जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन समाधान के भाग के रूप में धन-शोधन निवारण (ए.एम.एल.) समाधान, और ऋण जोखिम प्रबंधन समाधान का पहले से ही कार्यान्वयन किया गया है। परिचालन जोखिम प्रबंधन समाधान (ओ.आर.एम.एस.) का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

#### सूचना की सुरक्षा

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित आई.एस. सुरक्षा नीति है। अनुमोदित नीति के आधार पर आई.एस. सुरक्षा प्रक्रिया निरूपित तथा कार्यान्वित की गई है। जोखिमों को दूर करने हेतु सतत आधार पर नीति के अनुसार निगरानी की जाती है।

निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए बैंक ने केंद्रीकृत सुरक्षा परिचालन केंद्र (एस.ओ.सी.) की स्थापना की है। यह बैंक द्वारा प्रति दिन सामना की जाने वाली आई.टी. सुरक्षा जोखिमों से बचने और बैंक की सूचना सुरक्षा प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को अद्यतन बनाने में सुविधा प्रदान करती है।

सूचना आस्तियों को वाइरस वर्म्स इत्यादि से बचाने के लिए अद्यतन वाइरस सिग्नेचर द्वारा एंटी वायरस सिस्टम को स्वचालित किया गया है जो रिले सर्वस के माध्यम से सभी सी.बी.एस. नेटवर्क को अद्यतन कर देगा।

#### आपदा प्रबंधन प्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, बैंक ने आई.टी. प्रणालियों के लिए एक व्यापक कारोबार निरन्तरता योजना (बी.सी.पी.) को निरूपित किया है। योजना के भाग के रूप में, बैंक ने कोर एप्लिकेशनों के लिए इन्टरप्राइज डिसास्टर रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम (डी.आर.एम.एस.) को खरीदा है और उसका परीक्षण तथा कार्यान्वयन किया है जिससे डाटा सेंटर (डी.सी.) में कोई खराबी आने पर डाटा सेंटर से डिसास्टर रिकवरी साइट में परिचालन स्विच ओवर हो जाएगा।

#### दीर्घावधि सू.प्रौ. योजना (2010 से 2013)

बैंक की दीर्घावधि सू.प्रौ. योजना को बोर्ड द्वारा अनुमोदित तथा अपनायी गयी है, उसका निरन्तर पुनरीक्षण किया ताकि विभिन्न सू.प्रौ. पहलुओं के कार्यान्वयन पर निरन्तर निगरानी रखी जा सके।

The facility comprises the CASA account, DP account and trading account for enabling our customers to trade in shares online, using the funds in the CASA account and dematerialised securities in the DP account through the Straight through Process.

#### DATA WAREHOUSING PROJECT

The Enterprise Data Warehousing and Business Intelligence (EDWBI) Solution envisages establishing a comprehensive single robust database in order to query upon to obtain required information for MIS and for analytical purposes. The project has been made operational partly and over 160 reports are being generated through this system as on 31.03.2012. Process of de-duplication of data has been commenced to facilitate bank in knowing customer dealings comprehensively and pave way for giving better customer services. This will also facilitate in Bank's initiatives in Anti money laundering etc.

#### RISK MANAGEMENT

As part of risk management solutions, Anti-Money Laundering (AML) Solution and Credit Risk Management Solutions have already been implemented. The implementation of Operational Risk Management Solution (ORMS) is in progress.

#### INFORMATION SECURITY

The Bank has a Board approved IS Security Policy in place. IS Security procedures based on the approved policy have been formulated and implemented. Adherence to policy is closely monitored on a continual basis to avoid any compromises.

In order to strengthen the monitoring system, Bank is establishing a centralised Security Operating Centre (SOC). This will facilitate in countering the IT Security Risks that the Bank faces on a day-to-day basis and keeping the Information Security systems and procedures of the Bank continuously up-to-date.

To protect the Information Assets from viruses, worms etc. the Anti Virus Management System has been automated, with latest virus signatures being automatically updated in all the systems through relay Servers across the CBS Network.

#### DISASTER RECOVERY MANAGEMENT SYSTEM

As per the directions of Reserve Bank of India, the Bank has formulated a comprehensive Business Continuity Plan (BCP) for the IT Systems. As part of the Plan, the Bank has procured, implemented and tested in the live environment, Enterprise-wide Disaster Recovery Management System (DRMS) for Core Applications in order to seamlessly switch over the operations from Data Centre to Disaster Recovery Site in case of failure of Data Centre (DC).

#### LONG TERM IT PLAN (Year 2010 to 2013)

The Long Term IT Plan of the Bank, approved and adopted by the Board, is constantly re-visited so that the implementation of the various IT Initiatives is constantly monitored.



### आई.एस.ओ. 27001 प्रमाणीकरण

वर्ष 2008 में डाटा सेंटर-मुंबई, डिजास्टर रिकवरी साइट-बेंगलूर तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बेंगलूर को आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 27001: 2005 प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणीकरण आई.एस.ओ. प्राधिकारियों द्वारा की जानेवाली समीक्षा के पश्चात् प्रति वर्ष नवीकृत किया जाता है और अब 2011-2012 के लिए भी यह नवीकृत किया गया है।

### ग्राहक सेवा कियोस्क

ग्राहकों को समाशोधन चेकों को जमा करने हेतु सुरक्षित तथा सुविधाजनक तरीका प्रदान करने के भाग के रूप में तथा समाशोधन प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए भी बैंक ने पाइलट आधार पर देश भर के विभिन्न शाखाओं में 25 चेक डिपोजिटरी कियोस्क स्थापित किए हैं। ये कियोस्क चेक को स्वीकृत करते हैं और चेक के ब्यौरे के साथ पावती जारी करते हैं और साथ ही चेक का मुद्रित चित्र भी जारी करते हैं। कियोस्क चेकों के ब्यौरे भी जुटाता है और डाटा को सी.बी.एस. में अपलोड करने हेतु निर्दिष्ट प्रपत्र में देता है जिससे सिस्टम में चेक के ब्यौरों को मैनुअली करने में जो समय लगता है उसकी बचत हो जाती है।

### भारत सरकार/भा.रि.बैंक की पहल

- सभी नॉन-एम.आई.सी.आर. केंद्रों में मौजूदा मैग्नेटिक मीडिया बेस्ड क्लियरिंग सॉफ्टवेयर (एम.एम.बी.सी.एस.) को हटाकर एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.सी.एस.) का कार्यान्वयन प्रगति पर है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) नई दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सी.टी.एस.) का कार्यान्वयन किया गया है। अब इसे चेन्नई, बेंगलूर तथा कोयंबतूर में ग्रिड आधार पर विस्तृत किया जा रहा। चेन्नई में अक्टूबर 2011 से सी.टी.एस. परिचालन में है और बेंगलूर तथा कोयंबतूर में इसका कार्यान्वयन भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है।
- बैंक ने ओटोमेटेड डाटा फ्लो सिस्टम, जो बैंक द्वारा भा.रि.बैं. को प्रस्तुत किए जानेवाले आवधिक विवरणियों को निर्धारित फॉर्मेट में कोई मैनुअल हस्तक्षेप के बिन स्वतः भा.रि.बैं. को प्रस्तुत करने में समर्थ हो, के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समाधान हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की है।
- केंद्रीय सिविल, रक्षा एवं अन्य पेंशनों के भुगतान हेतु केंद्रीकृत भुगतान संसाधन प्रणाली (सी.पी.पी.सी.) की स्थापना की गई है।

### ग्राहक केंद्रित पहल का कार्यान्वयन

- ग्राहकों को अवरुद्ध रकम द्वारा समर्थित आवेदन पत्र (ए.एस.बी.ए.) सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक को 'सेबी' के पास स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक के रूप में पंजीकृत किया गया है। ए.एस.बी.ए. को कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है।
- अब ग्राहक अपने ए.टी.एम. पासवर्ड को बदल सकते हैं और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल फाईनांशियल स्विच नेटवर्क पर किसी भी ए.टी.एम. से मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं।
- ऑनलाइन से ऋण आवेदन (जो पावती को अपने आप तैयार करता है) ट्रैकिंग, संसाधन, अभिलेखीकरण, अनुवर्ती कार्रवाई तथा केंद्रीकृत एम.आई.एस. की शुरुआत की गई है।

### ISO 27001 CERTIFICATION

Data Centre - Mumbai, Disaster Recovery Site - Bengaluru and Department of Information Technology - Bengaluru were accorded ISO/IEC-27001: 2005 certification in 2008. This certification is being renewed every year after a review by the ISO authorities and now stands renewed for 2011-2012 also.

### CUSTOMER SERVICE KIOSKS

As part of providing convenient and secure way of deposit of clearing cheques by the customers and also speed up the process involved in clearing operations, the Bank has installed 25 Cheque Depository Kiosks in various branches across the country on a pilot basis. The Kiosk accepts the cheque and issues an acknowledgement with details of cheque and an image of cheque printed thereon. The kiosk also captures the details of the cheque and provides data in prescribed format for upload in CBS system, thus saving the time for manual entry of cheque details in system.

### GOVT. / RBI INITIATIVES

- Implementation of Express Cheque Clearing System (ECCS) in all Non-MICR Centres by replacing the existing Magnetic Media Based Clearing Software (MMBCS) is in progress.
- The Cheque Truncation System (CTS) introduced in the National Capital Region (NCR) at New Delhi, is now being extended to cover Chennai, Bengaluru and Coimbatore under Grid module. CTS is operational in Chennai since October 2011 and its implementation at Bengaluru and Coimbatore is progressing as per the schedule set by RBI.
- Bank has initiated the process of procuring necessary solution for implementing Automated Data Flow system which envisages data transmission pertaining to periodical returns being submitted by Bank to RBI in prescribed format automatically to RBI without any manual intervention.
- Centralized Payment Processing System (CPPC) has been established for payment of Central Civil, Defence and other pensions.

### CUSTOMER-CENTRIC INITIATIVES IMPLEMENTED

- The Bank has been registered with SEBI as Self Certified Syndicate Bank (SCSB) for providing **Applications Supported by Blocked Amount (ASBA)** facility to its customers. ASBA has been made operational in identified Strategic Branches.
- Customers can now change their ATM password and get Mini Statement from any ATM on National Financial Switch Network of National Payment Corporation of India.
- Facility for Online loan application (with auto generation of acknowledgement), tracking, processing, documentation, follow-up and centralized MIS is introduced.





### हरित पहल का कार्यान्वयन

- बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए कंपनियों से कागजरहित अनुपालन को स्वीकार करते हुए 'नैगम अभिशासन में हरित पहल' को शामिल किया है। मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21.04.2011 तथा 18/2011 दिनांक 29-04-2011 के अनुसार बैंक अपने उन सदस्यों/ निवेशकों को वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 की सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, जिन्होंने बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्बी कंप्यूटर शेयर (प्रा.) लि. से उनके ई-मेल पते को दर्ज किया है।
- कारोबार समीक्षा बैठकें, विशेष क्षेत्रों की समीक्षा, विभिन्न स्थानों की विभिन्न समितियों की बैठकें, पदोन्नति के लिए साक्षात्कार, आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणों को प्रदान करने इत्यादि के लिए प्रधान कार्यालय, कॉरपोरेट कार्यालय, सभी प्रशिक्षण कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में वीडियो कॉन्फरेन्सिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसे अन्य कार्यालयों तथा शाखाओं में चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा।
- बैंक कॉरपोरेट ईमेल सुविधा तथा इन्ट्रा नेट आधारित आई.पी. संदेश प्रणाली का प्रयोग कर रहा है जिससे कागज आधारित संप्रेषण पर निर्भरता कम हो रही है।
- सारे बैंक में प्रयोक्ताओं द्वारा मांगी जानेवाली आवधिक तथा तदर्थ रिपोर्टें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि कागज आधारित रिपोर्टों की आवश्यकता को हटाया जा सके।
- एंटरप्राइस वाइड डाटा वेयरहाउस और बिजिनेस इंटेलिजेन्स पहल के भाग के रूप में विभिन्न शाखाओं/कार्यालयों को 170 रिपोर्टें केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही दी जाती हैं।

### मुद्रा प्रबंधन तथा भा.रि.बैं. की स्वच्छ नोट नीति

भा.रि.बैं. की स्वच्छ नोट नीति के कार्यान्वयन के लिए 'प्रोत्साहन योजना' अक्टूबर 2008 से प्रचलन में है जिसे हमारी सभी मुद्रा तिजोरियों में परिचालित किया गया है और आम जनता को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए भा.रि.बैं. की स्वच्छ नोट नीति को मनसा-वाचा-कर्मणा कार्यान्वित करने के लिए मुद्रा तिजोरियों में कार्य करनेवाले हमारे सभी स्टाफ सदस्यों को प्रेरित किया जा रहा है।

भा.रि.बैं. की स्वच्छ नोट नीति के कार्यान्वयन हेतु 32 नकद प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। आनेवाले दिनों में अधिक से अधिक नकद प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो गैर-ब्याजी आय के सृजन के लिए माध्यम बनेंगे।

दि. 31.03.2012 के अनुसार सी.डी.आर. को संतोषजनक 0.20 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। पूरे साल के लिए इसे बनाए रखने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

### वर्ष के दौरान समिति का दौरा

#### क) शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति

शहरी विकास तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन पर मंत्रालय की चालू योजनाओं/परियोजनाओं से संबंधित अध्ययन के लिए माननीय सांसद

### IMPLEMENTATION OF GREEN INITIATIVES

- Bank has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the recent circular bearing no.17/2011 dated 21.04.2011 and 18/2011 dated 29-04-2011 issued by the Ministry, Bank will be sending soft copies of Annual Report 2011-12 to those members / investors who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank.
- Video Conferencing facility is provided at Head Office, Corporate Office, all Training Colleges, International Division, Mumbai and all Regional Offices for conducting Business Review meetings, reviews of specific areas, meetings of various Committees Offices at various locations, interviews for promotions, for imparting need based trainings etc. It is being extended to other offices and branches in a phased manner.
- Bank is using corporate e-mail facility and intra-net based IP messaging system and thus reducing dependency on paper based communication.
- Various periodical and ad hoc reports required by the users across the Bank being provided in an electronic form obviating the need for paper based reports.
- As part of Enterprise wide Data Warehousing and Business Intelligence initiatives, over 170 reports are being provided to various branches/offices in electronic form only.

### CURRENCY MANAGEMENT AND RBI CLEAN NOTE POLICY

RBI 'Scheme of Incentives' for implementation of Clean Note Policy which has been in vogue since October 2008 has been put into practice to ensure effective adherence of the guidelines. The Scheme details have been circulated to all our Currency Chests and all our staff members working in Currency Chests are motivated to implement the Clean Note Policy of RBI in true letter and spirit with a view to render efficient customer service to the members of the public.

32 Cash Processing Centres are established to implement the Clean Note Policy of RBI. More and more centres will be identified in the coming days for establishing Cash Processing Centres which are again Non Interest Income generating avenue.

Cash deposit Ratio as on 31.03.2012 is maintained at a satisfactory 0.20 per cent. Every effort will be made to ensure that the same tempo is maintained throughout this year.

### COMMITTEE VISITED DURING THE YEAR

#### a) Parliamentary Standing Committee on Urban Development

A Standing Committee on Urban Development visited Bengaluru during January 9 to 10, 2012, under the Chairmanship of Shri Sharad Yadav, Honourable Member



श्री शरद यादव की अध्यक्षता में शहरी विकास पर स्थायी समिति ने 9 से 10 जनवरी 2012 के दौरान बेंगलूर का दौरा किया।

**ख) राज्य सभा की अधीनस्थ विधायन समिति**

भारतीय स्टेट बैंक तथा सिंडिकेट बैंक के प्रतिनिधियों के साथ ग्राहक तथा कर्मचारियों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण योजना एवं शिकायत निवारण पर चर्चा करने के लिए डॉ. जनार्दन वागमरे, माननीय सांसद की अध्यक्षता में राज्य सभा की अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति ने 27 फरवरी 2012 को पोर्ट ब्लेयर में दौरा किया।

**ग) सरकारी आश्वासनों पर समिति, राज्य सभा**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ठेका/अनियत मजदूरों के बारे में तथा मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस तथा उर्वरकों से संबंधित प्रत्यक्ष नकद सहायिकी वितरण तंत्र के बारे में अध्ययन करने के लिए माननीय सांसद श्री प्यारेमोहन महापात्र की अध्यक्षता में सरकारी आश्वासनों से संबंधी समिति, राज्य सभा ने 17 जनवरी, 2012 को बेंगलूर का दौरा किया।

**मानव संसाधन विकास**

बैंक में दि. 31.3.2012 के अनुसार कुल कर्मचारी 26904 हैं, जिनमें से 10829 अधिकारी, 10221 लिपिक और 5854 अधीनस्थ कर्मचारी हैं।

कारोबार नीति, अधिवर्षिता के आधार पर सेवानिवृत्ति, कमियां इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जनशक्ति योजना की तैयारी की जा रही है और बैंक मध्यम तथा दीर्घावधि दोनों के लिए जनशक्ति की भर्ती का मूल्यांकन कर रहा है। वर्ष के दौरान 74 विशेषज्ञ अधिकारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। बैंक ने एन.आई.बी.एम., पुणे से कैम्पस रिक्रूटमेंट प्रक्रिया प्रारंभ की है और विशेष कार्यों के लिए मध्यम प्रबंध श्रेणी वेतनमान-II में 06 विशेषज्ञ अधिकारियों को चुना है।

उत्तराधिकार योजना को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एक सुसंगत एच.आर. नीति निरूपित की है। वर्ष के दौरान विभिन्न संवर्गों में लगभग 1239 पदोन्नतियाँ हुई हैं। कर्मचारियों के विकास तथा क्षमता का सृजन करने में प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान है। उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान में तथा निपुणता में वृद्धि लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बैंक में औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण है जो स्वस्थ वातावरण विकसित करता है। बैंक की प्रगति तथा उन्नति के लिए संघ/एसोसिएशन का अनुकूल एवं सतत सहयोग प्राप्त हो रहा है।

अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष: बैंक में अलग से अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष है। बैंक के अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित मामलों की देख-रेख करने के लिए एक महा प्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रधान कार्यालय का अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष महा प्रबंधक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है। अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ त्रैमासिक आधार पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों की निपुणता तथा दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बैंक में अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों के लिए भर्ती

of Parliament for spot study regarding ongoing schemes / projects of ministries of Urban development and Housing & Urban Poverty Alleviation.

**b) Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha**

The Committee on Subordinate Legislation of Rajya Sabha under the chairmanship of Dr. Janardhan Waghmare Honourable Member of Parliament visited Port Blair on February 27, 2012 to discuss with the representatives of State Bank of India and Syndicate Bank on Priority sector Lending Scheme and complaint redressal mechanism for customers and employees.

**c) Committee on Government Assurances, Rajya Sabha**

A committee on Government Assurances, Rajya Sabha visited Bengaluru on January 17, 2012 under the Chairmanship of Shri Pyarimohan Mohapatra Honourable Member of Parliament to study contract / casual labour in Public Sector Banks and delivery mechanism of direct cash subsidy pertaining to kerosene, cooking gas & fertilisers.

**HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**

The Human Capital of the Bank as on 31.03.2012 was 26904 comprising 10829 Officers, 10221 Clerks and 5854 Substaff.

The Manpower Planning exercise is being carried out taking into account the Business Plans, Superannuation, Attrition, etc., and the Bank is assessing the manpower requirement for both medium and long term. Process has also been initiated for recruitment of 74 Specialist Officers during the year. The Bank has undertaken Campus Recruitment process at NIBM, Pune and selected 06 Specialist Officers in Middle Management Grade Scale-II to handle specialized functions.

The Bank has come out with well articulated HR Policy with an eye on Succession Planning. During the year about 1239 promotions were effected in various cadres. Training plays a vital role in developing the employees and for competency building. Efforts are being made to enhance the knowledge level and upskilling of the staff through appropriate training programmes / workshops.

The Industrial Relations in the Bank have been cordial and harmonious, fostering a healthy work environment. The Unions/ Associations have been responsive and proactive to extend unstinted support for the progress and prosperity of the Bank.

SC/ST Cell: The Bank is having a separate SC/ST Cell. A General Manager is designated as Chief Liaison Officer to look after the issues concerning SC/ST Employees of the Bank. SC/ST Cell functioning in Head Office is under his administrative control. The Bank is holding Quarterly Meetings with the representatives of the SC/ST Welfare Association as per the Government guidelines to redress their grievances. Organised Special Training Programmes for SC/ST employees for upskilling and competence building. The



पूर्व तथा पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों की भर्ती/पदोन्नति में आरक्षण/रियायतें प्रदान कर रहा है।

### प्रशिक्षण और विकास

शीर्ष स्तर पर, सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, मणिपाल तथा बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, एरणाकुलम, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित सात प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करके बैंक की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

मणिपाल के सुरम्य स्थल पर 15 एकड़ के भूभाग पर स्थित सिंडिकेट बैंक प्रबंधन संस्थान, अत्याधुनिक और उच्च स्तर का प्रशिक्षण संस्थान है, जो प्रशिक्षणार्थियों को अध्ययन के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के 2663 अधिकारियों/लिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पुनः, भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के अधिकारियों और लिपिकों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा बैंक में अधिकारी/लिपिक के पद के लिए आवेदन करनेवाले अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कॉरपोरेट कार्यालय/प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत नैगम लक्ष्य/प्राथमिकता तथा शाखा/कार्यात्मक विभाग की प्रशिक्षण नीति के अनुसार किया जाता है।

### नैगम सामाजिक जिम्मेदारी

बैंक ने जिम्मेदार नागरिक की सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु आर्थिक परिवर्तन और गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के कार्य में सक्रिय रूप से सहभागिता की है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे, निर्धन छात्रों के स्कूलों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, अल्प-सुविधा प्राप्त बच्चों को सशक्त बनाना, स्कूली छात्रों का निशुल्क भोजन वितरित करना, एकीकृत जनजाति विकास कार्यक्रम, एंडोसल्फान पीड़िता लोगों का पुनर्वास इत्यादि।

### ग्राहक सेवा

बैंक में जमाराशियों, ग्राहक शिकायत निवारण, चेकों की वसूली, सेवा में विभिन्न कमियों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करना इत्यादि पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति अपनाई गई हैं। उक्त नीतियों को ग्राहकों की सुविधा हेतु बैंक के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

बैंक की शिकायत निवारण नीति को उचित सेवा प्रदान करके तथा समीक्षा तंत्रों के माध्यम से ग्राहक शिकायतों एवं परिवादों की घटनाओं को कम करने तथा ग्राहकों के परिवादों एवं शिकायतों का उचित निवारण सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है।

Bank is extending pre-recruitment and pre-promotion training to the SC/ST candidates. The Bank is extending reservation/concession to SC/ST candidates in recruitment/promotion as per the Government of India guidelines.

### TRAINING AND DEVELOPMENT

Syndicate Institute of Bank Management (SIBM), Manipal at the apex level and the seven Training Centres at Bengaluru, Chennai, Delhi, Ernakulam, Hyderabad, Kolkata & Mumbai cater to the training needs of the Bank by conducting various types of training programmes for different cadres of employees.

The facilities available at SIBM Manipal, which is spread over 15 acres of land marked by sylvan surroundings, are state-of-the-art and of high standard enabling a congenial learning atmosphere for the trainees.

During the year 2663 Officers/ Clerks belonging to SC/ST category were imparted training. Further, as per the Government of India guidelines, pre-promotion training was imparted to SC/ST Officers & Clerks and pre-recruitment training was imparted to SC/ST candidates who had applied for the posts of officers/ clerks in the Bank.

The Training programmes were conducted in accordance with the corporate objectives/priorities and Branch/Functional Department Training Plans, submitted by Corporate Office/Head Office/Regional Offices.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Bank has been fulfilling its social responsibilities as a responsible social citizen by actively participating in activities aimed at economic transformation and uplift of the downtrodden. Some of the Bank's initiatives in the field of Corporate Social Responsibility taken during the year include providing infrastructure for School meant for poor students, assisting and empowering under-privileged children, distribution of free meals to School children, Integrated Tribal Development Programme, Rehabilitation of Endosulfan Victims and so on.

### CUSTOMER SERVICE

The Bank has Board approved policies on deposits, customer grievance redressal, cheque collection, compensation payable on account of various deficiencies in service etc. These are well displayed on the Bank's website for the convenience of the customers.

The Grievances Redressal Policy of the Bank is meant for minimizing instances of customer complaints and grievances through proper service delivery and review mechanism and to ensure prompt redressal of customer complaints and grievances.



**वर्ष के दौरान ग्राहक सेवा के संबंध में उठाए गए कदम:**

- ✓ सभी शाखाओं ने 'ग्राहक संपर्क सप्ताह' को आयोजित किया। इसमें ग्राहकों को के.वाई.सी./ए.एम.एल. मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी गई ताकि बैंक में ग्राहक सेवा के स्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त हो और हमारी प्रणाली एवं प्रक्रियाएं/उत्पाद एवं सेवाओं के बारे में उनका फीडबैक प्राप्त हो सके।
- ✓ दि 23-09-2011 को समस्त शाखाओं में एक एकसमान 'ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया।'
- ✓ बैंक ने एक मज़बूत शिकायत निवारण तंत्र को अपनाया है और प्राप्त शिकायतों को उनकी विषयवस्तु की गंभीरता/संवेदनशीलता के आधार पर 'अत्यंत संवेदनशील' (एच.एस.) 'संवेदनशील' (एस) और सामान्य (जी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि प्राथमिकता आधारित निपटान हो सके।
- ✓ बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बी.सी.एस.बी.आई.) का सदस्य है और ग्राहकों के लिए बैंकिंग की प्रतिबद्धता संहिता और एम.एस. एम.ई. ग्राहकों के लिए संहिता को स्वेच्छा से अपनाया है। बैंक ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि लाने हेतु बी.सी.एस.बी.आई. संहिता के प्रावधानों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
- ✓ आधारभूत स्तर में ग्राहक सेवा का प्रभाव/फीडबैक को आंकने के लिए दि. 15-12-2011 को ग्राहक के साथ विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कॉरपोरेट कार्यालय के उच्च कार्यपालक गणों ने दिनांक 15-12-2011 को वीडियो कान्फरेन्स के माध्यम से चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के शाखाओं के ग्राहकों के साथ सीधे विचार विमर्श किए।

**अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन निवारक**

अपने ग्राहक को जानिए (के.वाई.सी.) मानदंड और धनशोधन निवारक उपायों पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति उपलब्ध है। खाता खोलते समय ग्राहकों की समुचित पहचान करने के लिए अपेक्षित कार्यविधियों का स्पष्ट उल्लेख इस नीति में किया गया है।

के.वाई.सी./ए.एम.एल. मानदंडों के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने सी.बी.एस. प्रणाली में के.वाई.सी. समाधान को लागू किया है ताकि नए खातों को खोलते समय के.वाई.सी. मानदंडों का 100 प्रतिशत अनुपालन हो जाए। खाता खोलने से पहले आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची का समेकित रूप से सत्यापन करवाने हेतु सी.बी.एस. प्रणाली को लैस किया गया है।

**नकद प्रबंधन सेवाएं**

बैंक अपने नेगम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष और वेब आधारित नवीनतम प्रौद्योगिकीयुक्त सी.एम.एस. सोल्यूशन प्रदान करता है। बैंक द्वारा नकद प्रबंधन सेवाओं के अंतर्गत ग्राहकों को वसूली और भुगतान दोनों सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

**नई पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)**

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकारी (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने बुढ़ापा में आय सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा लागू की गयी नई पेंशन

**CUSTOMER SERVICE INITIATIVES TAKEN DURING THE YEAR:**

- ✓ All Branches have organized 'Customer Contact Week' which facilitated education of the customers about compliance of KYC / AML guidelines, to measure the level of customer service and to ascertain their feedback on systems and procedures / products and services.
- ✓ A 'Uniform Customer Meet' has been observed in all branches on 23.09.2011.
- ✓ Bank has put in place an effective Grievance Redressal Mechanism and complaints received are categorized depending on gravity / sensitivity of the matter as 'Highly Sensitive' (HS), 'Sensitive' (S) and 'General' (G), so as to enable prioritized handling.
- ✓ The Bank is a Member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has voluntarily adopted the Code of Bank's Commitment to Customers and Code to MSME Customers. The Bank is making every effort to implement the provisions of BCSBI Codes in order to improve customer satisfaction.
- ✓ With a view to assess the feedback / impact of customer service at gross root level, a customer interaction programme has been conducted on 15.12.2011. Top Executives of Corporate Office directly interacted with customers of branches of select Regional Offices through Video Conferencing on 15.12.2011.

**KNOW YOUR CUSTOMER / ANTI MONEY LAUNDERING**

The Bank has a Board approved Policy on Know Your Customer (KYC) norms and Anti Money Laundering (AML) measures. The Policy clearly lays down the customer identification procedures to be adopted for proper identification of customers while opening accounts.

In order to have better compliance of KYC / AML norms, Bank has implemented KYC solution in the CBS system to enable opening of new accounts only with 100 per cent KYC compliance. So also, the CBS system is planned to provide for an integrated checking of Terrorist individuals / entities so that necessary checking is done before opening of accounts.

**CASH MANAGEMENT SERVICES**

The Bank provides an efficient and tailor-made Web based state-of-the art technology based CMS solution to suit the corporate customer requirements. The Bank is offering Collections and Payments to the Customers under the Cash Management Services.

**NEW PENSION SYSTEM (NPS)**

The Bank has been registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) as Point of Presence (PoP) for offering the various services under the New Pension System,





प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं प्रदान करने हेतु हमारे बैंक को पाइंट ऑफ प्रजेन्स (पी.ओ.पी.) के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने पाइंट ऑफ प्रजेन्स सर्विस - प्रोवइडर (पी.ओ.पी. - एस.पी.) की व्याप्ति के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 1989 शाखाओं को एन.एस.डी.एल. के साथ पंजीकृत कर दिया है। बैंक, असंगठित क्षेत्र में काम करनेवालों के लिए सरकार द्वारा लागू की गयी स्वावलंबन योजना, (जो एन.पी.एस. का एक घटक है) के अंतर्गत सक्रिय रूप से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहा है।

### बैंकएश्योरेन्स

- बैंक ने भारत सरकार/भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष आवास ऋण पैकेज के अंतर्गत आवास ऋण उधारकर्ताओं को निशुल्क बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु मेटलाइफ इंडिया एश्योरेन्स कंपनी के साथ समूह जीवन बीमा पालिसी का नवीकरण किया है।
- बैंक ने आवास ऋण उधारकर्ताओं को जीवन बीमा रक्षा प्रदान करने के लिए दि. 6.9.2011 को टाटा ए.आई.जी. लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ वैकल्पिक आधार पर टोटल सुरक्षा योजन की शुरुआत की।
- भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गयी “सिंडसुरक्षा” ग्रुप इश्योरेन्स प्लान के अंतर्गत बैंक ने 28883 बचत बैंक खाताधारकों को शामिल किया है।
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आनेवाले गांवों के खाताधारकों को माइक्रो बीमा रक्षा उपलब्ध कराने के लिए एस.बी.आई. बीमा कंपनी लिमिटेड से ग्रुप इश्योरेन्स पालिसी लिया है।
- बैंक, यूनाईटेड इंडिया इश्योरेन्स कंपनी के साथ मिलकर जनरल इश्योरेन्स उत्पादों के लिए कॉर्पोरेट एजेंट है।

### कार्ड कारोबार

#### क्रेडिट कार्ड उत्पाद:

1. बैंक ने 'वीसा' इंटरनेशनल के सहयोग से गोल्ड एवं क्लासिक क्रेडिट कार्डों का कारोबार शुरू किया है, जिनका प्रयोग ए.टी.एम., प्वाइंट-आफ-सेल्स टर्मिनल्स, इंटरनेट, आई.वी.आर. तथा मेल आर्डरों के लिए किया जा सकता है। ये कार्ड पूरे विश्व भर में वैध हैं तथा विश्व में कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं। बैंक ने 31.3.2012 तक 80125 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

#### डेबिट कार्ड उत्पाद:

1. बैंक ने वीसा के साथ मिलकर दिनांक 29.03.2003 को अपने ग्लोबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड का शुभारंभ किया और इसे बैंक की सभी शाखाओं द्वारा जारी किया जाता है।
2. वर्ष के दौरान बैंक ने दिनांक 22.06.2011 को मास्टर कार्ड के सहयोग से मैस्ट्रो डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया जिसमें कार्डधारकों को ज्ञात पिन के माध्यम से पी.ओ.एस. संव्यवहार के लिए अतिरिक्त अधिग्रमाणन है।

#### पी.ओ.एस. अधिग्रहण:

बैंक ने दि. 02.10.2009 को मर्चेन्ट पी.ओ.एस.-ई.डी.सी. अधिग्रहण कारोबार शुरू किया था और मार्च 31, 2012 तक की स्थिति के अनुसार बैंक ने 448 मर्चेन्ट केन्द्रों में 513 पी.ओ.एस. टर्मिनल स्थापित किए हैं।

a scheme introduced by the Government of India, for providing old age income security. The bank has already registered about 1989 branches with NSDL for offering various services under the scope of the NPS as Point of Presence – Service Provider (PoP-SP). The bank has also been actively participating in offering services under the Swavalamban Yojana Scheme, a component of the NPS, which has been introduced by the government for persons working in the un-organized sector.

### BANCASSURANCE

- Bank renewed the Group Life Insurance Policy from MetLife India Assurance Co. Ltd. to provide free life insurance cover to housing loan borrowers under special housing loan package as per Govt. of India/ IBA guidelines.
- Bank has launched Total Suraksha Plan on 06.09.2011 for coverage of Life Insurance of Housing Loan Borrowers in association with TATA AIG Life Insurance Co. Ltd. on optional basis.
- Under “SyndSuraksha” Group Insurance Plan taken from LIC of India the Bank has covered 28883 SB account-holders.
- Bank had taken Group Life Insurance policy from SBI Life Insurance Company Ltd. for providing Micro Insurance cover to the account holders of financially included villages.
- The Bank is corporate agent for general insurance products with United India Insurance Company.

### CARD BUSINESS

#### CREDIT CARD PRODUCT:

1. The Bank in association with VISA International, offers Gold and Classic Credit Cards, which can be used at ATMs, Point-of-Sale terminals, Internet, IVR and for Mail Orders. The cards are valid globally and can be used throughout the world. The Bank has issued 80125 Credit Cards up to 31.03.2012.

#### DEBIT CARD PRODUCT:

1. The Bank launched its Global Debit-cum-ATM Card on 29.03.2003 in association with VISA and the same is issued through all branches of the Bank.
2. During the year the Bank has launched Maestro Debit card in association with MasterCard on 22.06.2011 with the additional authentication of POS transactions through PIN known to the cardholder.

#### POS ACQUIRING:

The Bank ventured into the Merchant POS-EDC acquiring business on 02.10.2009 and as on March 31, 2012, 513 numbers of POS terminals have been installed at 448 merchant locations.



## नई योजनाओं का शुभारंभ

वर्ष 2011-12 के दौरान दो नवोन्मेषी योजनाएं, उदाहरणार्थ (क) सिंड राइस मिल्स (ख) सिंड जयकिसान, शुरू की गयी और सिंडकिसान साथी योजना को और सरल बनाया गया:

- क) **सिंड राइस मिल:** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने पर भा.रि.बैं. ने नीतिगत दिशानिर्देशों का पालन करते हुए धान के प्रसंस्करण के लिए राइस मिलों की कार्यशील पूंजी तथा निवेश ऋण अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए इस वर्ष एक विशेष योजना शुरू की गयी ।
- ख) **सिंड जयकिसान:** यह एक झंझटरहित ऋण योजना है और किसानों ने इसकी प्रशंसा की है। यह योजना किसानों को फुटकर व्यय एवं गैर योजनाबद्ध/ अनिर्दिष्ट कृषि से संबंधित निवेश ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। बैंक में अच्छा पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड रखनेवाले किसानों की ₹ 5.00 लाख तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना इस योजना का उद्देश्य है।
- ग) **सिंड किसान साथी:** वर्तमान सिंड किसान साथी योजना को सरल बनाया गया है और इसके अंतर्गत पात्र सीमा राशि को ₹1.00 लाख तक बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक किसान साहुकारों की चंगुल से बाहर आ सकें और संस्थागत वित्त पा सकें ।

## नयी भविष्य दृष्टि और लक्ष्य

बैंक ने वर्ष 2011-12 से 20-21 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए नई भविष्य दृष्टि और लक्ष्य को अपनाया है।

### भविष्य दृष्टि

- हर भारतीय की चाहत का बैंक बनना तथा विश्वस्तर पर पसंदीदा बैंकिंग भागीदार बनना।

### लक्ष्य:

- कारोबार में निरंतर वृद्धि हासिल करना
- मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम ताल-मेल बिठाते हुए समावेशी विकास एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना ।

### कासा

बैंक ने कासा जमाराशियों के संग्रहण के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान दिनांक 1.9.2011 से 29.2.2012 तक कासा अभियान चलाया जिसकी संकल्पना 'इंद्रधनुषी लाभ' है जो बचत बैंक खाताधारकों के लिए एक व्यापक पैकेज है। अभियान अवधि के दौरान 553555 बचत बैंक खातों तथा 18087 चालू खातों खोले गए ।

### प्रत्यक्ष करों की वसूली

बैंक ने अपनी 321 नामोद्दिष्ट शाखाओं में छोटे और रिटेल शाखाओं के लिए कागजी चालनों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर की वसूली हेतु दि. 01-04-2004 से ओ.एल.टी.ए.एस. (ऑनलाइन कर लेखेकरण प्रणाली) कार्यान्वयन किया है। बैंक में इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष करों को विप्रेषित करने की ई-बैंकिंग सुविधा भी उपलब्ध है जो प्रयोक्ता अनुकूल सॉफ्टवेयर है, जिसमें ग्राहकों के लिए अनेक सुविधाएं हैं, क्योंकि इसमें चलान; पै न संख्या इत्यादि बेमेल नहीं होते ।

## NEW SCHEMES INTRODUCED

During 2011-12, two new innovative schemes Viz. a) Synd Rice Mills b) SyndJaikisan were introduced and SyndKisan Sathi scheme further simplified:-

- a) **Synd Rice Mills:** A special scheme was introduced during the year to meet the working capital and investment credit requirements of Rice Mills for processing paddy following the policy guidelines of RBI on lending to Priority Sector.
- b) **SyndJaikisan:** This hassle free credit scheme appreciated by farmers for meeting their investment credit needs for contingent and non-schematic / unspecified farming purposes was revived and re-introduced. The present scheme aims at meeting the credit requirements up to ₹ 5.00 lakh for such purposes giving due recognition to the proven track record of farmers with the Bank.
- c) **SyndKisan Sathi:** The existing SyndKisan Sathi Scheme has been simplified and eligible limit has been increased to ₹ 1.00 lakh to enable more and more farmers to come out of the clutches of money lenders easily and resort to institutional finance.

## NEW VISION AND MISSION STATEMENT

Bank has adopted a New Vision and Mission Statement for the 10 year period from 2011-12 to 2020-21 with annual reviews.

### Vision

- To be a bank of choice of every Indian and a preferred banking partner globally.

### Mission

- To achieve consistent growth in business,
- To endeavour for inclusive development &
- Ensure service excellence through effective harnessing of human capital and technology.

### CASA

The Bank organized CASA campaign to augment CASA deposits during the year 2011-12 from 01.09.2011 to 29.02.2012 with a theme carrying a backdrop of "Rainbow Benefits", a comprehensive package offered to SB account holders. During the campaign period 553555 Savings bank accounts and 18087 Current accounts were opened.

## COLLECTION OF DIRECT TAXES

The Bank has implemented 'OLTAS' (On-line Tax Accounting System) w.e.f. 01.04.2004 to facilitate collection of direct taxes through physical Challans for small and retail tax payers at designated 321 branches at present. The Bank has e-banking facility also for remittance of direct taxes through internet which is user-friendly software, extending many advantages to the customers as it avoids mismatch of Challans, PAN Numbers etc.



### परोक्ष करों की वसूली

बैंक ने केन्द्रीय उत्पाद कर और सेवा कर के विप्रेषण हेतु दि. 01-08-2008 से 2 ई - फोकल पॉइंट शाखाओं के माध्यम से ई.ए.एस.ई.आर. (ई. रसीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेखाकरण प्रणाली) का भी कार्यान्वयन किया है। यह एक बहुत ही प्रयोक्ता अनुकूल सॉफ्टवेयर है। इससे हमारे ग्राहकों/अन्यों को सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद कर के विप्रेषण में सुविधा होगी।

### मूल्यवर्धित कर (वैट) का संग्रहण

बैंक ने कर्नाटक दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से संबंधित बिक्री कर तथा अन्य करों की संग्रहण प्रणाली को कार्यान्वित किया ताकि ग्राहक अपने करों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विप्रेषित कर सकें। इस प्रणाली को अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

### अनुपालन विभाग

बैंक में अनुपालन जोखिम के प्रबंधन और मजबूत अनुपालन पद्धति विकसित करने हेतु उच्च प्रबंधन की मदद करने के लिए एक अलग अनुपालन विभाग की स्थापना की गयी है। महा प्रबंधक श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी उक्त विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं और बैंक के सांविधिक, विनियामक, विधिक और अन्य दायित्वों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए समर्पित जनशक्ति उनकी सहायता कर रही है।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति में यह उल्लेख किया गया है कि अनुपालन का कार्य अभिशासन और आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बैंक की अनुपालन नीति की हर वर्ष समीक्षा की जाती है और प्राप्त अनुभव एवं उसकी उपयोगिता के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो उसमें संशोधन किए जाते हैं।

### सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

बैंक द्वारा अक्टूबर 2005 से उक्त अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के तहत जिन सूचनाओं का प्रकट करना है, वे बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत बैंक के लिए अपील प्राधिकारी और विभिन्न स्तरों पर जन सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) और वैकल्पिक जन सूचना अधिकारी (ए.पी.आई.ओ.) पदनामित किए गए हैं। अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को बैंक ने स्पष्ट किया है।

### आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता

प्रबंधन कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू सतर्कता प्रशासन है, जिसका उद्देश्य संगठन की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार लाना है।

प्रणालियों तथा कार्यविधियों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शाखाओं में निवारक सतर्कता अध्ययन आयोजित करके, एस.आइ.बी.एम. तथा बैंक के अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों में निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके तथा बड़ी शाखाओं में निवारक सतर्कता समितियों के गठन के द्वारा निवारक सतर्कता पर बल दिया गया। आलोच्य वर्ष के दौरान 170 शाखाओं में निवारक सतर्कता अभ्यास किए गए और 97 शाखाओं के 178 खातों के मामलों में बैंक को दृष्टिबंधकित वस्तुओं का आकस्मिक सत्यापन किया गया।

### COLLECTION OF INDIRECT TAXES

The Bank has also implemented EASeR (Electronic Accounting System for e-Receipts) w.e.f. 01.08.2008 for electronic remittance of Central Excise and Service Tax through 2 e-Focal Point Branches. This is very user-friendly software, to facilitate the customers / non customers for remittance of Service Tax and Central Excise at the Branches most conveniently.

### VAT COLLECTION

The Bank has implemented the collection of Sales Tax and other Taxes pertaining to States like Karnataka, Delhi and Maharashtra to facilitate the customers for remittance of their taxes through electronic mode. Bank has proposals for extending this facility for other States also like AP, UP etc.

### COMPLIANCE DEPARTMENT

A separate Compliance Department assists the top management in managing the Compliance Risk and to develop a healthy compliance culture within the Bank. The department is headed by a Chief Compliance Officer in the rank of General Manager, ably supported by dedicated manpower to oversee the compliance to the statutory, regulatory, legal and other obligations of the Bank.

Compliance Policy approved by the Board of Directors of the Bank articulates that the compliance function is an integral part of governance along with the internal control and risk management process. The Compliance Policy of the Bank is reviewed every year and amendments if necessary are carried out based on the experience gained and utility aspect.

### RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Bank has implemented the relevant provisions of the Act with effect from October 2005. The information related to the Bank as stipulated under the Act is displayed on the Bank's website.

The Appellate Authority for the Bank under the Act and the Public Information Officers (PIOs) and Alternate Public Information Officers (APIOs) at various levels have been designated. The Bank has clearly spelt out the roles and responsibilities at different levels under the Act.

### INTERNAL CONTROL AND VIGILANCE

Vigilance administration is a crucial part of the Management function, aimed at improving the efficiency and ethical health of the organization.

Stress is laid on preventive vigilance by initiating preventive vigilance studies at branches, conducting Preventive Vigilance Training Programmes at SIBM & other Training Centres of the Bank and constitution of Preventive Vigilance Committees at the branches with a view to ensure strict adherence to systems and procedures. During the year under review, Preventive Vigilance Exercises were conducted in 170 branches and Surprise Verification of goods hypothecated to Bank was conducted in 178 accounts covering 97 branches.



सहभागी सतर्कता उपाय के भाग के रूप में दि. 31-10-2011 से 05-11-2011 तक बैंक में सतर्कता चेतना सप्ताह का आयोजन जोरदार ढंग से किया गया।

जाँच कार्य को शीघ्रता से किया गया और जहाँ कहीं सतर्कता के दृष्टिकोण से धोखधडियाँ या अनियमितताएँ पाई गयी वहाँ अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित की गयी है।

## सुरक्षा

इस विभाग को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आई.एस.ओ. 9001:2008 अनुवर्ती बननेवाला पहला सुरक्षा विभाग होने का विशिष्ट गौरव प्राप्त हुआ है।

वार्षिक सुरक्षा कार्ययोजना के द्वारा सुरक्षा विषय पर मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानकारी सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्यान्वयन हेतु दी गई है। वर्ष के दौरान मुद्रा तिजोरी विशिष्ट आपदा प्रबंधन आयोजना की तैयारी और बायो-मैट्रिक एक्सेस प्रणाली स्थापित करने के लिए भा.रि.बैं. से प्राप्त अनुदेशों का कार्यान्वयन बैंक की सभी मुद्रा तिजोरियों में किया गया है, जिसमें लक्षद्वीप समूह में स्थित द्वीपों की मुद्रा तिजोरियाँ भी शामिल हैं।

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सभी मुख्यभूमि की मुद्रा तिजोरियों तथा 2 द्वीपसमूह की मुद्रा तिजोरियों के संबंध में सुरक्षा लेखा परीक्षा संचालित की गई है। सभी मुख्यभूमि मुद्रा तिजोरियों का सुरक्षा तथा निगरानी उपकरण, जैसे सीसीटीवी, आटोमेटिक टाइम लॉक, हॉटलाइन एवं ऑटो डायलर्स उपलब्ध कराए गए हैं। बैंक के सभी 48 कैश वैनों को ग्लोबल पोजिशनिंग रेडियो सिस्टम (जी.पी.आर.एस.) उपलब्ध कराए गए हैं ताकि मार्गस्थ विप्रेषण का तत्काल पता लगाया जा सके।

शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु, अभिनिर्धारित असुरक्षित शाखाओं में सी.सी.टी.वी. लगाए गए हैं।

अपराध परिवेश तथा इसकी आशंका के आधार पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है और इसको नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। बैंक के हित को ध्यान में रखते हुए समुचित निवारक और पूर्वोपाय किए गए हैं।

## पुरस्कार

बैंक को वर्ष 2011-12 के दौरान कर्नाटक राज्य में स्थित वाणिज्यिक बैंकों में से “अधिकतम औसत ऋण राशि” श्रेणी के अंतर्गत “सर्वश्रेष्ठ निष्पादक” पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उक्त पुरस्कार का प्रवर्तन एस.एच.जी.- बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक द्वारा किए गए उत्कृष्ट निष्पादन के लिए ‘नाबार्ड’ द्वारा किया गया।

## सिंडिकेट सर्विसेज लि.

सिंडिकेट सर्विसेज लि. की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 25 जनवरी, 2006 को की गई थी, जो सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत पूंजी ₹ 10 करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹ 25 लाख है। इसका उद्देश्य बैंक को तथा बैंक के ग्राहकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं को बैंक ऑफिस सेवाएं उपलब्ध कराना है।

कंपनी ने अनियमित खुदरा ऋणों, चूककर्ता क्रेडिट कार्ड धारकों का अनुप्रवर्तन, कंप्यूटर हार्डवेयर का पोतलदानपूर्व परीक्षण, आवास ऋण खातेदारों को मेलर

Vigilance Awareness Week was observed throughout the Bank from 31.10.2011 to 05.11.2011 in a befitting manner as part of Participative Vigilance measures.

Investigations are conducted expeditiously and disciplinary proceedings are ensured wherever frauds or irregularities with a vigilance angle are involved.

## SECURITY

The Department has achieved the unique distinction of being the first Security Department among all the Public Sector Banks to become ISO 9001:2008 compliant.

The guidelines on security matters are disseminated to Regional Offices for implementation through Annual Security Action Plan. RBI's instructions received during the year for preparation of Currency Chest specific Disaster Management Plan and installation of Bio-metric Access System has been implemented in all the 42 Currency Chests of the Bank, which includes 9 Island Currency Chests located at Lakshadweep Islands.

As per RBI guidelines Security Audit has been conducted in respect of all the mainland Currency Chests and 2 Island Currency Chests. All the mainland Currency Chests are provided with security and surveillance equipment like CCTVs, Automatic Time Lock, Hotlines & Automatic Fire Detection & Alarm System and Auto dialers. All the 53 Cash Vans of the Bank have been provided with Global Positioning Radio System (GPRS) to facilitate real time tracking of remittance in transit.

To augment the security arrangements at branches, CCTV has been installed in 1269 identified vulnerable branches.

Based on the crime scenario and threat perceptions, the security arrangements are reviewed and regularly updated. Suitable preventive and precautionary measures are put in place to safeguard the interests of the Bank.

## ACCOLADES / AWARDS

During the year 2011-12, Bank was adjudged 'Best Performer' among commercial banks operating in Karnataka by NABARD for its performance under the category of 'Highest Average Loan Size' in relation to the SHG-Bank linkage programme.

## SYNDBANK SERVICES LTD.

SyndBank Services Limited (SBSL) was incorporated under the Companies Act 1956 on 25.01.2006, as a wholly owned subsidiary of SyndicateBank, with an authorized capital of ₹ 10 crore and paid up capital of ₹ 25 lakh to extend back-office services to SyndicateBank, its clients and other Financial Institutions.

The Company has undertaken the activities like follow up of irregular retail loans, delinquent credit cards, pre-shipment testing of computer hardware, dispatch of mailers to Housing





भेजना, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का मुद्रण, आइ.टी. विवरणियों की ई-फाइलिंग इत्यादि जैसे कार्यकलाप किए हैं।

एस.बी.एस.एल. एक लाभ कमानेवाली कंपनी है और अपने राजस्व में निरंतर वृद्धि कर रही है।

### निदेशक मंडल में परिवर्तन

1. श्री म.गि. संघवी ने दि. 01.03.2012 से बोर्ड में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।
2. श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दि. 28.02.2012 को अधिवर्षिता पर इस्तीफा दिया।
3. एम. आंजनेय प्रसाद ने दि. 24.08.2011 से बोर्ड में बैंक के कार्यपालक निदेशक रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
4. भी. जगदीश राज श्रीमाली ने दि. 29.07.2011 से बैंक निदेशक के रूप में कार्यग्रहण किया।
5. श्री दिलीप कुमार सक्सेना ने दि. 22.07.2011 से बैंक के सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में बोर्ड में कार्यग्रहण किया।
6. श्री रमेश एल. अडिगे ने दि. 09.07.2011 को अपने पद से इस्तीफा दिया और दि. 09.12.2011 से दूसरी अवधि के लिए निदेशक रूप में बैंक में कार्यग्रहण किया।
7. श्री वी. के. नागर, कार्यपालक निदेशक ने दि. 31.07.2011 अधिवर्षिता पर अनपेक्षित पद से इस्तीफा दिया।
8. श्री एम. भास्कर राव, शेयरधारक निदेशक ने दि. 12.05.2011 को अपने पद से इस्तीफा दिया।

### निदेशकों की जिम्मेदारी से संबंधित विवरण

दि. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से संबंधित वार्षिक लेखों को तैयार करते समय निदेशक मंडल निम्नवत् पुष्टि करते हैं:

कि वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रायोज्य लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है तथा महत्वपूर्ण मुद्दों यदि कोई हो, पर उचित स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

कि लेखाकरण नीतियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और उनका निरंतर प्रयोग किया गया है।

समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं प्राक्कलन किया गया है ताकि वह वित्तीय वर्ष के अंत को बैंक के कारोबार तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष से संबंधित बैंक के लाभ व हानि पर एक सत्य एवं सही चित्र दर्शा सके।

कि बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी और अन्य प्रकार की विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए उन्होंने भारत में बैंकों पर लागू होनेवाली विधि संबंधी उपबंधों के अनुसार लेखाकरण अभिलेखों का रख-रखाव करने हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

कि वार्षिक लेखों को “निरंतर आधार” पर तैयार किया गया है।

loan account holders, printing of internet banking passwords, e-filing of I.T. Returns etc.

SBSL, a profit making company, is consistently improving its revenues.

### CHANGES IN THE BOARD

1. Shri M. G. Sanghvi joined the Board as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.03.2012.
2. Shri Basant Seth, Chairman & Managing Director demitted the Office on superannuation on 29.02.2012.
3. Shri M. Anjaneya Prasad joined the Board as Executive Director w.e.f. 24.08.2011.
4. Shri Dilip Kumar Saxena joined the Board as Chartered Accountant Director w.e.f. 22.07.2011.
5. Shri Jagdish Raj Shrimali joined the Bank as Director w.e.f. 29.07.2011
6. Shri Ramesh L. Adige demitted the Office on 09.07.2011 and re-joined the Bank as Director for the second term w.e.f. 09.12.2011
7. Shri V.K. Nagar, Executive Director demitted the Office on superannuation on 31.07.2011.
8. Shri M. Bhaskara Rao, Shareholder Director demitted the Office on 12.05.2011.

### DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors, in preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2012, confirm the following:

That the applicable accounting standards have been followed in the preparation of annual accounts alongwith proper explanation relating to making departures.

That the accounting policies, framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.

That reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at the end of financial year and of the profit or loss of the Bank for the year ended March 31, 2012.

That proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provision of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

That the annual accounts have been prepared on a 'going concern' basis.



## आभार

निदेशक मंडल जनता, अपने मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारी सदस्यों से प्राप्त निरंतर सहयोग और संरक्षण के लिए उनके योगदान को प्रसन्नतापूर्वक अभिलेखित करता है। निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा भारत में और भारत से बाहर के संपर्कियों के प्रति भी समय-समय पर दिए गए उनके बहुमूल्य एवं समय पर दिए गए मार्गदर्शन व समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड श्री बसंत सेठ, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री. वी. के. नागर, भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक जिन्होंने वर्ष के दौरान पदत्याग किया, उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए मार्गदर्शन, नेतृत्व और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मणिपाल  
दिनांक : 09.06.2012

*म. गि. संघवी*  
(म. गि. संघवी)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## ACKNOWLEDGEMENT

The Board wishes to place on record its sincere appreciation to the public, esteemed customers, shareholders and staff team members for their continued support and patronage. The Board is also indebted to the Ministry of Finance, Government of India; RBI; SEBI and other regulatory authorities, various Financial Institutions, Banks and Correspondents in India and abroad for their unstinted and valuable support and guidance from time to time. The Board is indebted to Shri Basant Seth, former Chairman & Managing Director and Shri V K Nagar, former Executive Director, who demitted the office during the year for their able guidance, leadership and support which they had provided during their tenure in the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors.

Place : Manipal  
Date : 09.06.2012

*M G Sanghvi*  
(M G Sanghvi)  
Chairman & Managing Director

## नैगम अभिशासन रिपोर्ट

1. बैंक का उद्देश्य हर भारतीय की चाहत का बैंक बनना, विश्व स्तर पर पसंदीदा बैंकिंग भागीदार बनना, कारोबार में निरंतर वृद्धि हासिल करना, मानव पूंजी और प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम ताल-मेल बिठाते हुए समावेशी विकास एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना है ।
2. शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड सं. 49 के अधिदेश के अनुसार तथा नैगम अभिशासन पर डॉ गांगूली समिति की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के अनुसार बैंक नैगम अभिशासन के उच्च मानक को प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है ।
3. बैंक का नैगम अभिशासन दर्शन उसके संचलन के संबंध में उसकी नैतिक कार्यप्रणाली के प्रति संपूर्ण प्रतिबद्धता तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है।
4. बैंक उच्च प्रकटीकरण मानकों तथा पारदर्शिता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5. बैंक सभी क्षेत्रों में विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहा है।
6. बैंक ने अपने सभी कार्यक्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने नैगम दर्शन का मनसा, वाचा, कर्मणा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नैगम अभिशासन की एक प्रभावी एवं पारदर्शी प्रणाली बनाई है, जो व्यावसायिक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है।
7. शानदार इतिहास की पृष्ठभूमि पर एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में विश्वास हासिल करते हुए बैंक में लेखांकन एवं सामान्य अभिशासन में अत्यंत ऊंचे स्तर के नैतिक मानदंड अपनाए गए हैं ।
8. बैंक अपने लिए संपत्ति और संसाधनों को जुटाने, उनका संरक्षण करने तथा उनकी वृद्धि करने के लिए और अपने निष्पादन को ठीक समय पर तथा पारदर्शी ढंग से रिपोर्ट करने के संबंध में अपने सभी निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है ।
9. बैंक में एक सुपरिभाषित नीति संहिता है, जो निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है ।

### नैगम अभिशासन के मामले में नैगम कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) द्वारा की गयी पर्यावरण संरक्षण पहल:

नैगम कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने दो परिपत्र सं. 17/2011 और 18/2011 जारी किए हैं जिनमें उन्होंने दस्तावेजों और कंपनी अधिनियम की धारा 219 के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को तुलन-पत्र और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों को डाक प्रमाणपत्र (यू.पी.सी.) के माध्यम से भेजने के बजाय उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है। इस संबंध में बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011 और ई.जी.एम.-2012 की सूचना में शेयरधारकों से अपील की गयी थी। तदनुसार, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2011-2012 की साँफ्ट प्रतियों को उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपनी ई-मेल आई.डी. को मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड, बैंक के शेयर अंतरण एजेंटों के पास पंजीकृत करवाया है ।

### परिपत्र सं 17/2011:

एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 53 का पालन किया जाना तब माना जाएगा जब कंपनी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया हो बशर्ते कंपनी अपने सभी शेयरधारकों के ई-मेल पते और उसमें समय-समय पर होनेवाले परिवर्तनों को कंपनी के पास अग्रिम रूप से पंजीकृत करवाकर ई-मेल के माध्यम से नोटिस/दस्तावेजों के प्रेषण के लिए अपने सदस्यों के ई-मेल पते प्राप्त किए हों। इन मामलों में जहाँ सदस्य ने अपने ई-मेल पते को कंपनी के पास पंजीकृत नहीं करवाया है तो दस्तावेज इत्यादि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अनुसार किसी अन्य माध्यम से प्रेषित किया जाएगा ।

यदि किसी सदस्य ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अंतर्गत प्रलेखों को अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। जिन सदस्यों ने अपनी ई-मेल आई.डी. को मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड और बैंक के शेयर अंतरण एजेंटों के पास पंजीकृत नहीं करवाया है उनको वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 की हार्ड प्रतियां भेजी जाएगी ।

### परिपत्र 18/2011:

एम.सी.ए. ने स्पष्ट किया है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 (तुलन-पत्र इत्यादि को प्रेषण के संबंध में) की धारा 219 (1) का पालन किया जाना तब माना जाएगा यदि उसने अपने सदस्यों को तुलन-पत्र की प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा भेज दिए हों, बशर्ते कंपनी ने निम्नलिखित को प्राप्त कर लिया हो:

- क) सदस्यों से अपने ई-मेल पते तथा उसमें समय-समय पर होनेवाले परिवर्तनों को कंपनी या संबंधित निक्षेपागार के पास पंजीकृत करवाने के अवसर प्रदान करने के बाद नोटिस के साथ तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और व्याख्यात्मक कथन इत्यादि को ई-मेल के माध्यम से भेजने के लिए सदस्यों के ई-मेल प्राप्त किए जाएं।
- ख) इन दस्तावेजों के संपूर्ण पाठ को अधिदेशात्मक अवधि से पहले कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए और इस संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों स्थानीय और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विज्ञापन जारी किया जाए कि उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रतियाँ वेबसाइट पर और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। वेबसाइट को इस तरह तैयार किया जाए कि उसे आसानी से और शीघ्रता से खोलने की सुविधा हो।
- ग) यदि किसी सदस्य ने तुलन-पत्र इत्यादि को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत नहीं करवाया है तो तुलन-पत्र इत्यादि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 53 के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य माध्यम से भेज जाएगा ।
- घ) यदि कोई सदस्य उपर्युक्त दस्तावेजों को कागजी रूप में प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे मामले में उपर्युक्त दस्तावेजों की मुद्रित प्रतियाँ डाक द्वारा निःशुल्क प्रेषित की जाएं।



## REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

- 1) The Bank aims to be a bank of choice of every Indian and a preferred partner globally, to achieve consistent growth in business, to endeavour for inclusive development and to ensure service excellence through effective harnessing of human capital and technology.
- 2) The Bank aims to attain high standard of Corporate Governance mandated by Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and also as per the recommendations of Dr. Ganguly Committee on Corporate Governance.
- 3) The Bank's Corporate Governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value.
- 4) The Bank is committed to following high disclosure standards and transparency.
- 5) The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas.
- 6) To ensure that the corporate philosophy of the Bank is practiced in letter and spirit in all the functional areas of the Bank for fulfilling the mission adopted, the Bank has an effective and transparent system of Corporate Governance driven by a professional Board.
- 7) Conscious of the trust enjoyed by it as a public Institution with a proud history, the Bank maintains high ethical standards in accounting and general governance.
- 8) The Bank recognizes its accountability to all stakeholders of the Bank for creating, protecting and enhancing wealth and resources for the Bank and reporting to them on its performance in a timely and transparent manner.
- 9) The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management.

### Green Initiatives in the Corporate Governance taken by Ministry of Corporate Affairs (MCA)

Ministry of Corporate Affairs (MCA) has issued two circulars No. 17 and 18/2011 giving clarification regarding service of documents by e-mode instead of Under Postal Certificate (UPC) and sending copies of Balance Sheets and Auditors Report, etc. to the members of the Company as required under section 219 of the Companies Act, 1956, through electronic mode. An appeal to Shareholders in this regard was included in the Annual Report 2010-2011 and Notice of EGM -2012 of the Bank. Accordingly, soft copies of Annual Report 2011-2012 of the Bank will be sent to those members, who have registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd, Registrar and Share Transfer Agents of the Bank.

### Circular 17/2011

MCA has clarified that a company would have complied with Section 53 of the Companies Act, 1956 (dealing with service of documents), if the service of document has been made through electronic mode provided the company has obtained e-mail addresses of its members for sending the notices/documents through e-mail by giving an advance opportunity to every shareholder to register their e-mail address and changes therein from time to time with the company.

In case, any member has not registered his/her e-mail address with the company, the service of document etc. will be effected by other modes of service as provided under Section 53 of the Companies Act, 1956. Hard copies of Annual Report 2011-2012 will be sent to those members who have not registered their email IDs with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank.

### Circular 18//2011

MCA has clarified that the company would be in compliance of section 219(1) of the Companies Act, 1956 (dealing with dispatch of Balance Sheet, etc.), in case, a copy of Balance Sheet etc., is sent by electronic mail to its members subject to the fact that company has obtained –

- (a) E-mail address of its members for sending the Notice with Balance Sheet, Profit & Loss Account, Auditor's Report, Directors' Report and Explanatory Statement, etc., through e-mail, after giving an advance opportunity to the members to register his/her e-mail address and changes therein from time to time with the company or with the concerned depository;
- (b) Company's website displays full text of these documents well in advance prior to mandatory period and issue advertisement in prominent newspapers in both vernacular and English stating that the copies of aforesaid documents are available in the website and for inspection at the Registered Office of the Company during office hours. Website must be designed in a way so that documents can be opened easily and quickly.
- (c) In case any member(s) has not registered his/her email address for receiving the Balance Sheet etc. through e-mail, the Balance Sheet etc., will be sent by other modes of services as provided under Section 53 of the Companies Act, 1956.
- (d) In case any member insists for physical copies of above documents, the same should be sent to him/her physically, by post free of cost.





उन निदेशकों को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट – 2011-12 की प्रतियां ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिन्होंने तुलन पत्र आदि को प्राप्त करने हेतु अपने ई-मेल आई.डी. को मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर, (प्रा) लिमिटेड, बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों के पास पंजीकृत करवाया है।

**कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट:**

सूचीबद्ध कंपनियों की पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन जिम्मेदारियों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए 'सेबी' ने दि. 24.11.2011 के अपने मार्गदर्शी सिद्धांतों के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को अधिदेशित किया है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ कारोबार जिम्मेदारी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई का उल्लेख की जाए।

बैंक इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करने तथा निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है:

- कारोबार संचालन में नीतिपरक पद्धति
- अच्छी सेवाएं प्रदान करना
- कर्मचारी कल्याण
- मानवाधिकार
- श्रम
- पर्यावरण
- समावेशी संवृद्धि और साम्यिक विकास
- भ्रष्टाचार का निवारण
- बैंक के सभी शेयरधारकों इत्यादि के प्रति उत्तरदायित्व और उनके लिए मूल्यों का निर्माण करना।

उपर्युक्त सिद्धांतों को हमारे परिचालन में कड़ाई से पालन किया जाएगा और इनमें सुधार करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और इस संबंध में की गयी प्रगति की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर की जाएगी।

**निदेशक मंडल:**

निदेशक मंडल, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और केन्द्र सरकार के राजपत्र अधिसूचना संदर्भ सं. एफ. 4/1/94 बी.ओ.आई. (1) दिनांक 3.4.1995 के अनुसार गठित किया गया है जिसका संशोधन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के जरिए किया गया है।

संप्रति, मंडल में निम्नलिखित धाराओं के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यानी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा 2 कार्यपालक निदेशक, एक सरकार द्वारा नामित निदेशक, भा.रि.बैं. द्वारा नामित 1 निदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक कामगार कर्मचारी निदेशक और एक अधिकारी कर्मचारी निदेशक, एक सनदी लेखाकार निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित 2 अन्य निदेशक चयनित शेयरधारक निदेशक हैं। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को छोड़कर अन्य सभी निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक मंडल की अध्यक्षता करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक मंडल की अध्यक्षता करते हैं। बैंक का सामान्य पर्यवेक्षण, निदेश, कारोबार एवं कार्यों का प्रबन्धन बैंक के निदेशक मंडल में निहित है।

बैंक के निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन एवं श्रेणी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद का संवर्ग	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
1.	श्री म. गि. संघवी	बी.कॉम., एल.एल.बी., एफ.सी.ए., सी.ए.आई.आई.बी.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	खंड (ए)	01.03.2012
2.	श्री रवि चटर्जी	बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल्स)	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	01.09.2010
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	एम.एस.सी., एम.बी.ए., सी.ए.आई.आई.बी., सी.आर.बी., आई.आई.बी.एफ. के सदस्य	कार्यपालक निदेशक	खंड (ए)	24.08.2011
4.	श्री एच. प्रदीप राव	एम.बी.ए., एम.ए., सी.आइ.ए. (प्रमाणित आंतरिक लेखा परीक्षक)	भारत सरकार के नामिती निदेशक (केन्द्र सरकार के प्राधिकारी)	खंड (बी)	10.05.2010
5.	श्री ए. एस. राव	बी.कॉम., एम.बी.ए., सी.ए.आई.आई.बी. भाग-1	भा.रि.बैं. के नामिती निदेशक	खंड (सी)	30.07.2010
6.	श्री नरेंद्र एल. दवे	बी.कॉम., एल.एल.बी. (सामान्य)	कामगार कर्मचारी निदेशक	खंड (ई)	31.08.2010
7.	श्री दिनकर एस. पूंजा	बी.एफ.एस.सी.	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	खंड (एफ)	12.07.2010
8.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	बी.कॉम., एफ.सी.ए.	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (जी)	22.07.2011



Annual Report 2011-12 of the Bank will be sent through Electronic mode to those investors who have registered their email-ids with M/s. Karvy Computershare (P) Ltd., Registrar and Share Transfer Agents of the Bank for receiving the Balance Sheet, etc. through email.

**BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTS:**

In order to assess fulfillment of the environmental, social and governance responsibilities of listed entities, SEBI vide its guidelines dated 24.11.2011 has mandated listed entities to submit Business Responsibility Reports, as a part of their Annual Reports, describing measures taken by them on certain key principles.

The Bank is committed to complying with these guidelines, and support key principles in the areas of:

- Ethical practices in the conduct of business
- Provision of good services
- Welfare of employees
- Human rights
- Labour
- Environment
- Inclusive growth and equitable development
- Anti-corruption
- Accountability to all stakeholders of the Bank, etc. and creation of value to them

These principles will be scrupulously followed in our operations and we strive for continuous improvement of the same and report our progress, annually.

**BOARD OF DIRECTORS:**

The Board has been constituted in accordance with section 9(3) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as per the Central Government Gazette Notification No. F 4/1/94-BO.I(1) dated 3.4.1995 as amended vide Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006.

Presently the Board comprises of 3 whole time directors, Chairman & Managing Director and 2 Executive Directors, appointed by Central Government, 1 Government Nominee Director, 1 RBI Nominee Director, 1 Workmen Employee Director, 1 Officer Nominee Director, 1 Chartered Accountant Director, 2 Directors nominated by the Central Government and 2 Elected Shareholder Directors, as per the sections indicated below. All the Directors of the Bank, except the Chairman & Managing Director and the Executive Directors, are non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director and in his absence the Executive Director(s) presides over the Board. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank are vested in the Board of Directors of the Bank.

The present composition and category of the Board of Directors of the Bank are furnished below:

Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
1.	Shri M. G. Sanghvi	B.Com., LLB, FCA, CAIIB	Chairman & Managing Director	Clause (a)	01.03.2012
2.	Shri Ravi Chatterjee	B.Tech (Electricals)	Executive Director	Clause (a)	01.09.2010
3.	Shri M. Anjaneya Prasad	M.Sc., MBA, CAIIB, CRB, Fellow of IIBF	Executive Director	Clause (a)	24.08.2011
4.	Shri H. Pradeep Rao	MBA, MA, CIA (Certified Internal Auditor)	Govt. Nominee Director (Official of Central Government)	Clause (b)	10.05.2010
5.	Shri A. S. Rao	B.Com., MBA, CAIIB Part I	R.B.I. Nominee Director	Clause (c)	30.07.2010
6.	Shri Narendra L. Dave	B.Com., LLB (Gen)	Workmen Employee Director	Clause (e)	31.08.2010
7.	Shri Dinkar S. Punja	B.FSc.	Officer Employee Director	Clause (f)	12.07.2010
8.	Shri Dilip Kumar Saxena	B.Com., FCA	GOI Nominee Director	Clause (g)	22.07.2011



क्र.सं.	निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	निदेशक पद का संवर्ग	धारा 9(3) की उप धारा के अंतर्गत	कार्यग्रहण की तारीख
9.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	बी.ए.	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (एच)	29.07.2011
10.	श्री रमेश एल. अडिगे	एम.बी.ए. और मार्केटिंग में विशेषज्ञता बी.ई. (ऑनर्स)	भारत सरकार के नामिती निदेशक	खंड (एच)	09.12.2011
11.	श्री एआर नागप्पन	एम.एस.सी.	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	27.06.2009
12.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग	शेयरधारक निदेशक	खंड (आई)	27.06.2009

उन निदेशकों के संक्षिप्त बायोडेटा नीचे दिए गए हैं जिन्होंने दिनांक 31.03.2011 के तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद कार्यग्रहण किए हैं/नियुक्त किए गए हैं और जिन्होंने दि. 31.03.2012 के तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं-

#### श्री म.गि. संघवी:

श्री मधुकांत गिरिधरलाल संघवी, बी.कॉम., एल.एल.बी., एफ.सी.ए., सी.ए.आई.आई.बी., ने बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में दिनांक 01.03.2012 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री संघवी दिनांक 15.10.2008 से दिनांक 29.02.2012 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत थे तथा इससे पहले वे देना बैंक में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे।

श्री संघवी एक अनुभवी बैंकर हैं और इनके पास बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों यथा, शाखा/क्षेत्र/अंचल सहित संसाधन प्रबंधन, आयोजना, ऋण, राजकोष, जोखिम प्रबंधन, वित्त एवं लेखा, जैसे बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का 31 वर्षों का विपुल अनुभव भी है।

श्री संघवी ने विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों/महाविद्यालयों में काम किए हैं। साथही, उन्होंने सी ए आई आई बी के प्रश्नपत्रों को तैयार किया है और सी ए अध्ययन केन्द्रों के प्रश्नपत्रों के परीक्षक भी रहे हैं। बैंकिंग तथा वित्तीय विषयों पर इन्होंने भारत तथा विदेशों में कई सम्मेलनों/कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से भागीदारी की है। बैंक के कारोबार के प्रचार-प्रसार, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों के लिए उन्होंने भारत और विदेशों की व्यापक यात्राएं की हैं, ईक्विटी निर्गम के लिए रोड शो भी किए हैं।

#### श्री एम. आंजनेय प्रसाद

श्री एम. आंजनेय प्रसाद को दिनांक 24.08.2011 से सिंडिकेटबैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त होने से पहले श्री आंजनेय प्रसाद ने आंध्र बैंक में तीस वर्षों से अधिक की सेवा की है। उन्होंने वर्ष 1978 में अपने कैरियर की शुरुआत प्रबंधन प्रशिक्षु से की। उन्होंने आंध्रा बैंक में विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ-साथ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सचिव तथा मंडल सचिव के रूप में भी काम किया है। वे विभिन्न क्षमताओं के साथ भिन्न-भिन्न केंद्रों पर काम कर चुके हैं। उन्हें आयोजना, परिचालन, विपणन, नैगम ऋण, संसाधन संग्रहण तथा मानव संसाधन प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अच्छा अनुभव है। चेन्नई, गोवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र की शाखाओं को नियंत्रित करते हुए आंध्रा बैंक के चेन्नई एवं मुंबई अंचल में आंचलिक प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है।

श्री एम. आंजनेय प्रसाद सांख्यिकी से स्नातकोत्तर होने के साथ-साथ एम.बी.ए. एवं सी.ए.आई.आई.बी. के पदवीधारक हैं। वे भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान (एफ.आई.आई.बी.एफ.) के अधिसदस्य हैं।

#### श्री दिलीप कुमार सक्सेना

श्री दिलीप कुमार सक्सेना को दि. 22.07.2011 से हमारे बैंक के निदेशक मंडल में तीन वर्षों के लिए, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री दिलीप कुमार सक्सेना वाणिज्य स्नातक हैं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के अधिसदस्य हैं। इसके साथ ही, वे वर्ष 1993 में मेसर्स सक्सेना एण्ड सक्सेना, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली के एक भागीदार भी हैं। इससे पूर्व वे करीब 18 वर्षों तक नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन लि. (राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि.) में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं।

श्री सक्सेना को, लेखा, लेखा-परीक्षण, बैंक वित्त एवं सलाहकार सेवाओं के क्षेत्र में गहरा अनुभव है। सरकारी उपक्रमों की लेखा-प्रक्रिया और तंत्र में प्रखर अनुभव रखने के साथ-साथ श्री सक्सेना वित्तीय विवरणियों के विश्लेषण में माहिर हैं। उन्होंने विभिन्न संगठनों में लेखा तंत्र की सफलतापूर्वक स्थापना में अपना भरपूर सहयोग दिया है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित विभिन्न सरकारी उपक्रमों एवं बड़े कारपोरेटों के लिए निष्पादन व अपीलों के साथ-साथ कराधान का कार्य संभाला है। बैंकिंग उद्योग में विभिन्न बैंकों की शाखाओं में वैधानिक लेखा परीक्षण तथा संगामी लेखा परीक्षा से भी जुड़े रहे हैं।

#### श्री जगदीश राज श्रीमाली

श्री जगदीश राज श्रीमाली, हमारे बैंक के निदेशक मंडल में 29 जुलाई, 2011 से लागू तीन वर्षों, अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं।



Sl. No.	Name of the Director	Qualifications	Category of Directorship	Under sub-section of Section 9 (3)	Date of assuming office
9.	Shri Jagdish Raj Shrimali	B.A.	GOI Nominee Director	Clause (h)	29.07.2011
10.	Shri Ramesh L. Adige	MBA with specialization in Marketing BE (Hons)	GOI Nominee Director	Clause (h)	09.12.2011
11.	Shri AR Nagappan	M.Sc.	Shareholder Director	Clause (i)	27.06.2009
12.	Shri Bhupinder Singh Suri	Diploma in Automobile Engg.	Shareholder Director	Clause (i)	27.06.2009

A brief biodata of directors joined the Board/were appointed after signing the Balance Sheet as on 31.03.2011 and who have signed the Balance Sheet as at 31.03.2012 is given below:

**Shri M. G. Sanghvi:**

Shri Madhukant Giridharlal Sanghvi, B.Com., LLB, FCA, CAIIB has taken over charge as the Chairman & Managing Director of the Bank with effect from 01.03.2012. Shri Sanghvi was the Executive Director of Bank of Maharashtra from 15.10.2008 to 29.02.2012 and prior to this he worked as General Manager with Dena Bank.

A seasoned Banker, Shri Sanghvi brings with him over 31 years of rich experience in varied fields of Banking including Branch/Regional/Zonal Office, Resources Management, Planning, Credit, Treasury, Risk Management, Finance & Accounts, etc.

Shri Sanghvi was visiting faculty at various training centres/colleges and he also worked as paper setter for CAIIB and paper examiner for CA studies. He has actively participated in number of seminars / workshops in India / abroad on Banking and Finance. He has extensively travelled in India & abroad for Bank's business canvassing, conferences, training, road shows for equity issue etc.

**Shri M. Anjaneya Prasad:**

Shri M. Anjaneya Prasad has been appointed as Executive Director of SyndicateBank from 24.08.2011. Prior to taking over as Executive Director of the Bank, Shri Anjaneya Prasad served in Andhra Bank for over three decades, where he started his career as Management Trainee in 1978. He worked as Executive Secretary to Chairman and Managing Director and Board Secretary and also held various assignments in Andhra Bank. He served in various capacities in different centres. He is having good exposure in various fields like Planning, Operations, Marketing, Corporate Credit, Resource Mobilisation and Human Resource Management. He also served as Zonal Manager of Chennai Zone and Mumbai Zone of Andhra Bank controlling the branches in Chennai, Goa, Gujarat and Maharashtra.

Shri M. Anjaneya Prasad is a post graduate in Statistics and also an MBA with CAIIB. He is elected Fellow member (FIIBF) of Indian Institute of Banking & Finance.

**Shri Dilip Kumar Saxena:**

Shri Dilip Kumar Saxena has been nominated as part-time non-official Chartered Accountant director on the Board of Directors of our Bank for a period of three years w.e.f. 22<sup>nd</sup> July, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

Shri Dilip Kumar Saxena, Commerce Graduate and Fellow Member of Institute of Chartered Accountants of India, is a partner in M/s Saxena & Saxena, Chartered Accountants, New Delhi since 1993. Earlier, he has worked for about 18 years with National Textiles Corporation Ltd. in different capacities.

Shri Saxena has rich experience in the field of Accounting, Auditing, Bank Finance and Advisory Services. Well versed with the accounting procedures and systems of Public Sector Undertakings, Shri Saxena is an expert in the analysis of the financial statements. He has been instrumental in successfully establishing accounting system of various organizations and handled the taxation work, including the assessment and appeals, for various Govt. Undertakings and Large Body Corporates, including Multinational Companies. His association with banking industry includes statutory branch audits and concurrent audits of various banks.

**Shri Jagdish Raj Shrimali :**

Shri Jagdish Raj Shrimali has been nominated as part-time non-official director on the Board of Directors of our Bank for a period of three years w.e.f. 29<sup>th</sup> July, 2011 or until further orders, whichever is earlier.





राजस्थान के हल्दीघाटी में मार्च 1961 में जन्मे श्री माली कला स्नातक हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ राजनीतिक व ट्रेड यूनियन के भी नेता हैं।

वे युवावस्था से ही कामगार वर्ग के कल्याण के लिए उत्साहपूर्वक काम कर रहे हैं तथा ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में पिछले 30 वर्षों से जुझारू रूप से काम कर रहे हैं। वर्तमान में वे राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के संगठन जैसे, केंद्रीय इंटक, नई दिल्ली और इंटक के राजस्थान राज्य शाखा में क्रमशः राष्ट्रीय संगठन सचिव एवं महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

वे केंद्रीय कामगार मंडल (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) के उदयपुर क्षेत्र के अध्यक्ष हैं तथा इंडियन नेशनल सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन, इंडियन नेशनल फूड एण्ड ड्रिंक्स वर्कर्स फेडरेशन, इंडियन नेशनल वेतनभोगी वर्कर्स फेडरेशन आदि के सक्रिय सदस्य हैं।

#### श्री रमेश एल. अडिगे

श्री रमेश एल. अडिगे, हमारे बैंक के निदेशक मंडल में 9 दिसंबर, 2011 से लागू तीन वर्षों, अथवा अगले आदेश तक, या जो भी पहले हो, तक के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं।

श्री अडिगे के पास, कार्पोरेट नीति, लोक नीति, रणनीति एवं परिप्रेक्ष्य योजना, बाह्य संबंधों तथा संयुक्त उद्यमों एवं तकनीकी व वित्तीय सहयोग सहित व्यावसायिक गतिविधियों के 37 वर्षों का विशाल अनुभव है। वे कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफ.आई.सी.सी.आई.) के एक सक्रिय सदस्य हैं तथा आई.पी. नीति के लिए सी.आई.आई. की अध्यक्षता भी करते हैं। इसके साथ ही, वे एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) तथा ड्रस एण्ड फार्माश्यूटिकल एक्सपर्ट कमेटी के सह-अध्यक्ष भी हैं। वे लोक स्वास्थ्य विभाग (पी.एच.डी.), चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री की स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हैं। वे भारत सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों में नियमित रूप से अपने वक्तव्य देते रहते हैं तथा वे स्क्रिल डेवलपमेंट के गोलमेज के सदस्य हैं। श्री रमेश एल. अडिगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक ख्याति प्राप्त प्रबंधन संस्थान से विपणन में विशेषज्ञता के साथ एम.बी.ए. हैं तथा बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी नामक सुप्रसिद्ध संस्थान से बी.ई. (ऑनर्स) हैं।

श्री अडिगे, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कार्पोरेट अफेयर्स, गुडगांव (शासक मंडल के सदस्य), भारत सरकार, नैगम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नैगम अभिशासन एवं लोक नीति हेतु निर्भित स्वायत्त संस्था के साथ-साथ फोर्टिस मलर हॉस्पिटल, चेन्नई, जो कि दक्षिण भारत का एक सुप्रसिद्ध अस्पताल है तथा स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, के सदस्य हैं वे टी.ए.पै प्रबंधन संस्थान, मणिपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं।

#### निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन:

निदेशक मंडल की बैठक राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 के अनुसार सामान्यतः एक वर्ष में कम से कम 6 बार और एक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। निदेशक मंडल ने वर्ष 2011-2012 के दौरान निम्नलिखित तारीखों में 14 बैठकें आयोजित कीं।

12.05.2011	04.06.2011	24.06.2011	29.07.2011	03.09.2011	04.10.2011
22.10.2011	19.11.2011	16.12.2011	20.01.2012	31.01.2012	11.02.2012
28.02.2012	21.03.2012				

निदेशक मंडल की बैठकों में मंडल के सदस्यों की उपस्थिति तथा पिछली वार्षिक, आम बैठक/असाधारण आम बैठक, बैंक के मंडल की अन्य समितियों में उनकी सदस्यता तथा अन्य कंपनियों में निदेशकों के रूप में उनकी साझेदारी इत्यादि के पूर्ण ब्यौरे निम्नवत् हैं।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति			निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछला ए.जी.एम. 25.06.2011	पिछली ई.जी.एम. 22.03.2012		
1.	श्री बसंत सेठ (28.02.2012 तक)	13/14	उ	-	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, डीपीसी	1
2.	श्री म.गि. संघवी (01.03.2012 से)	01/01	-	उ	एमसीबी, आरएमसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, डीपीसी	**
3.	श्री वी. के. नागर (31.07.2011 तक)	03/04	उ	-	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, एसटीसी, आइटीसी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएआरआरबी, सीपीबी	1
4.	श्री रवि चटर्जी	13/14	उ	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, एसटीसी, आइटीसी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएआरआरबी, सीपीबी	1
5.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	10/10	-	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एसआइजीसी, एससीएमएफएफसी, सीएससी, एसटीसी, आइटीसी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएआरआरबी, सीपीबी	1



Born in March, 1961 at Haldighati, Rajasthan, Shri Shrimali is Arts graduate. He is a Social Worker, a Political & Trade Union leader. Since youth days, he has been vigorously working for the welfare of the Labour Community and has rich experience in the Trade Union field for the last 30 years. Presently, he holds important positions in several labour unions and federations at the State and National level such as National Organizing Secretary – Central INTUC-New Delhi and General Secretary- Rajasthan State Branch of INTUC etc.

He is the Chairman (Udaipur Region) of Central Board for Workers Education (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India) and an imperative Member of Indian National Cement Workers' Federation, Indian National Food & Drinks Workers Federation, Indian National Salaried Workers Federation etc.

**Shri Ramesh L. Adige:**

Shri Ramesh L. Adige has been nominated as part-time non-official director on the Board of Directors of our Bank for a period of three years w.e.f. 9<sup>th</sup> December, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

Shri Adige has 37 years of extensive and wide-ranging experience in the areas of Corporate Policy, Public Affairs & Public Policy, Strategic & Perspective Planning, External Relations and the broader spectrum of Business Activities including Joint Ventures, Technical & Financial collaborations etc. He is an active participant in the Confederation of Indian Industry (CII) and the Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICCI) and heads the CII's Task Force on IP Policy. He is the Co-Chairman of The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) Drugs & Pharmaceutical Expert Committee. He is Chairman of Health Committee of PHD Chamber of Commerce & Industry. He interacts frequently with numerous departments and ministries in the Government of India and is a member of the Round Table on Skills Development. Shri Ramesh L. Adige is a Masters in Business Administration with specialization in Marketing from renowned Faculty of Management Studies, University of Delhi and holds a B.E. (Honours) degree from the prestigious Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani.

Shri Adige is on the Board of Indian Institute of Corporate Affairs, Gurgaon (Member of Board of Governors) – an autonomous body and a centre of excellence for Corporate Governance & Public Policy, promoted by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, Fortis Malar Hospitals, Chennai – A trusted hospital in the Southern India, listed on the Stock Exchange and T.A. Pai Management Institute, Manipal – Member of the Governing Council.

**CONDUCT OF BOARD MEETINGS:**

Meetings of the Board shall ordinarily be held atleast 6 times in a year and atleast once in a quarter in accordance with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. During the year 2011-2012 the Board held 14 meetings on the following dates:

12.05.2011	04.06.2011	24.06.2011	29.07.2011	03.09.2011	04.10.2011
22.10.2011	19.11.2011	16.12.2011	20.01.2012	31.01.2012	11.02.2012
28.02.2012	21.03.2012				

The particulars regarding the attendance of the Board members at the Board meetings and last AGM/EGM, their membership in other Committees of the Board of the Bank and their association with other Companies as Directors are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance			Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 25.06.11	Last EGM 22.03.12		
1.	Shri Basant Seth (Upto 28.02.2012)	13/14	P	–	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, DPC	1
2.	Shri M. G. Sanghvi (From 01.03.2012)	01/01	–	P	MCB, RMC, SCMFFC, CSC, DPC	**
3.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	03/04	P	–	MCB, ACB, RMC, SIGC, SCMFFC, CSC, STC, ITC, HRC, CPBA, CARRB, CPB	1
4.	Shri Ravi Chatterjee	13/14	P	P	MCB, ACB, RMC, SIGC, SCMFFC, CSC, STC, ITC, HRC, CPBA, CARRB, CPB	1
5.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	10/10	–	P	MCB, ACB, RMC, SIGC, SCMFFC, CSC, STC, ITC, HRC, CPBA, CARRB, CPB	1



क्र. सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति			निदेशक मंडल की अन्य समितियों की सदस्यता	अन्य कंपनियों में निदेशक पद*
		निदेशक मंडल की बैठकें	पिछला ए.जी.एम. 25.06.2011	पिछली ई.जी.एम. 22.03.2012		
6.	श्री एच. प्रदीप राव	10/14	उ	अ	एसीबी, एससीएमएफएफसी, आइटीसी, डीपीसी, एनसी, आरसी, सीपीबीए	1
7.	श्री ए. एस्. राव	13/14	उ	अ	एमसीबी, एसीबी, आरसी, डीपीसी	-
8.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	13/14	उ	उ	सीएससी, एसटीसी, आइटीसी, एससीएमएफएफसी, सीएआरआरबी	-
9.	श्री दिनकर एस. पूंजा	14/14	उ	उ	सीपीबी, एसआइजीसी, सीपीबीए, एचआरसी, सीएआरआरबी	-
10.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 22.07.2011 से )	11/11	-	उ	एमसीबी, एसीबी, आरएमसी, एनसी, एचआरसी, सीपीबीए, सीएआरआरबी, सीपीबी	-
11.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 09.07.2011 तक और 09.12.2011 से )	8/9	उ	उ	एमसीबी, आरसी, आइटीसी, सीपीबी, एचआरसी, सीएआरआरबी	3
12.	श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 29.07.2011 से )	5/6	-	उ	एमसीबी, सीएससी, आरसी, एनसी, सीपीबी	-
13.	श्री एआर नागपन	14/14	उ	उ	आरएमसी, सीएससी, एचआरसी, एसआइजीसी, सीपीबीए, सीएआरआरबी	1
14.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	11/14	उ	अ	एमसीबी, एसटीसी, सीपीबीए	3

\* कंपनी अधिनियम, 2000 की धारा 275 के अनुसार

\*\* दि. 23.04.2012 को सिंडिकेट सर्विसेज के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त

उ	- उपस्थित	अ	- अनुपस्थित
एमसीबी	- मंडल की प्रबंधन समिति	एसीबी	- मंडल की लेखा परीक्षा समिति
डीपीसी	- निदेशकों की पदोन्नति समिति	आरएमसी	- जोखिम प्रबंधन समिति
एसआईजीसी	- शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति	एनसी	- नामांकन समिति
एससीएमएफएफसी	- कपटपूर्ण मामलों की जांच एवं अनुवर्तन के लिए विशेष समिति	आरसी	- पारिश्रमिक समिति
सीएससी	- ग्राहक सेवा समिति	एसटीसी	- शेयर अंतरण समिति
आइटीसी	- सूचना प्रौद्योगिकी समिति	एचआरसी	- मानव संसाधन समिति
सीपीबी	- पब्लिसिटी बजट समिति	सीपीबीए	- समानांतर बैंकिंग कार्यकलाप
		सीएआरआरबी	- क्षे.ग्रा.बैं. के सम्मेलन समिति

**मंडल की प्रबंधन समिति:**

मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी) का गठन भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.4/1/86/बी.ओ.आई. (1) दिनांक 11.7.1986 के अनुसार की गई और भारत सरकार द्वारा उनके परिपत्र सं.एफ.सं. 4/1/94 - बीओआई (1) दिनांक 10.11.1995 के जरिए सूचित किए गए अनुसार उसका पुनर्गठन किया गया। पुनः, भारत सरकार ने भा.रि.बैं. के साथ परामर्श करके योजना 1970 में संशोधन किया जिसे राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) योजना, 2007 कहा गया और जिसे दि. 8.3.2007 के शुद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाए। प्रबंध समिति ऋण प्रस्तावों को मंजूर करने, ऋणों का समझौता/निपटान, बड़े खाते डाले गए प्रस्ताव, पूंजीगत और राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसर और भवनों का अधिग्रहण और किराये पर देना, दावा/अपील दायर करना, निवेश, अंशदान अन्य मामले जो बोर्ड द्वारा समिति को सौंपे जाते हैं, के संबंध में सभी अधिकारों का प्रयोग करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 17 बैठकें आयोजित की गईं जब कि भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष में 6 बैठकें और तिमाही में एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य है।

22.04.2011	12.05.2011	03.06.2011	24.06.2011	29.07.2011	22.08.2011
02.09.2011	03.10.2011	22.10.2011	19.11.2011	16.12.2011	07.01.2012
20.01.2012	11.02.2011	28.02.2011	21.03.2012	30.03.2012	

मंडल की प्रबंधन समिति के सदस्य और उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकों में से उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री म. गि. संघवी (दि. 01-03-2012 से )	2/2
2.	श्री बसंत सेठ (दि. 20-02-2012 तक)	15/15



Sl. No.	Name of the Director	Attendance			Membership in other Committees of the Board	Directorship in other Companies*
		Board	Last AGM 25.06.11	Last EGM 22.03.12		
6.	Shri H. Pradeep Rao	10/14	P	A	ACB, SCMFFC, ITC, DPC, NC, RC, CPBA	1
7.	Shri A.S. Rao	13/14	P	A	MCB, ACB, RC, DPC	-
8.	Shri Narendra L. Dave	13/14	P	P	CSC, STC, ITC, SCMFFC, CARRB	-
9.	Shri Dinkar S. Punja	14/14	P	P	CPB, SIGC, CPBA, HRC, CARRB	-
10.	Shri Dilip Kumar Saxena (From 22.07.2011)	11/11	-	P	MCB, ACB, RMC, NC, HRC, CPBA, CARRB, CPB	-
11.	Shri Ramesh L. Adige (Upto 09.07.2011 and from 09.12.2011)	8/9	P	P	MCB, RC, ITC, CPB, HRC, CARRB	3
12.	Shri Jagdish Raj Shrimali (From 29.07.2011)	5/6	-	P	MCB, CSC, RC, NC, CPB	-
13.	Shri AR Nagappan	14/14	P	P	RMC, CSC, HRC, SIGC, CPBA, CARRB	1
14.	Shri Bhupinder Singh Suri	11/14	P	A	MCB, STC, CPBA	3

\* As per section 275 of Companies Act, 2000

\*\* Inducted as a Director on the Board of SyndBank Services Ltd. on 23.04.2012

P	- Present	A	- Absent
MCB	- Management Committee of the Board	ACB	- Audit Committee of the Board
DPC	- Directors' Promotion Committee	RMC	- Risk Management Committee
SIGC	- Shareholders'/Investors' Grievance Committee	NC	- Nomination Committee
SCMFFC	- Special Committee for Monitoring & Follow up of Fraud Cases	RC	- Remuneration Committee
CSC	- Customer Service Committee	STC	- Share Transfer Committee
ITC	- Information Technology Committee	HRC	- Human Resource Committee
CPB	- Committee on Publicity Budget	CPBA	- Committee on Para Banking Activities
		CARRB	- Committee on Amalgamation of RRBs

#### MANAGEMENT COMMITTEE OF THE BOARD:

The Management Committee of the Board (MCB) was constituted in terms of Govt. of India Notification No. F 4/1/86.BO.I (I) dated 11.07.1986 and was reconstituted as advised by Govt. of India vide their Notification No. F No. 4/1/94-BO.I (i) dated 10.11.1995. Further GOI after consultation with the RBI made the Scheme to amend the 'Scheme 1970' called Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) (Amendment) Scheme 2007, (Scheme) read with corrigendum dated 08.03.2007. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of sanctioning of credit proposals, compromise settlement of loans, write off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, filing suits/appeals, investments, donations and any other matter referred to / delegated to the Committee by the Board.

The Committee met 17 times during the year as against the mandatory requirement of 6 times in a year and atleast once in a quarter (as per Government of India guidelines) on the following dates:

22.04.2011	12.05.2011	03.06.2011	24.06.2011	29.07.2011	22.08.2011
02.09.2011	03.10.2011	22.10.2011	19.11.2011	16.12.2011	07.01.2012
20.01.2012	11.02.2011	28.02.2011	21.03.2012	30.03.2012	

The particulars with regard to the members of the Management Committee of the Board and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri M. G. Sanghvi (from 01.03.2012)	2/2
2.	Shri Basant Seth (Upto 20.02.2012)	15/15





क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
3.	श्री वी. के. नागर (दि. 31-07-2011 तक)	4/5
4.	श्री रवि चटर्जी	16/17
5.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	11/11
6.	श्री ए. एस्. राव	15/17
7.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	7/7
8.	श्री दिनकर एस्. पूंजा	11/11
9.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 22.07.2011 से )	12/13
10.	श्री रमेश एल. अडिगे (09.07.2011 तक और 09.12.2011से)	7/7
11.	श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 29.07.2011 से )	5/6
12.	श्री एम. भास्कर राव (दि. 12.05.2011 तक)	1/1
13.	श्री एआर नागप्पन	11/11
14.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	8/10

**मंडल की लेखा-परीक्षा समिति:**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया, जो बैंक में संपूर्ण लेखा परीक्षा परिचालन हेतु निदेश देने के साथ-साथ उस निगरानी भी करती है, जिसमें संगठन, परिचालनकरण ए.एफ.आई. की समीक्षा और अनुपालन, लेखा परीक्षित गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन और आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक के भीतर निरीक्षण और बैंक की सांविधिक/बाहरी लेखा परीक्षा पर अनुप्रवर्तन तथा भा.रि.बैं. द्वारा निरीक्षण आदि कार्यों को करती है । मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली की समीक्षा करती है । यह विशिष्ट और असाधारण रूप से बड़ी शाखाओं और असंतोषजनक श्रेणी निर्धारित शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा करती है ।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित 9 बैठकें आयोजित की गईं जबकि भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें और तिमाही में एक बैठक आयोजित करना अनिवार्य ।

12.05.2011	29.07.2011	02.09.2011	22.10.2011	19.11.2011	16.12.2011
20.02.2012	11.02.2012	17.03.2012			

मंडल की लेखा परीक्षा समिति के सदस्य और बैठकों में उनकी उपस्थिति के संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर (दि. 31.07.2011 तक)	2/2
2.	श्री रवि चटर्जी	8/9
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	7/7
4.	श्री एच. प्रदीप राव	6/9
5.	श्री ए. एस्. राव	8/9
6.	श्री एआर नागप्पन	6/6
7.	श्री भूपिंदर सिंह सूरी	2/3
8.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 22.07.2011 से)	8/8

**जोखिम प्रबंधन समिति:**

भा.रि.बैं. के निदेशानुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक में सही ढंग से जोखिम प्रबंधन पद्धति का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए “जोखिम प्रबंधन समिति” का गठन किया है ।

वर्ष के दौरान समिति की 7 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

03.06.2011	24.06.2011	02.09.2011	03.10.2011	16.12.2011	20.01.2012
17.03.2012					



Sl. No.	Name of the Director	Attendance
3.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	4/5
4.	Shri Ravi Chatterjee	16/17
5.	Shri M. Anjaneya Prasad	11/11
6.	Shri A. S. Rao	15/17
7.	Shri Narendra L. Dave	7/7
8.	Shri Dinkar S. Punja	11/11
9.	Shri Dilip Kumar Saxena (From 22.07.2011)	12/13
10.	Shri Ramesh L. Adige (Upto 09.07.2011 and from 09.12.2011)	7/7
11.	Shri Jagdish Raj Shrimali (From 29.07.2011)	5/6
12.	Shri M. Bhaskara Rao (Upto 12.05.2011)	1/1
13.	Shri AR Nagappan	11/11
14.	Shri Bhupinder Singh Suri	8/10

**AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD:**

The Audit Committee of the Board (ACB) was constituted as per the instructions/guidelines issued by Reserve Bank of India to provide direction as also to oversee the operation of the total audit function in the Bank which include the organisation, operationalisation, AFI review and Compliance, approval of Audited/unaudited financial statements and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory/external audit of the Bank and inspection of RBI. The ACB reviews the internal inspection/audit function in the Bank. It also reviews the inspection report of specialized and exceptionally large branches and also branches with unsatisfactory ratings.

The Committee met 9 times during the year as against mandatory requirement of not less than 6 times in a year and atleast once a quarter (as per RBI Guidelines) on the following dates:

12.05.2011	29.07.2011	02.09.2011	22.10.2011	19.11.2011	16.12.2011
20.01.2012	11.02.2012	17.03.2012			

The particulars with regard to the members of the Audit Committee of the Board and their attendance at the meetings are as given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	2/2
2.	Shri Ravi Chatterjee	8/9
3.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	7/7
4.	Shri H. Pradeep Rao	6/9
5.	Shri A. S. Rao	8/9
6.	Shri AR Nagappan	6/6
7.	Shri Bhupinder Singh Suri	2/3
8.	Shri Dilip Kumar Saxena (From 22.07.2011)	8/8

**RISK MANAGEMENT COMMITTEE:**

In terms of RBI direction, the Board of directors of the Bank constituted "Risk Management Committee" of the Board for successful implementation of proper Risk Management Systems in the Bank.

During the year the Committee held 7 meetings on the following dates:

03.06.2011	24.06.2011	02.09.2011	03.10.2011	16.12.2011	20.01.2012
17.03.2012					

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ (दि. 28.02.2012 तक)	6/6
2.	म.गि. संघवी (दि. 01.03.2013 तक)	1/1
3.	श्री वी. के. नागर (दि. 31.07.2011 तक)	1/2
4.	श्री रवि चटर्जी	7/7
5.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 तक)	5/5
6.	श्री ए. एस. राव	5/5
7.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 22.07.2011 से)	5/5
8.	श्री रमेश एल. अडिगे (09.07.2011 तक और 09.12.2011 से)	2/2
9.	श्री एआर नागप्पन	2/2

**धोखाधड़ी मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति:**

भा.रि.बैं. के परिपत्र सं.डी.बी.एस.एफ.जी.वी.(एफ) सं.1004/23-04-01ए/2003-2004 दिनांक 14.01.2004 के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने ₹ 1 करोड़ तथा उससे अधिक राशि के ‘कपटपूर्ण मामलों की मॉनीटरिंग एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेष समिति’ का गठन किया।

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

04-06-2011	03-10-2011	16-12-2011	21-03-2012
------------	------------	------------	------------

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ (दि. 28-02-2012 तक)	3/3
2.	श्री म. गि. संघवी (दि. 01-03-2012 से)	1/1
3.	श्री वी. के. नागर (दि. 31-07-2011 तक)	1/1
4.	श्री रवि चटर्जी	4/4
5.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24-08-2011 से)	3/3
6.	श्री एच. प्रदीप राव	3/4
7.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	1/1
8.	श्री एआर नागप्पन	3/3

**शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति:**

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के उप खण्ड VI सी के अनुसार बैंक के निदेशक मण्डल ने ‘‘शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति’’ विशिष्ट रूप से शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतें जैसे शेयरों का अंतरण, तुलन-पत्र की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति आदि को दूर करने के लिए गठित की गई हैं उक्त समिति की बैठकें अर्ध वर्ष में एक बार और वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करनी हैं।

अधिदेशित अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित दो बैठकें आयोजित की गईं:

24.06.2011	16.12.2011
------------	------------

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	2/2
2.	श्री रवि चटर्जी	2/2
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	1/1
4.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	2/2

वर्ष 2011-12 के दौरान, बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों से 2651 शिकायतें/प्रश्न प्राप्त हुए और वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों/प्रश्नों पर कार्रवाई की गयी है। उपर्युक्त में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है। दि. 31.03.2012 तक कोई भी शेयर अंतरण के लिए लंबित नहीं है।

**अनुपालन अधिकारी:**

सूचीकरण करार के खण्ड 47 के अनुसार श्री आर. रवि बैंक के कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचीकरण करार, कंपनी के रजिस्ट्रार, नैगम कार्य मंत्रालय के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के उद्देश्य से तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया का अनुप्रवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।



The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth (Upto 28.02.2012)	6/6
2.	Shri M. G. Sanghvi (From 01.03.2012)	1/1
3.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	1/2
4.	Shri Ravi Chatterjee	7/7
5.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	5/5
6.	Shri A. S. Rao	5/5
7.	Shri Dilip Kumar Saxena (From 22.07.2011)	5/5
8.	Shri Ramesh L. Adige (Upto 09.07.2011 and from 09.12.2011)	2/2
9.	Shri AR Nagappan	2/2

**SPECIAL COMMITTEE FOR MONITORING AND FOLLOW UP OF FRAUD CASES:**

In terms of RBI Circular No. DBS.FGV(F) No. 1004/23.04.01A/2003-2004 dated 14.01.2004, the Board of Directors of the Bank constituted "Special Committee for Monitoring and Follow up of Fraud Cases" involving amount of ₹1 crore and above.

During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

04.06.2011	03.10.2011	16.12.2011	21.03.2012
------------	------------	------------	------------

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth (Upto 28.02.2012)	3/3
2.	Shri M. G. Sanghvi (From 01.03.2012)	1/1
3.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	1/1
4.	Shri Ravi Chatterjee	4/4
5.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	3/3
6.	Shri H. Pradeep Rao	3/4
7.	Shri Narendra L. Dave	1/1
8.	Shri AR Nagappan	3/3

**SHAREHOLDERS'/INVESTORS' GRIEVANCE COMMITTEE:**

In terms of Sub-clause VI C of clause 49 of the Listing Agreement, the Board of Directors of the Bank constituted "Shareholders'/Investors' Grievance Committee" of the Board, to specifically look into the redressing of shareholder and investor complaints like transfer of shares, non-receipt of balance sheet, non-receipt of declared dividends etc. The meetings of the Committee may be held at least once in a half year and not less than two times in a year.

During the year the Committee held 2 meetings as per the mandated requirement on the following dates:

24.06.2011	16.12.2011
------------	------------

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Bhupinder Singh Suri	2/2
2.	Shri Ravi Chatterjee	2/2
3.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	1/1
4.	Shri Narendra L. Dave	2/2

During the year 2011-12, 2651 complaints/grievances/queries were received from the Shareholders/Investors of the Bank and all the complaints/grievances/queries received during the year have been resolved/attended to. None of the above complaints were pending for more than one month. There were no shares pending for transfer as at 31.03.2012.

**COMPLIANCE OFFICER:**

In terms of Clause 47 of the Listing Agreement, Shri R. Ravi, Company Secretary of the Bank is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs and for monitoring the share transfer process etc.



**ग्राहक सेवा समिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डी.ओ.डी.बी.ओ.डी. सं. एल.ई.जी. 96/09.07.007/2004-05, दि. 17.08.2004 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सतत सुधार करने हेतु निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति का गठन किया है। वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

30.06.2011	03.10.2011	16.12.2011	21.03.2012
------------	------------	------------	------------

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ (दि. 28.02.2012 तक)	3/3
2.	श्री म.गि. संघवी (दि. 01.03.2012 से)	1/1
3.	श्री वी. के. नागर (दि. 31.07.2011 तक)	1/1
4.	श्री रवि चटर्जी	4/4
5.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	3/3
6.	श्री ए. एस. राव	3/3
7.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	4/4
8.	श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 29.07.2011 से)	1/1
9.	श्री एआर नागप्पन	1/1
10.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	3/3

**पारिश्रमिक समिति:**

भारत सरकार के पत्रांक एफ सं. 20/1/2005 – बी.ओ. 1 दिनांक 9.3.2007 में दी गई शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जो भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादन मूल्यांकन हेतु गठित बोर्ड की एक उपसमिति है। वर्ष के दौरान समिति ने दि. 04.06.2011 को एक बैठक आयोजित की :

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव	1/1
2.	श्री ए. एस. राव	1/1
3.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	1/1
4.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 09.07.2011 तक और 09.12.2011 से)	1/1

**सूचना प्रौद्योगिकी समिति:**

यह समिति निदेशक मंडल की दि. 30.03.2007 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित बोर्ड की एक उप समिति है जो प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु समुचित अनुप्रवर्तन का कार्य करती है। वर्ष के दौरान उक्त समिति को “मंडल की आई.टी. ऋणनीति समिति” के रूप में पुनर्नामकरण किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं।

24.06.2011	04.10.2011	20.01.2012
------------	------------	------------

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर (दि. 31.07.2011 तक)	0/1
2.	श्री रवि चटर्जी	3/3
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	2/2
4.	श्री एच. प्रदीप राव	3/3
5.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	1/1
6.	श्री दिनकर एस. पूंजा	2/2
7.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 09.07.2011 तक और 09.12.2011 से)	1/1
8.	श्री एआर नागप्पन	2/2



**CUSTOMER SERVICE COMMITTEE:**

In terms of RBI letter DO.DBOD. No. Leg 96/09.07.007/2004-05 dated 17.08.2004, the Board of Directors constituted Customer Service Committee of the Board for bringing about ongoing improvement in the quality of customer service provided by the Bank. During the year the Committee held 4 meetings on the following dates:

03.06.2011	03.10.2011	16.12.2011	21.03.2012
------------	------------	------------	------------

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth (Upto 28.02.2012)	3/3
2.	Shri M. G. Sanghvi (From 01.03.2012)	1/1
3.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	1/1
4.	Shri Ravi Chatterjee	4/4
5.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.8.2011)	3/3
6.	Shri A. S. Rao	3/3
7.	Shri Narendra L. Dave	4/4
8.	Shri Jagdish Raj Shrimali (From 29.07.2011)	1/1
9.	Shri AR Nagappan	1/1
10.	Shri Bhupinder Singh Suri	3/3

**REMUNERATION COMMITTEE:**

In terms of Government of India letter F.No. 20/1/2005-BO.1 dated 09.03.2007 Board of Directors constituted Remuneration Committee – A sub Committee of the Board to evaluate the performance of CMD/EDs as per the Government of India guidelines. During the year the Committee met once on 04.06.2011.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao	1/1
2.	Shri A. S. Rao	1/1
3.	Shri Bhupinder Singh Suri	1/1
4.	Shri Ramesh L. Adige (Upto 09.07.2011 and from 09.12.2011)	1/1

**INFORMATION TECHNOLOGY COMMITTEE:**

A sub Committee of the Board was constituted by the Board of Directors in the meeting held on 30.03.2007 to have a proper monitoring system in place to ensure that the projects are progressing according to the objectives. The said committee has been renamed as "IT Strategy Committee of the Board" by the Board during the year.

During the year the committee held 3 meetings on the following dates:

24.06.2011	04.10.2011	20.01.2012
------------	------------	------------

Particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	0/1
2.	Shri Ravi Chatterjee	3/3
3.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	2/2
4.	Shri H. Pradeep Rao	3/3
5.	Shri Narendra L. Dave	1/1
6.	Shri Dinkar S. Punja	2/2
7.	Shri Ramesh L. Adige (Upto 09.07.2011 and from 09.12.2011)	1/1
8.	Shri AR Nagappan	2/2



**शेयर अंतरण समिति:**

सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार बैंक द्वारा शेयर अंतरण समिति का गठन किया गया ।

उक्त समिति शेयरों का अंतरण, अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, शेयरों का हस्तांतरण और नामों को हटाना तथा शेयरों का पुनः कागज़ीकरण तथा उससे संबंधित अन्य मुद्दों की निगरानी करती हैं और उनका अनुमोदन करती हैं । मुंबई शेयर बाजार (बी.एस.ई.) तथा राष्ट्रीय शेयर बाजार (एन.एस.ई.) के साथ किए गए सूचीकरण करार के अनुसार शेयरों के अंतरण और अस्वीकृतियों/आपत्तियों की सूचना देने से संबंधित संपूर्ण अंतरण प्रक्रिया को अंतरण हेतु अनुरोधपत्र की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ।

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीखों में आयोजित की गईं :

24.06.2011	21.03.2012	30.03.2012
------------	------------	------------

इसके अलावा, परिचालन द्वारा 16 बैठकें आयोजित की गयीं और अधिदेशी मानदण्डों का पालन किया गया है ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रवि चटर्जी	3/3
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	2/2
3.	श्री ए.आर. नागप्पन	1/1
4.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	2/3
5.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	2/2

**नामांकन समिति:**

भा.रि.बैं. के पत्र डी.बी.ओ.डी. सं.बी.सी. 47/29.39.001/2007-2008 दि. 01-11-2007 के अनुसार निदेशक मंडल ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980, 2006 में यथा संशोधित, की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निदेशक के रूप में चयन किए जानेवाले व्यक्ति की “उपयुक्त तथा उचित” स्थिति का निर्धारण करने के लिए सम्यक् तत्परतावाली प्रक्रिया शुरू करने हेतु “नामांकन समिति” का गठन किया है ।

भा.रि.बैं. ने निदेश दिया है कि “उपयुक्त और उचित” मानदंड को चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशक) – वर्तमान और भावी दोनों पर लागू किया जाए । वर्तमान चयनित निदेशकों/प्रस्तावित अभ्यर्थियों की उपयुक्त और उचित स्थिति के निर्धारण हेतु समिति वर्ष में एक बार बैठक आयोजित करती है । समिति की एक बैठक दि. 04-10-2011 को आयोजित की गयी ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री एच. प्रदीप राव	1/1
2.	श्री ए. एस. राव	1/1
3.	श्री जगदीश राज श्रीमाली (दि. 29.07.2011 से)	1/1

**एच. आर. समिति:**

बैंक में एच. आर. प्रणाली/प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए दि. 30-10-2009 को मंडल की एच. आर. समिति का गठन किया गया है ।

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें निम्नलिखित तारीख को आयोजित की गयीं ।

24.06.2011	19.11.2011	07.01.2012
------------	------------	------------

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रवि चटर्जी	3/3
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	2/2
3.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	2/2
4.	श्री दिनकर एस. पूंजा	1/1
5.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 22.07.2011 से)	2/2



**SHARE TRANSFER COMMITTEE:**

In accordance with the Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998, Board of Directors has constituted Share Transfer Committee.

The Committee monitors and approves share transfers, issue of duplicate share certificates, transmission, transposition and deletion of names and re-materialisation of shares and matters relating thereto. As per the listing agreement entered into by the Bank with the Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE), the entire transfer process involving transfer of shares and communicating the rejections / objections is required to be completed within 30 days from the date of receipt of request for transfer.

During the year the committee held 3 meetings on the following dates:

24.06.2011	21.03.2012	30.03.2012
------------	------------	------------

Besides, 16 meetings of the committee were held by circulation and the mandatory norms were followed.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Sri Ravi Chatterjee	3/3
2.	Sri M. Anjaneya Prasad	2/2
3.	Sri AR Nagappan	1/1
4.	Sri Bhupinder Singh Suri	2/3
5.	Sri Narendra L. Dave	2/2

**NOMINATION COMMITTEE:**

In terms of the RBI letter DBOD No. BC No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007, the Board of Directors constituted "Nomination Committee" to undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing/the persons to be elected as a director under Sec. 9 (3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 as amended in 2006.

RBI has directed that the "Fit and Proper" Criteria as of now, be made applicable to the elected Directors (Shareholder Directors) - both present and future. The committee meets once in a year to determine the "fit and proper" status of existing elected directors/ proposed candidates. The Committee met once on 04.10.2011.

The particulars with regard to the members of the committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri H. Pradeep Rao	1/1
2.	Shri A. S. Rao	1/1
3.	Shri Jagdish Raj Shrimali (From 29.07.2011)	1/1

**H.R. COMMITTEE:**

H.R. Committee of the Board was constituted on 30.10.2009 for the review of HR Systems/practices in the Bank.

During the year the committee held 3 meetings on the following dates:

24.06.2011	19.11.2011	07.01.2012
------------	------------	------------

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ravi Chatterjee	3/3
2.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	2/2
3.	Shri Narendra L. Dave	2/2
4.	Shri Dinkar S. Punja	1/1
5.	Shri Dilip Kumar Saxena (From 22.07.2011)	2/2



6.	श्री रमेश एल.अडिगे (दि. 09.07.2011 तक और 09.12.2011 से)	2/2
7.	श्री एआर नागप्पन	3/3
8.	श्री भूपीन्द्र सिंह सूरी	2/2

**समानांतर बैंकिंग कार्यकलापों की समिति**

वर्ष के दौरान समिति की 6 बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गयी :

22.04.2011	22.08.2011	03.10.2011	19.11.2011	20.02.2012
31.01.2012				

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति से संबंधित विवरण निम्नलिखित है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री वी. के. नागर (दि. 31.07.2011 तक)	1/1
2.	श्री रवि चटर्जी	5/5
3.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	4/4
4.	श्री एच. प्रदीप राव	5/5
5.	श्री ए. एस. राव	5/6
6.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 22.07.2011 से)	2/2
7.	श्री दिनकर एस. पूंजा	5/5
8.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 09.07.2011 तक और 09.12.2011 से)	0/1
9.	श्री एम. भास्कर राव (दि. 12.05.2011 तक)	1/1
10.	श्री एआर नागप्पन	6/6
11.	श्री भूपिन्द्र सिंह सूरी	6/6

**क्षे.ग्रा. बैंकों के समामेलन पर चर्चा करने के लिए गठित समिति:**

वर्ष के दौरान समिति की 1 बैठक दि. 07.01.2012 को आयोजित की गयी:

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठक में उनकी उपस्थिति नीचे प्रस्तुत है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री रवि चटर्जी	1/1
2.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद (दि. 24.08.2011 से)	1/1
3.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	1/1
4.	श्री दिनकर एस. पूंजा	1/1
5.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना (दि. 22.07.2011 से)	1/1
6.	श्री रमेश एल. अडिगे (दि. 09.12.2011 से)	1/1
7.	श्री एआर नागप्पन	1/1

**अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन हेतु गठित समिति:**

भारत सरकार/ भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य को अधिमानी आधार पर ईक्विटी शेयर जारी करने के लिए निदेशक मंडल ने अपने संकल्प सं. बी.डी. 12/2011-2012/02/872/2941 दि. 11.02.2012 के माध्यम से अधिमानी शेयरों की निर्गम समिति का गठन किया है ।

वर्ष के दौरान समिति में दि. 18.02.2012 और 29.03.2012 को दो बैठकें आयोजित की ।

समिति के सदस्यों के ब्यौरे तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति निम्नवत् है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	उपस्थिति
1.	श्री बसंत सेठ	1/1
2.	श्री म.गि. संघवी	1/1
3.	श्री रवि चटर्जी	2/2
4.	श्री एम. आंजनेय प्रसाद	2/2
5.	श्री एआर नागप्पन	2/2



6.	Shri Ramesh L. Adige (Upto 09.07.2011 and from 09.12.2011)	2/2
7.	Shri AR Nagappan	3/3
8.	Shri Bhupinder Singh Suri	2/2

**COMMITTEE ON PARA BANKING ACTIVITIES:**

During the year the committee held 6 meetings on the following dates:

22.04.2011	22.08.2011	03.10.2011	19.11.2011	20.02.2012
31.01.2012				

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri V. K. Nagar (Upto 31.07.2011)	1/1
2.	Shri Ravi Chatterjee	5/5
3.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	4/4
4.	Shri H. Pradeep Rao	5/5
5.	Shri A. S. Rao	5/6
6.	Shri Dilip Kumar Saxena (From 22.07.2011)	2/2
7.	Shri Dinkar S. Punja	5/5
8.	Shri Ramesh L. Adige (Upto 09.07.2011 and from 09.12.2011)	0/1
9.	Shri M. Bhaskara Rao (Upto 12.05.2011)	1/1
10.	Shri AR Nagappan	6/6
11.	Shri Bhupinder Singh Suri	6/6

**COMMITTEE TO DISCUSS AMALGAMATION OF RRBs:**

During the year the Committee met once on 07.01.2012.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Ravi Chatterjee	1/1
2.	Shri M. Anjaneya Prasad (From 24.08.2011)	1/1
3.	Shri Narendra L. Dave	1/1
4.	Shri Dinkar S. Punja	1/1
5.	Shri Dilip Kumar Saxena (From 22.07.2011)	1/1
6.	Shri Ramesh L. Adige (from 09.12.2011)	1/1
7.	Shri AR Nagappan	1/1

**COMMITTEE OF DIRECTORS FOR ISSUE AND ALLOTMENT OF EQUITY SHARES ON PREFERENTIAL BASIS:**

The Board of Directors vide their resolution No. BD 12/2011-2012/02/872/2941 dated 11.02.2012 constituted a "Committee of Directors for issue of preferential shares" for issue of equity shares on preferential basis to Government of India/LIC of India and others.

During the year the committee held 2 meetings on 18.02.2012 and 29.03.2012.

The particulars with regard to the members of the Committee and their attendance at the meetings are given below:

Sl. No.	Name of the Director	Attendance
1.	Shri Basant Seth	1/1
2.	Shri M. G. Sanghvi	1/1
3.	Shri Ravi Chatterjee	2/2
4.	Shri M. Anjaneya Prasad	2/2
5.	Shri AR Nagappan	2/2

**बोर्ड में परिवर्तन:**

1. श्री म. गि. संचवी दि. 01.03.2012 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए ।
2. श्री एम. आंजनेय प्रसाद दि. 24.08.2011 से बैंक के कार्यपालक निदेशक रूप में बोर्ड में शामिल हुए ।
3. श्री दिलीप कुमार सक्सेना दि. 22.07.2011 से सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए ।
4. श्री जगदीश राज श्रीमाली दि. 29.07.2011 से बैंक के निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुए ।
5. श्री रमेश एल. अडिगे ने दि. 09.07.2011 को इस्तीफा दिया और दि. 09.12.2011 से दूसरी अवधि के लिए निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड में पुनः शामिल हुए ।
6. श्री एम. भास्कर राव शेर धारक निदेशक ने दि. 12.05.2011 को इस्तीफा दिया।
7. श्री बसंत सेठ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दि. 29.02.2012 को अधिवर्षिता पर इस्तीफा दिया ।
8. श्री वी. के. नागर, कार्यपालक निदेशक ने दि. 31.07.2011 को अधिवर्षिता पर इस्तीफा दिया ।

**निदेशकों का पारिश्रमिक:**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा बैठक शुल्क, बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा व्यय और विराम खर्च के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक गैर-सरकारी निदेशकों को अदा नहीं किया जाता है।

**बैठक शुल्क:**

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली के संदर्भ सं. 15/1/2011/बी.ओ.आइ. दि. 18.10.2011 के अनुसार गैर सरकारी निदेशक प्रत्येक मंडल बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹ 10,000/- तथा मंडल की किसी भी समिति में उपस्थित होने के लिए प्रति बैठक के लिए ₹ 5,000/- के बैठक शुल्क के लिए पात्र हैं जो दि. 18.10.2011 से लागू है।

(दि. 01.04.2011 से दि. 31.03.2012 तक की अवधि के दौरान निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क के विवरण:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	बैठक शुल्क ₹
1.	श्री नरेन्द्र एल. दवे	1,70,000
2.	श्री दिनकर एस. पूंजा	1,80,000
3.	श्री दिलीप कुमार सक्सेना	2,25,000
4.	श्री जगदीश राज श्रीमाली	1,12,500
5.	श्री रमेश एल. अडिगे	1,22,500
6.	श्री एआर नागप्पन	2,45,000
7.	श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	1,72,500
8.	श्री एम. भास्कर राव	2,500

**आचार संहिता**

मंडल ने अपने सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए आचार संहिता का अनुमोदन किया। इसे बैंक के वेबसाइट अर्थात् [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) पर “शेयरहोल्डर इन्फार्मेशन” के अधीन लगाया गया है।

मंडल के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग ने संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित किया।

**निवेशकों की शिकायत**

निवेशकों को और भी बेहतर सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए हमारे बैंक ने एक ई-मेल आइ.डी. खोल रखा है - “[syndinvest@syndicatebank.co.in](mailto:syndinvest@syndicatebank.co.in)”, जिसे बैंक ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई कर सकेगा।

**दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार गैर-कार्यपालक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण**

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
श्री एच. प्रदीप राव	शून्य
श्री ए. एस. राव	शून्य
श्री नरेन्द्र एल. दवे	शून्य
श्री दिनकर एस. पूंजा	1,204



**CHANGES IN THE BOARD:**

1. Shri M. G. Sanghvi joined the Board as Chairman & Managing Director w.e.f. 01.03.2012.
2. Shri M. Anjaneya Prasad joined the Board as Executive Director w.e.f. 24.08.2011
3. Shri Dilip Kumar Saxena joined the Board as Chartered Accountant Director w.e.f. 22.07.2011.
4. Shri Jagdish Raj Shrimali joined the Bank as Director w.e.f. 29.07.2011.
5. Shri Ramesh L. Adige demitted the Office on 09.07.2011 and re-joined the Bank as Director for the second term w.e.f. 09.12.2011
6. Shri M. Bhaskara Rao, Shareholder Director demitted the Office on 12.05.2011.
7. Shri Basant Seth, Chairman & Managing Director demitted the Office on superannuation on 29.02.2012.
8. Shri V. K. Nagar, Executive Director demitted the Office on superannuation on 31.07.2011.

**REMUNERATION OF DIRECTORS:**

The remuneration of the Chairman & Managing Director and the Executive Directors is fixed by the Central Government. As per the guidelines of Government of India the Bank does not pay any remuneration to the non-official Directors of the Bank apart from sitting fee, traveling expenses and halting expenses for attending meetings.

**SITTING FEES:**

Sitting fees is to be paid to the Non Official Directors at the rate of ₹ 10,000/- and ₹ 5,000/- per meeting for attending Board and other Committee meetings respectively, in terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services, New Delhi Ref. No. 15/1/2011-BO.I dated 18.10.2011, effective from 18.10.2011.

Details of Sitting Fees paid to Directors during the period from 01.04.2011 to 31.03.2012:

Sl. No.	Name of the Director	Sitting Fees ₹
1.	Shri Narendra L. Dave	1,70,000
2.	Shri Dinkar S. Punja	1,80,000
3.	Shri Dilip Kumar Saxena	2,25,000
4.	Shri Jagdish Raj Shrimali	1,12,500
5.	Shri Ramesh L. Adige	1,22,500
6.	Shri AR Nagappan	2,45,000
7.	Shri Bhupinder Singh Suri	1,72,500
8.	Shri M. Bhaskara Rao	2,500

**Code of Conduct**

The Board has approved the Code of Conduct for all Board members and Senior Management of the Bank. The same is also placed on the Bank's website i.e., [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) under "shareholders information"

All Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance to the code.

**Investor Grievance**

As part of the initiative to provide enhanced levels of service to the investors, our Bank has designated an e-mail ID "syndinvest@syndicatebank.co.in" exclusively for the purpose of receiving /addressing complaints and to enable the Bank to attend to such complaints on priority.

**Details of shareholding of Non-executive Directors as on 31.03.2012**

Name of the Director	Number of shares held
Shri H. Pradeep Rao	Nil
Shri A. S. Rao	Nil
Shri Narendra L. Dave	Nil
Shri Dinkar S. Punja	1,204



श्री दिलीप कुमार सक्सेना	शून्य
श्री जगदीश राज श्रीमाली	शून्य
श्री रमेश एल. अडिगे	शून्य
श्री एआर नागप्पन	200
श्री भूपिन्दर सिंह सूरी	2,000

**अधिदेशात्मक/गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन:**

बैंक ने, सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है। शेयर बाजार के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड सं. 49 के अनुसार अपेक्षित सभी अधिदेशात्मक आवश्यकताओं का पालन किया है।

गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की प्रमात्रा निम्न प्रस्तुत है:

आवश्यकताएँ	अनुपालन
बैंक से अपेक्षित है कि वे अपनी ओर से और शेयर धारकों की ओर से तयशुदा शर्तों के साथ, पेंशन के अधिकारों और प्रतिपूर्ति भुगतान सहित कार्यपालक निदेशक के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर बैंक की नीति निर्धारित करने हेतु एक पारिश्रमिक समिति का गठन करें।	भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक(कों) की प्रोत्साहन राशि निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
<b>चेतावनी सूचक नीति</b> बैंक में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या बैंक की आचरण संहिता या नैतिक नीति का उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट करने हेतु बैंक कर्मचारियों के लिए एक प्रणाली लागू करें और कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाव के प्रति पर्याप्त रक्षोपाय प्रदान करें।	बैंक समय-समय पर अपने परिपत्रों के माध्यम से यह दोहरा रहा है कि कर्मचारी सदस्य शिकायतों/सुझावों के रूप में संगठन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना को उचित माध्यम से संबोधित कर सकते हैं। वर्ष के दौरान परिपत्र के माध्यम से चेतावनी सूचक नीति पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए। अत्यावश्यक/आपत्काल के मामले में उसे सीधे समुचित प्राधिकारी को संबोधित किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारी सदस्य विचलनों को लिखित रूप में और विधिवत हस्ताक्षर करके प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं जिनको रोकना/परिशोधित करना संगठन के हित की दृष्टि में आवश्यक है।
डाक द्वारा मतदान	कारोबार लेनदेन के लिए डाक द्वारा मतदान करने के लिए कोई विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं है।
वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा तथा पिछले 6 महीने से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित किया जाए।	इन्हें बैंक के वेबसाइट में अपलोड किया गया है।
लेखा परीक्षा अर्हताएं – कंपनी अनर्हक वित्तीय विवरण प्रणाली अपना सकता है।	बैंक द्वारा इस आवश्यकता का पालन किया गया है।
बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण – कंपनी अपने बोर्ड सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडल तथा कारोबार की जोखिम प्रोफाइल के संबंध में प्रशिक्षण दे सकती है जिनके अंतर्गत मंडल के सदस्यों को अपने दायित्व तथा कर्तव्य के निर्वाह में सुविधा होगी।	बैंक अपने निदेशकों को भरपूर प्रशिक्षण प्रदान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें। वर्ष के दौरान 5 निदेशकों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता की है।
गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन किसी समकक्ष समूह द्वारा करवाया जाए, जिसमें सभी निदेशक शामिल हों और समकक्ष समूह के मूल्यांकन को गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों को बढ़ाने/उसे जारी रखने की प्रणाली के रूप अपनाया जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दि.01.11.2007 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार शेयर धारक निदेशकों का वार्षिक आधार पर चयन करते समय और बैंक बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उपयुक्त और उचित स्थिति का पालन किया जाता है।

**कंपनी की शेयर पूंजी**

बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹ 3000 करोड़ है जो प्रत्येक ₹ 10 के 300 करोड़ इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित है।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने अपने पत्र सं. आइ.एन.वी./इक्विटी सेक्शन दि. 21.02.2012 के माध्यम से सूचना दी है कि उन्होंने बैंक की पूर्व-निर्गम प्रदत्त पूंजी के 5% तक पूंजी लगाने का निर्णय लिया है।

तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम से निधियाँ प्राप्त करने के बाद और भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, शेयरधारकों, मुंबई शेयर बाजार (बी.एस.ई.) तथा राष्ट्रीय शेयर बाजार (एन.एस.ई.) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद अधिमाम्य आधार पर ₹ 114.15 प्रति शेयर की दर पर दि. 29.03.2012 को भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के पक्ष में 2,8664284 (दो करोड़ छियासी लाख चौसठ हजार दो सौ चौरासी मात्र) इक्विटी शेयर जारी किए गए और आबंटित किए गए जिनका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रति शेयर है। दि. 31.03.2012 तक बैंक की प्रदत्त पूंजी बढ़कर ₹ 601.95 करोड़ हो गयी।





Shri Dilip Kumar Saxena	Nil
Shri Jagdishraj Shrimali	Nil
Shri Ramesh L. Adige	Nil
Shri AR Nagappan	200
Shri Bhupinder Singh Suri	2,000

**Compliance to mandatory / non-mandatory requirements**

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in clause 49 of the Listing agreement entered into with the Stock Exchanges.

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
The Bank should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference , the Bank's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment	Remuneration Committee of the Board has been constituted to determine the incentive payments to Chairman and Managing Director /Executive Director(s) in terms of the Government of India guidelines
<b>Whistle Blower Policy</b> The Bank may establish a mechanism for employees to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and provide for adequate safeguards against victimization of employees	The Bank has reiterated time and again through internal circulars that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints / suggestions/ grievances through proper channel. Guidelines on whistle blower policy was also issued during the year by way of circular  In case of urgency/exigency, it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can, thus effectively perform the role of a genuine "Whistle Blower" in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is not in the interest of the organization and needs to be checked/rectified
Postal Ballot	The business transacted did not require any special resolution to be put through postal ballot
A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant event in the last six months may be sent to each shareholder	It has been uploaded on the website of the Bank
Audit qualifications – Company may move towards a regime of unqualified financial statements	The Bank is taking steps to comply with this requirement
Training of Board Members – Company may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them	The Bank is providing ample training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties effectively. During the year 5 directors attended various training programmes
The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to exceed/continue the terms of appointment of non-executive directors	As per RBI guidelines dated 01.11.2007, a fit and proper status is being looked into by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on annual basis

**Share Capital of the Company**

The Authorized Capital of the Bank is ₹3000 crore, divided into 300 crore of equity shares of ₹10/- each.

Life Insurance Corporation of India (LIC) vide their letter No. Inv/Equity Section dated 21.02.2012 conveyed their consent to subscribe upto 5% of the pre-issue paid-up capital of the Bank.

Accordingly, 2,86,64,284 (Two crore eighty six lakh sixty four thousand two hundred and eighty four only ) equity shares of the face value of ₹ 10/- each were issued and allotted in favour of various schemes of LIC of India on 29.03.2012 @ ₹ 114.15 per share on preferential basis on receipt of funds from them and after obtaining necessary approvals from Government of India, Reserve Bank of India, Shareholders, Bombay Stock Exchange Ltd., (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd., (NSE). The paid up capital of the Bank increased to ₹ 601.95 crore as on 31.03.2012.



**आम बैठकें:**

- i) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 क (2) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आम बैठक में उपस्थित शेयरधारकों को गत 31 मार्च तक के तुलन-पत्र, बैंक के लाभ व हानि खाते, लेखों द्वारा व्याप्त की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र तथा खातों के बारे में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने, अनुमोदन करने और अंगीकार करने का हक होगा।

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं।

आम बैठक का स्वरूप	दिनांक	समय	स्थान
दसवीं वार्षिक आम बैठक	26.06.2009	प्रातः 11.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक	25.06.2010	प्रातः 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल
बारहवीं वार्षिक आम बैठक	25.06.2011	प्रातः 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

दि. 26.06.2009 को संपन्न दसवीं वार्षिक आम बैठक में बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के संबंध में विशेष संकल्प पारित किया गया। पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई संकल्प पारित नहीं किया गया।

दि. 26.06.2009 को संपन्न शेयरधारकों की 10 वीं वार्षिक आम बैठक में श्री एम. भास्कर राव, श्री एआर नागप्पन और श्री भूपिन्दर सिंह सूरी को शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः चयनित किया गया।

- ii) शेयरधारकों की असाधारण आम बैठकों (ई.जी.एम.) के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं:

दिन एवं दिनांक	समय	स्थान	उद्देश्य
शुक्रवार, जून 23, 2006	प्रातः 10.00 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	3 शेयरधारक निदेशकों का चुनाव
शनिवार, मार्च 19, 2011	प्रातः 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन
गुरुवार, मार्च 22, 2012	प्रातः 11.30 बजे	सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल	भारत सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयरों का आबंटन

**प्रकटीकरण:**

बैंक का नियंत्रण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण प्रावधान) योजना, 1970 द्वारा किया जाता है। सेबी ने स्पष्ट किया है कि वे सूचीबद्ध संस्थाएँ जो कंपनियां नहीं हैं, परंतु वे अन्य संविधि के अंतर्गत निगमित निकाय (यानी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियां इत्यादि) हैं तो सूचीकरण करार का खण्ड सं. 49 उस सीमा तक लागू नहीं होगा जब तक वे अपने संबंधित संविधि तथा संगत विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

- i) **निदेशकों का पारिश्रमिक**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक(कों) के पारिश्रमिक का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। बैंक द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित बैठक शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है:

मंडल बैठक के लिए : ₹ 10,000/- प्रति बैठक

समिति की बैठक के लिए : ₹ 5,000/- प्रति बैठक

- ii) **महत्वपूर्ण लेन-देन और आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण**

बैंक ने अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार से भिन्न अपने किसी भी प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन, अपनी सहायक संस्थाओं या रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों पर विरोध होने की संभावना हो। वर्ष के दौरान गैर कार्यपालक निदेशक (कों) साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं हुआ है।

बैंक की यह सुस्थापित पद्धति है कि जब निदेशकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में बैठक में चर्चा होती है तो वे निदेशक मंडल या अन्य उप-समितियों के विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करते हैं।

- iii) **सार्वजनिक निर्गम, अधिमानी निर्गम इत्यादि की प्राप्य राशि:**

समीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले इक्विटी शेयरों को ₹ 104.15 की प्रीमियम दर से अधिमानी निर्गम के रूप में 2,86,64,284 इक्विटी शेयर जारी किए जिसकी कुल राशि ₹ 327.20 करोड़ है।

निधियों को जुटाने का मुख्य उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मज़बूत बनाने हेतु टियर-1 और टियर-2 पूंजी जुटाना तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में सुधार करना है और उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए किया गया है।



**GENERAL BODY MEETINGS:**

i) In accordance with the provisions under Section 10A(2) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the shareholders of our Bank present at an Annual General Meeting shall be entitled to discuss, approve and adopt the Balance-Sheet and Profit and Loss account of the Bank made up to the previous 31<sup>st</sup> day of March, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance-Sheet and accounts.

The details of the last three Annual General Meetings of the Bank are furnished here below.

Nature of General Meeting	Date	Time	Venue
Tenth Annual General Meeting	26.06.2009	11.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Eleventh Annual General Meeting	25.06.2010	11.30 a.m	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL
Twelfth Annual General Meeting	25.06.2011	11.30 a.m	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, MANIPAL

Special Resolution with regard to Voluntary Delisting of equity shares of the Bank from Bengaluru Stock Exchange Ltd. was passed in the Tenth Annual General Meeting held on 26.06.2009. No resolutions have been passed through postal ballots.

At Tenth Annual General Meeting of the Shareholders held on 26.06.2009, Shri M. Bhaskara Rao, Shri AR Nagappan and Shri Bhupinder Singh Suri were re-elected as shareholder directors.

ii) The details of the last three Extraordinary General Meetings (EGM) of shareholders are as follows:

Day & Date	Time	Venue	Purpose
Friday June 23, 2006	10.00 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Election of 3 shareholder directors
Saturday March 19, 2011	11.30 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India
Thursday, March 22, 2012	11.30 a.m.	SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal	Allotment of equity shares on preferential basis to Government of India and LIC of India

**DISCLOSURES:**

The Bank is governed under the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporate (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies, etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities.

**i. Remuneration of Directors**

The Remuneration of the Chairman and Managing Director and Executive Director(s) is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Independent Directors excepting sitting fees, which is as under:

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per meeting

For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per meeting

**ii. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship**

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives, etc that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director(s) vis-à-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

**iii. Proceeds from public issues, preferential issues, etc.**

During the year under review, the Bank has issued 2,86,64,284 equity shares of the face value of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 104.15 to various schemes of Life Insurance Corporation of India by way of Preferential Issue of Equity Shares amounting to ₹ 327.20 crore.

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier – I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long term resources of the Bank and same were utilized for the said purpose.



- iv) बैंक के संगत पार्टी लेन-देनों का प्रकटीकरण दि. 31.03.2012 के तुलन पत्र की लेखा संबंधी टिप्पणी में किया गया है ।
- v) बैंक ने जब से शेयरों को सूचीबद्ध किया है तब से पूंजी बाजार से संबंधित सभी मामलों का पालन किया है ।
- vi) दि. 31 मार्च, 2012 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में शेयर बाजार या 'सेबी' या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की आलोचना की गयी है ।
- vii) बैंक ने वार्षिक आम बैठक आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को सांविधिक समय सीमा के भीतर लाभांश का भुगतान कर दिया है ।
- viii) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अंतर्गत सी.ई.ओ. और सी.एफ.ओ. के प्रमाणपत्रों को बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।
- ix) सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अनुसार लेखा परीक्षकों से वर्ष 2011-2012 के लिए बैंक ने नैगम अभिशासन से संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जिसकी प्रति इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।
- x) शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खण्ड 47 (सी) के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ अंतरण, संप्रेषण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण और ईक्विटी शेयरों का विनियम के संबंध में व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद से हर छह महीने में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया । उक्त प्रमाणपत्रों को उसके जारी करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बी.एस.ई. और एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया और उसे निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया ।
- xi) सेबी परिपत्र सं. डी. एण्ड सी.सी./एफ.आइ.टी.टी.सी./सी.आइ.आर. 16 दि. 31.12.2002 के अनुसार बैंक ने दोनों निक्षेपगारों यानी एन.एस.डी.एल. और सी.डी.एस.एल. के साथ कुल स्वीकृत पूंजी तथा बैंक की कुल निर्गत और सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के उद्देश्य हेतु और सेबी के निदेशों के अंतर्गत आनेवाले अन्य मामलों में एक व्यवसायी कंपनी सचिव यानी मेसर्स के. के. राव एण्ड एसोसिएट्स, हैदराबाद द्वारा त्रैमासिक आधार पर सचिवीय लेखा परीक्षा करवायी । इस संबंध में निर्गत रिपोर्ट को दि. 11.04.2011, 13.07.2011, 12.10.2011 और 11.01.2012 को तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बी.एस.ई. तथा एन.एस.ई. को अग्रेषित किया गया जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है ।

**संप्रेषण माध्यम:**

बैंक के परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन से संबंधित जानकारी, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है, जिसमें नैगम अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे, नकदी उपलब्धता विवरण इत्यादि शामिल होते हैं । इसके अलावा, शेयरधारकों को बैंक के निष्पादन/वित्तीय परिणामों की सूचना समाचार पत्रों, बैंक के वेबसाइट (www.syndicatebank.in) तथा स्टॉक एक्सचेंजों की सूचना के जरिए भी दी जाती है । इसके अतिरिक्त, बैंक के त्रैमासिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय परिणामों को सामान्य तौर पर राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र जैसे, इकॉनामिक टाइम्स, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्र, उदयवाणी में भी प्रकाशित किया जाता है ।

वर्ष के दौरान, बैंक के त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक/वार्षिक परिणामों को अन्य समाचार पत्रों के अलावा निम्नलिखित समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया गया :

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च 2011 को समाप्त वर्ष	बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट	उदयवाणी	13.05.2011
जून 2011 को समाप्त तिमाही	फाइनांशियल एक्सप्रेस	उदयवाणी	30.07.2011
सितंबर 2011 को समाप्त अर्ध-वर्ष	फाइनांशियल एक्सप्रेस, मिंट	उदयवाणी विजय कर्नाटका	23.10.2011
दिसंबर 2011 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	उदयवाणी	25.01.2012

सूचीकरण करार के खण्ड 41 की शर्तों के अनुसार, वित्तीय परिणाम और संवेदनशील कीमत की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है ।

**शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी:**

**तेरहवीं वार्षिक आम बैठक एवं वित्तीय कैलेण्डर:**

बैंक के शेयरधारकों की तेरहवीं वार्षिक आम बैठक सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104 में मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2012 को प्रातः 11.00 बजे होगी और वर्ष 2012-2013 के लिए बैंक का वित्तीय कैलेण्डर निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कार्यकलाप का स्वरूप	तारीख
1.	31.03.2012 के वार्षिक वित्तीय लेखों का बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदन एवं अंतिम लाभांश की सिफारिश करना	05.05.2012
2.	वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण	19.06.2012 से 21.06.2012 तक
3.	बही बंदी	13.07.2012 से 17.07.2012 तक
4.	प्रॉक्सी फार्मों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख	12.07.2012
5.	तेरहवीं वार्षिक आम बैठक	17.07.2012
6.	प्रथम तीन तिमाहियों के लिए अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	तिमाही की समाप्ति से 45 दिनों के भीतर



- iv. The related party transactions of the Bank are disclosed in the Notes on Accounts of the Balance Sheet as on 31.03.2011.
- v. The Bank has complied with all matters related to Capital Market since its listing of shares.
- vi. There are no penalties or strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other Statutory Authority on any matter related to Capital Markets during the last 3 years ended 31st March 2012.
- vii. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.
- viii. The Certificate of CEO and CFO under Clause 49 of the Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this Report.
- ix. In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, a certificate has been obtained from the Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2011-2012 and the same is annexed to this Report.
- x. As required under Clause 47(C) of the Listing Agreements entered into with the stock exchanges, a certificate is obtained every six months from a practicing Company Secretary viz. M/s. K. K. Rao and Associates, Hyderabad, with regard to inter-alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are forwarded to BSE and NSE, within 30 days of issuance and also placed before the Board of Directors.
- xi. In terms of SEBI's Circular No. D &CC/FITC/CIR-16 dated 31.12.2002, a Secretarial Audit is conducted on a quarterly basis by a Practicing Company Secretary, viz. M/s. K. K. Rao and Associates, Hyderabad, for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both depositories i.e. NSDL and CDSL and the total Issued and Listed Capital of Syndicate Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI. Reports issued in this regard were placed before the Board of Directors of the Bank on 11.04.2011, 13.07.2011, 12.10.2011 and 11.01.2012, respectively and forwarded within 30 days from the end of the quarter to BSE and NSE, where the equity shares of the Bank are listed.

**MEANS OF COMMUNICATION:**

The information about the operations and financial performance of the Bank is mainly provided through the Annual Report of the Bank, which contains Report of the Board of Directors on Corporate Governance, the Directors' Report, Audited Accounts, Cash Flow Statements, etc. The shareholders are also intimated of the Bank's performance/ financial results on a regular basis through news papers and Website of the Bank ([www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in)), besides Notice to Stock Exchanges. Further, the quarterly / half-yearly financial results are published in the National English newspapers like Economic Times, Business Line, Business Standard, etc., and in the Regional newspaper, Udayavani.

During the year, the quarterly/half yearly/annual results of the bank were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2011	Business Standard, Mint	Udayavani	13.05.2011
Quarter ended June 2011	Financial Express	Udayavani	30.07.2011
Half year ended September 2011	Financial Express, Mint	Udayavani, Vijay Karnataka	23.10.2011
Quarter ended December 2011	Business Standard, Mint	Udayavani	25.01.2012

In terms of clause 41 of the Listing Agreement, the Financial Results and the price sensitive information(s) are furnished to stock exchanges.

**GENERAL INFORMATION TO SHAREHOLDERS:**

**Thirteenth Annual General Meeting and the Financial Calendar:**

The Thirteenth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104, on Tuesday the 17<sup>th</sup> July 2012 at 11.00 A.M. and Financial Calendar of the Bank for the year 2012-2013 is as follows.

Sl. No.	Nature of activity	Date
1.	Board Meeting to approve Annual Financial Accounts as at 31.03.2012 and recommending Dividend, etc.	05.05.2012
2.	Mailing of Annual Reports	19.06.2012 to 21.06.2012
3.	Book Closure	13.07.2012 to 17.07.2012
4.	Last date for receipt of Proxy Forms	12.07.2012
5.	Thirteenth Annual General Meeting	17.07.2012
6.	Publication of un-audited financial results for the first 3 quarters	Within 45 days from the end of the quarter



**सूचीकरण**

बैंक के शेयरों का निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण किया गया है।

क्र.सं.	एक्सचेंज का नाम	स्क्रिप कूट
क.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड “एक्सचेंज प्लाज़ा” बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	-
ख.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 001	532276



राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड द्वारा बैंक को आबंटित आइ.एस.आइ.एन. कूट आइ.एन.ई 667ए 01018 है। दि. 31.3.2012 तक का वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान नियत तारीखों के भीतर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

**शेयर बाजार आंकड़े:**

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ किये गए शेयर लेन-देन की प्रमात्रा एवं मासिक उच्च तथा निम्न भाव दर निम्नानुसार हैं :

वर्ष-मास	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड		
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	लेन-देन की प्रमात्रा (सं)
अप्रैल - 2011	131.90	115.60	20,56,766	132.00	115.55	1,71,48,172
मई - 2011	121.90	108.25	17,16,003	121.00	100.00	1,18,82,499
जून - 2011	120.00	109.60	10,87,916	120.05	109.55	76,04,692
जुलाई - 2011	124.85	114.50	15,05,447	124.75	114.20	1,10,17,936
अगस्त - 2011	121.80	90.80	18,64,533	121.65	90.60	1,42,55,872
सितंबर - 2011	109.40	96.00	10,90,305	109.50	96.40	85,09,802
अक्टूबर - 2011	112.00	96.00	8,42,288	111.90	96.00	55,94,350
नवंबर - 2011	109.40	92.10	10,13,308	109.35	93.85	77,78,463
दिसंबर - 2011	104.20	67.45	12,96,892	104.55	67.40	1,06,43,635
जनवरी - 2012	98.70	67.90	24,78,006	98.70	67.75	1,53,38,753
फरवरी - 2012	120.70	94.85	28,44,655	120.95	94.85	2,12,14,815
मार्च - 2012	121.00	103.75	16,71,042	121.80	104.00	1,34,10,271

बीएसई सेन्सेक्स एवं निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयर मूल्य का निष्पादन निम्नवत् हैं।





**Listing:**

The shares of the Bank are listed at the following Stock Exchanges :

Sl No.	Name of the Exchange	Scrip Code
a	National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza" Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051	-
b.	Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai 400 001	532276

The ISIN Code allotted by National Securities Depositories Limited for the Bank is INE667A01018.



The Annual Listing fees upto 31.03.2012 have been paid to both the Stock exchanges within the prescribed due dates.

**STOCK MARKET DATA**

The monthly high and low quotations and the quantity of Shares traded on Bombay Stock Exchange Ltd., (BSE) and National Stock Exchange of India Ltd., (NSE) during the Financial Year 2011-2012 is as follows:

Year-Month	BSE			NSE		
	High ₹	Low ₹	Traded Quantity (Nos)	High ₹	Low ₹	Traded Quantity (Nos)
2011 - April	131.90	115.60	20,56,766	132.00	115.55	1,71,48,172
2011 - May	121.90	108.25	17,16,003	121.00	100.00	1,18,82,499
2011 - June	120.00	109.60	10,87,916	120.05	109.55	76,04,692
2011 – July	124.85	114.50	15,05,447	124.75	114.20	1,10,17,936
2011 – Aug	121.80	90.80	18,64,533	121.65	90.60	1,42,55,872
2011 - Sept	109.40	96.00	10,90,305	109.50	96.40	85,09,802
2011 – Oct	112.00	96.00	8,42,288	111.90	96.00	55,94,350
2011 – Nov	109.40	92.10	10,13,308	109.35	93.85	77,78,463
2011 – Dec	104.20	67.45	12,96,892	104.55	67.40	1,06,43,635
2012 – Jan	98.70	67.90	24,78,006	98.70	67.75	1,53,38,753
2012 – Feb	120.70	94.85	28,44,655	120.95	94.85	2,12,14,815
2012 – Mar	121.00	103.75	16,71,042	121.80	104.00	1,34,10,271

Performance of the Bank's Share Price vis-à-vis BSE Sensex and Bank Nifty are as under:





**शेयर अंतरण प्रणाली, रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट**

**क) कागज़ी शेयर**

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कागज़ी शेयरों का अंतरण रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के पास दर्ज करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंदर प्रभावी हैं। बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के प्रभावी अंतरण हेतु बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसकी नियमित अन्तरालों में बैठक होती है।

बैंक ने मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद को अपने रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ताओं के कार्यालय द्वारा शेयर अंतरण, लाभांश का भुगतान एवं सभी अन्य निवेशकों संबंधी कार्यकलाप देखे जाते हैं और संसाधित किए जाते हैं। शेयरधारक, अंतरण पत्र एवं कोई अन्य दस्तावेज, परिवाद तथा शिकायतें रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ताओं को नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं :

मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड

यूनिट : सिंडिकेट बैंक

प्लॉट नंबर 17 से 24

विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद – 500 081

दूरभाष : 040 44655000-विस्तार 116 या 040 44655116 (सीधा)

फैक्स : 040-23420814

**ख) बेकागज़ी शेयर**

बैंक के शेयरों का लेन-देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इण्डिया लिमिटेड के पास अनिवार्य रूप से आइ एस आइ एन कूट आइ एन ई 667A01018 और बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. के पास स्क्रिप कूट सं. 532276 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा लिमिटेड (सीएसडीएल) बैंक के शेयरों को बेकागज़ीकृत रूप में रखनेवाले निक्षेपागार हैं।

उक्त तारीख तक, बैंक के कुल शेयर होल्डिंग के 95.59% को बेकागज़ीकृत किया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा 398285671 इक्विटी शेयर के रूप में रखी गयी संपूर्ण शेयर पूंजी का हिस्सा कुल प्रदत्त पूंजी का 69.47% है जो बेकागज़ीकृत फार्म में है।

**दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा बेकागज़ी रूप में और कागज़ी रूप में रखे गए शेयरों के विवरण:**

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग की प्रतिशतता
<b>क. कागज़ी</b>	1,18,581	5,32,89,784*	8.85*
<b>ख. बेकागज़ी</b>			
एन.एस्.डी.एल.	1,06,206	14,25,48,328	23.68
सी.डी.एस.एल.	28,739	40,61,11,843	67.47
<b>कुल</b>	<b>2,53,562</b>	<b>60,19,49,955</b>	<b>100.00</b>

\* इनमें दि. 29.03.2012 को भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं के लिए आबंटित 2,86,64,284 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनको दि. 16.04.2012 को बेकागज़ीकृत किया गया है। इसके बाद कागज़ी शेयरों की प्रतिशतता 4.08% है।

**शेयरधारण का पैटर्न**

31.03.2012 को सिंडिकेट बैंक का शेयरधारण पैटर्न (इक्विटी शेयर पूंजी) निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ए.	<b>प्रवर्तक का धारण</b>		
1	<b>प्रवर्तक</b>		
	भारत सरकार	398285671	66.17
	विदेशी प्रवर्तक	कुछ नहीं	
2	<b>सहमति से कार्य करनेवाले व्यक्ति</b>	कुछ नहीं	
	<b>कुल</b>	<b>398285671</b>	<b>66.17</b>
बी.	<b>गैर-प्रवर्तक धारण</b>		
3	<b>संस्थागत निवेशक</b>		
क.	म्यूच्युअल फंड्स एवं यू.टी.आई.	1618405	0.27



**SHARE TRANSFER SYSTEM, REGISTRAR AND TRANSFER AGENTS**

**(a) Physical Shares**

The Bank ensures that all transfers of physical shares are duly effected within a period of one month from the date of their lodgment with the Registrar and Share Transfer Agents. The Board has constituted Share Transfer Committee, which meets at regular intervals for effecting transfer of shares issued by the Bank.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad as its Registrars and Share Transfer Agents. Share transfers, Dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrars and Share Transfer Agents. Shareholders can lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints with the Registrars and Transfer agents at the following address:

M/s. Karvy ComputerShare (P) Ltd.  
 UNIT: SyndicateBank  
 Plot No. 17 to 24,  
 Vithalrao Nagar, Madhapur,  
 HYDERABAD – 500 081  
 Phone No. 040 44655000 – Extn; 116 or 040 44655116 (D)  
 Fax No. 040 23420814

**(b) Shares in demat form**

The Bank’s shares are traded compulsorily in demat mode under ISIN Code INE667A01018 with National Stock Exchange of India Ltd. and Scrip Code No.532276 with Bombay Stock Exchange Ltd. The National Securities Depository Ltd., (NSDL) and the Central Depository Services Ltd., (CDSL) are the depositories holding the Bank’s share in demat mode.

As on date, 95.92% of the total shareholding of the Bank has been dematerialized and the entire share capital held by the Central Government i.e. 39,82,85,671 equity shares constituting 66.17% of the total paid-up capital is in dematerialized form.

**Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Shareholders as on 31.03.2012 are as under:**

	No. of Shareholders	No. of Shares	Percentage of Shareholding
<b>A. PHYSICAL</b>	1,18,581	5,32,89,784*	8.85*
<b>B. DEMAT</b>			
• NSDL	1,06,206	14,25,48,328	23.68
• CDSL	28,739	40,61,11,843	67.47
<b>TOTAL</b>	<b>2,53,526</b>	<b>60,19,49,955</b>	<b>100.00</b>

\* includes 2,86,64,284 equity shares allotted to various schemes of LIC of India on 29.03.2012, which were dematerialised on 16.04.2012. After this, position of shares in physical form is 4.08%.

**Shareholding Pattern**

The shareholding pattern (equity share capital) as on 31.03.2012 is as follows:

Sl. No.	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
A	<b>Promoter’s Holding</b>		
1	Promoters		
	Government of India	398285671	66.17
	Foreign promoters	NIL	
2	Persons acting in concert	NIL	
	<b>Total</b>	<b>398285671</b>	<b>66.17</b>
B	<b>Non –Promoter Holding</b>		
3	Institutional Investor		
a	Mutual Funds and UTI	1618405	0.27



क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ख.	बैंकों, वित्तीय संस्थाएँ	1147785	0.19
ग.	बीमा कंपनियाँ	102552581	17.03
घ.	एफ.आइ.आइ. (विदेशी संस्थागत निवेशक)	24305397	4.04
	<b>उप-जोड़</b>	<b>129624168</b>	<b>21.53</b>
4	<b>अन्य</b>		
क.	निजी नैगम निकाय	11473458	1.91
ख.	भारतीय जनता	60904271	10.11
ग.	एनआरआइ/ओसीबी	1063277	0.18
घ.	अन्य	599110	0.10
	<b>उप-जोड़</b>	<b>74040116</b>	<b>12.30</b>
	<b>गैर-प्रवर्तक धारण की जोड़</b>	<b>203664284</b>	<b>33.83</b>
	<b>कुल जोड़</b>	<b>601949955</b>	<b>100.00</b>

दि. 31.03.2012 को 1% से अधिक शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	शेयरधारकों के नाम	धारित शेरों की संख्या	शेयरधारण का %
प्रायोजक	भारत का राष्ट्रपति, भारत सरकार निदेशक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग, नई दिल्ली	<b>398285671</b>	<b>66.17</b>
बीमा कंपनियाँ	भारतीय जीवन बीमा निगम	<b>87450499</b>	<b>14.53</b>
	एच.डी.एफ.सी. स्टैंडर्ड लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	<b>8080745</b>	<b>1.34</b>
	<b>कुल</b>	<b>49,38,16,915</b>	<b>82.04</b>

दि. 31.03.2012 शेयर वितरण पैटर्न

क्र.सं.	नाममात्र मूल्य के शेयरधारण (रुपए)	शेयरधारकों की संख्या	कुल की प्रतिशतता	शेरों की सं.	रकम (₹)	कुल की प्रतिशतता
1.	500 तक	33472	13.20	9,29,006	92,90,060	0.15
2.	501 - 1000	95169	37.54	93,75,261	9,37,52,610	1.56
3.	1001 - 2000	56367	22.23	1,03,70,326	10,37,03,260	1.72
4.	2001 - 3000	19598	7.73	55,35,999	5,53,59,990	0.92
5.	3001 - 4000	27696	10.92	1,09,67,681	10,96,76,810	1.82
6.	4001 - 5000	7163	2.83	34,18,773	3,41,87,730	0.57
7.	5001 - 10000	9579	3.78	73,65,539	7,36,55,390	1.22
8.	10001 - 50000	3844	1.52	75,67,506	7,56,75,060	1.26
9.	50001 - 100000	276	0.11	20,44,008	2,04,40,080	0.34
10.	100001 और अधिक	362	0.14	54,43,75,856	544,37,58,560	90.44
	<b>कुल</b>	<b>253526</b>	<b>100.00</b>	<b>60,19,49,955</b>	<b>601,94,99,550</b>	<b>100.00</b>

दि. 31.03.2012 तक शेयरधारकों का भौगोलिक फैलाव

स्थान	कागजी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
दिल्ली	7577	2041501	0.34	10579	402077881	66.80	18156	404119382	67.14
-भारत सरकार	-	-	-	1	398285671	66.17	1	398285671	66.17
- अन्य	7577	2041501	0.34	10578	3792210	0.63	18155	5833711	0.97
बेंगलूर	11369	2388021	0.40	11845	3256232	0.54	23214	5644253	0.94
चेन्नई	3792	772100	0.13	6743	2160153	0.36	10535	2932253	0.49





Sl. No.	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
b	Banks, Financial Institutions	1147785	0.19
c	Insurance Companies	102552581	17.03
d	FII's	24305397	4.04
	<b>Sub Total</b>	<b>129624168</b>	<b>21.53</b>
4	Others		
a	Bodies Corporate	11473458	1.91
b	Indian Public	60904271	10.11
c	NRIs/OCBs	1063277	0.18
d	Any Others	599110	0.10
	<b>Sub Total</b>	<b>74040116</b>	<b>12.30</b>
	<b>Total Non-Promoters Holding</b>	<b>203664284</b>	<b>33.83</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>601949955</b>	<b>100.00</b>

**Details of shareholding of more than 1% of the paid up share capital as on 31.03.2012**

Category	Name of the Shareholder	No. of Shares	% of shareholding
Promoters	<b>President of India, Government of India</b> Ministry of Finance Department of Financial Services. Sansad Marg, New Delhi	<b>398285671</b>	<b>66.17</b>
Insurance Companies	<b>Life Insurance Corporation of India</b>	<b>87450499</b>	<b>14.53</b>
	<b>HDFC Standard Life Insurance Company Ltd.</b>	<b>8080745</b>	<b>1.34</b>
	<b>Total</b>	<b>49,38,16,915</b>	<b>82.04</b>

**Distribution Pattern as on 31-03-2012**

Sl. No.	Shareholding of Nominal Value of (₹)	No. of Shareholders	% age of Total	No. of Shares	Amount (₹)	% age to Total
1.	Upto 500	33472	13.20	9,29,006	92,90,060	0.15
2.	501 - 1000	95169	37.54	93,75,261	9,37,52,610	1.56
3.	1001 - 2000	56367	22.23	1,03,70,326	10,37,03,260	1.72
4.	2001 - 3000	19598	7.73	55,35,999	5,53,59,990	0.92
5.	3001 - 4000	27696	10.92	1,09,67,681	10,96,76,810	1.82
6.	4001 - 5000	7163	2.83	34,18,773	3,41,87,730	0.57
7.	5001 - 10000	9579	3.78	73,65,539	7,36,55,390	1.22
8.	10001 - 50000	3844	1.52	75,67,506	7,56,75,060	1.26
9.	50001 - 100000	276	0.11	20,44,008	2,04,40,080	0.34
10.	100001 and above	362	0.14	54,43,75,856	544,37,58,560	90.44
	<b>TOTAL</b>	<b>253526</b>	<b>100.00</b>	<b>60,19,49,955</b>	<b>601,94,99,550</b>	<b>100.00</b>

**Geographical Spread of Shareholders as on 31.03.2012**

Places	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
	No. of Shareholders	No. of Shares	% holding	No. of Shareholders	No. of Shares	% holding	No. of Shareholders	No. of Shares	% holding
Delhi	7577	2041501	0.34	10579	402077881	66.80	18156	404119382	67.14
- GOI	-	-	-	1	398285671	66.17	1	398285671	66.17
- Others	7577	2041501	0.34	10578	3792210	0.63	18155	5833711	0.97
Bengaluru	11369	2388021	0.40	11845	3256232	0.54	23214	5644253	0.94
Chennai	3792	772100	0.13	6743	2160153	0.36	10535	2932253	0.49



स्थान	कागजी			बेकागजी			कुल		
	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता	शेयरधारकों की सं.	शेयरधारण की सं.	शेयरधारण की प्रतिशतता
हैदराबाद	4232	917900	0.15	5283	1759327	0.29	9515	2677227	0.44
कोलकाता	1571	395501	0.07	4230	7153094	1.19	5801	7548595	1.25
मंगलूर	1773	378325	0.06	2384	808046	0.13	4157	1186371	0.20
मुंबई	4532	29740296	4.94	14121	110228640	18.31	18653	139968936	2325
उडुपि	1906	387800	0.06	1783	589720	0.10	3689	977520	0.16
अन्य स्थान	81829	16268340	2.70	77977	20627078	3.43	159806	36895418	6.13
<b>कुल</b>	<b>118581</b>	<b>53289784</b>	<b>8.85</b>	<b>134945</b>	<b>548660171</b>	<b>91.15</b>	<b>253526</b>	<b>601949955</b>	<b>100.00</b>

### स्थायी खाता संख्या (पैन)

सेबी के निर्देशों और सूचीकरण करार में किए गए संशोधन के अनुसार कागजी शेयरों के निम्नलिखित लेन-देनों के लिए अंतरिती/अंतरितियों द्वारा पैन कार्ड की साक्ष्यांकित प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है :

- शेयरों का अंतरण
- दिवंगत शेयरधारकों के नाम को हटाना
- विधिक वारिस के नाम पर शेयरों को अंतरित करना
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - यदि नामों के क्रम में परिवर्तन हो ;
- पते में हुए परिवर्तन को नोट करने
- ई. सी. एस. अधिदेश नोट करने

### नामांकन सुविधा

बैंक का प्रत्येक शेयरधारक किसी भी समय निर्धारित ढंग से किसी एक व्यक्ति को नामित कर सकता है, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात् बैंक में धारित शेयर प्रदान किए जा सकें। जहाँ शेयर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हैं तो संयुक्त धारक मिलकर नियत तरीके से एक व्यक्ति को नामित करें जिसे सभी संयुक्त धारियों की मृत्यु के संदर्भ में बैंक शेयरों के सभी हक प्रदान किए जाएं।

तदनुसार, कागजी रूप से शेयरों को रखनेवाले शेयरधारी बैंक के साथ या रजिस्ट्रार और बैंक के अंतरण अधिकर्ताओं के साथ विधिवत् भरे गए फार्म 2बी (संलग्न) दायर करके नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। बेकागजीकृत शेयरों के संदर्भ में नामांकन निक्षेपण सहभागी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

### अदावी लाभांश

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम जो दि. 16.10.2006 से लागू हुआ, के अनुसार बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 में एक नयी धारा 10 बी. शामिल की गयी है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :

- यदि कोई शेयरधारक लाभांश घोषित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर लाभांश का नकदीकरण/दावा नहीं करता है तो बैंक के चालू खाते में पड़ी ऐसी रकम को "वर्ष .... के लिए सिंडिकेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश" नामक एक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।
- "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित धन राशि जो ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या अदावी रहती है तो, उक्त धनराशि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों से संबंधित अप्रदत्त लाभांश को सिंडिकेट बैंक अप्रदत्त लाभांश खाते में जमा किया गया है। अतएव, ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहनेवाली ऐसी धनराशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते तथा आई.ई.पी.एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के ब्यौरे निम्नवत् हैं।

क्र. सं.	अदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तारीख	दि. 31.03.2012 तक की शेष राशि (₹)	आइ.ई.पी. एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख
1	लाभांश 1999-2000	0400.101.7950	25.05.2000	25,20,067	16.10.2013
2	लाभांश 2000-01	0400.101.8668	02.07.2001	51,30,221	16.10.2013
3	लाभांश 2001-02	3008.101.2122	30.05.2002	59,41,751	16.10.2013
4	लाभांश 2002-03	3008.101.2174	11.06.2003	77,61,211	16.10.2013
5	अंतरिम लाभांश 2003-04	3008.101.2214	10.12.2003	58,58,460	16.10.2013
6	अंतिम लाभांश 2003-04	3008.101.2239	11.06.2004	55,27,064	16.10.2013



Places	PHYSICAL			DEMAT			TOTAL		
	No. of Share-holders	No. of Shares	% holding	No. of Share-holders	No. of Shares	% holding	No. of Share-holders	No. of Shares	% holding
Hyderabad	4232	917900	0.15	5283	1759327	0.29	9515	2677227	0.44
Kolkata	1571	395501	0.07	4230	7153094	1.19	5801	7548595	1.25
Mangalore	1773	378325	0.06	2384	808046	0.13	4157	1186371	0.20
Mumbai	4532	29740296	4.94	14121	110228640	18.31	18653	139968936	23.25
Udupi	1906	387800	0.06	1783	589720	0.10	3689	977520	0.16
Others	81829	16268340	2.70	77977	20627078	3.43	159806	36895418	6.13
<b>TOTAL</b>	<b>118581</b>	<b>53289784</b>	<b>8.85</b>	<b>134945</b>	<b>548660171</b>	<b>91.15</b>	<b>253526</b>	<b>601949955</b>	<b>100.00</b>

#### PERMANENT ACCOUNT NUMBER (PAN)

As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for the following type of transactions of physical shares:

- Transfer of Shares
- Deletion of name of the deceased shareholder/s.
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares – when there is a change in the order of names;
- For noting Change of Address
- For noting ECS Mandate

#### NOMINATION FACILITY

Every shareholder of the Bank may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his / her shares in the Bank shall vest in the event of his / her death. Where more than one person holds the shares jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares of the Bank shall vest, in the event of death of all the joint holders.

Accordingly, the shareholders holding the shares in physical form can avail the nomination facility by filing Form 2B (annexed) with the Bank or with the Registrars and Share Transfer Agents of the Bank. In case of dematerialised holdings, nomination may be done as per the procedure prescribed by Depository Participant.

#### UNCLAIMED DIVIDEND

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new Section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of Syndicate Bank for the year ....."
- Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividend of previous years has been transferred to Unpaid Dividend accounts of Syndicate Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

The Details of Unpaid Dividend accounts of the Bank and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current account No.	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2012 (₹)	Due date of transfer to IEPF
1	Dividend 1999-2000	0400.101.7950	25.05.2000	25,20,067	16.10.2013
2	Dividend 2000-01	0400.101.8668	02.07.2001	51,30,221	16.10.2013
3	Dividend 2001-02	3008.101.2122	30.05.2002	59,41,751	16.10.2013
4	Dividend 2002-03	3008.101.2174	11.06.2003	77,61,211	16.10.2013
5	Interim Dividend 2003-04	3008.101.2214	10.12.2003	58,58,460	16.10.2013
6	Final Dividend 2003-04	3008.101.2239	11.06.2004	55,27,064	16.10.2013



क्र. सं.	अदत्त लाभांश के ब्यौरे	चालू खाता सं.	घोषणा की तारीख	दि. 31.03.2012 तक की शेष राशि (₹)	आइ.ई.पी. एफ. को अंतरित करने हेतु निर्दिष्ट तारीख
7	अंतरिम लाभांश 2004-05	3008.101.4886	31.03.2005	34,89,568	16.10.2013
8	अंतिम लाभांश 2004-05	3008.101.4959	07.06.2005	70,76,320	16.10.2013
9	अंतरिम लाभांश 2005-2006	3008.101.5371	16.02.2006	74,68,690	16.10.2013
10	अंतिम लाभांश 2005-2006	3008.101.5739	20.07.2006	54,28,514	16.10.2013
11	अंतरिम लाभांश 2006-2007	3008.101.6093	20.12.2006	71,88,380	20.12.2013
12	अंतिम लाभांश 2006-2007	3008.101.6672	16.07.2007	73,83,454	16.07.2014
13	अंतरिम लाभांश 2007-2008	3008.101.7530	11.04.2008	92,22,569	11.04.2015
14	अंतिम लाभांश 2007-2008	3008.101.7839	18.07.2008	79,32,000	18.07.2015
15	अंतरिम लाभांश 2008-2009	3008.101.8078	29.04.2009	1,02,65,506	29.04.2016
16	अंतिम लाभांश 2008-2009	3008.101.8160	21.07.2009	1,06,84,006	21.07.2016
17	लाभांश 2009-2010	3008.101.8416	06.07.2010	2,03,96,465	06.07.2017
18	लाभांश 2010-2011	3008.101.8720	07.07.2011	2,72,33,900	07.07.2018

जिन शेयरधारकों ने बैंक के लाभांश वारंटों को न भुनाया हो, उनसे अनुरोध है कि वे सहायता के लिए बैंक के निवेशक संबंध केन्द्र, कॉरपोरेट कार्यालय, बंगलूर से संपर्क करें।

**बकाया जी.डी.आर./ए.डी.आर. या अन्य परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और ईक्विटी पर संभाव्य प्रभाव:**  
बैंक ने कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट या अन्य परिवर्तनीय लिखतों को जारी नहीं किया है।

**गैर – परिवर्तनीय बंध पत्र**

बैंक ने समय-समय पर वचन-पत्रों के रूप में गैर-परिवर्तनीय बंधपत्र जारी किए हैं। दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया रहनेवाले ऐसे बंधपत्रों के विवरण निम्नलिखित हैं:

शृंखला	आबंटन की तारीख	रकम करोड़ (रुपयों में)	अवधि (महीने में)	कूपन % (प्र.व.)	मोचन की तारीख
शृंखला V	26.03.2004	125.00	120	6.00% प्र.व.	26.03.2014
शृंखला VI	29.09.2004	200.00	116	6.90% प्र.व.	29.05.2014
शृंखला VII	20.12.2004	100.00	120	7.50% प्र.व.	20.12.2014
शृंखला VIII	20.06.2005	500.00	118	7.40% प्र.व.	20.04.2015
शृंखला IX	15.12.2005	500.00	112	7.60% प्र.व.	15.04.2015
अपर टायर II शृंखला I	27.07.2006	619.60	180	9.35% प्र.व.	27.07.2021
अपर टायर II शृंखला II	28.02.2007	200.10	180	9.30% प्र.व.	28.02.2022
आइ.पी.डी.आई. * टायर I शृंखला I	25.03.2008	240.00	-	9.90% प्र.व.	बेमियादी
लोवर टायर II शृंखला X	26.12.2008	300.00	120	8.60% प्र.व.	26.12.2018
आइ.पी.डी.आई. * टायर I शृंखला II	12.01.2009	339.00	-	9.40% प्र.व.	बेमियादी
लोवर टायर II शृंखला XI	15.06.2009	200.00	120	8.49% प्र.व.	15.06.2019
आइ.पी.डी.आई. टायर I शृंखला III	29.06.2009	194.00	-	8.90% प्र.व.	बेमियादी
	<b>कुल</b>	<b>3517.70</b>			

\*आइ.पी.डी.आई. – नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

**नोट:** यदि आबंटन की तारीख से 10 वें वर्ष के अंत तक मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो 0.50% प्र.व. की निर्धारित कूपन-दर आगे की अवधि के लिए देय होगी।

**अदावी शेयर**

“सेबी” द्वारा प्रवर्तित सूचीकरण करार के खण्ड 5 ए के अनुसार तथा उनके परिपत्र सं- सेबी/सी.एफ.डी./डी.आइ.एल./एल.ए./1/2009/24/04 दि. 24.04.2009 के अनुसार बैंक अदावी शेयरों को किसी एक निक्षेपागार सहभागी के पास जारीकर्ता द्वारा खोले गए डिमैट उचंत खाते में जमा किया जाए।

बैंक एफ.पी.ओ. के अदावी शेयरों के संबंध में एक एस्करो खाता रखता है। दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार उक्त खाते के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेट बैंक
डी.पी.आइ.डी./सी.एल.आइ.डी.	1305060000006734
नाम	सिंडिकेट बैंक – अदावी उचंत खाता-डी. मैट शेयर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेट बैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद – 500 034



Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Current account No.	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2012 (₹)	Due date of transfer to IEPF
7	Interim Dividend 2004-05	3008.101.4886	31.03.2005	34,89,568	16.10.2013
8	Final Dividend 2004-05	3008.101.4959	07.06.2005	70,76,320	16.10.2013
9	Interim Dividend 2005-2006	3008.101.5371	16.02.2006	74,68,690	16.10.2013
10	Final Dividend 2005-2006	3008.101.5739	20.07.2006	54,28,514	16.10.2013
11	Interim Dividend 2006-2007	3008.101.6093	20.12.2006	71,88,380	20.12.2013
12	Final Dividend 2006-2007	3008.101.6672	16.07.2007	73,83,454	16.07.2014
13	Interim Dividend 2007-2008	3008.101.7530	11.04.2008	92,22,569	11.04.2015
14	Final Dividend 2007-2008	3008.101.7839	18.07.2008	79,32,000	18.07.2015
15	Interim Dividend 2008-2009	3008.101.8078	29.04.2009	1,02,65,506	29.04.2016
16	Final Dividend 2008-2009	3008.101.8160	21.07.2009	1,06,84,006	21.07.2016
17	Dividend 2009-2010	3008.101.8416	06.07.2010	2,03,96,465	06.07.2017
18	Dividend 2010-2011	3008.101.8720	07.07.2011	2,72,33,900	07.07.2018

**Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants, are requested to approach Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance.**

**Outstanding GDRs/ADRs or any Convertible Instruments, Conversion Date and likely impact on Equity:**

The Bank has not issued any GDRs/ ADRs / warrants or any convertible instruments.

**Non-Convertible bonds**

The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of Promissory Notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2012 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (₹ in crore)	Tenor (in months)	Coupon (% p.a)	Redemption date
Series V	26.03.2004	125.00	120	6.00 % p.a.	26.03.2014
Series VI	29.09.2004	200.00	116	6.90% p.a.	29.05.2014
Series VII	20.12.2004	100.00	120	7.50% p.a.	20.12.2014
Series VIII	20.06.2005	500.00	118	7.40% p.a.	20.04.2015
Series IX	15.12.2005	500.00	112	7.60% p.a.	15.04.2015
Upper Tier II Series I	27.07.2006	619.60	180	9.35% p.a.	27.07.2021
Upper Tier II Series II	28.02.2007	200.10	180	9.30% p.a.	28.02.2022
IPDI * Tier I Series I	25.03.2008	240.00	-	9.90% p.a.	Perpetual
Lower Tier II Series X	26.12.2008	300.00	120	8.60% p.a.	26.12.2018
IPDI* Tier I Series II	12.01.2009	339.00	-	9.40% p.a.	Perpetual
Lower Tier II Series XI	15.06.2009	200.00	120	8.49% p.a.	15.06.2019
IPDI Tier I Series III	29.06.2009	194.00	-	8.90% p.a.	Perpetual
	<b>Total</b>	<b>3517.70</b>			

\* IPDI – Innovative Perpetual Debt Instruments

**Note:** Step-up Coupon Rate of 0.50% p.a. is payable for further life, if Call Option is not exercised at the end of 10<sup>th</sup> year from the date of allotment.

**Unclaimed Shares**

In terms of Clause 5A of the Listing Agreement introduced by SEBI, vide their circular no. SEBI/CFD/DIL/LA/1/2009/24/04 dated 24.04.2009, the unclaimed shares of the Bank in respect of Demat Shares shall be credited to a demat Suspense account opened by the issuer with one of the depository participants.

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares of FPO as per following details as on 31.03.2012:

Name of the Depository Participant	SyndicateBank
DPID /CLID	1305060000006734
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Demat Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad 500 034





बैंक के अदावी शेरों (सूची बंध) के विवरण निम्नवत् है:

विवरण	मामलों की सं.	शेरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार कुल शेरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेरों की संख्या	123	23,257
2. उन शेरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2011-12 के दौरान उचंत खाते से शेरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	1	227
3. उन शेरधारकों की संख्या जिनके मामले में वर्ष 2011-12 के दौरान उचंत खाते से शेरों को अंतरित किया गया है।	1	227
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कुल शेरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेरों की संख्या	122	23,030

बैंक कागजी रूप में रखे गए अदावी शेरों के संबंध में निम्नलिखित एस्करो खाता रखता है :

निक्षेपागार सहभागी का नाम	सिंडिकेट बैंक
डी.पी.आइ.डी./सी.एल.आइ.डी.	1305060000006721
नाम	सिंडिकेट बैंक - अदावी उचंत खाता-कागजी शेर
निक्षेपागार सहभागी का पता	सिंडिकेट बैंक, बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद - 500 034

बैंक के अदावी शेरों (कागजी) के विवरण निम्नवत् है:

विवरण	मामलों की सं.	शेरों की सं.
1. पिछले वर्ष के प्रारंभ में यानी दि. 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार कुल शेरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेरों की संख्या	566	1,04,250
2. उन शेरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष 2011-12 के दौरान उचंत खाते से शेरों के निर्गम/रजिस्टर के लिए संपर्क किया है	15	3,500
3. उन शेरधारकों की संख्या जिनको वर्ष 2011-12 के दौरान उचंत खाते से शेरों को अंतरित किया गया है।	13	3,100
4. वर्ष के अंत में यानी दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार कुल शेरधारकों की संख्या और उचंत खाते में बकाया शेरों की संख्या	553	1,01,150

#### सेबी विनियमन 2002 (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) का अनुपालन

उक्त विनियमावली के अनुसार बैंक ने प्रतिभूतियों के लेन देन हेतु पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार को रोकने हेतु आचार संहिता निरूपित की है। इन विनियमों की शर्तों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म तैयार किए गए हैं। पुनः, बैंक के निदेशकों और पदनामित कर्मचारियों द्वारा बैंक शेरों के लेन-देन हेतु ट्रेडिंग विंडो को निम्नलिखित विवरण के अनुसार बंद कर दिया गया है:

ट्रेडिंग विंडो को बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
दि. 02.05.2011 से 13.05.2011 तक	31 मार्च 2011 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 19.07.2011 से 30.07.2011 तक	30 जून 2011 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 12.10.2011 से 23.10.2011 तक	30 सितंबर 2011 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा
दि. 14.01.2012 से 25.01.2012 तक	31 दिसंबर 2011 को समाप्त तिमाही के लिए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों की घोषणा

#### टेक ओवर संहिता

बैंक ने सेबी (शेरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेक ओवर) उक्त विनियमावली 1997 में समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों का पालन किया है।



The details of Unclaimed Shares of the Bank (Demat) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2011	123	23,257
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2011-2012	1	227
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2011-2012	1	227
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2012	122	23,030

The Bank is maintaining an Escrow account relating to Unclaimed Shares issued in physical form as per following details as on 31.03.2012:

<b>Name of the Depository Participant</b>	<b>SyndicateBank</b>
DPID /CLID	1305060000006721
Name	SyndicateBank – Unclaimed Suspense Account – Physical Shares
Address of the Depository Participant	SyndicateBank, Banjara Hills Branch, Hyderabad – 500 034

The details of Unclaimed Shares of the Bank (Physical) are as under:

Particulars	No. of cases	No. of shares
1. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the beginning of the previous year i.e. as on 01.04.2011	566	1,04,250
2. Number of shareholders who approached for issue / Register of shares from suspense account during the year 2011-2012	15	3,500
3. Number of shareholders to whom shares were transferred from suspense account during the year 2011-2012	13	3,100
4. Aggregate number of shareholders and the outstanding shares in the suspense account at the end of the year i.e. as on 31.03.2012	553	1,01,150

#### COMPLIANCE WITH SEBI (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) REGULATIONS, 2002

In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Employees and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and Directors of the Bank, as required in terms of these regulations. Further, the trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
From 02/05/2011 to 13/05/2011	Declaration of Annual Financial Results for the quarter and year ended 31 <sup>st</sup> March 2011
From 19/07/2011 to 30/07/2011	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> June 2011
From 12/10/2011 to 23/10/2011	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 30 <sup>th</sup> September 2011
From 14/01/2012 to 25/01/2012	Declaration of Quarterly Financial Results for the quarter ended 31 <sup>st</sup> December 2011

#### Takeover Code

The Bank has complied with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997, as amended, from time to time.



**नैगम अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र**  
(सूचीकरण करार के खण्ड 49(vii) की शर्तों के अनुसार)

सेवा में,  
बैंक के सभी शेयरधारक  
हमने दि. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए, सिंडिकेट बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करारों के संगत खण्डों में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

नैगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, नैगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है न ही उसकी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा रखे गए अभिलेखों तथा दस्तावेजों और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर यह हमारी राय है कि बैंक ने, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथानिर्दिष्ट नैगम अभिशासन की निम्नलिखित शर्तों का पालन किया है।

1. निदेशक मंडल – गठन और क्षतिपूर्ति, समिति में निदेशकों की सदस्यता, निदेशक मंडल की बैठक और आचार संहिता (प्रारूपण बैंक के वेबसाइट में प्रस्तुत करना)

2. लेखा परीक्षा समिति – गठन, अधिकार, बैठक, भूमिका सूचना की समीक्षा इत्यादि

3. सहायक कंपनियाँ

4. प्रकटीकरण

क) संगत पार्टी लेन-देन का आधार

घ) सार्वजनिक निगम की प्राप्य राशियों की उपयोगिता

च) प्रबंधन विचार विमर्श और विश्लेषण

ख) लेखाकरण प्रक्रिया

ङ) निदेशकों का पारिश्रमिक इत्यादि

छ) निदेशकों के बीच अपेक्षा संबंध

ग) जोखिम प्रबंधन

5. वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. का प्रमाणीकरण

6. वार्षिक रिपोर्ट में नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट

हम यह कहना चाहते हैं कि शेयरधारकों तथा निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक-शिकायत एक महीने से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

हम आगे कहना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता का आश्वासन देता है न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके सहारे प्रबंधक वर्ग ने बैंक का कारोबार संभाला है।

कृते सोनी एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

ह/

(एस. सुंदर)

साझेदार

सदस्यता सं. 023425

स्थान : बेंगलूर

दिनांक : 05.05.2012

**निदेशक मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण**

(सूचीकरण करार के खण्ड 49 (v) के अंतर्गत)

दिनांक : 05.05.2012

में प्रमाणित करता हूँ:

क. मैंने वर्ष 2011-2012 के वित्तीय विवरणों और नकदी उपलब्धता विवरण की समीक्षा की है और कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणों में कोई भी असत्य कथन शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या इसमें ऐसा कोई कथन शामिल नहीं है जो भ्रामक हो;
- ये विवरण बैंक के कारोबार की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और उन्हें वर्तमान लेखा मानदण्डों, प्रायोज्य विधियों तथा विनियमों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या बैंक की आचरण संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम बैंक में आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसका निर्वहन करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और कि हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा या परिपालन की विसंगतियों, यदि कोई हो, जिसकी हम भली भांति जानकारी रखते हैं, और इन विसंगतियों का परिशोधन करने के लिए उठाए गए या उठाए जानेवाले कदमों को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है।

घ. हमने लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में सूचना दी है:

- वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण के मामलों में वर्ष 2011-12 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
- वर्ष 2011-12 के दौरान लेखाकरण नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसका उल्लेख वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और
- हमारे ध्यान में लाए गए महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले और उनमें प्रबंधक वर्ग या किसी कर्मचारी का शामिल होना, यदि कोई हो, जिसका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय रिपोर्ट में बैंक के आंतरिक नियंत्रण पर पड़ता है।

स्थान: बेंगलूर

ह/  
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

**निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा**

**बैंक की आचार संहिता के अनुपालन संबंधी घोषणा**

एतद्वारा पुष्टि की जाती है कि बैंक ने अपने मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कर्मचारियों के लिए दि. 22.09.2005 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता को अपनाया है जिसका कार्यान्वयन दि. 01.10.2005 से हुआ है और आचार संहिता को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

उपर्युक्त का अनुसरण करते हुए, पुनः अब यह पुष्टि की जाती है कि मंडल के सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों ने दि. 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की उपर्युक्त आचार संहिता का पालन करने की पुष्टि की है।

स्थान : बेंगलूर

दिनांक : 05.05.2012

ह/-

(म. गि. संघवी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



## AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

(In terms of Clause 49 (vii) of the Listing Agreement)

To All the Shareholders of the Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Syndicate Bank for the year ended 31.3.2012 as stipulated in the relevant Clauses of the Listing Agreements of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us, in our opinion, the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements with the Stock Exchanges detailed as under:

- 1) Board of Directors – composition, compensation, Membership of Directors in committees, Board Meetings and Code of Conduct (drafting and placing on the website of the Bank).
- 2) Audit Committee – Composition, Powers, meetings, role review of information, etc.
- 3) Subsidiary Companies
- 4) Disclosures:
  - a) Basis of related party transactions
  - b) Accounting treatment
  - c) Risk Management
  - d) Utilisation of public issue proceeds
  - e) Remuneration of Directors
  - f) Management Discussion and Analysis
  - g) Relationships between directors inter-se, etc.
- 5) CEO/ CFO Certification with respect to review of financial statements
- 6) Report on Corporate Governance in Annual Report etc.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per records maintained by the shareholders and Investors' Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Place : Bengaluru  
Date : 05.05.2012

For SONNY ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
Sd/-  
(S. SUNDAR)  
Partner  
Membership No. 023425

## CEO/CFO CERTIFICATION TO THE BOARD

(Under Clause 49(V) of Listing Agreement)

Date: 05.05.2012

I/We Certify that –

- a. I/We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year 2011-2012 and that to the best of our knowledge and belief:
  - These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
  - These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations;
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year 2011-2012 which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct;
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of the internal control, if any, of which we are aware of and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee –
  - Significant changes in internal control over the financial reporting during the year 2011-2012;
  - Significant changes in accounting policies during the year 2011-12 and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
  - Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over the financial reporting.

Place: Bengaluru

Sd/-  
CHIEF FINANCIAL OFFICER

Sd/-  
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

## DECLARATION REGARDING COMPLIANCE WITH THE CODE OF CONDUCT OF THE BANK BY BOARD MEMBER AND SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

It is hereby confirmed that the Bank has on 22.09.2005 adopted the Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel as laid down by SEBI, for implementation with effect from 01.10.2005 and the said Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

In pursuance of the above, it is now further confirmed that the Board Members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the aforesaid Code of Conduct of the Bank for the year ended 31.03.2012.

Place : Bengaluru  
Date : 05.05.2012

Sd/-  
(M. G. Sanghvi)  
Chairman & Managing Director



**बासेल II प्रकटीकरण – मार्च 2012**

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निदेशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है। बैंक के कारोबार की समग्र संवृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उनपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढाँचा, प्रणालियाँ, नीतियाँ और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नये ढाँचे के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित प्रकटीकरण इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं:

**लागू करने की व्याप्ति**

क) समूह के उस शीर्ष बैंक का नाम जिसके लिए ढाँचा लागू होता है।	सिंडिकेट बैंक
ख) लेखाकरण और विनियमन प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा, समूह के भीतर के संघटनों के विवरण के साथ।	लागू नहीं

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

ग) सभी सहायक संस्थाओं की पूँजी की सकल राशि की कमी जो समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् जिनकी कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम।	लागू नहीं
घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल रकम (उदा: चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है उनका नाम, उनके संस्थापन या निवेश का देश, इनमें स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो मतदान अधिकार का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती करने के बजाय इस उपाय को अपनाने से विनियामक पूँजी पर पड़नेवाले परिमाणात्मक प्रभाव भी दर्शाएं।	लागू नहीं

**पूँजीगत ढाँचा**

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

क) सभी पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों एवं नियमों से संबंधित संक्षिप्त सूचना, खासकर उन पूँजीगत लिखतों के मामले में जो टायर-I या टायर-II में शामिल करने हेतु पात्र हैं।

बैंक के टायर-I पूँजी में शेयर पूँजी, निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ से विनियोजित कुछ विशिष्ट प्रारक्षित निधियाँ आती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार आइपीडीआई को भी टायर I पूँजी के रूप में परिकल्पित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों को ₹ 104.15 करोड़ की प्रीमियम पर 2,86,64,284 इक्विटी शेयर आबंटित किए, जिनकी कुल राशि ₹ 327.20 करोड़ है।

टायर-II पूँजी में पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों की कुछ प्रतिशतता, जोखिम प्रावधान, जिन्हें टायर-II और अपर टायर-II बांड से नहीं घटाया गया है, शामिल हैं। इन बांडों की शर्तें एवं नियम और उन्हें पूँजी निधियों के रूप में संगणित करने के सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार हैं।

**BASEL II DISCLOSURES – MARCH 2012**

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with best practices and regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems, policies and procedures for identification, assessment, monitoring, mitigation and control of risks.

The guidelines issued by Reserve Bank of India, prescribe a series of disclosures in connection with the implementation of the new framework. The following disclosures made are intended to achieve these objectives:

**Scope of application**

**Qualitative Disclosures**

a) Name of the top Bank in the group to which the framework applies.	Syndicate Bank
b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with brief description of the entities within the group.	Not Applicable

**Quantitative Disclosures**

c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable

**Capital structure**

**Qualitative Disclosures**

a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier 2.

The Tier I capital of the Bank mainly consists of Share capital, free Reserves and certain specific reserves appropriated from the net profit earned by the bank. Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) is also reckoned as Tier I Capital as per the RBI norms.

During the FY 2011-12, Bank has allotted 2,86,64,284 equity shares of face value ₹ 10/- each for cash at a premium of ₹ 104.15 crore aggregating to ₹ 327.20 crore to LIC of India.

Tier II Capital consists of certain percentage of revaluation reserves, risk provision which are not netted off, Tier II and Upper Tier II Bonds. The terms and conditions of these bonds and the principles of reckoning them as capital funds are guided by RBI regulation.





वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने कोई लोअर टियर II बंधपत्र नहीं जुटाया है।  
(₹ करोड़ों में)

ख) निम्नलिखित के प्रकटीकरण के साथ टियर-1 पूँजी की रकम	<b>8750.64</b>
• प्रदत्त शेयर पूँजी	601.95
• प्रारक्षित निधियाँ	7392.37
• नवोन्मेषी लिखतें	773.00
• अन्य पूँजी लिखतें	0.00
• टियर I पूँजी, से कटौती की गई रकम, सहयोगी संस्थाओं में इक्विटी निवेश	16.68
ग) टायर-II पूँजी की कुल रकम (टायर-II पूँजी से कटौती निवल)	<b>3225.37</b>
घ) ऋण पूँजी लिखतें, जो अपर टायर- कटौती पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं	
बकाया कुल रकम	819.70
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	819.70
ङ) गौण ऋण, जो लोअर टायर-II पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र है - बकाया कुल रकम	1925.00
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	1245.00
च) पूँजी से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों सहायक संस्थाओं में इक्विटी निवेश (50%)	16.67
छ) कुल पात्र पूँजी	<b>11976.02</b>

### पूँजी पर्याप्तता

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

क) वर्तमान और भविष्य के कार्यकलापों को समर्थन प्रदान करने हेतु अपनी पूँजी पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संबंध में संक्षिप्त विचार विमर्श:

- बैंक ने 19.98% की अनुमानित ऋण संवृद्धि के आधार पर 12.03% के सी.आर.ए.आर. का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अगले चार वर्षों के दौरान 8% के टायर I सी.आर.ए.आर. के साथ 12% का सी.आर.ए.आर. रखने का लक्ष्य रखा गया है।
- कारोबार ढांचा और अनुमानित संवृद्धि पर विचार करते हुए निम्नलिखित के संदर्भ में पूँजी का निर्धारण किया गया है:

#### पिलर I जोखिम, यानी:

- ऋण जोखिम - मानकीकृत दृष्टिकोण
- बाजार जोखिम - मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम - मूल सूचक दृष्टिकोण और

#### पिलर II जोखिम, यानी:

- संकेन्द्रण जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम
- अवशिष्ट जोखिम
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
- रणनीति संबंधी जोखिम
- अर्जन संबंधी जोखिम
- पूँजीगत जोखिम

During the FY 2011-12 Bank has not raised any Lower Tier II Bonds.

### Quantitative Disclosures

(₹ in Crs)

b) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	<b>8750.64</b>
• Paid-up share capital	601.95
• Reserves	7392.37
• Innovative instruments	773.00
• Other capital instruments	0.00
• Amounts deducted from Tier 1 capital, Equity investments in Associates (50%)	16.68
c) The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	<b>3225.37</b>
d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	
Total amount outstanding	819.70
Of which amount raised during the current year	
Amount eligible to be reckoned as capital funds	819.70
e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	1925.00
Total amount outstanding	
Of which amount raised during the current year	
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1245.00
f) Other deductions from capital, if any. Equity investments in Associates (50%)	16.67
g) Total eligible capital.	<b>11976.02</b>

### Capital Adequacy

#### Qualitative disclosures

a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

- Bank has targeted a CRAR of 12.03% based on a projected credit growth of 19.98%. On account of International presence, maintenance of CRAR of 12% with Tier I CRAR of 8% is envisaged during the next four years.
- Considering the business profile and the projected growth, capital is assessed with reference to

#### Pillar I risks namely,

- Credit Risk - Standardized approach
- Market risk - Standardized duration approach
- Operational Risk- Basic Indicator Approach and

#### Pillar II risks namely,

- Concentration Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book
- Residual Risk
- Reputation Risk
- Strategic Risk
- Earnings Risk
- Capital Risk



iii) बैंक, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की धारित आस्ति में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करता है। भावी कार्यकलापों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित आइ.सी.ए.ए.पी. प्रलेख (बासेल II ढांचे के पिलर 2 के अंतर्गत आवश्यकताओं से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कारोबार योजना की आवधिक समीक्षा करके पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त, टायर I और टायर II पूंजी जुटाने के लिए बैंक के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य के कार्यकलापों के प्रति अतिरिक्त सी.आर.ए.आर. की पूर्ति हेतु पूंजी विन्यास के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा।

बोर्ड को आवधिक रूप से कारोबार नीतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर कारोबार आधारित पूंजी योजना और पूंजी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

बासेल-II ढांचे के अंतर्गत पूंजी के परिकलन के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी कारपोरेट आस्ति वर्ग और उन अन्य आस्ति वर्गों से खातावार ब्यौरे प्राप्त किए हैं जिनकी लेखा परीक्षा की गयी है।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं (₹ करोड़ों में)

संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हैं	7946.24
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	कुछ नहीं

ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं:

<b>मानकीकृत दृष्टिकोण</b>	(₹ करोड़ों में)
ब्याज दर जोखिम	226.80
ईक्विटी जोखिम	84.80
विदेशी मुद्रा जोखिम	4.50

घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षा

<b>मूल सूचक दृष्टिकोण</b>	(₹ करोड़ों में)
मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार पूंजी अपेक्षा	542.36

ङ) बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात

नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात	12.24
बासेल-II के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में टायर-I पूंजी का अनुपात	8.94
बासेल-I मानदण्डों के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात	10.81
बासेल-I के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में टायर-I पूंजी का अनुपात	7.89

अपेक्षित पूंजी पर विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा (₹ करोड़ों में)

पुनरीक्षित ढांचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूंजी	8804.70
ऋण और बाजार जोखिम के लिए बासेल-I ढांचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूंजी (बासेल I का 80%)	7996.53
विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा-उपरोक्त में से अधिकतम	8804.70

iii) The Bank assesses the capital requirement keeping in view the anticipated growth in weighted assets of credit risk, market risk and operational risk. As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank has drawn an assessment of capital requirement through periodical review of the business plan with the trends in the economy, as a part of the ICAAP document (in line with RBI guidelines on requirements under Pillar 2 of Basel II framework), duly approved by the Board. The surplus CRAR shall act as a cushion to support the future activities. Moreover, the headroom available for the Bank for mobilizing Tier 1 and Tier 2 capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

The Board is periodically apprised of the capital driven business plan and capital requirement, based on business strategies and future plans.

For the purpose of computation of capital under Basel II framework, bank collects account wise details of all its corporate asset class and data on other asset classes which are subjected to the audit process.

**Quantitative Disclosures**

**b) Capital Requirements for Credit Risk**

(₹ in crores)

Portfolios subjected to standardized approach	7946.24
Securitization Exposures	NIL

**c) Capital requirements for Market Risk**

**Standardized Duration Approach** (₹ in crores)

Interest rate risk	226.80
Equity position risk	84.80
Foreign exchange risk	4.50

**d) Capital Requirement for Operational Risk**

**Basic Indicator Approach** (₹ in crores)

Capital Requirement as per Basic Indicator Approach	542.36
---	--------

**e) Total Capital Ratio for the Bank**

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per New Capital Adequacy Framework	12.24
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -II	8.94
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio - as per Basel I norms	10.81
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -I	7.89

**Prudential floor on capital required** (₹ in crores)

Minimum capital required as per the revised framework	8804.70
Minimum capital required as per Basel I framework for credit and market risk. (80% of Basel I)	7996.53
Prudential floor- Higher of the above	8804.70



### ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

#### क) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक द्वारा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के लिए खातों के वर्गीकरण तथा लेखाकरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त परिभाषा का अनुसरण किया जाता है:

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ऋण/अग्रिम अनर्जक आस्ति माने जाते हैं:

1. मीयादी ऋणों के मामले में जहाँ ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
2. ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के मामले में जहाँ खाता 90 दिन से अधिक अवधि से अनियमित हो ।
3. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
4. अल्पावधि के लिए फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय हो ।
5. लंबी अवधि के फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो ।
6. अन्य खातों के मामलों में, कोई भी प्रायः राशि, जो 90 दिनों की अवधि से ज्यादा दिनों से अतिदेय हो ।

#### बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार विमर्श:

सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कारोबार में जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ तो बैंकिंग कारोबार में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ अप्रत्याशित आर्थिक एवं परिस्थितिजन्य कारणों से पैदा होती हैं । ऋण जोखिम-प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जोखिमों को कम करना और स्वीकार्य मानदण्डों के भीतर ऋण जोखिम को अपनाकर तथा रख रखाव करके बैंक की जोखिम समायोजित प्रतिलाभ की दर में वृद्धि करना है । इस प्रकार की जोखिमों तथा अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किसी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र प्रक्रिया को ही जोखिम-प्रबंधन कहते हैं । जोखिम-प्रबंधन प्रक्रिया के ज़रिए बैंक के पास जोखिमों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण के वैज्ञानिक साधन एवं पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं । ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है । निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में जोखिम-प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसके प्रमुख अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं । यह समिति ऋण जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों के मामले में संयोजित जोखिम-प्रबंधन की नीति और रणनीतियाँ बनाती है । एक और ऋण जोखिम-प्रबंधन समिति है, यह शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है, जो ऋण जोखिम नीति और रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है ।

बैंक ने भा.रि.बैं. की नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार सी.आर.ए.आर. के परिकलन हेतु ऋण जोखिम भारित आस्तियों के परिकलन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है ।

बैंक की सुविस्तृत ऋण और ऋण जोखिम नीतियाँ हैं, जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित हैं । इन नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और व्यक्ति एवं समष्टि आर्थिक विकास, विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों, सरकार की नीतियों और बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें अद्यतन बनाया जाता है ।

बैंक में एक सुनियोजित और मानकीकृत ऋण अनुमोदन प्रक्रिया और श्रेणी निर्धारण मॉडल है जो बासेल-II के अनुकूल है । साख श्रेणी निर्धारण/स्कोरिंग फ्रेमवर्क की मदद से बैंक आस्ति संविभाग के श्रेणी निर्धारण को सुनिश्चित करता है । ₹10 करोड़ और उस से अधिक रकम के ऋणों के संबंध में पूर्व-मंजूरी श्रेणी निर्धारण आबंटित करने तथा उसके पुष्टीकरण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली भी तैयार की गयी है । ऋण मंजूरी और समीक्षा प्रक्रिया के कार्यों को अलग-अलग कर दिया गया है । ऋण जोखिम को कम करने के

### Credit Risk – General Disclosures

#### a) Qualitative Disclosures:

Bank follows RBI definition of default for classifying and accounting for income recognition, asset classification and provisioning norms:

Non-Performing asset is defined as a loan/advance where

1. Interest and/or Instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan.
2. The account remains out of order for 90 days in respect of an overdraft/cash credit
3. Bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted
4. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons.
5. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.
6. Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

#### Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

The business of banking is exposed to Credit Risk in the normal course of business owing to various economic and environmental factors, some of them inherent to the banking business and others are unforeseen and unexpected. The objective of credit risk management is to minimize the risks and maximize the bank's risk adjusted rate of return by assuming and maintaining the credit exposure within the acceptable parameters. Risk management is the comprehensive process adopted by a bank to minimize adverse effects of such risks and uncertainties. Through the process of risk management the bank equips itself with tools and systems capable of assessing, monitoring and controlling risk exposures in a scientific manner. Bank has an effective governance structure for managing credit risk. Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman and Managing Director devises the policy and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the bank including credit risk. The Credit Risk Management Committee, apex level executive committee responsible for implementation of the credit risk policies and strategies.

Bank has adopted standardized approach to arrive at credit risk weighted assets for computing CRAR, as required under the New Capital Adequacy Framework (NCAF) of RBI.

Bank has a well articulated Credit and Credit Risk Policies, duly approved by the Board. The policies are regularly reviewed and updated to take care of micro and macro economic developments, regulatory guidelines, Government policies and Bank's specific requirements.

Bank has a structured and standardized credit approval process and rating model which is Basel II compliant. The credit rating/ scoring framework enables the Bank to ensure that the asset portfolio is rated. An independent system of pre-sanction rating allotment and confirmation covering exposures of ₹10 crores and above has also been put in place. The functions of Credit sanctions and review process have been segregated. Bank has



लिए नैगम कार्यालय/क्षे.का. में ऋण समितियाँ गठित की गयी हैं, जो सभी दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है और मंजूरी हेतु उसे संबंधित मंजूरीदाता प्राधिकारी को अग्रोषित करती हैं। ऋण निर्णय और कीमत निर्धारण को उधारकर्ता श्रेणी निर्धारण के साथ संबद्ध किया गया है।

बैंक पूंजीगत आबंटन को इष्टतम रखने के उद्देश्य से अपने कार्पोरेटों के ऋणों के श्रेणीनिर्धारण को किसी बाहरी श्रेणीनिर्धारण एजेंसी द्वारा करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संविभाग जोखिम जिसे संक्रेड्रण जोखिम के रूप में प्रकट किया जाता है उसे प्रत्येक उधारकर्ता/समूह, उद्योगवार/क्षेत्रवार सीमाएं निर्धारित करके कम किया जाता है और आवधिक अंतरालों पर उसकी समीक्षा की जाती है। बैंक में एक ऐसी प्रणाली है जो बड़े और बेजमानती ऋणों की निगरानी करती है और वह संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की समय-समय पर समीक्षा करती हैं।

बड़े उधार खातों को दिए गए ऋणों की नियमित रूप से निगरानी करने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कॉर्पोरेट कार्यालय में एक अलग ऋण निगरानी कक्ष खोला गया है, जो मंजूरी पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी कार्य संभालता है।

बैंक ने अभिनिर्धारित खातों तथा पुनः संरचित खातों की निगरानी के लिए एक विशेष निगरानी खाता विभाग खोला है, जो सम्योचित कार्रवाई करता है और खाते को एन.पी.ए. बनने से रोकता है। इसी प्रकार, प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा निगरानी करने के लिए क्षे.का. स्तर पर भी कक्ष खोले गए हैं।

**परिमाणात्मक प्रकटीकरण**

**ख) कुल सकल ऋण निवेश (₹ करोड़ों में)**

निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	125617.44
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	11747.44

**ग) ऋण प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण (₹ करोड़ों में)**

<b>समुद्रपारीय:</b>	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	14664.13
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	208.29
<b>घरेलू:</b>	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	110953.31
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	11539.15

**घ) उद्योग वार निवेश (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) (₹ करोड़ों में)**

क्रम सं.	उद्योग	ऋण		निवेश	कुल निवेश
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित		
1.	इन्फ्रास्ट्रक्चर	15522.39	1303.65	123.82	16949.86
2.	पेट्रोलियम	1755.25	418.94	25.73	2199.92
3.	सभी इंजीनियरिंग	1241.74	2861.43	41.43	4144.60
4.	लोहा और इस्पात	4181.70	347.27	47.77	4576.74
5.	रासायनिक रंग एवं पेंट	1842.30	656.41	68.91	2567.62
6.	निर्माण	1351.64	1705.16	40.00	3096.80
7.	कपडा उद्योग	1821.48	93.99	17.26	1932.73
8.	रत्न और आभूषण	491.11	264.82	0.00	755.93
9.	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	763.27	6.19	31.02	800.48

औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में से बैंक द्वारा संरचना हेतु प्रदत्त ऋणों (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) का प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत्त सकल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित ऋणों की तुलना में 13.39% है।

constituted Credit Approval Committee at Corporate office as per the directions of Ministry of Finance, Government of India. To mitigate Credit Risk, Credit Committees have been constituted at Corporate/Regional Offices to evaluate credit proposals from all angles and recommend for sanction to the sanctioning authority. Credit decisions and pricing are linked to borrower rating.

Bank is also encouraging its corporates to get their exposures rated by external rating agencies, with a view to optimize capital allocation.

Portfolio risk which manifests as concentration risk is addressed by limiting the size of exposures to individual borrowers/group, fixing industry/sector-wise limits which are reviewed at periodic intervals. Bank has also a system of monitoring its substantial and unsecured exposures and undertakes periodic review of sensitive sector advances.

With a view to monitor bank's exposure to large borrowal accounts on regular basis and to ensure quality of the credit portfolio, a separate Credit Monitoring Cell has been formed at Corporate Office exclusively to attend to post sanction follow-up and monitoring.

Bank has also put in place a Special Monitoring Accounts Department to exclusively monitor identified accounts and those accounts restructured, to take timely action and avoid slippages. Similar Cells function at Regional Offices for effective follow-up and monitoring.

**Quantitative Disclosures**

**b) Total Gross Credit Exposures (₹ in crores)**

Fund based credit exposures	125617.44
Non-fund based credit exposures	11747.44

**c) Geographic Distribution of Credit Exposures: (₹ in crores)**

<b>Overseas:</b>	
Fund based credit exposures	14664.13
Non-fund based credit exposures	208.29
<b>Domestic:</b>	
Fund based credit exposures	110953.31
Non-fund based credit exposures	11539.15

**d) Industry-wise distribution of exposures (Both fund based and non-fund based) (₹ in crores)**

Sl. No.	Industry	Credit		Investment	Total Exposure
		Fund Based	Non Fund Based		
1	Infrastructure	15522.39	1303.65	123.82	16949.86
2	Petroleum	1755.25	418.94	25.73	2199.92
3	All Engineering	1241.74	2861.43	41.43	4144.60
4	Iron and Steel	4181.70	347.27	47.77	4576.74
5	Chemicals Dyes & Paints	1842.30	656.41	68.91	2567.62
6	Construction	1351.64	1705.16	40.00	3096.80
7	Textiles	1821.48	93.99	17.26	1932.73
8	Gems and Jewellery	491.11	264.82	0.00	755.93
9	Cement & Cement Products	763.27	6.19	31.02	800.48

Among industrial exposures, bank's exposure to infrastructure (fund based and non fund based) is 13.39% of gross fund based and non fund based credit exposure of the bank.





ड) आस्तियों और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वतावार विश्लेषण (e) Residual maturity-wise breakdown of assets & liabilities

(₹ करोड़ों में/ ₹ in Crs)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2 to 7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-28 दिन 15 to 28 days	29 दिनों से 3 महीने तक 29 days to 3 mths	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 mths to 6 mths	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 mths to 1 year	1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
i) ऋण और अग्रिम Loans & Advances	3547.82	2394.85	2066.63	3203.18	10284.10	8485.30	10139.45	45849.97	16720.01	20928.87	123620.18
ii) निवेश एवं प्रतिभूतियाँ Investments & Securities	0.00	603.58	492.58	84.12	1185.60	456.91	149.36	4883.87	5471.51	27487.53	40815.06
iii) जमाराशियाँ Deposits	1448.63	4201.69	2380.90	3540.99	26560.97	23877.39	22610.62	64424.64	6750.41	2144.81	157941.05
iv) उधार राशियाँ Borrowings	0.00	0.15	0.00	244.07	1104.69	512.82	1098.44	1226.95	4217.45	2185.33	10589.90
v) विदेशी मुद्रा अस्तियाँ Foreign Currency Assets	1435.33	1479.45	1145.24	1266.59	2795.65	2092.28	244.87	1270.30	1802.70	2297.93	15830.34
vi) विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	711.05	1038.61	766.87	1558.78	4190.82	2490.18	1098.61	475.44	3052.13	0.00	15382.49

च) अनर्जक आस्तियों की राशि

(₹ करोड़ों में)

अवमानक	1928.12
संदिग्ध 1	401.44
संदिग्ध 2	653.32
संदिग्ध 3	88.85
हानि आस्तियाँ	110.97

f) Amount of NPAs

(₹ in crores)

Substandard	1928.12
Doubtful 1	401.44
Doubtful 2	653.32
Doubtful 3	88.85
Loss Assets	110.97

छ) निवल अनर्जक आस्तियाँ

(₹ करोड़ों में)

31.03.2012 को निवल अनर्जक आस्तियाँ	1185.43
------------------------------------	---------

g) Net NPAs

(₹ in crores)

Net NPAs as on 31.03.2012	1185.43
---------------------------	---------

ज) अनर्जक आस्ति अनुपात

(₹ करोड़ों में)

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ	2.53%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ	0.96%

h) NPA Ratios:

(₹ in crores)

Gross NPAs to Gross Advances	2.53%
Net NPAs to Net Advances	0.96%

झ) अनर्जक आस्तियों (सकल) में बदलाव

(₹ करोड़ों में)

अथशेष	2598.97
परिवर्धन	3156.28
कटौती	2572.55
इति शेष	3182.70

i) Movement of NPAs (Gross)

(₹ in crores)

Opening Balance	2598.97
Additions	3156.28
Reduction	2572.55
Closing Balance	3182.70

ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव

(₹ करोड़ों में)

अथ शेष	1501.33
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	1399.75
बटूटे खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	969.81
इति शेष	1931.27

j) Movement of Provisions for NPAs

(₹ in crores)

Opening Balance	1501.33
Provisions made during the year	1399.75
Write off/Write-back of excess provisions	969.81
Closing Balance	1931.27

ट) अनर्जक निवेशों की रकम

(₹ करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों की रकम	40.97
-----------------------	-------

k) Amount of non-performing investments

(₹ in crores)

Amount of non-performing investments	40.97
--------------------------------------	-------





ठ) अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान	40.53
---------------------------------------	-------

ड) निवेशों में होने वाले मूल्यहास हेतु रखे गए प्रावधानों में बदलाव

(₹ करोड़ों में)

अथ शेष	43.03
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	9.51
बट्टा खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	22.58
इति शेष	29.96

l) Amount of provisions held for non-performing investments

(₹ in crores)

Provisions held for non-performing investments	40.53
--	-------

m) Movement of provisions for depreciation of investments:

(₹ in crores)

Opening Balance	43.03
Provisions made during the year	9.51
Write-off/Write-back of excess provisions	22.58
Closing Balance	29.96

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन लिए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने, मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट जोखिम भार लागू करते हुए अपने निवेश संविभाग पर ऋण जोखिम पूंजी का परिकलन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, नैगम निवेश संविभाग के लिए अधिमाम्य जोखिम भार लागू करने हेतु बाह्य श्रेणी निर्धारण की पहचान की है। बाहरी श्रेणी निर्धारण को लागू करने के उद्देश्य से, भा.रि.बैं. ने निम्नलिखित बाह्य साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी की पहचान की है:

1. क्रिसिल
2. इक्रा
3. केयर
4. फिच (इंडिया)

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध बाहरी श्रेणी निर्धारणों का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित परिकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिमाम्य जोखिम भार लागू करने हेतु किया गया है:

- दीर्घावधि और अल्पावधि बैंक ऋण के श्रेणी निर्धारण का उपयोग क्रमशः बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए किया जाता है।
- जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी निर्धारण तय किया गया है, वहाँ उसी श्रेणी निर्धारण को बैंक के निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा।
- बाहरी सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारे निवेश अधिक होते हैं या बाहरी श्रेणी निर्धारण के कारण होते हैं।
- अल्पावधि श्रेणी निर्धारण निर्गम विशिष्ट होते हैं और उनका उपयोग दीर्घावधि निवेशों के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है। फिर भी, जहाँ-कहीं गैर श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों पर अल्पावधि श्रेणी निर्धारण लागू किया जाता है, वहाँ संगत अल्पावधि निवेशों पर ऐसा जोखिम भार लागू किया जाएगा जो काऊंटरपार्टी के श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों के लिए लागू होनेवाले जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊँचा होगा।
- बाहरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित बंध पत्र/डिबेंचर की अवधि को श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रतिसंदाय हेतु गणना में ली गयी कुल अवधि के अनुसार बैंक के निवेश के अवशिष्ट परिपक्वता के परिकलन के लिए गणना में लिया जाएगा।

Disclosures on portfolios subjected to standardized approach

Qualitative Disclosures

Bank has computed credit risk capital on all its portfolios by applying risk weights as prescribed by Reserve Bank of India for Standardised Approach. Reserve Bank of India has recognized external ratings for application of preferential risk weight for corporate exposures. For the purpose of application of external credit ratings, rating by the following recognized external credit rating agencies are used:

1. CRISIL
2. ICRA
3. CARE
4. FITCH (INDIA)

The external ratings available in the public domain were utilized for application of preferential risk weights through the mapping process defined by Reserve Bank of India:

- Long Term and Short Term Bank Loan ratings are used for Bank's Long and Short term exposures respectively.
- Where issuer rating is assigned, same is used for Bank's exposure.
- External public ratings are used only when our exposures are senior or pari-passu to the external ratings.
- Short term ratings are issue specific and are not used for mapping long term exposures. However, wherever short term ratings are applied to unrated short term exposures, the relevant short term exposure attracts a risk weight of atleast one level higher than the risk weight applicable to the rated short term of the counterparty.
- The tenor of the bond/debenture rated by external rating agencies is taken for mapping residual maturity with Bank's exposure as per the total period considered by the rating agencies for repayment.



**परिमाणात्मक प्रकटीकरण:**

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने के बाद की निवेश की रकम:

(₹ करोड़ों में)

जोखिम भार वर्ग	ऋण जोखिम को कम करने के बाद ऋण	ऋण जोखिम को कम करने के बाद बाहरी श्रेणी निर्धारित ऋण	गैर श्रेणी निर्धारित
<b>अग्रिम</b>			
100% से कम जोखिम भार	73003.83	29479.81	43524.02
100% जोखिम भार	29326.69	18783.53	10543.16
100% से अधिक जोखिम भार	12107.75	5379.42	6728.33
कटौती	-	-	-
<b>निवेश</b>			
100% से कम जोखिम भार	35191.50	0.00	35191.50
100% जोखिम भार	1.35	0.00	1.35
100% से अधिक जोखिम भार	39.86	0.00	39.86
कटौती	-	-	-

**ऋण जोखिम को कम करना**

उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की ऋण जोखिम नीति में निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ शामिल की गयी हैं ।

1. नकदी, जमाराशि सहित,
2. सोना
3. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
4. किसी ऐसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पालिसियाँ (घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित) जो आइ.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हो ।
5. नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ
6. सूचीबद्ध कंपनियों की ईक्विटी
7. म्यूच्युअल फंड की यूनिटें
8. भूमि और भवन
9. कच्चा माल/बिक्री माल/उत्पाद और अन्य वस्तुएँ
10. बही ऋण और प्राप्य राशियाँ
11. चल संपत्तियाँ जैसे, मशीनें, वाहन इत्यादि
12. माल पर हक दस्तावेज

बासेल-II समझौते के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, जैसे भू-संपत्ति, स्टॉक, मशीन इत्यादि को मान्यता नहीं दी जाती है । नये ढांचे में केवल नकदी प्रतिभूति को मान्यता दी जाएगी जिन्हें “पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति” कहा जाता है । बैंक ने बासेल-II के अंतर्गत ऋण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की है ।

1. बैंक की अपनी जमाराशियाँ सहित नकद
2. सोना
3. के.वी.पी. और एन.एस.सी. (अवरुद्धता अवधि के बिना)
4. जीवन बीमा पालिसी

**Quantitative Disclosures:**

Exposure amounts after risk mitigation subject to standardized approach:

(₹ in crores)

Risk weight category	Exposure after Credit Risk Mitigation	Externally Rated Exposure after Credit Risk Mitigation	Unrated
<b>Advances</b>			
Below 100% Risk Weight	73003.83	29479.81	43524.02
100% Risk Weight	29326.69	18783.53	10543.16
More than 100% Risk Weight	12107.75	5379.42	6728.33
Deducted	-	-	-
<b>Investments</b>			
Below 100% Risk Weight	35191.50	0.00	35191.50
100% Risk Weight	1.35	0.00	1.35
More than 100% Risk Weight	39.86	0.00	39.86
Deducted	-	-	-

**Credit Risk Mitigation**

Bank's credit risk policy recognizes the following collaterals for mitigation of credit risk in borrowers:

1. Cash, including deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Governments, KVPs, NSCs
4. Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
5. Corporate Debt Securities
6. Equities of listed Corporates
7. Units of mutual funds
8. Land and Building
9. Raw materials/stock in trade/produce and other goods
10. Book debts and receivables
11. Movable assets such as machineries, automobiles etc.,
12. Documents of title to goods

Standardised Approach for Credit Risk under Basel-II Accord does not recognize collaterals like landed property, Stock, machinery etc. The New Framework recognizes only cash collaterals, which are termed as “Eligible Financial Collaterals”. The following eligible financial collaterals are recognized by the bank for credit risk mitigation purposes for Basel II:

1. Cash including bank's own deposits
2. Gold
3. KVPs & NSCs (without Lock in Period)
4. Life Insurance Policy



जोखिम भारत आस्तियों का परिकलन करने से पहले और बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति समायोजन करने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य को निवेश के मूल्य के प्रति समायोजित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। जमाराशियों द्वारा रक्षित निवेशों से भिन्न अन्य निवेशों के मामले में जहाँ परिपक्वता बेमेल है वहाँ जोखिम परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।

आभूषण ऋणों के मामले में बैंक मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मार्जिन रखता है। अतः प्रतिभूतियों का समायोजन करने के बाद भी, सोने के मूल्य पूरी ऋण राशि का समंजन करता है। के.वी.पी. और एन.एस.सी. के मामले में जोखिम को कम करने हेतु केवल उन संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की जाएगी जिनकी तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी हो चुकी हो।

विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ऋण संरक्षण के पहचान हेतु केवल निम्नलिखित पात्र गारंटीकर्ताओं की पहचान की है:

- केन्द्र सरकार
- राज्य सरकार
- सी.जी.टी.एम.एस.ई. और
- ई.सी.जी.सी.

गारंटीकृत अंश का परिकलन, गारंटर को भा.रि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए जोखिम भार के आधार पर किया जाएगा।

बैंक ने, पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी ही जमाराशियों तथा एन.एस.सी./के.वी.पी. को लिया है। इसलिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के भीतर कोई बाजार या ऋण संकेद्रीकरण नहीं है।

#### मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रतिभूतिकरण का प्रकटीकरण

लागू नहीं, क्योंकि बैंक प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप नहीं करता है।

#### व्यापार बही में बाज़ार जोखिम

##### गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है जो विभिन्न बाजार सेगमेंटों में निवेश और परिचालनों के संबंध में जाये किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों, वित्तीय सीमाओं, परिपक्वता सीमाओं, प्रवेश स्तर पर श्रेणिनिर्धारणों से संबंधित है। उक्त नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ बाजार जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में संविभाग से संबंधित विभिन्न सीमाएं जैसे जारीकर्तावार सीमाएं, अवधि आधारित सीमाएं, एकल पार्टी निवेश सीमाएं, उद्योगवार निवेश सीमाएं, संशोधित अवधि आधारित सीमाएं इत्यादि शामिल हैं। व्यापार के लिए धारित संविभाग (एम.एफ.टी.) हेतु जोखिम मूल्य (वी.ए.आर.) आधारित सीमा भी निर्दिष्ट की गयी है।

##### परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ों में)

ब्याज दर जोखिम	226.80
ईक्विटी स्थिति जोखिम	84.80
विदेशी विनिमय जोखिम	4.50

##### परिचालन जोखिम

##### गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के पास एक सुविस्तृत अनुदेश पुस्तिका है जिसमें उसके कारोबार के संपूर्ण विवरण दिए गए हैं। बैंक के आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी/सूचनाओं को परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर इन अनुदेश पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता

The value of the collateral is permitted to be offset against the value of the exposures before computing the Risk-Weighted Assets, after adjusting for possible future fluctuations in the value of collateral caused by market movements. In respect of exposures other than those covered by deposits, wherever there is maturity mismatch, risk mitigation has not been considered.

In case of jewel loans, bank is taking sufficient margin to take care of volatility in value. Hence, even after adjusting for haircut, value of gold will off-set the exposures. In case of KVPs & NSCs, only those which have completed three years (lock in period) have been recognized for mitigation.

In line with regulatory guidelines, Bank has recognized only the following eligible guarantors for recognition of credit protection:

- Central Government,
- State Government,
- CGTMSE and
- ECGC.

The guaranteed portion is assigned the risk weight of the guarantor as prescribed by RBI.

As the bank has taken its own deposits and NSCs/KVPs as eligible collaterals, there are no market or credit concentrations within collaterals.

#### Securitization Disclosure for standardized approach

Not Applicable since bank does not undertake securitization activity.

#### Market Risk in Trading Book

##### Qualitative Disclosures:

The Bank has board approved investment policy which articulates various guidelines, financial benchmarks, maturity limits, entry level ratings for investment and operations in various market segments. The policy consists, inter alia, various limits like issuer wise limits, duration limits, single party exposure limits, industry wise exposure limits, modified duration based limits etc., for the portfolio as a part of market risk management. A Value at Risk (VaR) based limit is also stipulated for Held for Trading Portfolio (HFT).

##### Quantitative disclosures

(₹ in crores)

Interest rate risk	226.80
Equity position risk	84.80
Foreign exchange risk	4.50

##### Operational Risk

##### Qualitative Disclosures:

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with developments internal and external to the bank. Detailed



है। बैंक के सभी प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में शाखाओं को विस्तृत जांच सूचियाँ उपलब्ध कराई गयी है। बैंक ने परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने/रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई है। जिसमें आर.सी.एस.ए., के आर.आइ. और एल.डी.एम. पर अन्य नीतियाँ भी शामिल है। बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा के.वाइ.सी. और ए.एम.एल. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए के.वाइ.सी. और ए.एम.एल. नीति अपनाई है। बैंक ने संवेदनशील लेन-देन पर नियमित आधार पर निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष स्थापित किए हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं।

बैंक ने प्राप्त अनुभव के आधार पर कारोबार निरंतरता योजना को संशोधित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कारोबार निरंतरता के समाधान हेतु एक नियर साइट और एक फार साइट के रूप में विस्तृत 'डिस्ट्रिब्यूटेड रिकवरी प्लान' अपनाया गया है। सूचना प्रणाली सुरक्षा के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उसकी छेद्यता और भेद्यता का परीक्षण किया जाता है।

बैंक ने परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी का निर्धारण करने हेतु बुनियादी सूचक दृष्टिकोण अपनाया है। नये पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार, बैंक के परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को भा.रि.बैं. की परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों की तुलना में धनात्मक वार्षिक औसत सकल आय के 15% पर निर्धारित किया गया है।

बैंक ओ.आर.एम.एस. के कार्यान्वयन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, इससे हानि आंकड़ों की तत्काल रिपोर्टिंग, कारोबार में रुकावट इत्यादि के मामले में मदद मिलेगी।

मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने बिजिनेस लाइन मैपिंग शुरू की है। प्रारंभिक उपायों के रूप में विभिन्न कारोबार व्यवस्थाओं के संबंध में आय का निर्धारण कार्य प्रगति पर है।

### बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

#### गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक, जोखिम पर अर्जन (ई.ए.आर.) मॉड्यूल के जरिए समय-समय पर आइ.आर.आर.बी.बी. की निगरानी करता है। इसके अलावा बैंक ने ई.ए.आर. हेतु एक वर्ष के लिए छूट सीमा के रूप में या पिछले वर्ष के एन.आइ.आइ. का 15% इनमें से जो भी कम हो ₹500 करोड़ की सीमा निर्धारित की है। ई.ए.आर. का परिकलन करते समय यह माना गया है कि हर तीन/छह महीने में बेस रेट बी.पी. एल.आर. में परिवर्तन होगा।

#### परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) मुद्रा के उतार-चढ़ाव (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है) के कारण आइ.आर.आर.बी.बी. के आंकड़े के लिए प्रबंधन की पद्धति के अनुसार ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दर शॉक के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संगत उपाय) में वृद्धि (गिरावट) हेतु परिमाणात्मक प्रकटीकरण को अपनाया गया है।

संपूर्ण तुलन-पत्र के लिए परिकलित ई.ए.आर. के अनुसार एक वर्ष का ई.ए.आर. ₹455.57 करोड़ है; जिससे ब्याज दर में 1% का परिवर्तन हो सकता है। यह बैंक द्वारा निर्धारित ₹500 करोड़ या पिछले वर्ष के एन.आइ.आइ. का 15% इनमें से जो भी कम हो, की छूट सीमा के भीतर है।

checklists are provided to branches on all major products and services. Bank has a well developed Operational risk management framework which includes operational management policy as parent policy and other policies on RCSA, KRI and LDM. In addition to this, bank has put in place Fraud Risk Management Policy, KYC and AML policies to prevent KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at Head Office and Regional Offices to monitor sensitive transactions on a regular basis to serve as an early warning system.

Bank has revised the Business Continuity Plan on the basis of experience gained. A detailed Disaster Recovery Plan has been put in place, one near site and one far site is maintained to address IT related business continuity. Information security is managed through information security policy. Periodical vulnerability and penetration testing are conducted to ensure integrity of the information system security.

Bank has adopted Basic Indicator approach to assess the capital under operational risk. In terms of new capital adequacy norms, Banks' operational risk capital charge has been assessed at 15% of positive annual average Gross Income over the previous three years as defined by RBI.

Bank is in the process of finalizing implementation of ORMS which will take care of issues like real time reporting of loss data, business disruption etc.

For facilitating moving towards The Standardized Approach, bank has undertaken the process of Business Line Mapping. As an initial measure, the mapping of income to various business lines is under process.

### Interest rate risk in banking book

#### Qualitative disclosures

a) Bank is monitoring the IRRBB through Earning at Risk (EaR) module periodically. Bank has also fixed a limit of ₹500 cr. or 15% of previous years Nil whichever is higher as the tolerance limit for one year horizon for a 100 bps change in Rate. While calculating the EaR, it is assumed that Base rate/BPLR will be changed once in 3/6 months respectively.

#### Quantitative disclosures

b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover).

As per the EaR arrived for the entire Balance sheet, the same is at ₹455.57 Crs for one year with an expected change in interest rate by 1%. This is within the tolerance of ₹500 Crs or 15% of previous years Nil whichever is higher fixed by the bank.



## लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति,

हमने 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न लाभ व हानि लेखा की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा 20 शाखाओं और 38 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखा-परीक्षा की गई है। 2012 शाखाओं की लेखा-परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा और 1 विदेशी शाखा की लेखा-परीक्षा विदेशी लेखा-परीक्षक द्वारा की गई है। जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा हमने की है और जिन शाखाओं की लेखा-परीक्षा अन्य लेखा-परीक्षकों ने की है, उनका चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया गया है। तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे में उन 663 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गई। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं के लेखे में 1.37 प्रतिशत की अग्रिम राशि, 6.49 प्रतिशत जमाराशि, 0.98 प्रतिशत ब्याज-आय और 6.51 प्रतिशत ब्याज व्यय शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंध तंत्र की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है तथा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाया नहीं गया है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।

तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म क्रमशः 'ए' और 'बी' में तैयार किए गए हैं।

हम उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उपदर्शित लेखा-परीक्षा की मर्यादा के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:

हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है।

बैंक के जो लेन-देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

## AUDITORS' REPORT

To

The President of India

We have audited the attached Balance Sheet of Syndicate Bank as at 31<sup>st</sup> March, 2012, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches and 38 Regional Offices audited by us, 2012 branches audited by branch auditors and 1 foreign branch audited by the overseas auditor. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns of 663 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.37 percent of advances, 6.49 percent of deposits, 0.98 percent of interest income and 6.51 percent of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein; We report that:

We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.





बैंक की शाखाओं और उसके कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं ।

हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और बैंक की लेखा बहियों में दर्शाए गए अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र पूर्ण और सही है और उसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है ।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और उसकी टिप्पणियों के साथ पठित लाभ और हानि-लेखा उस लेखे से संबंधित लाभ को 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का सही शेष दर्शाता है ।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के साथ पठित नकदी उपलब्धता विवरण 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सत्य और उचित विवरण दर्शाता है ।

The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank, we report that:

The Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and the Notes on Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31<sup>st</sup> March, 2012.

The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and the Notes on Accounts thereon shows a true balance of Profit for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2012.

The Cash Flow Statement read with Significant Accounting Policies and the Notes on Accounts thereon gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2012.

कृते जैन एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं.: 001361 एन)

एस सी पाठक  
साझेदार

सदस्यता सं.: 010194

कृते एस सोनी एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं.: 003935 एस)

एस. सुन्दर  
साझेदार

सदस्यता सं.: 023425

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं.: 000038 एन)

के एन गुप्ता  
साझेदार

सदस्यता सं.: 009169

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं.: 002438 सी)

प्रतिभा शर्मा  
साझेदार

सदस्यता सं.: 400755

कृते आर वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं.: 002614 एन)

राघवेन्दर गुप्ता  
साझेदार

सदस्यता सं.: 081544

कृते चंडोक एण्ड गुलियानी  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं.: 001199 एन)

वी के लल्ला  
साझेदार

सदस्यता सं.: 080847

For Jain & Associates  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 001361N)

S C Pathak  
Partner  
Membership No.: 010194

For S Sonny Associates  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 003935S)

S Sundar  
Partner  
Membership No.: 023425

For Thakur, Vaidyanath Aiyar &  
Co.  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 000038N)

K N Gupta  
Partner  
Membership No.: 009169

For Prakash Chandra Jain & Co.  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 002438C)

Pratibha Sharma  
Partner  
Membership No.: 400755

For R Vender Gupta & Associates  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 002614N)

Raghvender Gupta  
Partner  
Membership No.: 081544

For Chandiook & Guliani  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 001199N)

V K Lalla  
Partner  
Membership No.: 080847

स्थान : बेंगलूर  
दिनांक : 05.05.2012

Place : Bengaluru  
Date : 05.05.2012



तुलन-पत्र

BALANCE SHEET

31 मार्च, 2012 का तुलन-पत्र  
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

पूंजी और देयताएँ CAPITAL & LIABILITIES	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>पूंजी/CAPITAL</b>	1	<b>601,95,00</b>	573,28,57
प्रारक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	<b>8439,20,35</b>	6477,55,47
जमाराशियाँ/Deposits	3	<b>157941,05,68</b>	135596,08,09
उधार/Borrowings	4	<b>10589,90,63</b>	9527,64,32
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	<b>4895,95,09</b>	4364,22,31
<b>योग/TOTAL</b>		<b>182468,06,75</b>	156538,78,76
<b>आस्तियाँ/ASSETS</b>			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	<b>8808,62,77</b>	10443,11,63
बैंकों के पास शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	<b>5075,64,06</b>	1522,53,43
निवेश/Investments	8	<b>40815,06,08</b>	35067,61,56
अग्रिम/Advances	9	<b>123620,17,74</b>	106781,92,02
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	<b>1351,59,05</b>	692,72,84
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	<b>2796,97,05</b>	2030,87,28
<b>योग/TOTAL</b>		<b>182468,06,75</b>	156538,78,76
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	<b>55595,14,94</b>	52397,70,30
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		<b>3126,91,72</b>	2236,76,10
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ/Notes on Accounts	18		

म गि संघवी  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रवि चटर्जी  
कार्यपालक निदेशक

एम आंजनेय प्रसाद  
कार्यपालक निदेशक

M G Sanghvi  
Chairman & Managing Director

Ravi Chatterjee  
Executive Director

M Anjaneya Prasad  
Executive Director

एच प्रदीप राव  
निदेशक

ए एस राव  
निदेशक

नरेंद्र एल दवे  
निदेशक

H Pradeep Rao  
Director

A S Rao  
Director

Narendra L Dave  
Director

दिनकर एस पूजा  
निदेशक

डी के सक्सेना  
निदेशक

जे आर श्रीमाली  
निदेशक

Dinkar S Punja  
Director

D K Saxena  
Director

J R Shrimali  
Director

रमेश एल अडिगे  
निदेशक

एआर नागप्पन  
निदेशक

बी एस सूरी  
निदेशक

Ramesh L Adige  
Director

AR Nagappan  
Director

B S Suri  
Director

आई पी नागराज राव  
उप महा प्रबंधक

आर रामलिंगम  
मुख्य प्रबंधक

I P Nagaraja Rao  
Dy. General Manager

R Ramalingam  
Chief Manager

स्थान : बेंगलूर  
तारीख : 05.05.2012

Place : Bengaluru  
Date : 05.05.2012



लाभ व हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा  
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2012 को	Year ended/ समाप्त वर्ष दि. 31.03.2011 को
<b>I. आय / INCOME</b>			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	15268,35,21	11450,85,89
अन्य आय / Other Income	14	1075,87,97	915,11,70
<b>योग / TOTAL</b>		<b>16344,23,18</b>	<b>12365,97,59</b>
<b>II. व्यय / EXPENDITURE</b>			
व्ययगत ब्याज / Interest Expended	15	10183,31,73	7068,09,61
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	2814,11,78	2548,10,20
प्रावधान और आकस्मिकताएँ / Provisions and Contingencies		2033,40,24	1701,83,22
<b>योग / TOTAL</b>		<b>15030,83,75</b>	<b>11318,03,03</b>
<b>III. लाभ / हानि / PROFIT / LOSS</b>			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / Net Profit for the year		1313,39,43	1047,94,56
आगे लाया गया लाभ / हानि (-) / Profit / Loss (-) brought forward		0	0
<b>योग / TOTAL</b>		<b>1313,39,43</b>	<b>1047,94,56</b>
<b>IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
A सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves		328,34,86	261,98,64
B राजस्व आरक्षित निधि / Revenue Reserves		518,91,35	429,43,30
C आरक्षित पूंजी / Capital Reserves		3,28,37	0
D सामान्य आरक्षित / General Reserve		0	0
E विशेष निधि आयकर अधिनियम धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत / Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act 1961		197,00,00	110,00,00
F प्रस्तावित अंतिम लाभांश (₹ 37.11 करोड़ के लाभांश कर सहित, पिछले वर्ष, ₹ 34.41 करोड़) / Proposed Final Dividend (inclusive of Dividend Distribution Tax of ₹ 37.11 Cr, Previous Year ₹ 34.41 Cr)		265,84,85	246,52,62
G तुलन-पत्र को अग्रेनीत शेषराशि / Balance carried over to the Balance Sheet		0	0
<b>योग / TOTAL</b>		<b>1313,39,43</b>	<b>1047,94,56</b>
प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10/- अंकित मूल्यवाले) / Earnings per share (Face Value of ₹ 10 each)		22.89	20.03
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

कृते जैन एण्ड एसोसिएट्स  
सन्दी लेखाकार  
(पं. सं.: 001361N)

कृते प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी  
सन्दी लेखाकार  
(पं. सं.: 002438C)

कृते एस सोनी एसोसिएट्स  
सन्दी लेखाकार  
(पं. सं.: 003935एस)

For Jain & Associates  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 001361N)

For Prakash Chandra Jain & Co.  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 002438C)

For S Sonny Associates  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 003935S)

(एस सी पाठक)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 010194

(प्रतिभा शर्मा)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 400755

(एस सुंदर)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 023425

(S C Pathak)  
Partner  
Membership No.: 010194

(Pratibha Sharma)  
Partner  
Membership No.: 400755

(S Sundar)  
Partner  
Membership No.: 023425

कृते आर वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स  
सन्दी लेखाकार  
(पं. सं.: 002614एन)

कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी  
सन्दी लेखाकार  
(पं. सं.: 000038एन)

कृते चंडोक एण्ड गुलियानी  
सन्दी लेखाकार  
(पं. सं.: 001199एन)

For R Vender Gupta & Associates  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 002614N)

For Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 000038N)

For Chandiook & Guliani  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 001199N)

(राघवेंदर गुप्ता)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 081544

(के एन गुप्ता)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 009169

(वी के लल्ला)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 080847

(Raghvender Gupta)  
Partner  
Membership No.: 081544

(K N Gupta)  
Partner  
Membership No.: 009169

(V K Lalla)  
Partner  
Membership No.: 080847



**अनुसूचियाँ**

**SCHEDULES**

**अनुसूची - 1 : पूँजी / SCHEDULE-1 : CAPITAL**

(₹ हजारों में / ₹ in thousands)

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10</b> AUTHORISED CAPITAL 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	<b>3000,00,00</b>	3000,00,00
<b>I. निर्गत, अभिदत्त मांगी गई और प्रदत्त पूँजी ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED &amp; PAID UP CAPITAL</b>		
अथशेष / Opening Balance	<b>573,28,57</b>	521,96,83
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	<b>28,66,43</b>	51,31,74
(केन्द्रीय सरकार को जारी किए गए प्रत्येक ₹ 10 के 2,86,64,284 (5,13,17,389) इक्विटी शेयर और पूँजी में वृद्धि करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित कुल शेयरों की सं. 39,82,85,671 (39,82,85,671) हैं) [2,86,64,284 (5,13,17,389) Equity Shares of ₹ 10/- each issued during the year. Total number of Shares held by Central Government is 39,82,85,671 (39,82,85,671)]	<b>601,95,00</b>	573,28,57
<b>II. बेमीयादी गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.)</b> Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	<b>0</b>	0
<b>योग / TOTAL (I+II)</b>	<b>601,95,00</b>	573,28,57

**अनुसूची - 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष / SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS**

	As on दि. 31-03-2012 को		As on दि. 31-03-2011 को	
<b>I. सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>1744,96,69</b>		1482,98,05	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	<b>328,34,86</b>	<b>2073,31,55</b>	261,98,64	1744,96,69
<b>II. आरक्षित पूँजी / Capital Reserves</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>132,79,54</b>		132,79,54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	<b>3,28,37</b>	<b>136,07,91</b>	0	132,79,54
<b>III. शेयर प्रीमियम / Share Premium</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>781,68,26</b>		200,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	<b>298,53,85</b>	<b>1080,22,11</b>	581,68,26	781,68,26
<b>IV. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि / Revaluation Reserves</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>393,89,65</b>		404,19,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	<b>644,07,28</b>		0	
वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	<b>1037,96,93</b>		404,19,00	
	<b>32,55,78</b>	<b>1005,41,15</b>	10,29,35	393,89,65
<b>V. सामान्य आरक्षित निधि / General Reserves</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>581,16,40</b>		581,16,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	<b>0</b>	<b>581,16,40</b>	0	581,16,40
<b>VI. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि / Revenue and other Reserves</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>2492,88,79</b>		2063,45,49	
जोड़ें : लाभ व हानि लेखे से शेष का अंतरण Add: Transfer of Balance from Profit and Loss Account	<b>518,91,35</b>		429,43,30	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती / Less: Deductions during the year	<b>12</b>	<b>3011,80,02</b>	0	2492,88,79
<b>VII. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि / Foreign Currency Translation Reserve</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>16,14</b>		49,65	
जोड़ें / (घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन Add / (Less): Adjustments during the year	<b>4,05,07</b>	<b>4,21,21</b>	- 33,51	16,14
<b>VIII. आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशिष्ट प्रारक्षित निधि / Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act 1961</b>				
अथशेष / Opening Balance	<b>350,00,00</b>		240,00,00	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year	<b>197,00,00</b>	<b>547,00,00</b>	110,00,00	350,00,00
<b>IX. लाभ-हानि लेखे में शेष / Balance in Profit and Loss Account</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>योग / TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>8439,20,35</b>		6477 55 47



**अनुसूचियाँ**

**SCHEDULES**

**अनुसूची - 3 : जमाराशियाँ / SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**

(₹ हजारों में / ₹ in thousands)

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>क./A.I. मांग जमाराशियाँ / Demand Deposits</b>		
i) बैंकों से / From Banks	53,90,54	216,68,03
ii) अन्यो से / From Others	12167,47,84	10522,13,31
<b>II. बचत बैंक जमाराशियाँ / Savings Bank Deposits</b>	<b>34295,91,35</b>	<b>31206,55,29</b>
<b>III. सावधि जमाराशियाँ / Term Deposits</b>		
i) बैंकों से / From Banks	16665,38,99	13593,52,96
ii) अन्यो से / From Others	94758,36,96	80057,18,50
<b>योग (क) / TOTAL A (I+II+III)</b>	<b>157941,05,68</b>	<b>135596,08,09</b>
<b>ख./B. i) भारत की शाखाओं में जमाराशियाँ / Deposits of Branches in India</b>	<b>147707,48,48</b>	<b>126796,25,05</b>
ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमाराशियाँ / Deposits of Branches outside India	10233,57,20	8799,83,04
<b>योग (क + ख) / TOTAL (A+B)</b>	<b>157941,05,68</b>	<b>135596,08,09</b>

**अनुसूची - 4 : उधार / SCHEDULE - 4 : BORROWINGS**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>I. भारत में उधार / Borrowings in India</b>		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	0	0
ii. अन्य बैंक / Other Banks	771,82,05	767,76,14
iii. अन्य संस्थाएँ और एजेंसियाँ / Other Institutions and Agencies	2520,27,73	3783,84,87
iv. नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आइ.) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	773,00,00	773,00,00
v. बंधपत्र / डिबेंचरों के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत Hybrid debt capital instruments issued as bonds / debentures	0	0
vi. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	0	0
vii. प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	0	0
viii. प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	0	0
ix. गौण ऋण / Subordinated Debt	2744,70,00	2744,70,00
<b>योग / TOTAL</b>	<b>6809,79,78</b>	<b>8069,31,01</b>
<b>II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India</b>	<b>3780,10,85</b>	<b>1458,33,31</b>
<b>योग / TOTAL (I + II)</b>	<b>10589,90,63</b>	<b>9527,64,32</b>

**अनुसूची - 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान**

**SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. देय बिल / Bills Payable	547,30,70	904,11,05
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-Office Adjustments (Net)	52,36,16	130,39,21
III. उपचित ब्याज / Interest Accrued	993,87,00	657,04,78
IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान / Contingent Provision against Standard Assets	683,24,89	420,44,16
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	2619,16,34	2252,23,11
<b>योग / TOTAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4895,95,09</b>	<b>4364,22,31</b>





अनुसूचियाँ

SCHEDULES

**अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और शेषराशि**  
**SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	302,75,47	306,82,58
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	8505,87,30	10136,29,05
अन्य खातों में/In Other Accounts	0	0
<b>योग/TOTAL (I+II)</b>	<b>8808,62,77</b>	<b>10443,11,63</b>

**अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**  
**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. भारत में/In India		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	58,19,99	52,39,13
ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	125,02,25	58,91,56
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
क)/a) बैंकों के पास/with banks	3814,26,00	119,66,25
ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions	0	0
<b>योग/Total</b>	<b>3997,48,24</b>	<b>230,96,94</b>
II. भारत के बाहर/Outside India		
क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	162,40,82	50,65,05
ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	915,75,00	1240,91,44
ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	0	0
<b>योग/Total</b>	<b>1078,15,82</b>	<b>1291,56,49</b>
<b>योग/TOTAL (I + II)</b>	<b>5075,64,06</b>	<b>1522,53,43</b>

**अनुसूची - 8 : निवेश / SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)	40641,46,32	34954,24,64
घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	42,30,48	17,68,31
<b>योग/Total</b>	<b>40599,15,84</b>	<b>34936,56,33</b>
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government securities	36500,52,43	30302,48,54
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved securities	25,71,35	43,35,89
शेयर/Shares	303,33,02	180,78,43
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	1802,46,52	1646,25,86
अनुषंगी और/या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Associates	33,59,83	33,59,83
अन्य/Others	1933,52,69	2730,07,78
<b>योग/ Total</b>	<b>40599,15,84</b>	<b>34936,56,33</b>
II. भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)	244,08,86	156,40,30
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	28,18,62	25,35,07
शुद्ध निवेश/Net Investments	215,90,24	131,05,23
<b>योग/TOTAL (I+II)</b>	<b>40815,06,08</b>	<b>35067,61,56</b>



अनुसूचियाँ

SCHEDULES

अनुसूची - 9: अग्रिम  
SCHEDULE - 9: ADVANCES

(₹ हजारों में / ₹ in thousands)

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
क./A. i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills Purchased and Discounted	1285,99,09	1509,25,93
ii) ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	23522,90,17	22967,66,21
iii) मीयादी ऋण/Term Loans	98811,28,48	82304,99,88
<b>योग/Total</b>	<b>123620,17,74</b>	<b>106781,92,02</b>
ख./B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by tangible assets	83118,04,34	66289,15,90
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	13119,19,11	12657,22,76
iii) अरक्षित/Unsecured	27382,94,29	27835,53,36
<b>योग/Total</b>	<b>123620,17,74</b>	<b>106781,92,02</b>
ग./C. I) <b>भारत में अग्रिम/Advances in India</b>		
i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sector	36421,10,86	32175,89,10
ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	9709,32,92	11045,68,37
iii) बैंक/Banks	3105,87,55	4084,12,14
iv) अन्य/Others	59750,86,99	48670,62,84
<b>योग/Total</b>	<b>108987,18,32</b>	<b>95976,32,45</b>
II) <b>भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India</b>		
i) बैंकों से देय/Due from Banks	8355,27,96	7482,08,76
ii) अन्यो से देय/Due from others		
क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/ Bills Purchased and Discounted	161,31,88	181,13,49
ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	4919,32,94	2482,81,30
ग)/c) अन्य/Others	1197,06,64	659,56,02
<b>योग/Total</b>	<b>14632,99,42</b>	<b>10805,59,57</b>
<b>योग (ग I + ग II)/TOTAL (C.I + C. II)</b>	<b>123620,17,74</b>	<b>106781,92,02</b>

अनुसूची - 10 : अचल आस्तियाँ  
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. <b>परिसर/Premises</b>		
पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/reevaluation as on 31st March of preceding year	557,89,69	546,98,71
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन ₹ 644.07 करोड़ के पुनर्मूल्यन सहित पिछले वर्ष 'शून्य' Add: Additions during the year including Revaluation of ₹ 644.07 Crores (Previous Year Nil)	648,71,94	13,43,35
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	45,37	2,52,37
	<b>1206,16,26</b>	<b>557,89,69</b>
घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	111,41,62	73,23,20
<b>योग/Total</b>	<b>1094,74,64</b>	<b>484,66,49</b>
II. <b>प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress</b>	23,74,17	15,69,09
III. <b>अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets</b>		
पिछले वर्ष के मार्च 31 की लागत पर/ At cost as on 31st March of preceding year	789,87,38	732,21,55
जोड़िए: वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	107,21,53	68,46,31
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	27,94,71	10,80,48
	<b>869,14,20</b>	<b>789,87,38</b>
घटाएं: अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	636,03,96	597,50,12
<b>योग/Total</b>	<b>233,10,24</b>	<b>192,37,26</b>
<b>योग/TOTAL (I+II+III)</b>	<b>1351,59,05</b>	<b>692,72,84</b>

**अनुसूचियाँ**

**SCHEDULES**

**अनुसूची - 11: अन्य आस्तियाँ  
SCHEDULE - 11: OTHER ASSETS**

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	0	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	878,89,24	626,29,32
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	1300,39,17	791,85,93
IV. लेखन सामग्री व स्टॉप/Stationery and Stamps	13,46,07	10,07,49
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यहास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	3,65	3,79
VI. अन्य/Others	604,18,92	602,60,75
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2796,97,05</b>	<b>2030,87,28</b>

**अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएँ  
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं है Claims against the bank not acknowledged as debts	87,49,75	78,35,07
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि Liability for partly paid Investments/venture fund	58,38,16	73,14,64
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	37059,42,45	39410,86,45
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents क)/a) भारत में/In India	8360,97,56	6934,30,07
ख)/b) भारत के बाहर/Outside India	83,22	55,84
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	3406,94,75	3212,97,53
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable		
i) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिन के लिए प्रावधान नहीं किया गया है/ Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	22,78,10	17,29,47
ii) अन्य/Others	6598,30,95	2670,21,23
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>55595,14,94</b>	<b>52397,70,30</b>

**अनुसूची - 13: अर्जित ब्याज  
SCHEDULE - 13: INTEREST EARNED**

	Year ended दि. 31-03-2012 को	Year ended दि. 31-03-2011 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	12371,28,20	9197,23,65
II. निवेशों पर आय/Income on investments	2735,99,77	2207,72,05
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	150,71,56	10,72,41
IV. अन्य/Others	10,35,68	35,17,78
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b>15268,35,21</b>	<b>11450,85,89</b>



**अनुसूचियाँ**

**SCHEDULES**

**अनुसूची – 14 : अन्य आय  
SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME**

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	Year ended दि. 31.03.2012 को	Year ended दि. 31.03.2011 को
I. कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	551,39,70	442,23,05
II. विनिधानों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments	88,77,60 0	35,23,89 0
III. जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of land, buildings & other assets घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets	52,84 - 71,49	17,93 - 45,58
IV. विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on Exchange Transactions घटाएँ/Less: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Loss on Exchange Transactions	191,50,33 - 74,94,71	97,91,98 - 2,43
V. लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend	6,03,82	5,40,51
VI. विविध आय/Miscellaneous Income	313,29,88	334,62,35
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1075,87,97</b>	<b>915,11,70</b>

**अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज  
SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED**

	Year ended दि. 31-03-2012 को	Year ended दि. 31-03-2011 को
I. जमाराशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	9326,26,18	6193,29,85
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	80,18,88	111,28,69
III. अन्य/Others	776,86,67	763,51,07
<b>योग/TOTAL (I+II+III)</b>	<b>10183,31,73</b>	<b>7068,09,61</b>

**अनुसूची – 16: परिचालन व्यय  
SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES**

	Year ended दि. 31-03-2012 को	Year ended दि. 31-03-2011 को
I. कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for employees	1891,49,96	1773,31,42
II. किराया, कर और बिजली/ Rent, Taxes and Lighting	167,46,41	147,85,95
III. मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	15,56,18	14,12,16
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	14,61,89	18,64,13
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास/Depreciation on Bank's Property	66,03,94	70,96,26
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	85,41	43,53
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	23,61,43	20,38,59
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	6,72,98	7,68,06
IX. डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	28,69,45	18,29,84
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	94,56,85	62,83,23
XI. बीमा/Insurance	125,13,85	104,83,81
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	379,33,43	308,73,22
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>	<b>2814,11,78</b>	<b>2548,10,20</b>



अनुसूची – 17  
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2011-2012

1. **लेखाकरण प्रथा**  
संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा प्रचलित लेखाकरण नामकों और क्रियाविधियों के अनुसार हैं।
2. **विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन**
  - 2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है।
  - 2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाजार दरों पर अभिलेखित किया गया है।
  - 2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है।
  - 2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा "बीच की परिपक्वताओं" वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है।
  - 2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
  - 2.6 बैंक की विदेशी शाखा को "गैर समाकलित विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
    - क) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।
    - ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया।
    - ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" में जमा किया गया।
3. **निवेश**
  - 3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:
    - I. परिपक्वता तक धारित
    - II. विक्रय के लिए उपलब्ध
    - III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को पुनः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

    - क) सरकारी प्रतिभूतियां
    - ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
    - ग) शेयर
    - घ) डिबेंचर और बंध पत्र
    - ड) अनुषंगी
    - च) अन्य
  - 3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

SCHEDULE – 17  
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – 2011-2012

1. **ACCOUNTING CONVENTIONS**  
The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions including the RBI guidelines and the applicable accounting standards and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.
2. **TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE**
  - 2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.
  - 2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR) published by FEDAI, whereas all forex assets are recorded at on going market rates.
  - 2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at FEDAI closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.
  - 2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".
  - 2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.
  - 2.6 Foreign Branch of the Bank is classified as "Non-Integral Foreign Operation"
    - a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.
    - b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.
    - c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.
3. **INVESTMENTS**
  - 3.1 In accordance with RBI guidelines, investments in India are classified into:
    - I. Held to Maturity
    - II. Available for Sale
    - III. Held for Trading

Each category is further classified into:

    - a) Government Securities
    - b) Other Approved Securities
    - c) Shares
    - d) Debentures & Bonds
    - e) Subsidiaries
    - f) Others
  - 3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.





- 3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।
- 3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाजार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यहास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।
- 3.2.3 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -
- लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है, जहाँ कहीं लागू होता हो ।
  - बाजार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाजार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और तदनुसार :
    - सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आइ. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाई.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा ।
    - डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आई./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाई.टी.एम. आधार पर किया जाएगा ।
    - तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।
    - अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाई.टी.एम. आधार पर किया जाएगा ।
    - ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व पर ध्यान दिए बिना) ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाएगा, जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।
    - क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य) ।
    - प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए गए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है ।
    - जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया ।
    - म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।
- 3.2.4 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आई.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया । अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया ।
- 3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.
- 3.2.2 Investments held under Available for Sale and Held for Trading category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation / appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 3.2.3 For the purpose of valuation -
- Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.
  - Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI and accordingly:
    - Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.
    - Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.
    - Treasury Bills, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.
    - Preference Shares are valued on YTM basis.
    - Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet or at ₹ 1 per company, where latest balance sheet is not available.
    - Investment in RRBs is valued at carrying cost ( i.e. book value).
    - Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.
    - Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.
    - Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.
- 3.2.4 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.



- 3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है (करोँ और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली रकम को घटाकर)।
- 3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है।
- 3.5 विदेशी शाखा में अस्थिर दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

- 3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है। प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा।
- 3.7 रेपो के अंतर्गत भा.रि.बैं. से प्राप्त निधियों और रिवर्स रेपो के अंतर्गत विनियोजित निधियों लेखाकरण क्रमशः उधार और वित्तीयन के रूप में किया गया है।

#### 4. व्युत्पन्न

- 4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।
- 4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।
- 4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- 4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा।
- 4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।
- 4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाएगा।

#### 5. अग्रिम

- 5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक कड़ा हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें "अन्य देयताओं और प्रावधान" में शामिल किया गया है।

- 3.3. Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account (Net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).
- 3.4. Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.
- 3.5. Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.
- 3.6. Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.
- 3.7. Availment of funds from RBI under Repo and deployment of funds under Reverse Repo are accounted as borrowing and lending respectively.

#### 4. DERIVATIVES

- 4.1 The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.
- 4.2 The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- 4.3 Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.
- 4.4 The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.
- 4.5 Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.
- 4.6 Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is booked on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.

#### 5. ADVANCES

- 5.1 Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.
- 5.2 Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances, Provision held for sold assets have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.



## 6. परिसर और अन्य अचल आस्तियाँ

- 6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यहास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।
- 6.2 परिसर पर मूल्यहास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।
- 6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर हासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

क) परिसर	दरें
i) बैंक के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित
ख) अन्य आस्तियाँ	दरें
i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

- 6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन सॉफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यहास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।

## 7. सेवानिवृत्ति लाभ

- 7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- 7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

## 8. राजस्व का निर्धारण

- क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया,

## 6. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

- 6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- 6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.
- 6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

A) PREMISES:	Rates
i) Bank owned (freehold/leasehold)	5 %
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
– where lease period is not specified	10 %
– where lease period is specified	Amortised over the residual period of lease.
B) OTHER ASSETS:	Rates
i) Furniture	10 %
ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15 %
iii) Vehicles	20 %
iv) Electronic equipments	40 %
v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33 %

- 6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

## 7. RETIREMENT BENEFITS

- 7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.
- 7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.
- 7.3 Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation.

## 8. REVENUE RECOGNITION

- a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/ commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/



परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

- ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
- ग) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
- घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।
- ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।
- च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

## 9. आय कर

- 9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

## 10. देश जोखिम प्रबंधन

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

## 11. सोने के सिक्के

आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।

## 12. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

- आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों के प्रावधान
- निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.

- b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.
- c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits has been made at corporate office as per the RBI guidelines.
- d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.
- e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.
- f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.

## 9. TAXES ON INCOME

- 9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.
- 9.2 Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets/liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

## 10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The bank has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

## 11. GOLD COINS

Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.

## 12. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

- Provision for Income tax and Wealth tax
- Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.





**अनुसूची - 18 लेखा संबंधी टिप्पणियाँ - 2011-2012**

1. पूंजी (₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i) जोखिम भास्ति आस्ति (सी आर ए आर) की तुलना में पूंजी का अनुपात (%) बासेल - II	12.24	13.04
ii) सी.आर.ए.आर. प्रथम चरण की पूंजी (%)	8.94	9.31
iii) सी.आर.ए.आर. द्वितीय चरण की पूंजी (%)	3.30	3.73
iv) भारत सरकार के शेरधारण की प्रतिशतता	66.17	69.47
v) द्वितीय चरण की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि (₹ करोड़)	0.00	0.00
vi) आई.पी.डी.आई. निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि	0.00	0.00
vii) अप्पर टियर-II लिखत निर्गम द्वारा जुटाई गयी राशि	0.00	0.00

नोट: बासेल-II मानदण्डों के अनुसार, दि. 31.03.2012 को मूल कंपनी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.81% और दि.31.03.2011 को 11.20% था।

2. निवेश (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में	40,641.46	34,954.25
(ख) भारत के बाहर	244.09	156.40
(ii) मूल्यहास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	42.30	17.68
(ख) भारत के बाहर	28.19	25.35
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(क) भारत में	40,599.16	34,936.57
(ख) भारत के बाहर	215.90	131.05
(2) निवेश के मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	43.03	82.77
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	27.46	7.00
(iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/ पुनरांकन	0.00	46.74
(iv) इतिशेष	<b>70.49</b>	<b>43.03</b>

2.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2012 को इतिशेष
रेपोज के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	52.50	2,887.50	492.71	0.00
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपोज के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	420.00	1,575.00	19.56	1,575.00
(ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2 गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31-03-2012 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	“निम्न निवेश श्रेणी” प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	“असूचीबद्ध” प्रतिभूतियों की मात्रा
1	सा.क्षे.उ.	64.84	2.08	0.00	1.00	1.00
2	वित्तीय संस्थाएँ	817.35	642.94	0.00	1.13	22.15
3	बैंक	745.50	589.35	0.00	0.00	0.00
4	निजी कंपनी	737.19	438.25	111.89	1.78	113.67
5	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	1933.78	1933.78	0.00	0.00	0.00
7	घटाएँ: मूल्यहास के प्रति रखा गया प्रावधान	43.19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	कुल (1 से 6 घटाएँ 7)	<b>4288.82</b>	<b>3639.75</b>	<b>111.89</b>	<b>3.91</b>	<b>136.82</b>

**SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS - 2011-2012**

1. CAPITAL (₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) Basel II (%)	12.24	13.04
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	8.94	9.31
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	3.30	3.73
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	66.17	69.47
v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	0.00	0.00
vi) Amount raised by issue of IPDI	0.00	0.00
vii) Amount raised by issue of Upper Tier - II Instruments	0.00	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31.03.2012 as per Basel-II norms is 10.81% and as on 31.03.2011 was 11.20%.

2. INVESTMENTS (₹ in crore)

Particulars	31.03.12	31.03.11
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	40,641.46	34,954.25
(b) Outside India	244.09	156.40
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	42.30	17.68
(b) Outside India	28.19	25.35
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	40,599.16	34,936.57
(b) Outside India.	215.90	131.05
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	43.03	82.77
(ii) Add: Provisions made during the year	27.46	7.00
(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	0.00	46.74
(iv) Closing balance	<b>70.49</b>	<b>43.03</b>

2.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Avg. outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2012
Securities sold under Repo				
(i) Govt. Securities	52.50	2,887.50	492.71	0.00
(ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Govt. Securities	420.00	1,575.00	19.56	1,575.00
(ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.12

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of "Below Investment grade" securities	Extent of "Unrated" securities	Extent of "Unlisted" securities
1	PSUs	64.84	2.08	0.00	1.00	1.00
2	Financial Institutions	817.35	642.94	0.00	1.13	22.15
3	Banks	745.50	589.35	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	737.19	438.25	111.89	1.78	113.67
5	Subsidiaries/Joint ventures	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00
6	Others	1933.78	1933.78	0.00	0.00	0.00
7	Less: Provision held towards depreciation	43.19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	TOTAL (1 to 6 minus 7)	<b>4288.82</b>	<b>3639.75</b>	<b>111.89</b>	<b>3.91</b>	<b>136.82</b>





**नोट:** (1) स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड़ का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:  
(क) शेयर (ख) डिबेंचर और बंधपत्र  
(ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (घ) अन्य  
(2) कॉलम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

**ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश** (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2012			31.03.2011		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
अथशेष	14.88	22.30	37.18	15.02	22.42	37.44
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	0.49	3.14*	3.63	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.14	0.12*	0.26
इति शेष	15.37	25.44*	40.81	14.88	22.30	37.18
रखे गए कुल प्रावधान	15.00	25.44	40.44	14.88	22.30	37.18

**नोट:** \*निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आइ.एन.आर. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

**iii) एच.टी.एम. श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण**

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**3. व्युत्पन्न**

**3.अ. वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली**  
• वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	मदें	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	4,157.43	1256.65
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती है तो, होने वाली हानि (1)	147.84	(1.17)
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपारिर्वक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv)	अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य (2)	113.58	(1.14)

• मुद्रा अदला-बदली

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	मदें	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	233.99	247.50
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती है तो, उठाई जाने वाली हानि	25.73	24.07
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपारिर्वक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv)	अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	0.20	3.13

- हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं।
- अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदल-बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है।
- वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है। मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैंक-टु-बैंक आधार पर कवर किया गया है।
- इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन काउंटर पार्टियों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है।
- व्युत्पन्न की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2011-12 के प्रस्तुत हैं।

**Note:** (1) Total under column 3 should tally with the total Investments included under the following categories in schedule 8 to the Balance Sheet.:  
(a) Shares (b) Debentures and bonds  
(c) Subsidiaries /Joint ventures (d) Others  
(2) Amount reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

**ii) Non performing Non-SLR Investments**

(₹ in crore)

Particulars	31.03.12			31.03.11		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	14.88	22.30	37.18	15.02	22.42	37.44
Additions during the year since 1 <sup>st</sup> April	0.49	3.14*	3.63	0.00	0.00	0.00
Reduction during the above period	0.00	0.00	0.00	0.14	0.12*	0.26
Closing balance	15.37	25.44*	40.81	14.88	22.30	37.18
Total provisions held	15.00	25.44	40.44	14.88	22.30	37.18

**Note:** \*Appreciation/Reduction in rupee valuation of Investments is due to fluctuation in USD/INR rates.

**iii) Sale and transfer to/from HTM category**

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category does not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

**3. DERIVATIVES**

**3. A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps**

• Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps

(₹ in crore)

Sl. No.	Items	Current Year	Previous Year
i)	The notional principal of the swap agreements	4,157.43	1256.65
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements (1)	147.84	(1.17)
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v)	The fair value of the swap book (2)	113.58	(1.14)

• Currency Swaps

(₹ in crore)

Sl. No.	Items	Current Year	Previous Year
i)	The notional principal of the swap agreements	233.99	247.50
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	25.73	24.07
iii)	Collateral required by the bank upon entering the swap	0.00	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v)	The fair value of the swap book	0.20	3.13

- Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk
- Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or Payable on the above Swaps
- Forward rate agreements (FRA) and Interest rate Swaps (IRS) were undertaken by the Bank to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.
- These derivative transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by Credit and Treasury policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor credit and Market risks.
- The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines. The details of which are presented under Schedule 17 – Significant Accounting policies 2011-12.



**3. आ. विनिमय व्यापारिक ब्याज दर व्युत्पन्न**

**मुद्रा वायदे:**

बैंक तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

**ब्याज दर वायदा:**

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। बैंक विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	₹ करोड़ों में
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है।	
iv)	बाजार मूल्य के लिए अंकित विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है।	

**3. ड. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण**

**(क) गुणात्मक प्रकटीकरण**

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए बैंक के पास अच्छी खासी नीति है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- बैंक अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वेप, करेंसी स्वेप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। बैंक विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार भी करता है।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01 - सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मुद्रा वायदे से बैंक के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियां भुगतान की गारंटी देती है।
- वर्ष के दौरान बैंक ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बरी में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वेप में शामिल किया गया। इस प्रकार कोई लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल की गई है।
- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वेप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है।
- बैंक ने व्युत्पन्न से जुड़ी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है।
- बैंक में काउंटर पार्टियों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली है।
- व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति के आधार पर की जाएगी।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउंटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है।
- काउंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाजार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- बैंक के पास समिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याज दर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है।
- बैंक ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नेगम कार्यालय, बंगलूरु में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काउंटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।

**3. B Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

**Currency Futures:**

The Bank undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. There are no outstanding contracts under Currency future as at 31.03.2012.

**Interest Rate future:**

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Bank is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crore)
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument-wise)	
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument-wise)	

**3. C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**

**a) Qualitative Disclosure**

- The Bank has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Bank is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading/market-making purposes. Bank is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with bank and Non-bank Counter parties. The Bank is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01- SYND 04 only and on complying with RBI guidelines
- Currency futures have no credit risk for the Bank, as the Exchanges guarantee the payment.
- During the year Bank undertook Interest Rate Swaps and FRA for Hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- The bank has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Bank has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of current credit exposure Method.
- Credit risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- The transactions with our Counter-Party Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparty's are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Bank is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Bank has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of front Office, Mid Office and Back office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bengaluru.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid-office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.



- संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाएगा और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाएगा।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- पृष्ठाधान आधार पर किए गए लेन-देन और बैंक की आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित जोखिमों की प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण ब्याज उपचय आधार पर किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा। परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाजार के लिए अंकित हानि हो जाती है।
- उन निवल निधीकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि बैंक की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखा गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्षिक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- 94.87% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board/RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Bank assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the bank's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- 94.87 % of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

ख) दि. 31.03.2012 को मात्रात्मक निवेश

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
1.	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	233.99	4,157.43
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य
2.	बाजार स्थितियों को अंकित		
	क) आस्तियाँ (+)	1.14	117.64
	ख) देयताएँ (-)	0.94	4.06
3.	ऋण विनिवेश	25.73	147.84
4.	ब्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100* पीवी 01)		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्नो पर	4.90	(80.81)
	ख) व्यापार व्युत्पन्नो पर	शून्य	शून्य
5.	वर्ष के दौरान प्राया गया 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम		
	क) प्रतिरक्षा पर न्यूनतम	-	5.16
	अधिकतम	-	10.73
	ख) व्यापार पर न्यूनतम	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य

ग) देश जोखिम प्रबंधन

बैंक ने दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों को दिए गए अपनी निवल विधिकृत ऋणों का विश्लेषण किया और ऐसे ऋणों की प्रतिशतता बैंक की कुल आस्तियों के 1% से भीतर ही है।

4. आस्ति गुणवत्ता

क) अनर्जक आस्ति

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	0.96	0.97
(ii) सकल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष राशि	2,598.97	2,006.82
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	3,156.28	1,592.97
ग) वर्ष के दौरान कटौती	2,572.55	1,000.82
घ) इतिशेष	3,182.70	2,598.97

b) Quantitative Exposures as on 31.03.12

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	233.99	4,157.43
	b) For Trading	NIL	NIL
2	Marked To Market Positions		
	a) Asset (+)	1.14	117.64
	b) Liability (-)	0.94	4.06
3	Credit Exposure	25.73	147.84
4	Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)		
	a) On Hedging Derivatives	4.90	(80.81)
	b) On Trading Derivatives	NIL	NIL
5	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during year		
	a) On Hedging		
	Minimum	-	5.16
	Maximum	-	10.73
	b) On Trading		
	Minimum	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL

c) Country Risk Management

The Bank has analysed its net funded exposures to various countries as on 31.03.2012 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Bank.

4. ASSET QUALITY

a) Non-Performing Assets

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) Net NPA to Net Advances (%)	0.96	0.97
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	2,598.97	2,006.82
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	3,156.28	1,592.97
c. Reductions during the year	2,572.55	1,000.82
d. Closing balance	3,182.70	2,598.97



(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेषराशि	1,030.84	963.20
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,755.23	864.86
ग) वर्ष के दौरान कटौती	1,600.64	797.22
घ) इतिशेष	1,185.43	1,030.84
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेषराशि	1,501.33	997.16
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,399.75	905.92
ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	969.81	401.75
घ) इतिशेष	1,931.27	1,501.33

ख) वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः संरचित खातों के ब्यौरे

पुनः संरचित खातों के विवरण				
		सी.डी.आर. तंत्र	एस.एम.ई.	अन्य
पुनःसंरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	5	1093	63076
	बकाया राशि (₹ करोड़ों में)	343.70	44.88	2,758.03
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास) (₹ करोड़ों में)	36.70	1.27	84.25
पुनःसंरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	-	12	83
	बकाया राशि (₹ करोड़ों में)	-	1.23	1.35
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास) (₹ करोड़ों में)	-	0.06	0.06
पुनःसंरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	-	2	21
	बकाया राशि (₹ करोड़ों में)	-	0.12	0.66
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास) (₹ करोड़ों में)	-	-	0.03
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	5	1107	63180
	बकाया राशि (₹ करोड़ों में)	343.70	46.23	2,760.04
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास) (₹ करोड़ों में)	36.70	1.33	84.34

नोट: मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड को संस्वीकृत कुल ₹ 1,100.00 करोड़ को अल्पावधि मीयादी ऋण/मीयादी ऋण के वित्तीय पुनःसंरचना पैकेज के अनुसार ऋणों की पुनःसंरचना की वजह से उचित मूल्य में हुए हास की राशि ₹ 127.82 करोड़ है। उचित मूल्य में हुए हास की राशि के लिए किए जाने वाले प्रावधान को 8 तिमाहियों में परिशोधित करने के लिए भा.रि.बैं. ने बैंकों को अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक की बहियों में 1/8 का प्रावधान किया गया है जिसकी राशि ₹ 15.98 करोड़ है और अनुवर्ती तिमाहियों में प्रावधान की जानेवाली शेष राशि ₹ 111.84 करोड़ है।

ग) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) खातों की संख्या	शून्य	1
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	शून्य	0.93
(iii) कुल प्रतिलाभ	शून्य	1.13
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	शून्य	0.20

घ) खरीदी गयी/विक्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे: शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ङ) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	262.81	24.55

बैंक ने पुनः संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत दबावग्रस्त मानक आस्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत मानक आस्ति हेतु ₹ 137.06 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया।

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	1,030.84	963.20
b. Additions during the year	1,755.23	864.86
c. Reductions during the year	1,600.64	797.22
d. Closing balance	1,185.43	1,030.84
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excl Prov on Std Assets)		
a. Opening balance	1,501.33	997.16
b. Provisions made during the year	1,399.75	905.92
c. Reduction during the year	969.81	401.75
d. Closing balance	1,931.27	1,501.33

b) Details of Accounts Restructured during the Year 2011-12

Particulars of Accounts Restructured				
		CDR Mech-anism	SME	Others
Standard Advances restructured	No. of borrowers	5	1093	63076
	Amount outstanding (₹ in Cr.)	343.70	44.88	2,758.03
	Sacrifice (diminution in the fair value) (₹ in Cr.)	36.70	1.27	84.25
Sub-Standard Advances restructured	No. of borrowers	-	12	83
	Amount outstanding (₹ in Cr.)	-	1.23	1.35
	Sacrifice (diminution in the fair value) (₹ in Cr.)	-	0.06	0.06
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	-	2	21
	Amount outstanding (₹ in Cr.)	-	0.12	0.66
	Sacrifice (diminution in the fair value) (₹ in Cr.)	-	-	0.03
Total	No. of borrowers	5	1107	63180
	Amount outstanding (₹ in Cr.)	343.70	46.23	2,760.04
	Sacrifice (diminution in the fair value) (₹ in Cr.)	36.70	1.33	84.34

Note: As per the financial restructuring package of short term loans/term loans aggregating to ₹ 1,100.00 crores sanctioned to M/s Air India Limited, the diminution in fair value (DMV) on account of restructuring of debts is ₹ 127.82 crores. Reserve Bank of India permitted Banks to amortize the provision required for diminution in the fair value of advances over 8 quarters. Accordingly 1/8<sup>th</sup> of the provision amounting to ₹ 15.98 crores have been provided in the books of the Bank as on 31.03.2012 and the balance amount to be provided in subsequent quarters works out to ₹ 111.84 crores.

c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) No. Of accounts	NIL	1
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/ Reconstruction Company	NIL	0.93
(iii) Aggregate consideration	NIL	1.13
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v) Aggregate gain/loss over net book value	NIL	0.20

d) Details of non-performing financial assets purchased / sold: Nil (Previous Year: Nil)

e) Provisions on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provisions towards Standard Assets	262.81	24.55

Bank has made additional standard assets provision of ₹ 137.06 crores (previous year NIL) being prudential provision in respect of stressed standard assets under restructure process.



5. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	9.42%	8.29%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	0.66%	0.66%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	2.06%	1.99%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.81%	0.76%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशि + अग्रिम) (₹ लाख में)	1,074.10	875.44
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	5.29	3.99

5. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	9.42%	8.29%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.66%	0.66%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	2.06%	1.99%
(iv)	Return on Assets (%)	0.81%	0.76%
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Lacs)	1,074.10	875.44
(vi)	Profit per employee (₹ in Lacs)	5.29	3.99

6. आस्ति देयता प्रबंधन / ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न / MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमा राशि और उधार का परिपक्व पैटर्न / THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS												
(भारि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत) / (UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)												
क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2012 को अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 day	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमा राशि/Deposits	1448.64	4201.69	2380.90	3540.99	26560.97	23877.39	22610.62	64424.64	6750.41	2144.81	157941.05
2	अग्रिम/Advances	3547.82	2394.85	2066.63	3203.18	10284.11	8485.30	10139.45	45849.97	16720.01	20928.87	123620.17
3	निवेश/Investments	0.00	603.58	492.58	84.12	1185.60	456.91	149.36	4883.87	5471.51	27487.53	40815.06
4	उधार/Borrowings	0.00	0.15	0.00	244.07	1104.69	512.82	1098.44	1226.95	4217.45	2185.33	10589.90
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/Foreign Currency Assets	1435.33	1479.45	1145.24	1266.59	2795.65	2092.28	244.86	1270.30	1802.70	2297.93	15830.34
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/Foreign Currency Liabilities	711.05	1038.61	766.87	1558.79	4190.82	2490.18	1098.61	475.44	3052.13	0.00	15382.49

नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है। / Note: Item no 5 & 6 above are included in respective heads in item no 1 to 4 above

7. निवेश

क. स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) प्रत्यक्ष निवेश	14,278.40	11,206.50
(i) आवासीय बंधक - उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	8,583.43	8,346.21
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	7,433.30	6,332.06
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी; * लंदन शाखा से संबंधित ₹ 23.98 करोड़ के सी.आर.ई. निवेश भी शामिल हैं।	4,807.41*	2,427.94
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	887.56	432.35
(iv) बंधक समर्थित जमानत एम.बी.एस. में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0.00	0.00
ख) परोक्ष निवेश	2,495.14	2,842.89
राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश	2,495.14	2,842.89
स्थायर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण	16,773.54	14,049.39

7. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Direct Exposure	14,278.40	11,206.50
(i) Residential Mortgages-Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	8,583.43	8,346.21
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	7,433.30	6,332.06
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	4,807.41*	2,427.94
* Includes CRE exposure of ₹ 23.98 crores pertaining to London Branch.		
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	887.56	432.35
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
b) Indirect Exposure	2,495.14	2,842.89
Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2,495.14	2,842.89
<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>16,773.54</b>	<b>14,049.39</b>





ख. पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नैगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	106.84	114.94
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या ईक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और ईक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	0.20	0.16
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	0.00	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	0.00	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	74.23	26.45
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	1,051.85	1,223.21
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	0.00	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हामीदारी प्रतिबद्धता	0.00	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	0.00	0.00
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	152.33	171.87
<b>पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश</b>	<b>1385.44</b>	<b>1536.63</b>

ग. जोखिम श्रेणी वार देशी निवेश

(₹ करोड़ों में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च 2012 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2012 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2011 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2011 को धारित प्रावधान
नगण्य	3,577.88	-	2,046.60	-
कम	1,509.31	-	2,036.05	-
मध्यम कम	45.93	-	30.49	-
मध्यम	0.23	-	5.80	-
मध्यम अधिक	9.61	-	1.98	-
अत्यधिक	शून्य	-	शून्य	-
प्रतिबंधित	7.57	-	1.45	-
ऋणोत्तर	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>5,150.53</b>	<b>-</b>	<b>4,122.37</b>	<b>-</b>

घ. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे

बैंक ने किसी भी ग्रुप खातों से संबंधित निवेकपूर्ण ऋण सीमाओं में अध्याहरण नहीं किया है। तथापि निम्नलिखित एकल उधारकर्ता खातों के संबंध में निर्दिष्ट पूंजीगत निधियों 10%/15% की उधार सीमा का अध्याहरण किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार उधार	पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)	अध्याहरण की तारीख	अध्याहरण की तारीख तक उधार	अध्याहरण की तारीख को पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)
1.	रिलायन्स कैपिटल लिमिटेड	1,145.58	11.03	26.07.2011	1,250.00	12.03
2.	एच.डी.एफ.सी.	1,550.00	14.92	30.06.2011	2,050.00	19.73

B. Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	106.84	114.94
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	0.20	0.16
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	0.00	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.00	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	74.23	26.45
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	1,051.85	1,223.21
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues.	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix) Finance to Stockbrokers for margin trading	0.00	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	152.33	171.87
<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>1385.44</b>	<b>1536.63</b>

C. Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31 <sup>st</sup> March 2012	Provision held as at 31 <sup>st</sup> March 2012	Exposure (net) as at 31 <sup>st</sup> March 2011	Provision held as at 31 <sup>st</sup> March 2011
Insignificant	3,577.88	-	2,046.60	-
Low	1,509.31	-	2,036.05	-
Moderately Low	45.93	-	30.49	-
Moderate	0.23	-	5.80	-
Moderately High	9.61	-	1.98	-
High	NIL	-	NIL	-
Very High/Restricted	7.57	-	1.45	-
Off-credit	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5,150.53</b>	<b>-</b>	<b>4,122.37</b>	<b>-</b>

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded the prudential credit exposure limits in respect of any group accounts. However, in respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 10%/15% of capital funds has been exceeded:

(₹ in crores)

Sl. No.	Name of the borrower	Exposure as on 31-03-2012	% to Capital funds	Date of exceeding	Exposure as on date of exceeding	% to Capital funds as on exceeding
1	Reliance Capital Ltd.	1,145.58	11.03	26.07.2011	1,250.00	12.03
2	HDFC Ltd.	1,550.00	14.92	30.06.2011	2,050.00	19.73



**ड. बेजमानती अग्रिम**

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	शून्य
ऐसी अमूर्त संपाश्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	लानू नहीं

**E. Unsecured Advances**

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	NIL
Estimated value of such intangible collaterals.	Not Applicable

**8. विविध**

क) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय कर, संपत्ति कर इत्यादि (डी.टी.ए./डी.टी.एल. और पिछले वर्ष का समायोजन) के लिए प्रावधान	113.93	237.58

ख) वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

**लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

**i) लेखाकरण मानक 9 – राजस्व की पहचान**

अनुसूची - 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है।

**ii) विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11)**

क) वर्ष की निवल लाभ में, ₹13.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.72 करोड़ हानि) जो एफ.एक्स. आस्तियों और देयताओं के एएस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनिमय अंतर के अंतर्गत दर्ज किये गये लाभ है।

ख) विनियामक निर्देशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण किया जा सके।

**iii) कर्मचारी लाभ (एएस 15)**

बैंक ने संशोधित लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन किया और तदनुसार 31-3-2007 के दौरान ₹ 298.68 करोड़ की राशि को अंतर्वर्ती देयता के रूप में गणना में लिया गया। कुल अंतर्वर्ती देयताओं में से, मूल कंपनी ने ₹ 59.74 करोड़ (1/5) को चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया गया।

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 (₹ 145.38 करोड़) अंश का परिशोधन किया। तदनुसार, बैंक ने ₹ 145.38 करोड़ को चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया है और बाकी बची राशि ₹436.14 करोड़ को अनुवर्ती वर्षों में आभेहित किया जाएगा।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
प्रारंभिक शेष राशि	3701.36	901.23	211.75
ब्याज लागत	301.47	71.23	16.17
पिछली सेवा की लागत	-	-	-
चालू सेवा लागत	616.89	61.55	12.63
प्रदत्त लाभ	309.30	126.26	43.05
बीमाकिक (लाभ)/ दायित्व पर हानि	(329.01)	27.51	46.71
इति शेष	3981.41	935.26	244.21

**8. MISCELLANEOUS**

a) Amount of provisions made for income tax during the year

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Income Tax, Wealth tax etc. (Net of DTA/DTL and adjustment for earlier years)	113.93	237.58

b) During the year no penalty was imposed by RBI on the Bank.

**DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)**

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

**i) Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**

As per Accounting Policy no. 8, given in schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

**ii) Effect of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):**

a) The net profit for the year includes an amount of ₹ 13.54 crores Loss, (₹ 1.72 Cr. Loss for the previous year) being the loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities.

b) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

**iii) Employee Benefits (AS 15)**

Bank has complied with the revised Accounting Standard 15 and accordingly a sum of ₹ 298.68 crores has been considered as transitional liability as on 31.03.2007. Out of total transitional liability, the Bank has charged ₹ 59.74 crores (one fifth) to the current year's profit and loss account being the last year.

In accordance with the RBI guidelines, the bank has amortised 1/5<sup>th</sup> (₹ 145.38 crores) of the enhanced liability of ₹ 726.90 crores from the year 2010-11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the bank has charged ₹ 145.38 crores to the current year profit and loss account and the balance amount of ₹ 436.14 crores will be absorbed in future years.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

(₹ in crores)

Defined Benefits details	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Opening Balance	3701.36	901.23	211.75
Interest Cost	301.47	71.23	16.17
Past Service Cost	-	-	-
Current Service Cost	616.89	61.55	12.63
Benefit Paid	309.30	126.26	43.05
Actuarial (Gain) / Loss on Obligation	(329.01)	27.51	46.71
Closing Balance	3981.41	935.26	244.21



लाभ व हानि लेखा विवरण में अभिनिर्धारित कुल व्यय:

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
चालू सेवा लागत	616.89	61.55	12.63
ब्याज लागत	301.47	71.24	16.17
योजनाबद्ध आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(252.23)	(73.08)	0.00
निवल बीमांकिक(लाभ)/अवधि के दौरान अभिनिर्धारित हानि	(641.29)	73.18	46.71
लाभ व हानि विवरण में अभिनिर्धारित व्यय	24.85	132.89	75.51

तुलन पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक अनुमान:

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
बढ़ता दर	8.5	8.5	8.5
भावी लागत/वेतन वृद्धि	5	5	5
हास दर	प्रति हजार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हजार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हजार रुपये के लिए 10 प्र.व.
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.5%	8.5%	-

चालू अवधि के लिए परिनिश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य :

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2012
पेंशन	3,981.41
उपदान	935.26
साधिकार छुट्टी	244.21

विश्लेषण के बाद देयताओं में निम्नलिखित कमी/(अधिशेष) पायी गयी:

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2012
पेंशन	384.06
उपदान	25.93
साधिकार छुट्टी	34.27

iv) खण्डवार रिपोर्टिंग (एस 17)/Segment Reporting (AS 17)

(₹ in Crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	राजकोष/Treasury		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
परिणाम (परिचालन लाभ)/Result (Op. Profit)	610	465	1542	1058	1132	936	63	291	3347	2750
अनांशित लाभ/Unallocated Expenses	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1920	1464
परिचालन लाभ/Operating Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	3347	2750
आय कर/Income Tax	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	114	238
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ/Net Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1313	1048
अन्य सूचना/Other Information										
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	40815	35068	82874	70532	40746	37818	16681	12427	181116	155845
अनांशित आस्तियां/Unallocated Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1352	693
कुल आस्तियां/Total Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	182468	156538
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	38802	32654	78787	68477	38736	36098	15935	11697	172260	148926
अनांशित देयताएं/Unallocated Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1167	561
कुल देयताएं/Total Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	173427	149487

नोट: भौगोलिक रूप से खण्डवार प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विदेशी शाखा के परिचालन निर्दिष्ट मानदण्ड से कम है।

Note: Geographical segment disclosure is not required to be made since the operation from foreign branch is less than the prescribed norms.



- v) संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)  
 अ) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध  
 क) अनुषंगी:  
 सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड  
 ख) सहायक संस्थाएं:  
 प्रथमा बैंक  
 कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक  
 आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक  
 नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक  
 गुडगाँव ग्रामीण बैंक  
 ग) प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	पदनाम	अवधि
श्री म. गि. संघवी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	दिनांक 01.03.2012 से
श्री बसंत सेठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29.02.2012 से सेवा निवृत्त
श्री रवि चटर्जी	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 01.09.2010 से
श्री वी के नागर	कार्यपालक निदेशक	दि. 31.07.2011 को सेवा निवृत्त
श्री एम आंजनेय प्रसाद	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 24.08.2011 से

- आ) संगत पार्टी लेन-देन (₹ लाखों में)

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	31.03.2012	31.03.2011
वेतन और भत्ते	55.52	51.82

एएस 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं।

vi) समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को एएस 21 के अनुसार और बैंक की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

vii) आय कर का लेखाकरण (एएस 22)

बैंक ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित आस्तियों एवं देयताओं पर डी.टी.ए. और डी.टी.एल. की पहचान की है। (दि. 31-03-2011 की स्थिति के अनुसार डी.टी.एल. की शेषाशि अचल आस्तियों पर मूल्यहास की तुलना में ₹2.09 करोड़ रही)

आस्थगित कर आस्तियां	(₹ करोड़ों में)
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	7.16
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	79.16
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	221.68
पुनःसंरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	114.07
अन्य	28.06
<b>कुल</b>	<b>450.13</b>
आस्थगित कर देयताएं	(₹ करोड़ों में)
प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मूल्याहास	158.21
प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज जो देय नहीं है	254.71
<b>कुल</b>	<b>412.92</b>
<b>निवल डी.टी.ए.</b>	<b>37.21</b>

v) Related Party Disclosures (AS 18)

A) Names of Related Parties and their relationship:

- a) **Subsidiary:**  
 Syndbank Services Limited  
 b) **Associates:**  
 Prathama Bank  
 Karnataka Vikas Grameena Bank  
 Andhra Pragathi Grameena Bank  
 North Malabar Grameena Bank  
 Gurgaon Grameena Bank

c) Key Management Personnel:

Key Management Personnel	Designation	Period
Sri M G Sanghvi	Chairman & Managing Director	From 01.03.2012
Sri Basant Seth	Chairman & Managing Director	Retired on 29.02.2012
Sri Ravi Chatterjee	Executive Director	From 01.09.2010
Sri V K Nagar	Executive Director	Retired on 31.07.2011
Sri M Anjaneya Prasad	Executive Director	From 24.08.2011

B) Related Party Transactions

(₹ in Lakh)

Key Management Personnel	31.03.2012	31.03.2011
Salary and Allowances	55.52	51.82

Transaction with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of para 9 of AS 18.

vi) Consolidated Financial Statements (AS 21)

The consolidated financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2012 have been prepared in accordance with AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Bank, M/s Syndbank Services Ltd.

vii) Accounting for Taxes on Income (AS 22)

The Bank has complied with the requirements of AS 22. During the year Bank has recognised DTA and DTL on various assets and liabilities as detailed below. (DTL balance as on 31.03.2011 stood at ₹ 2.09 crores towards depreciation on fixed Assets)

Deferred Tax Assets	(₹ in crores)
Depreciation on Fixed Assets	7.16
Provision for leave encashment	79.16
Provision for Standard Assets	221.68
Provision for Interest on Restructured Assets	114.07
Others	28.06
<b>Total</b>	<b>450.13</b>
Deferred Tax Liabilities	(₹ in crores)
Depreciation on valuation of securities	158.21
Interest accrued but not due on securities	254.71
<b>Total</b>	<b>412.92</b>
<b>Net DTA</b>	<b>37.21</b>



9. अन्य प्रकटीकरण

क) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	38.53	38.74
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	1,399.74	929.04
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	262.81	24.55
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान	113.93	237.58
बढ़ते खाते डाले गए अशोध्य ऋण	46.74	52.24
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	171.65	419.68
<b>कुल</b>	<b>2,033.40</b>	<b>1701.83</b>

ख) अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है: (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.12	31.03.11
क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	306.63	306.63
ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	शून्य	शून्य
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	शून्य	शून्य
घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	306.63	306.63

ग) आरक्षित निधियों में किए गए आहरण

बैंक ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया है।

घ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

(i) ग्राहकों की शिकायतें

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	284
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	2998
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	3140
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	142

(ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	5
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	6
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0

ङ) बैंक द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र:

क) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र:

बैंक ने यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा के "संपूर्ण चलनिधि संशोधन" के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का सहूलियत पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि. 31.12.12 तक वैध) जारी किया।

ख) कॉर्पोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र ऋण प्रदान करने के लिए दि. 31-03-2012 के स्थिति के अनुसार ₹65.33 करोड़ के सहूलियत पत्र जारी किया है।

9. OTHER DISCLOSURES

a) Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for depreciation on investment	38.53	38.74
Provision towards NPA	1,399.74	929.04
Provision towards Standard Assets	262.81	24.55
Provision towards Income tax, Wealth tax	113.93	237.58
Bad Debts written off	46.74	52.24
Other provision and contingencies	171.65	419.68
<b>Total</b>	<b>2,033.40</b>	<b>1701.83</b>

b) The movement of Floating Provision is furnished below: (₹ in crore)

Particulars	31.03.12	31.03.11
(a) Opening Balance in the floating provision account	306.63	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
(d) Closing Balance in the floating provision account	306.63	306.63

c) Draw down from reserves

The Bank has not made any draw down from the Reserves during the year.

d) Status of Customer Complaints

(i) Customer Complaints

1	No. of complaints pending at the beginning of the year	284
2	No. of complaints received during the year	2998
3	No. of complaints redressed during the year	3140
4	No. of complaints pending at the end of the year	142

(ii) Awards passed against the Bank by the Banking Ombudsman

1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	5
3	No. of awards implemented during the year	6
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0

e) Letters of comfort issued by the bank

a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.

The Bank has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors/RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

International Division Mumbai issued Letter of Comfort amounting to US\$ 75 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid up to 31.12.2012) with approval from the Board of Directors of the Bank.

b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of London branch for providing Buyer's credit, to the extent of ₹ 65.33 crores as on 31.03.2012.





कॉर्पोरेट ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र पर ऋण प्रदान करने के लिए शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र की राशि ₹986.74 करोड़ है। दि. 31-03-2012 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र की सकल बकाया राशि ₹1052.07 करोड़ है।

सहूलियत पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपाश्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए सहूलियत पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

**च) कवरेज अनुपात हेतु प्रावधान:**

वि. वर्ष 2010-12 के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात 80.06% है।

**छ) बैंक एश्योरेन्स कारोबार:**

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक एश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹749.33 लाख है जो पिछले वर्ष ₹704.88 लाख थी।

**अ) जमाराशियों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल जमाराशियाँ	23,439.20
बैंक के कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	15.87%

**आ) अग्रिमों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल अग्रिम	19,888.21
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों की प्रतिशतता	15.83%

**इ) उधार का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल उधार	26,806.87
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा दिए गए उधार में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	17.18%

**ई) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण** (₹ करोड़ों में)

चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	746.26
--	--------

**झ) क्षेत्रवार एन.पी.ए.**

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रिमों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता
1.	कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	2.88
2.	उद्योग (माइक्रो और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	1.16
3.	सेवाएं	5.29
4.	वैयक्तिक ऋण	3.13

**ञ) अनर्जक आस्तियों का संचलन** (₹ करोड़ों में)

दि. 1 अप्रैल 2011 को कुल अनर्जक आस्तियाँ	2,598.97
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	3,156.28
उप-जोड़ (क)	5,755.25
घटाईए	
i) स्तरोन्मयन	843.73
ii) वसूलियाँ (स्तरोन्मयन खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	838.03
iii) अपलेखन	890.79
उप-जोड़ (ख)	2,572.55
दि. 31 मार्च 2012 को कुल अनर्जक आस्तियाँ (क-ख)	3,182.70

Letters of Comfort issued by the branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various other banks, is ₹ 986.74 crores as on 31.03.2012.

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31.03.2012 stands at ₹ 1,052.07 crores.

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

**f) Provision Coverage Ratio:**

The provision coverage ratio for the financial Year 2011-12 is 80.06%.

**g) Bancassurance Business**

Income on the bancassurance Business during the year 2011-12 is ₹ 749.33 lakhs against ₹ 704.88 lakhs in previous year.

**h) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.**

**A. CONCENTRATION OF DEPOSITS** (₹ in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	23,439.20
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	15.87%

**B. CONCENTRATION OF ADVANCES** (₹ in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	19,888.21
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to total Advances of the bank	15.83%

**C. CONCENTRATION OF EXPOSURES** (₹ in crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	26,806.87
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to total Exposure of the bank on borrowers/customers	17.18%

**D. CONCENTRATION OF NPAs** (₹ in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	746.26
---	--------

**i) Sector-wise NPAs**

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.88
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.16
3	Services	5.29
4	Personal Loans	3.13

**j) Movement of NPAs** (₹ in crore)

Gross NPAs as on 1st April 2011	2,598.97
Additions (Fresh NPAs) during the year	3,156.28
Sub total (A)	5,755.25
Less	
(i) Upgradations	843.73
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	838.03
(iii) Write-offs	890.79
Sub total (B)	2,572.55
Gross NPAs as on 31st March 2012 (A-B)	3,182.70



ट) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

विवरण (दि. 31.03.2012 को)	रकम (₹ करोड़ों में)
कुल आस्तियां	15,059.80
कुल अनर्जक आस्तियां	31.78
कुल एनपीआई	25.42
कुल राजस्व	535.65

ठ) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

ड) अन्य

i) अचल आस्तियाँ

बैंक के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान (पिछले पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2006-07 में किया गया) बैंक के निजी परिसर (लंदन शाखा को छोड़कर) को अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा करवाए गए मूल्यांकन के आधार पर उनका पुनर्मूल्यांकन करवाया गया है। ऐसे मूल्यांकन से हुई कुल अधिशेष रकम ₹ 644.07 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखे में जमा किया गया। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹ 32.56 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखे में समायोजित किया गया।

ii) निवेश

(क) एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गयी ₹ 6,97,46,250.00 की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोजित किया गया।

(ख) एच.टी.एम. श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ₹ 58,17,27,342.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 60,77,42,763.02 करोड़) के परिशोधन प्रभार को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला गया और उसे भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्र के अनुसार अनुसूची-13, अर्जित ब्याज मद सं. II के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

iii) बंधपत्र/पूंजी जारी करने से संबंधित ब्यौरे

दि. 31.03.2012 वर्ष के दौरान बैंक ने जीवन बीमा निगम को और उनकी विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर सेबी आइ.सी.डी.आर. विनियमावली के विनियम 76(4) के अनुसार ₹ 104.15 (एक सौ चार और पैसा पंद्रह मात्र) की प्रीमियम दर प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्यवाले कुल ₹ 327.20 करोड़ के 2,86,64,284 करोड़ इक्विटी शेयर आबंटित किया।

iv) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

k) Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars (31.03.2012)	Amount (₹ in crore)
Total Assets	15,059.80
Total NPAs	31.78
Total NPIs	25.42
Total Revenue	535.65

l) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

m) OTHERS

i) Fixed assets

In respect of certain premises of the Bank, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Bank holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The bank owned premises (except at London branch) have been revalued during the year 2011-12 (last revaluation done in the year 2006-07) at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such valuation aggregating to ₹ 644.07 crores is credited to revaluation reserves. Additional depreciation aggregating to ₹ 32.56 crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserve.

ii) Investments

(a) Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 6,97,46,250.00 has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account net of Tax.

(b) The amortization charges of ₹ 58,17,27,342.62 (previous year ₹ 60,77,42,763.02) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule-13, Interest Earned : Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

iii) Details of Bonds/Capital Issue

During the year ended 31.03.2012, Bank has allotted 2,86,64,284 equity shares of face value of ₹ 10/- each for cash at premium of ₹ 104.15 (Rupees one hundred four and paise fifteen only) determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹ 327.20 crore, on preferential basis to LIC of India and its various schemes.

iv) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.



**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण**  
**STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012**

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011
<b>परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:</b>		
वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	15268,35,21	11450,85,89
अन्य आय/Other Income	1075,87,97	915,11,70
<b>घटाइए/ Less:</b>		
वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	9886,78,25	6770,56,14
परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	4729,53,80	4012,68,53
आय पर कर/Taxes on income	113,93,15	237,58,40
<b>जोड़िए/Add:</b>		
वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास/Depreciation (charged during the year)	66,03,94	70,96,26
<b>I. परिचालनों से अर्जित नकदी लाभ (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)</b> <b>CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS</b> (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)	1680,01,92	1416,10,78
<b>II. परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी प्रवाह</b> <b>CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES</b>		
<b>देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities:</b>		
ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमा राशियाँ/Deposits from Customer & Banks	22344,97,59	18570,28,62
बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks & Other Institutions	1062,26,31	-2545,04,44
अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years)	512,40,55	74,87,83
<b>आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets</b>		
अग्रिम/Advances	-16838,25,72	-16375,56,07
निवेश/Investments	-5747,44,52	-2056,68,68
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	-766,09,77	167,50,13
	567,84,44	-2164,62,61
<b>क. परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (I+II)</b> <b>A. NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)</b>	2247,86,36	-748,51,83
<b>निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	-121,43,73	-69,29,02
प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress	8,05,08	-3,26,09
<b>ख. निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता</b> <b>B. NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>	-113,38,65	-72,55,11
<b>वित्तीयन कार्यकलापों से नकदी उपलब्धता / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
पूंजी जारी करना/Issue of Capital	327,20,28	633,00,00
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	-246,52,74	-182,59,82
गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूंजी)/Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital)	0	-100,00,00
चरण I और चरण II की पूंजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	-296,53,48	-297,53,47
<b>ग. वित्तीयन कार्यकलापों से निवल नकदी उपलब्धता</b> <b>C. NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>	-215,85,94	52,86,71
<b>वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) / TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)</b> नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow	1918,61,77	-768,20,23



**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण**  
**STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012**

(₹ हजारों में/₹ in thousands)

	31-03-2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2012		31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011	
<b>I. वर्ष के प्रारंभ में शेष</b> <b>Balances at the beginning of the Year</b>				
भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	10443,11,63		7189,12,35	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	1522,53,43	11965,65,06	5544,72,94	12733,85,29
<b>II. वर्ष के अंत में शेष</b> <b>Balances at the end of the Year</b>				
भा.रि. बैंक के पास नकदी और शेषराशि Cash & Balances with the R.B.I.	8808,62,77		10443,11,63	
बैंकों के पास शेषराशि और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	5075,64,06	13884,26,83	1522,53,43	11965,65,06
<b>III. वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह</b> <b>TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR</b>		1918,61,77		- 768,20,23
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Cash Flow				

**आई पी नागराज राव / I P NAGARAJA RAO**  
उप महा प्रबंधक / DY. GENERAL MANAGER

**एम आंजनेय प्रसाद / M ANJANEYA PRASAD**  
कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR

**रवि चटर्जी / RAVI CHATTERJEE**  
कार्यपालक निदेशक / EXECUTIVE DIRECTOR

**म गि संघवी / M G SANGHVI**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

**लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र / Auditors' Certificate**

हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2012 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखों में प्रस्तुत हमारी तद्दिनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the Syndicate Bank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2012. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

**कृते मेसर्स जैन एण्ड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
For **M/s Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 001361 एन/N)

**कृते मेसर्स प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
For **M/s Prakash Chandra Jain & Co.**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 002438 सी/C)

**कृते मेसर्स एस सोनी एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
For **M/s S Sonny Associates**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 003935 एस/S)

**(एस सी पाठक)**  
साझेदार  
**(S C Pathak)**  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 010194

**(प्रतिभा शर्मा)**  
साझेदार  
**(Pratibha Sharma)**  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 400755

**(एस सुंदर)**  
साझेदार  
**(S Sundar)**  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 023425

**कृते मेसर्स आर वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
For **M/s R Vender Gupta & Associates**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 002614 एन/N)

**कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 000038 एन/N)

**कृते मेसर्स चंडोक एण्ड गुलियानि**  
सनदी लेखाकार  
For **M/s Chandok & Guliani**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 001199 एन/N)

**(राघवेंद्र गुप्ता)**  
साझेदार  
**(Raghvender Gupta)**  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 081544

**(के एन गुप्ता)**  
साझेदार  
**(K N Gupta)**  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 009169

**(वी के लल्ला)**  
साझेदार  
**(V K Lalla)**  
Partner  
सदस्यता सं./Membership No.: 080847

स्थान/Place: बेंगलूर/Bengaluru

दिनांक/Date: 05.05.2012



## लेखा-परीक्षकों की समेकित रिपोर्ट

सेवा में

सिंडिकेट बैंक का निदेशक मंडल

हमने 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार सिंडिकेट बैंक के समेकित संलग्न तुलन पत्र और उससे उपाबद्ध, उस तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ व हानि लेखे तथा समेकित नकदी उपलब्धता विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधकवर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

हमने अपना लेखा-परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाए कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गयी राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य के परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा-परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।

हमने सहायक कंपनी यानि, सिंडिबैंक सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है। उनके वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा उनके अपने लेखा परीक्षकों द्वारा अलग से करवाई गयी है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गयी हैं और राय पूर्णतया उनके लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी रिपोर्टों के आधार पर है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक के प्रबंधन-तंत्र द्वारा तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक 21 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। “समेकित वित्तीय विवरण” भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अनुसार हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

समेकित तुलन-पत्र तथा उसके साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा उस से उपाबद्ध टिप्पणी एक पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरणों को शामिल किया गया है और उसे उचित रीति से तैयार किया गया है ताकि वह दि. 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्यकलाप की स्थिति का सही और वास्तविक चित्र दर्शा सके।

समेकित लाभ व हानि लेखे के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा उससे संबंधित टिप्पणी, दि. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की सही लाभ शेष दर्शाती है।

## CONSOLIDATED AUDITORS' REPORT

To

The Board of Directors of Syndicate Bank

We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of Syndicate Bank as at 31<sup>st</sup> March, 2012 and also the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We did not audit the financial statements of the subsidiary i.e. SyndBank Services Limited. Their financial statements have been audited separately by their auditor, whose reports have been furnished to us and the opinion is based solely on the reports of their auditor.

We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank management in accordance with the requirement of Accounting Standards 21, "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We report that:

The Consolidated Balance Sheet read with Significant Accounting Policies and the Notes on Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31<sup>st</sup> March, 2012.

The Consolidated Profit and Loss Account, read with Significant Accounting Policies and the Notes on Accounts thereon shows a true balance of Profit for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2012 and





समेकित नकदी उपलब्धता विवरण, दि. 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी उपलब्धता का सही और वास्तविक चित्र दर्शाता है।

The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2012.

कृते जैन एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं. 001361 एन)  
एस सी पाठक  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 010194

कृते एस सोनी एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं.: 003935 एस)

एस. सुन्दर  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 023425

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं. 000038 एन)

के एन गुप्ता  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 009169

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं. 002438 सी)  
प्रतिभा शर्मा  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 400755

कृते आर वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं. 002614 एन)

राघवेन्दर गुप्ता  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 081544

कृते चंडोक एण्ड गुलियानी  
सनदी लेखाकार  
(पंजीकरण सं. 001199 एन)

वी के लल्ला  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 080847

For Jain & Associates  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 001361N)

S C Pathak  
Partner  
Membership No.: 010194

For S Sonny Associates  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 003935S)

S Sundar  
Partner  
Membership No.: 023425

For Thakur, Vaidyanath Aiyar &  
Co.  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 000038N)

K N Gupta  
Partner  
Membership No.: 009169

For Prakash Chandra Jain & Co.  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 002438C)

Pratibha Sharma  
Partner  
Membership No.: 400755

For R Vender Gupta & Associates  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 002614N)

Raghvender Gupta  
Partner  
Membership No.: 081544

For Chandiook & Guliani  
Chartered Accountants  
(Regd. No.: 001199N)

V K Lalla  
Partner  
Membership No.: 080847

स्थान : बेंगलूर  
दिनांक : 05.05.2012

Place : Bengaluru  
Date : 05.05.2012



तुलन-पत्र

BALANCE SHEET

31 मार्च, 2012 को समेकित तुलन-पत्र  
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>पूंजी और देयताएँ</b> <b>CAPITAL &amp; LIABILITIES</b>			
<b>पूंजी/CAPITAL</b>	1	<b>601,95,00</b>	573,28,57
आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves and Surplus	2	<b>8443,03,36</b>	6480,41,14
जमाराशियाँ/Deposits	3	<b>157936,99,16</b>	135593,13,51
उधार/Borrowings	4	<b>10589,90,63</b>	9527,64,32
अन्य देयताएँ और प्रावधान/Other Liabilities and Provisions	5	<b>4895,86,93</b>	4364,10,86
<b>योग/TOTAL</b>		<b>182467,75,08</b>	156538,58,40
<b>आस्तियाँ/ASSETS</b>			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और शेषराशियाँ Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	<b>8808,62,77</b>	10443,11,63
बैंकों में शेषराशियाँ और माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	<b>5075,64,06</b>	1522,53,43
निवेश/Investments	8	<b>40814,81,08</b>	35067,36,56
अग्रिम/Advances	9	<b>123620,17,74</b>	106781,92,02
अचल आस्तियाँ/Fixed Assets	10	<b>1351,61,02</b>	692,75,62
अन्य आस्तियाँ/Other Assets	11	<b>2796,88,41</b>	2030,89,14
<b>योग/TOTAL</b>		<b>182467,75,08</b>	156538,58,40
आकस्मिक देयताएँ/Contingent Liabilities	12	<b>55595,14,94</b>	52397,70,30
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		<b>3126,91,72</b>	2236,76,10
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
खातों के बारे में टिप्पणी/Notes on Accounts	18		

म गि संघवी  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रवि चटर्जी  
कार्यपालक निदेशक

एम आंजनेय प्रसाद  
कार्यपालक निदेशक

M G Sanghvi  
Chairman & Managing Director

Ravi Chatterjee  
Executive Director

M Anjaneya Prasad  
Executive Director

एच प्रदीप राव  
निदेशक

ए एस राव  
निदेशक

नरेंद्र एल दवे  
निदेशक

H Pradeep Rao  
Director

A S Rao  
Director

Narendra L Dave  
Director

दिनकर एस पूजा  
निदेशक

डी के सक्सेना  
निदेशक

जे आर श्रीमाली  
निदेशक

Dinkar S Punja  
Director

D K Saxena  
Director

J R Shrimali  
Director

रमेश एल अडिगे  
निदेशक

एआर नागप्पन  
निदेशक

बी एस सूरी  
निदेशक

Ramesh L Adige  
Director

AR Nagappan  
Director

B S Suri  
Director

आई पी नागराज राव  
उप महा प्रबंधक

आर रामलिंगम  
मुख्य प्रबंधक

I P Nagaraja Rao  
Dy. General Manager

R Ramalingam  
Chief Manager

स्थान : बेंगलूर  
तारीख : 05.05.2012

Place : Bengaluru  
Date : 05.05.2012



लाभ व हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT

दि. 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा  
**CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012**

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	अनुसूची सं. Schedule No.	समाप्त वर्ष Year Ended दि. 31.03.2012 को	समाप्त वर्ष Year Ended दि. 31.03.2011 को
<b>I आय / INCOME</b>			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	15268,35,21	11450,85,89
अन्य आय / Other Income	14	1075,96,52	915,13,97
<b>योग / TOTAL</b>		<b>16344,31,73</b>	<b>12365,99,86</b>
<b>II व्यय / EXPENDITURE</b>			
व्ययगत ब्याज / Interest Expended	15	10183,02,83	7067,93,17
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	2813,08,18	2547,05,04
प्रावधान और आकस्मिकताएँ / Provision and Contingencies		2033,83,96	1702,24,26
<b>योग / TOTAL</b>		<b>15029,94,97</b>	<b>11317,22,47</b>
<b>III लाभ / हानि / PROFIT / LOSS</b>			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / Net Profit for the year		1314,36,76	1048,77,39
आगे लाया गया लाभ / हानि (-) / Profit / Loss (-) brought forward		0	0
<b>योग / TOTAL</b>		<b>1314,36,76</b>	<b>1048,77,39</b>
<b>IV विनियोजन / APPROPRIATIONS</b>			
A. सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		328,34,86	261,98,64
B. राजस्व आरक्षित निधि / Revenue Reserves		519,88,68	430,26,13
C. आरक्षित पूंजी / Capital Reserves		3,28,37	0
D. सामान्य आरक्षित / General Reserve		0	0
E. विशेष निधि आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत Special Reserves u/s 36(1) (viii) of Income Tax Act 1961		197,00,00	110,00,00
F. प्रस्तावित अंतिम लाभांश (₹ 37.11 करोड़ के लाभांश कर सहित, पिछले वर्ष ₹ 34.41 करोड़) / Proposed Final Dividend (Inclusive of Dividend Tax of ₹ 37.11 Cr, previous year 34.41 Cr)		265,84,85	246,52,62
G. तुलन-पत्र को अग्रेनीत शेषराशि Balance carried over to the Balance Sheet		0	0
<b>योग / TOTAL</b>		<b>1314,36,76</b>	<b>1048,77,39</b>
प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 अंकित मूल्यवाले) Earnings per share (Face Value of ₹ 10 each)		22.91	20.04
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		

कृते जैन एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पं. सं.: 001361N)

कृते प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
(पं. सं.: 002438C)

कृते एस सोनी एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पं. सं.: 003935एए)

For Jain & Associates  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 001361N)

For Prakash Chandra Jain & Co.  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 002438C)

For S Sonny Associates  
Chartered Accountants  
(Regn. No.: 003935S)

(एस सी पाठक)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 010194

(प्रतिभा शर्मा)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 400755

(एस सुंदर)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 023425

(S C Pathak)  
Partner  
Membership No.: 010194

(Pratibha Sharma)  
Partner  
Membership No.: 400755

(S Sundar)  
Partner  
Membership No.: 023425

कृते आर. वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(पं. सं.: 002614एए)

कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
(पं. सं.: 000038एए)

कृते चंडोक एण्ड गुलियानी  
सनदी लेखाकार  
(पं. सं.: 001199एए)

For R. Vender Gupta & Associates  
Chartered Accountants  
(Regn No.: 002614N)

For Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.  
Chartered Accountants  
(Regn No.: 000038N)

For Chandiook & Guliani  
Chartered Accountants  
(Regn No.: 001199N)

(राघवेंद्र गुप्ता)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 081544

(के एन गुप्ता)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 009169

(वी के लल्ला)  
साझेदार  
सदस्यता सं.: 080847

(Raghvender Gupta)  
Partner  
Membership No.: 081544

(K N Gupta)  
Partner  
Membership No.: 009169

(V K Lalla)  
Partner  
Membership No.: 080847

अनुसूचियाँ

SCHEDULES

अनुसूची - 1 : पूँजी  
SCHEDULE - 1 : CAPITAL

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	As on	
	दि. 31.03.2012 को	दि. 31.03.2011 को
प्राधिकृत पूँजी 300,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 AUTHORISED CAPITAL 300,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each	3000 00 00	3000,00,00
I. निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त मांगी गई पूँजी/ISSUED, SUBSCRIBED, CALLED & PAID UP CAPITAL		
अथशेष/Opening Balance	573,28,57	521,96,83
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	28,66,43	51,31,74
(केन्द्रीय सरकार को जारी किए गए प्रत्येक ₹ 10 के 2,86,64,284 (5,13,17,389) इक्विटी शेयर और पूँजी में वृद्धि करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित कुल शेयरों की सं. 39,82,85,671 (39,82,85,671) हैं) [2,86,64,284 (5,13,17,389) Equity Shares of ₹ 10/- each issued during the year. Total number of Shares held by Central Government is 39,82,85,671 (39,82,85,671)]	601,95,00	573,28,57
II. नेमीयादी गैर-संचयी अधिमाम्य शेयर (पी.एन.सी.पी.एस.)/Perpetual Non-Cumulative Preference Share (PNCPS)	0	0
योग/TOTAL (I+II)	601,95,00	573,28,57

अनुसूची - 2 : आरक्षित निधि और अधिशेष  
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

	As on		As on	
	दि. 31.03.2012 को		दि. 31.03.2011 को	
I. सांविधिक आरक्षित निधि/Statutory Reserves				
अथशेष/Opening Balance	1744,96,69		1482,98,05	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	328,34,86	2073,31,55	261,98,64	1744,96,69
II. आरक्षित पूँजी/Capital Reserves				
अथशेष/Opening Balance	132,79,54		132,79,54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	3,28,37	136,07,91	0	132,79,54
III. शेयर प्रीमियम/Share Premium				
अथशेष/Opening Balance	781,68,26		200,00,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	298,53,85	1080,22,11	581,68,26	781,68,26
IV. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि/Revaluation Reserves				
अथशेष/Opening Balance	393,89,65		404,19,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	644,07,28		0	
	1037,96,93		404,19,00	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	32,55,78	1005,41,15	10,29,35	393,89,65
V. सामान्य आरक्षित निधि/General Reserves				
अथशेष/Opening Balance	581,16,40		581,16,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Additions during the year	0	581,16,40	0	581,16,40
VI. राजस्व और अन्य आरक्षित निधि/Revenue and other Reserves				
अथशेष/Opening Balance	2495,74,46		2065,48,33	
जोड़ें : लाभ व हानि लेख से शेष का अंतरण/Add: Transfer of Balance from Profit & Loss Account	519,88,69		430,26,13	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती/Less: Deductions during the year	12	3015,63,03	0	2495,74,46
VII. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि/Foreign Currency Translation Reserve				
अथशेष/Opening Balance	16,14		49,65	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन/Add/(Less): Adjustments during the year	4,05,07	4,21,21	- 33,51	16,14
VIII. आय कर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशिष्ट प्रारक्षित निधि Special Reserve u/s 36 (1)(viii) of the Income Tax Act 1961				
अथशेष/Opening Balance	350,00,00		240,00,00	
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	197,00,00	547,00,00	110,00,00	350,00,00
IX. लाभ-हानि लेखे में शेष/Balance in Profit and Loss Account				
योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	8443,03,36		6480,41,14	



**अनुसूचियाँ**

**SCHEDULES**

**अनुसूची – 3: जमाराशियाँ  
SCHEDULE – 3: DEPOSITS**

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>क./A. I. मांग जमाराशियाँ/Demand Deposits</b>		
i) बैंकों से/From Banks	<b>53,90,54</b>	216,68,03
ii) अन्यो से/From Others	<b>12167,41,23</b>	10521,98,10
<b>II. बचत बैंक जमाराशियाँ/Savings Bank Deposits</b>	<b>34295,91,35</b>	31206,55,29
<b>III. सावधि जमाराशियाँ/Term Deposits</b>		
i) बैंकों से/ From Banks	<b>16665,38,99</b>	13593,52,96
ii) अन्यो से/ From Others	<b>94754,37,05</b>	80054,39,13
<b>योग क/TOTAL A (I+II+III)</b>	<b>157936,99,16</b>	135593,13,51
<b>ख./B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches in India</b>	<b>147703,41,96</b>	126793,30,47
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ/Deposits of Branches outside India	<b>10233,57,20</b>	8799,83,04
<b>योग (क+ख)/TOTAL (A+B)</b>	<b>157936,99,16</b>	135593,13,51

**अनुसूची – 4 : उधार  
SCHEDULE – 4 : BORROWINGS**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>I. भारत में उधार/Borrowings in India</b>		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक /Reserve Bank of India	<b>0</b>	0
ii) अन्य बैंक /Other Banks	<b>771,82,05</b>	767,76,14
iii) अन्य संस्थाएँ और एजेन्सियाँ /Other Institutions and Agencies	<b>2520,27,73</b>	3783,84,87
iv) नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत (आइ.पी.डी.आई.) /Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	<b>773,00,00</b>	773,00,00
v) बंधपत्र/डिबेंचरो के रूप में जारी किए गए सम्मिश्र ऋण पूंजी लिखत/Hybrid debt capital instruments issued as bonds/debentures	<b>0</b>	0
vi) प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (पी.सी.पी.एस.) /Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)	<b>0</b>	0
vii) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान्य शेयर (आर.एन.सी.पी.एस.) /Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	<b>0</b>	0
viii) प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आर.सी.पी.एस.) /Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	<b>0</b>	0
ix) गौण ऋण /Subordinated Debt	<b>2744,70,00</b>	2744,70,00
<b>योग/TOTAL</b>	<b>6809,79,78</b>	8069,31,01
<b>II. भारत के बाहर उधार/Borrowings outside India</b>	<b>3780,10,85</b>	1458,33,31
<b>योग/TOTAL (I + II)</b>	<b>10589,90,63</b>	9527,64,32

**अनुसूची – 5 : अन्य देयताएँ और प्रावधान  
SCHEDULE – 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
<b>I. देय बिल/Bills Payable</b>	<b>547,30,70</b>	904,11,05
<b>II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)</b>	<b>52,36,16</b>	130,39,21
<b>III. उपचित ब्याज/Interest Accrued</b>	<b>993,87,00</b>	657,04,78
<b>IV. मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान/ Contingent Provision against Standard Assets</b>	<b>683,24,89</b>	420,44,16
<b>V. अन्य (प्रावधान सहित) Others (including provisions)</b>	<b>2619,08,18</b>	2252,11,66
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>4895,86,93</b>	4364,10,86





अनुसूचियाँ

SCHEDULES

**अनुसूची – 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेषराशि**  
**SCHEDULE – 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. रोकड़ शेष (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	302,75,47	306,82,58
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि/Balances with Reserve Bank of India		
चालू खाते में/In Current Account	8505,87,30	10136,29,05
अन्य खातों में/In Other Accounts	0	0
<b>योग/TOTAL (I+II)</b>	<b>8808,62,77</b>	<b>10443,11,63</b>

**अनुसूची – 7: बैंकों के पास शेषराशि और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**  
**SCHEDULE – 7: BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. भारत में/In India		
i) बैंकों के पास शेषराशि/Balances with Banks		
क)/a) चालू खातों में/Current Accounts	58,19,99	52,39,13
ख)/b) अन्य जमा खातों में/In other Deposit Accounts	125,02,25	58,91,56
ii) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice		
क)/a) बैंकों के पास/with banks	3814,26,00	119,66,25
ख)/b) अन्य संस्थाओं के पास/with other institutions	0	0
<b>योग/Total</b>	<b>3997,48,24</b>	<b>230,96,94</b>
II. भारत के बाहर/Outside India		
क)/a) चालू खातों में/in Current Accounts	162,40,82	50,65,05
ख)/b) अन्य जमा खातों में/in other Deposit Accounts	915,75,00	1240,91,44
ग)/c) मांग और अल्प सूचना पर देय राशि/Money at Call and Short Notice	0	0
<b>योग/Total</b>	<b>1078,15,82</b>	<b>1291,56,49</b>
<b>योग/TOTAL (I + II)</b>	<b>5075,64,06</b>	<b>1522,53,43</b>

**अनुसूची – 8: निवेश**  
**SCHEDULE – 8 : INVESTMENTS**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. भारत में निवेश (सकल)/Investments in India (Gross)	40641,21,32	34953,99,64
घटाएं: मूल्यहास/एन.पी.आई. के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation / NPI	42,30,48	17,68,31
<b>योग/Total</b>	<b>40598,90,84</b>	<b>34936,31,33</b>
सरकारी प्रतिभूतियाँ/Government Securities	36500,52,43	30302,48,54
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ/Other approved Securities	25,71,35	43,35,89
शेयर/Shares	303,33,02	180,78,43
डिबेंचर और बंध पत्र/Debentures and Bonds	1802,46,52	1646,25,86
अनुषंगी और/या संयुक्त संस्थाएं/Subsidiaries and/or Associates	33,34,83	33,34,83
अन्य/Others	1933,52,69	2730,07,78
<b>योग/Total</b>	<b>40598,90,84</b>	<b>34936,31,33</b>
II. भारत के बाहर निवेश (सकल)/Investments outside India (Gross)	244,08,86	156,40,30
घटाएं: मूल्यहास के लिए प्रावधान/Less: Provision for depreciation	28,18,62	25,35,07
<b>शुद्ध निवेश/Net Investments</b>	<b>215,90,24</b>	<b>131,05,23</b>
<b>योग/TOTAL (I+II)</b>	<b>40814,81,08</b>	<b>35067,36,56</b>



अनुसूचियाँ

SCHEDULES

अनुसूची - 9 : अग्रिम  
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
क./A.	i) खरीदे और भुनाए गए बिल/Bills purchased and discounted	1285,99,09	1509,25,93
	ii) ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रदेय ऋण Loans, Cash credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	23522,90,17	22967,66,21
	iii) मीयादी ऋण/Term Loans	98811,28,48	82304,99,88
	<b>योग/Total</b>	<b>123620,17,74</b>	<b>106781,92,02</b>
ख./B.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by tangible assets	83118,04,34	66289,15,90
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित/Covered by Bank / Government Guarantees	13119,19,11	12657,22,76
	iii) अरक्षित/Unsecured	27382,94,29	27835,53,36
	<b>योग/Total</b>	<b>123620,17,74</b>	<b>106781,92,02</b>
ग./C.	I) <b>भारत में अग्रिम/Advances in India</b>		
	i) प्राथमिकता प्राप्त श्रेत्र/Priority Sector	36421,10,86	32175,89,10
	ii) सार्वजनिक क्षेत्रक/Public Sector	9709,32,92	11045,68,37
	iii) बैंक/Banks	3105,87,55	4084,12,14
	iv) अन्य/Others	59750,86,99	48670,62,84
	<b>योग/Total</b>	<b>108987,18,32</b>	<b>95976,32,45</b>
	II) <b>भारत के बाहर के अग्रिम/Advances outside of India</b>		
	i) बैंकों से देय/Due from Banks	8355,27,96	7482,08,76
	ii) अन्यो से देय/Due from others		
	क)/a) खरीदे गए और बट्टागत बिल/Bills Purchased and Discounted	161,31,88	181,13,49
ख)/b) सिंडिकेटेड ऋण/Syndicated Loans	4919,32,94	2482,81,30	
ग)/c) अन्य/Others	1197,06,64	659,56,02	
<b>योग/Total</b>	<b>14632,99,42</b>	<b>10805,59,57</b>	
	<b>योग/TOTAL (ग. I + ग. II) (C.I + C. II)</b>	<b>123620,17,74</b>	<b>106781,92,02</b>

अनुसूची - 10 : अचल आस्तियाँ  
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

		As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. <b>परिसर/Premises</b>	पिछले वर्ष के 31 मार्च के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यन पर/At cost/reevaluation as on 31st March of preceding year	557,89,69	546,98,71
	जोड़े : वर्ष के दौरान परिवर्धन, ₹ 644.07 करोड़ के पुनर्मूल्यन सहित (पिछले वर्ष शून्य)	648,71,94	13,43,35
	Add: Additions during the year including Revaluation of ₹ 644.07 Crores (Previous Year Nil)		
	घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Less: Deductions/Adjustments during the year	45,37	2,52,37
	<b>योग/Total</b>	<b>1206,16,26</b>	<b>557,89,69</b>
	<b>111,41,62</b>	<b>73,23,20</b>	
	<b>1094,74,64</b>	<b>484,66,49</b>	
घटाएं : अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date			
<b>योग/Total</b>	<b>23,74,17</b>	<b>15,69,09</b>	
II. <b>प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य/Capital work in progress</b>			
III. <b>अन्य अचल आस्तियाँ/Other Fixed Assets</b>			
पिछले वर्ष के मार्च 31 की लागत पर/At cost as on 31st March of preceding year	790,00,55	732,34,42	
जोड़िएं : वर्ष के दौरान परिवर्धन/Add: Additions during the year	107,21,53	68,46,61	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Less: Deductions during the year	27,94,71	10,80,48	
	<b>869,27,37</b>	<b>790,00,55</b>	
घटाएं : अब तक मूल्यहास/Less: Depreciation to date	<b>636,15,16</b>	<b>597,60,51</b>	
<b>योग/Total</b>	<b>233,12,21</b>	<b>192,40,04</b>	
<b>योग/TOTAL (I+II+III)</b>	<b>1351,61,02</b>	<b>692,75,62</b>	



**अनुसूचियाँ**

**SCHEDULES**

**अनुसूची - 11: अन्य आस्तियाँ  
SCHEDULE - 11: OTHER ASSETS**

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	As on दि. 31-03-2012 को	As on दि. 31-03-2011 को
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)/Inter-Office Adjustments (Net)	0	0
II. उपचित ब्याज/Interest accrued	878,89,24	626,29,32
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (प्रावधान घटाकर) Tax paid in advance / tax deducted at source (net of provisions)	1300,43,62	791,98,60
IV. लेखन सामग्री व स्टॉप/Stationery and Stamps	13,46,07	10,07,49
V. दावों की चुकौती में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ (मूल्यहास घटाकर) Non-banking assets acquired in satisfaction of claims (Net of Depreciation)	3,65	3,79
VI. अन्य/Others	604,05,83	602,49,94
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>2796,88,41</b>	<b>2030,89,14</b>

**अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएँ  
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**

	As on दि. 31.03.2012 को	As on दि. 31.03.2011 को
I. बैंक के विरुद्ध किए गये दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं Claims against the bank not acknowledged as debts	87,49,75	78,35,07
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के प्रति देयता/जोखिम निधि/Liability for partly paid Investments/venture fund	58,38,16	73,14,64
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	37059,42,45	39410,86,45
IV. ग्राहकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ/Guarantee given on behalf of constituents		
क)/a) भारत में/In India	8360,97,56	6934,30,07
ख)/b) भारत के बाहर/Outside India	83,22	55,84
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व/Acceptances, endorsements and other obligations	3406,94,75	3212,97,53
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which bank is contingently liable		
I) उन संविदाओं की अनुमानित रकम जिनको पूंजीगत लेखे में निष्पादित किया जाता है और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है/Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts not provided for	22,78,10	17,29,47
II) अन्य/Others	6598,30,95	2670,21,23
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>55595,14,94</b>	<b>52397,70,30</b>

**अनुसूची - 13: अर्जित ब्याज  
SCHEDULE - 13: INTEREST EARNED**

	समाप्त वर्ष/Year Ended दि. 31.03.2012 को	समाप्त वर्ष/Year Ended दि. 31.03.2011 को
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा/Interest/Discount on Advances/Bills	12371,28,20	9197,23,65
II. निवेशों पर आय/Income on Investments	2735,99,77	2207,72,05
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशियों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter bank funds	150,71,56	10,72,41
IV. अन्य/Others	10,35,68	35,17,78
<b>योग/TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b>15268,35,21</b>	<b>11450,85,89</b>



**अनुसूचियाँ**

**SCHEDULES**

**अनुसूची – 14 : अन्य आय  
SCHEDULE – 14 : OTHER INCOME**

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

	समाप्त वर्ष /Year Ended दि. 31.03.2012 को	समाप्त वर्ष /Year Ended दि. 31.03.2011 को
I. कमीशन, विनिमय और दलाली/Commission, Exchange and Brokerage	551,39,70	442,23,05
II. निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ/Profit on sale of investments	88,77,60	35,23,89
घटाएँ: निवेशों की बिक्री से हुई हानि/Less: Loss on sale of investments	0	0
III. जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/Profit on sale of land, buildings & other assets	52,84	17,93
घटाएँ: जमीन, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई हानि Less: Loss on sale of land, buildings & other assets	- 71,49	- 45,58
IV. विनिमय लेनदेन पर लाभ/Profit on exchange transactions	191,50,33	97,91,98
घटाएँ: विनिमय लेनदेन पर हुई हानि/Less: Loss on exchange transactions	- 74,94,71	- 2,43
V. लाभांश इत्यादि के माध्यम से प्राप्त आय/Income earned by way of dividend	6,03,82	5,40,51
VI. विविध आय/Miscellaneous Income	313,38,43	334,64,62
<b>योग /TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1075,96,52</b>	<b>915,13,97</b>

**अनुसूची – 15: व्ययगत ब्याज  
SCHEDULE – 15: INTEREST EXPENDED**

	समाप्त वर्ष /Year Ended दि. 31.03.2012 को	समाप्त वर्ष /Year Ended दि. 31.03.2011 को
I. जमा राशियों पर ब्याज/Interest on Deposits	9325,97,28	6193,13,41
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	80,18,88	111,28,69
III. अन्य/Others	776,86,67	763,51,07
<b>योग /TOTAL (I+II+III)</b>	<b>10183,02,83</b>	<b>7067,93,17</b>

**अनुसूची – 16 : परिचालन व्यय  
SCHEDULE – 16 : OPERATING EXPENSES**

	समाप्त वर्ष /Year Ended दि. 31.03.2012 को	समाप्त वर्ष /Year Ended दि. 31.03.2011 को
I. कर्मचारियों को संदाय और उनके लिए प्रावधान/Payments to and provisions for employees	1891,98,52	1774,10,73
II. किराया, कर और बिजली/Rent, Taxes and Lighting	167,46,41	147,85,95
III. मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	15,58,42	14,13,04
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	14,61,89	18,64,13
V. बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास/Depreciation on Bank's Property	66,04,75	70,97,41
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्च/Directors' Fees, Allowances and Expenses	85,56	43,65
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और खर्च (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors)	23,62,22	20,39,17
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	6,72,98	7,68,06
IX. डाक व्यय, तार, दूरभाष आदि/Postage, Telegrams, Telephones etc.	28,71,44	18,31,74
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	94,59,09	62,85,63
XI. बीमा/Insurance	125,13,85	104,83,81
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	377,73,05	306,81,72
<b>योग /TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII)</b>	<b>2813,08,18</b>	<b>2547,05,04</b>



अनुसूची – 17

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ 2011-2012

1. लेखाकरण प्रथा

संलग्न वित्तीय विवरण 'लाभकारी कारोबार वाला संस्थान सिद्धांत' का पालन करते हुए सामान्यतः परंपरागत लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और ये अन्यथा सूचित मामलों को छोड़कर सांविधिक उपबंधों भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा प्रचलित लेखाकरण नामकों और क्रियाविधियों के अनुसार हैं।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेन-देन

- 2.1 भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों को अपनाया गया है।
- 2.2 फॉरेक्स देयता युक्त सभी विदेशी मुद्रा लेन-देनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यू.ए.आर.) लागू करते हुए अभिलेखित किया गया है। जबकि सभी फॉरेक्स आस्तियों को प्रचलित बाज़ार दरों पर अभिलेखित किया गया है।
- 2.3 सभी मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में 'फेडाई' अंतिम विनिमय दर पर रिपोर्ट किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को राजस्व के रूप में लिया गया है।
- 2.4 बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को, विनिर्दिष्ट परिपक्वता के लिए अधिसूचित विनिमय दरों तथा "बीच की परिपक्वताओं" वाले संविदाओं के लिए अंतर्वेशित दरों पर रिपोर्ट किया गया है।
- 2.5 गारंटियों, साख पत्रों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों तथा अन्य दायित्वों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.6 मूल कंपनी की विदेशी शाखा को "गैर समाकलित विदेशी परिचालन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - क) विदेशी संचालनों की सभी आस्तियों और देयताओं, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, को अंतिम विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया।
  - ख) आय और व्यय का परिवर्तन त्रैमासिक औसत विनिमय दरों पर किया गया।
  - ग) ए.एस. 11 के अनुसार किए गए परिवर्तन से हुए परिणामी विनिमय अंतर को, विदेशी परिचालन के निवल निवेश का निपटान होने तक "विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि" में जमा किया गया।

3. निवेश

- 3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार भारत में निवेश निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाते हैं:
  - I. परिपक्वता तक धारित
  - II. विक्रय के लिए उपलब्ध
  - III. व्यापार के लिए धारित

प्रत्येक वर्ग को पुनःनिम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

  - क) सरकारी प्रतिभूतियां
  - ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
  - ग) शेयर
  - घ) डिबेंचर और बंध पत्र
  - ड) अनुषंगी
  - च) अन्य
- 3.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया जाता है।

SCHEDULE – 17

CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES – 2011-2012

1. ACCOUNTING CONVENTIONS

The accompanying financial statements are prepared following the 'Going Concern' concept on historical cost basis and conform to the statutory provisions including the RBI guidelines and the applicable accounting standards and prevailing practices of the countries concerned, except wherever otherwise stated.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

- 2.1 Exchange rates as notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) are adopted.
- 2.2 All foreign currency transactions involving forex liabilities are recorded by applying weekly average rate (WAR) published by FEDAI, whereas all forex assets are recorded at on going market rates.
- 2.3 All the monetary assets & liabilities are reported at the end of the year at FEDAI closing exchange rate and the resultant profit / loss is taken to revenue.
- 2.4 Outstanding Forward Exchange Contracts are reported at the exchange rates notified for specified maturities and at interpolated rates for contracts of "in between maturities".
- 2.5 Contingent liabilities on account of Guarantees, Letters of Credit, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated at the closing exchange rates.
- 2.6 Foreign Branch of the Parent Company is classified as "Non-Integral Foreign Operation"
  - a) All assets & liabilities of the foreign operations, both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities are translated at closing exchange rates.
  - b) Income and Expenditure are translated at quarterly average exchange rates.
  - c) The resulting exchange difference arising from translation as per AS-11 is accumulated in a "Foreign Currency Translation Reserve" until disposal of net investment of the foreign operation.

3. INVESTMENTS

- 3.1 In accordance with RBI guidelines, investments in India are classified into:
  - I. Held to Maturity
  - II. Available for Sale
  - III. Held for Trading

Each category is further classified into:

  - a) Government Securities
  - b) Other Approved Securities
  - c) Shares
  - d) Debentures & Bonds
  - e) Subsidiaries
  - f) Others
- 3.2 Investments are valued in accordance with RBI guidelines.





- 3.2.1 परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अधीन निवेश का मूल्यांकन अर्जन लागत के आधार पर किया जाता है, सिवाय उस मामले के जब उसका अर्जन प्रीमियम पर किया जाए तब इस मामले में प्रीमियम का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति की शेष अवधि तक किया जाता है ।
- 3.2.2 विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी के अधीन धारित निवेश का मूल्य निर्धारण लागत या बाज़ार मूल्य इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है । अलग-अलग शेयरों का मूल्य निर्धारण किया जाता है और तुलन-पत्र में निवेश के वर्गीकरण के अनुसार मूल्यहास/मूल्यवृद्धि का समुच्चयन श्रेणीवार किया जाता है । शुद्ध मूल्यहास के लिए प्रावधान किया जाता है और शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।
- 3.2.3 मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए -
- लागत का संदर्भ अर्जन की वास्तविक लागत/प्रचलित लागत से है, जहाँ कहीं लागू होता हो ।
  - बाज़ार मूल्य का संदर्भ, शेयर बाज़ार/भाव, एस.जी.एल. खाता लेन-देन, भा.रि.बैं./एफ.आई.एम.एम.डी.ए./पी.डी.ए.आइ. नवीनतम उपलब्ध मूल्य सूची से है और तदनुसार:
    - सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण, एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आइ. की कीमतों/परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वाई.टी.एम.) दरों के आधार पर, भा.रि.बैं. द्वारा यथानिर्दिष्ट समुचित कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाएगा ।
    - डिबेंचरों/बंधपत्रों का मूल्य निर्धारण, पी.डी.ए.आई./एफ.आई.एम.एम.डी.ए. द्वारा यथा निर्दिष्ट समुचित कीमत - लागत अंतर के साथ वाई.टी.एम. आधार पर किया जाएगा ।
    - तिजोरी बिल, आर.आई.डी.एफ. वाणिज्यिक पत्र और वित्तीय संस्थाओं में स्थित सावधि धन का मूल्य निर्धारण लागत के आधार पर किया जाता है ।
    - अधिमान्य शेयरों का मूल्य निर्धारण वाई.टी.एम. आधार पर किया जाएगा ।
    - ईक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण अंतिम सौदा मूल्य पर या जहाँ भाव उपलब्ध नहीं है वहाँ अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य (पुनर्मूल्यन रिज़र्व पर ध्यान दिए बिना) ₹ 1 प्रति कंपनी की दर पर किया जाएगा, जहाँ अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।
    - क्षे.ग्रा. बैंकों में किए गए निवेशों का मूल्य निर्धारण रखाव लागत के आधार पर किया गया है (यानी बही मूल्य) ।
    - प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एस.सी.)/पुनर्निर्माण कंपनियों (आर.सी.) द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति रसीदों का मूल्य निर्धारण भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित गैर एस.एल.आर. लिखतों में किए गए निदेश पर लागू होनेवाले मानदण्डों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है ।
    - जोखिम पूंजी निधियों (वी.सी.एफ.) की यूनिटों का मूल्य निर्धारण वी.सी.एफ. द्वारा, अपने 18 महीने से अनधिक पुराने वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए एन.ए.वी. पर किया गया ।
    - म्यूच्युअल फंड में इकाइयों का मूल्य निर्धारण पुनः खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है ।
- 3.2.4 निवेशों का वर्गीकरण उनके निष्पादन और भा.रि.बैं. के दिशा निदेशों के अनुसार, अग्रिमों पर लागू होनेवाले आई.आर.ए.सी. मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान के आधार पर किया गया । अनुत्पादक निवेशों पर किये गये प्रावधान का समंजन अन्य अर्जक निवेशों से संबंधित मूल्यवृद्धि के प्रति नहीं किया गया ।
- 3.2.1 Investments under Held to Maturity are valued at cost of acquisition, except where it is acquired at premium in which case the premium is amortised over the remaining period of maturity using Straight Line Method.
- 3.2.2 Investments held under Available for Sale and Held for Trading category are valued at cost or market value, whichever is lower. Individual scripts are valued and depreciation / appreciation is aggregated category-wise as per the classification of investments in the Balance Sheet. Net depreciation is provided for and net appreciation, if any, is ignored.
- 3.2.3 For the purpose of valuation -
- Cost refers to actual cost of acquisition / carrying cost, wherever applicable.
  - Market value refers to latest available price from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI / FIMMDA / PDAI and accordingly:
    - Government Securities and Other Approved Securities are valued on the basis of prices / Yield to Maturity (YTM) rates of FIMMDA / PDAI with appropriate spreads as prescribed by RBI.
    - Debentures / Bonds are valued on YTM basis with appropriate spreads as prescribed by PDAI / FIMMDA.
    - Treasury Bills, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Commercial Papers and Certificate of Deposits are valued at cost.
    - Preference Shares are valued on YTM basis.
    - Equity Shares are valued at last traded prices and where the shares are not quoted on stock exchanges, the unquoted shares are valued at breakup value (without considering 'revaluation reserves', if any) as per the latest available balance sheet or at ₹ 1 per company, where latest balance sheet is not available.
    - Investment in RRBs is valued at carrying cost ( i.e. book value).
    - Security Receipts issued by Securitisation Companies (SC)/Reconstruction Company (RC) are valued/classified as per the norms applicable to investment in Non SLR instruments as prescribed by RBI from time to time.
    - Units of Venture Capital Funds (VCF) are valued at NAV shown by the VCF in its financial statements not older than 18 months.
    - Units in mutual fund are valued at repurchase price or Net Asset Value, whichever is lower.
- 3.2.4 Investments are also categorised based on their performance and provisions are made as per IRAC norms applicable to advances as per RBI guidelines. Provision made on non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.



- 3.3 परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी में प्रतिभूतियों के विक्रय/निपटान संबंधी अनुलाभ, यदि कोई हो, लाभ हानि लेखे के जरिए पूंजी रिज़र्व को लाया जाता है (करोँ और सांविधिक आरक्षित निधि को अंतरित की जानेवाली रकम को घटाकर)।
- 3.4 एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण इस तरह से अंतरित प्रतिभूतियों पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान करने के पश्चात किया जाता है।
- 3.5 विदेशी शाखा में अस्थिर दर वाले नोट तथा उधार संबद्ध नोटवाले निवेशों को 'बिक्री के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनका मूल्य निर्धारण, अंकित मूल्य या बाजार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया। इन निवेशों को त्रैमासिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित किया गया है और जहाँ इन निवेशों का मूल्य नाममात्र मूल्य से कम हुआ है वहाँ, इस संबंध में, तुलन-पत्र में मूल्यहास के लिए प्रावधान किया गया है और इसके लिए लाभ व हानि लेखे में प्रभार अंकित किया गया है।

- 3.6 अभिदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि को प्रतिभूतियों की लागत से कटौती की जाती है। प्रतिभूतियों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली/कमीशन/स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाएगा।
- 3.7 रेपो के अंतर्गत भा.रि.बैं. से प्राप्त निधियों और रिवर्स रेपो के अंतर्गत विनियोजित निधियों लेखाकरण क्रमशः उधार और वित्तीयन के रूप में किया गया है।

#### 4. व्युत्पन्न

- 4.1 व्युत्पन्न लेन-देन के लिए दिए गये ऋण की निगरानी चालू ऋण मंजूरी पद्धति पर की जाती है।
- 4.2 अप्रतिभूत प्रतिरक्षा लेन-देनों को सौदा लेन-देन समझा जाएगा और उन्हें परिपक्वता की तारीख तक चालू रखा जाएगा।
- 4.3 व्युत्पन्न लेन-देनों को प्रतिरक्षा और अप्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- 4.4 पारस्परिक आधार पर किए गए लेन-देन तथा आस्तियों एवं देयताओं पर जोखिम प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण तथा लेखाकरण ब्याज उपचयन के आधार पर किया जाएगा।
- 4.5 मार्केट मेकिंग लेन-देनों का लेखांकन पाक्षिक अंतरालों में बाजार के लिए अंकित आधार पर किया जाएगा जब कि प्रतिरक्षा लेन-देनों का लेखांकन उपचयन के आधार पर किया जाएगा।
- 4.6 खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाएगा और परिपक्वता के बाद लाभ को हिसाब में लिया जाएगा और मितिकाटे को अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्वता पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोजित किया जाएगा।

#### 5. अग्रिम

- 5.1 अग्रिमों को अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे अग्रिमों से हुई हानियों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखा के मामले में, आस्तियों का वर्गीकरण तथा हानि का प्रावधान, स्थानीय अपेक्षाओं या भा.रि.बैं. के विवेकपूर्ण मानदण्डों, इनमें से जो भी अधिक कड़ा हो, के अनुसार किया जाता है।
- 5.2 अग्रिमों का उल्लेख अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर किया जाता है सिवाय उन मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के मामले में, जिन्हें "अन्य देयताओं और प्रावधान" में शामिल किया गया है।

- 3.3. Gain, if any, on sale / disposal of securities in the Held to Maturity category is taken to Capital Reserve through the Profit and Loss Account (Net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserve).

- 3.4. Transfer of securities from one category to another is effected after providing for depreciation, if any, on the securities so transferred.

- 3.5. Floating Rate Note and Credit Linked Note investments at Foreign Branch are classified as Available For Sale category and are valued at nominal value or market value, whichever is lower. These investments are marked to market at quarterly intervals and where the value of these investments is lower than the nominal value, a provision for depreciation is created in the Balance Sheet and a corresponding charge is recognized in the Profit and Loss Account.

- 3.6. Incentive received on subscriptions is deducted from the cost of securities. Brokerage/commission/stamp duty paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenses.

- 3.7. Availment of funds from RBI under Repo and deployment of funds under Reverse Repo are accounted as borrowing and lending respectively.

#### 4. DERIVATIVES

- 4.1. The credit exposures for derivative transactions are monitored on Current Credit Exposure method.
- 4.2. The naked hedging transactions are considered as a trading transaction and allowed to run till maturity.

- 4.3. Derivative transactions are classified into hedge and non-hedge and measured at fair value.

- 4.4. The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risk on assets and liabilities are valued and accounted on interest accrual basis.

- 4.5. Market making transactions are accounted on marked-to-market basis at fortnightly intervals, while hedging transactions are accounted for on accrual basis.

- 4.6. Premium at the time of purchase if any is amortized over the residual period of the transactions and profit is booked on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to Profit and Loss account on maturity.

#### 5. ADVANCES

- 5.1. Advances are classified into Performing and Non Performing Assets and provisions for loan losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India from time to time. In respect of foreign branch, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirements or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

- 5.2. Advances are stated net of provisions made for Non Performing Assets except general provisions for Standard Advances, Provision held for sold assets have been included in 'Other Liabilities and Provisions'.



## 6. परिसर और अन्य अचल आस्तियाँ

- 6.1 परिसर और अन्य अचल आस्तियों को, मूल्यहास को घटाने के बाद परंपरागत लागत और/या पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर दर्शाया गया है। परिसरों का पुनर्मूल्यांकन, अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित मूल्य पर हर पाँच वर्ष में किया जाता है। ऐसे पुनर्मूल्यांकन पर प्राप्त होनेवाली राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में जमा किया गया है।
- 6.2 परिसर पर मूल्यहास का प्रावधान सम्मिश्र लागत पर किया गया है, जहाँ जमीन की लागत को अलग नहीं किया जा सकता है। पुनर्मूल्यांकित राशि पर अतिरिक्त मूल्यहास को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि में समायोजित किया गया है।
- 6.3 परिवर्धन सहित अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान अन्यथा उल्लिखित के सिवाय निम्नलिखित दरों पर हासमान शेष प्रणाली के आधार पर वार्षिक रूप से किया जाता है:

क) परिसर	दरें
i) मूल कंपनी के स्वामित्ववाले (पूर्ण स्वामित्व वाले/पट्टे पर लिए गए)	5%
ii) पट्टे पर लिये गये परिसरों के संबंध में पूंजीगत व्यय	
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट नहीं है	10%
– जहाँ पट्टे की अवधि निर्दिष्ट है	पट्टे की शेष अवधि पर परिशोधित
ख) अन्य आस्तियाँ	दरें
i) फर्नीचर	10%
ii) उपस्कर, टाइपराइटर, अन्य उपकरण, यू.पी.एस., जनरेटर आदि	15%
iii) वाहन	20%
iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण	40%
v) कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर (सीधी रेखा पद्धति)	33.33%

- 6.4 अचल आस्तियों में जोड़ी गयी आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान, पूरे वर्ष के लिए किया जाता है, सिवाय कंप्यूटर उपकरण तथा परिचालन सॉफ्टवेयर के मामले में, जहाँ मूल्यहास का प्रावधान यथानुपातिक आधार पर किया जाता है। उनका निपटान किए जाने वाले वर्ष में आस्तियों पर कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।

## 7. सेवानिवृत्ति लाभ

- 7.1 कर्मचारी जिन्होंने भविष्य निधि के लिए विकल्प दिए हैं, उनके मामले में भविष्य निधि न्यास को सांविधिक अंशदान किया जाता है और अन्य कर्मचारी जिन्होंने पेन्शन के लिए विकल्प दिए हैं उनके संबंध में पेन्शन निधि को अंशदान वास्तविक मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- 7.2 उपदान निधि न्यास को अंशदान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 7.3 छुट्टी नकदीकरण सुविधा की देयता को वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

## 8. राजस्व का निर्धारण

- क) राजस्व और व्यय का हिसाब सामान्यतः उपचय के आधार पर किया जाता है, सिवाय म्यूच्युअल फंड संव्यवहारों पर शुल्क/कमीशन के गैर बैंकिंग आस्तियों पर आय, लॉकर किराया,

## 6. PREMISES AND OTHER FIXED ASSETS

- 6.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and/or revaluation value less accumulated depreciation. The premises are revalued every five years at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such revaluation is credited to Revaluation Reserve.
- 6.2 Depreciation on premises has been provided on composite cost wherever cost of land cannot be segregated. Additional depreciation on revalued amount is adjusted to the Revaluation Reserve.
- 6.3 Depreciation on other fixed assets, including additions, is provided for on the basis of written down value, except as otherwise stated, at the following rates:

A) PREMISES:	Rates
i) Parent Company owned (freehold/leasehold)	5 %
ii) Capital Expenditure on premises taken on lease	
– where lease period is not specified	10 %
– where lease period is specified	Amortised over the residual period of lease.
B) OTHER ASSETS:	Rates
i) Furniture	10 %
ii) Fixtures, typewriters, other equipments, UPS, generators, etc.	15 %
iii) Vehicles	20 %
iv) Electronic equipments	40 %
v) Computers & Operating Software (Straight Line Method)	33.33 %

- 6.4 Depreciation on additions to fixed assets is provided for the whole year except on additions to computers and operating software, which is on pro-rata basis. No depreciation is provided on the assets in the year of their disposal.

## 7. RETIREMENT BENEFITS

- 7.1 Statutory contribution is made to Provident Fund Trust in respect of employees who have opted for Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund Trust is made based on actuarial valuation.
- 7.2 Contribution to Gratuity Fund Trust is based on actuarial valuation.
- 7.3 Liability towards leave encashment is provided on accrual basis as per actuarial valuation.

## 8. REVENUE RECOGNITION

- a) Revenue and expenses are generally accounted for on accrual basis except in respect of fees/ commission on transactions with Mutual Funds, income on non-banking assets, locker rent, interest on overdue bills/



परिपक्व जमाराशियाँ/अतिदेय बिलों पर ब्याज/कर वापसी अनर्जक आस्तियों से आय, दावा दायर खातों पर विधिक व्यय जिनका लेखाकरण नकदी आधार पर किया गया है।

- ख) जब शेयरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है तब उस से प्राप्त आय का लेखाकरण उपचय आधार पर किया जाता है और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
- ग) परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज को नवीकरण के समय पर हिसाब में लिया जाता है। परिपक्व जमाराशियों के मामले में भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रावधान किया गया है।
- घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि का ब्याज भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार राजस्व मद माना जाता है।
- ङ) एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, बांड निर्गम, क्रेडिट कार्ड एवं बीमा उत्पादों के फ्रैन्चाइज को राजस्व में प्रभारित कर दिया जाता है।
- च) आयातित सोने के सिक्कों की बिक्री से प्राप्त आय का लेखाकरण, सिक्कों की बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में किया जाता है।

## 9. आय कर

- 9.1 चालू कर का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 के आधार पर किया जाता है।
- 9.2 कर योग्य आय और लेखाकरण आय के बीच समय का अंतर होने की वजह से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का अभिनिर्धारण आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

## 10. देश जोखिम प्रबंधन

मूल कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निदेशों के अनुसार देश जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है।

## 11. सोने के सिक्के

आयातित सोने के सिक्कों के स्टॉक का मूल्य निर्धारण, लागत पर या बाज़ार मूल्य, इनमें जो भी कम हो, पर किया गया है।

## 12. निवल लाभ

निवल लाभ का निर्धारण 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के अधीन निम्नलिखित मदों को हिसाब में लेने के पश्चात् किया गया है:

- आय कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान
- अनर्जक अग्रिमों और निवेशों के लिए प्रावधान/अपलेखन
- मानक आस्तियों के प्रावधान
- निवेश पर मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए समायोजन
- आकस्मिकताओं को अंतरण
- अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान

tax refunds, income from non-performing assets and legal expenses on suit filed accounts which are accounted on cash basis.

- b) Income from dividend on shares is accounted on accrual basis when the same is declared and the right to receive the dividend is established.
- c) Interest on matured deposits is accounted for at the time of renewal. However provision for interest on matured deposits has been made at corporate office as per the RBI guidelines.
- d) The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue as per RBI guidelines.
- e) Expenditure in respect of application software, bonds issue, franchises of credit card and insurance products are charged off to revenue.
- f) Income from consignment sale of imported gold coins is accounted for as other income after the sale is complete.

## 9. TAXES ON INCOME

- 9.1 Current tax is determined as per the provisions of the Income tax Act, 1961.
- 9.2 Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing differences between taxable and accounting income, is recognized keeping in view, the consideration of prudence in respect of deferred tax assets/liabilities in accordance with the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

## 10. COUNTRY RISK MANAGEMENT

The Parent Company has adopted the Country Risk Management policy in accordance with the RBI guidelines.

## 11. GOLD COINS

Stock of imported gold coins is valued at cost or market price, whichever is lower.

## 12. NET PROFIT

Net Profit is arrived at after accounting for the following under "Provisions & Contingencies":

- Provision for Income tax and Wealth tax
- Provision/Write off of Non-Performing Advances and Investments
- Provision on Standard Assets
- Adjustment for appreciation/depreciation on Investments
- Transfer to Contingencies
- Other usual and necessary provisions.





**अनुसूची - 18 समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियाँ - 2011-2012**

1. पूंजी (₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
i) जोखिम भास्ति आस्ति (सी आर ए आर) की तुलना में पूंजी का अनुपात (%) बासेल - II	12.24	13.04
ii) सी.आर.ए.आर. प्रथम चरण की पूंजी (%)	8.94	9.31
iii) सी.आर.ए.आर. द्वितीय चरण की पूंजी (%)	3.30	3.73
iv) भारत सरकार के शेरधारण की प्रतिशतता	66.17	69.47
v) द्वितीय चरण की पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण राशि (₹ करोड़)	0.00	0.00
vi) आई.पी.डी.आई. निर्गम द्वारा जुटाई गई राशि	0.00	0.00
vii) अप्पर टियर-II लिखत निर्गम द्वारा जुटाई गयी राशि	0.00	0.00

नोट: बासेल-II मानदण्डों के अनुसार, दि. 31.03.2012 को मूल कंपनी की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.81% और दि.31.03.2011 को 11.20% था।

2. निवेश (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2012	31.03.2011
(1) निवेश का मूल्य		
(i) निवेश का सकल मूल्य		
(क) भारत में	40,641.46	34,954.25
(ख) भारत के बाहर	244.09	156.40
(ii) मूल्यहास और एन.पी.ए. के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	42.30	17.68
(ख) भारत के बाहर	28.19	25.35
(iii) निवेश का निवल मूल्य		
(क) भारत में	40,599.16	34,936.57
(ख) भारत के बाहर	215.90	131.05
(2) निवेश के मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधान का संचलन		
(i) प्रारंभिक शेषराशि	43.03	82.77
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	27.46	7.00
(iii) घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	0.00	46.74
(iv) इतिशेष	<b>70.49</b>	<b>43.03</b>

2.1 रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य की शर्तों के अनुसार) (₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दि. 31-03-2012 को इतिशेष
रेपोज के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	52.50	2,887.50	492.71	0.00
(ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपोज के अधीन खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	420.00	1,575.00	19.56	1,575.00
(ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. गैर एस.एल.आर. निवेश संविभाग

i) दि. 31-03-2012 को गैर एस.एल.आर. निवेशों के जारीकर्तावार संरचना (₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	रकम	प्राइवेट नियोजन की मात्रा	“निम्न निवेश श्रेणी” प्रतिभूतियों की मात्रा	अनिर्धारित प्रतिभूतियों की मात्रा	“असूचीबद्ध” प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	सा.क्षे.उ.	64.84	2.08	0.00	1.00	1.00
2	वित्तीय संस्थाएँ	817.35	642.94	0.00	1.13	22.15
3	बैंक	745.50	589.35	0.00	0.00	0.00
4	निजी कंपनी	737.19	438.25	111.89	1.78	113.67
5	सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	1933.78	1933.78	0.00	0.00	0.00
7	घटाएँ: मूल्यहास के प्रति रखा गया प्रावधान	43.19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	कुल (1 से 6 घटाएँ 7)	<b>4288.82</b>	<b>3639.75</b>	<b>111.89</b>	<b>3.91</b>	<b>136.82</b>

**SCHEDULE - 18 CONSOLIDATED NOTES ON ACCOUNTS - 2011-2012**

1. CAPITAL (₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
i) Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) Basel II (%)	12.24	13.04
ii) CRAR - Tier I Capital (%)	8.94	9.31
iii) CRAR - Tier II Capital (%)	3.30	3.73
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	66.17	69.47
v) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	0.00	0.00
vi) Amount raised by issue of IPDI	0.00	0.00
vii) Amount raised by issue of Upper Tier - II Instruments	0.00	0.00

Note: The Capital Adequacy Ratio of the Parent Company as on 31.03.2012 as per Basel-I norms is 10.81% and as on 31.03.2011 was 11.20%.

2. INVESTMENTS (₹ in crore)

Particulars	31.03.12	31.03.11
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments		
(a) In India	40,641.46	34,954.25
(b) Outside India	244.09	156.40
(ii) Provisions for Depreciation and NPA		
(a) In India	42.30	17.68
(b) Outside India	28.19	25.35
(iii) Net Value of Investments		
(a) In India	40,599.16	34,936.57
(b) Outside India.	215.90	131.05
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	43.03	82.77
(ii) Add: Provisions made during the year	27.46	7.00
(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	0.00	46.74
(iv) Closing balance	<b>70.49</b>	<b>43.03</b>

2.1 Repo Transactions (in face value terms) (₹ in crore)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Avg. outstanding during the year	Closing Balance as on 31.03.2012
Securities sold under Repo				
(i) Govt. Securities	52.50	2,887.50	492.71	0.00
(ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under Reverse Repo				
(i) Govt. Securities	420.00	1,575.00	19.56	1,575.00
(ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.12

(₹ in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of "Below Investment grade" securities	Extent of "Unrated" securities	Extent of "Unlisted" securities
1	2	3	4	5	6	7
1	PSUs	64.84	2.08	0.00	1.00	1.00
2	Financial Institutions	817.35	642.94	0.00	1.13	22.15
3	Banks	745.50	589.35	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	737.19	438.25	111.89	1.78	113.67
5	Subsidiaries/Joint ventures	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00
6	Others	1933.78	1933.78	0.00	0.00	0.00
7	Less: Provision held towards depreciation	43.19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	TOTAL (1 to 6 minus 7)	<b>4288.82</b>	<b>3639.75</b>	<b>111.89</b>	<b>3.91</b>	<b>136.82</b>





**नोट:** (1) स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड़ का मिलान तुलन पत्र की अनुसूची में निम्नलिखित श्रेणियों के अधीन शामिल किए गए कुल निवेश के साथ होना चाहिए:  
(क) शेयर (ख) डिबेंचर और बंधपत्र  
(ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम (घ) अन्य  
(2) कॉलम 4,5,6 और 7 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि परस्पर अनन्य नहीं है।

ii) अनर्जक गैर एस.एल.आर. निवेश (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2012			31.03.2011		
	देशी	लंदन	कुल	देशी	लंदन	कुल
अधशेष	14.88	22.30	37.18	15.02	22.42	37.44
वर्ष के दौरान परिवर्धन 01 अप्रैल से	0.49	3.14*	3.63	0.00	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौती	0.00	0.00	0.00	0.14	0.12*	0.26
इति शेष	15.37	25.44*	40.81	14.88	22.30	37.18
रखे गए कुल प्रावधान	15.00	25.44	40.44	14.88	22.30	37.18

**नोट:** \*निवेश के रुपया मूल्यांकन में जो वृद्धि/कमी हुई है उसका कारण यू.एस. डॉलर/आइ.एन.ए. दरों में उतार-चढ़ाव से है।

iii) एच.टी.एम. श्रेणी को/से बिक्री और अंतरण

प्रतिभूतियों की बिक्री और एच.टी.एम. श्रेणी को/से उनका अंतरण का मूल्य भा.रि.बैं. के मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में एच.टी.एम. श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

### 3. व्युत्पन्न

#### 3.अ. वायदा दर करार/ब्याज दरों की अदला-बदली/ विदेशी मुद्रा की अदला-बदली

• वायदा दर करार और ब्याज दर अदली-बदली

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	मदें	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	4,157.43	1256.65
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती है तो, होनेवाली हानि (1)	147.84	(1.17)
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv)	अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य (2)	113.58	(1.14)

• मुद्रा अदला-बदली

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	मदें	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	अदला-बदली करार का कल्पित मूल-धन	233.99	247.50
ii)	यदि करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रति पार्टी विफल होती है तो, उठाई जाने वाली हानि	25.73	24.07
iii)	अदला-बदली में प्रवेश होने पर मूल कंपनी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	0.00	0.00
iv)	अदला-बदली से उठनेवाले ऋण जोखिम का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v)	अदला-बदली बही का उचित मूल्य	0.20	3.13

- हानियों को कुल ऋण निवेश के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ऋण और प्रतिस्थापन जोखिम भी शामिल हैं।
- अदला-बदली बही का उचित मूल्य उपर्युक्त अदल-बदली पर प्राप्य या देय निवल एम.टी.एम. से संबद्ध है।
- वायदा दर करार (एफ.आर.ए.) और ब्याज दर अदला-बदली (आई.आर.एस.) को अपनी बहियों को बचाने के लिए तथा आस्ति और देयता अंतर से बचने के लिए किया गया है। मुद्रा अदला-बदली को ग्राहकों के निवेशों को बचाने के लिए किया गया है और उन्हीं शर्तों पर बैंक-टु-बैंक आधार पर कवर किया गया है।
- इन व्युत्पन्न लेन-देनों को उन काउंटर पार्टियों के साथ किया गया है जो ऋण और राजकोषीय नीतियों की पूर्ति करती हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों में ऋण और बाजार जोखिमों के प्रबंधन और अनुप्रवर्तन से संबंधित विभिन्न मानदण्डों/सीमाओं का उल्लेख किया गया है।
- व्युत्पन्नों की लेखाकरण नीति को भा.रि.बैं. के मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। उक्त नीति के ब्यौरे अनुसूची-17- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 2011-12 के प्रस्तुत हैं।

**Note:** (1) Total under column 3 should tally with the total Investments included under the following categories in schedule 8 to the Balance Sheet.:  
(a) Shares (b) Debentures and bonds  
(c) Subsidiaries /Joint ventures (d) Others  
(2) Amount reported under columns 4, 5, 6 and 7 above may not be mutually exclusive.

ii) Non performing Non-SLR Investments (₹ in crore)

Particulars	31.03.12			31.03.11		
	Domestic	London	Total	Domestic	London	Total
Opening balance	14.88	22.30	37.18	15.02	22.42	37.44
Additions during the year since 1 <sup>st</sup> April	0.49	3.14*	3.63	0.00	0.00	0.00
Reduction during the above period	0.00	0.00	0.00	0.14	0.12*	0.26
Closing balance	15.37	25.44*	40.81	14.88	22.30	37.18
Total provisions held	15.00	25.44	40.44	14.88	22.30	37.18

**Note:** \*Appreciation/Reduction in rupee valuation of Investments is due to fluctuation in USD/INR rates.

iii) Sale and transfer to/from HTM category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category does not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

### 3. DERIVATIVES

#### 3. A Forward Rate Agreements / Interest Rate Swap / Cross Currency Swaps

• Forward Rate Agreement and Interest Rate Swaps

(₹ in crore)

Sl. No.	Items	Current Year	Previous Year
i)	The notional principal of the swap agreements	4,157.43	1256.65
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements (1)	147.84	(1.17)
iii)	Collateral required by the Parent Company upon entering the swap	0.00	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v)	The fair value of the swap book (2)	113.58	(1.14)

• Currency Swaps

(₹ in crore)

Sl. No.	Items	Current Year	Previous Year
i)	The notional principal of the swap agreements	233.99	247.50
ii)	Losses which would be incurred if the counterparties fail to fulfil their obligations under the agreements	25.73	24.07
iii)	Collateral required by the Parent Company upon entering the swap	0.00	0.00
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v)	The fair value of the swap book	0.20	3.13

- Losses have been defined as the Total Credit Exposure inclusive of Credit and Replacement Risk
- Fair Value of Swaps book is the Net MTM receivable or Payable on the above Swaps
- Forward rate agreements (FRA) and Interest rate Swaps (IRS) were undertaken by the Parent Company to hedge its own books and for managing asset and liability mismatches. Currency swap has been undertaken with customers for hedging their exposures and covered back-to-back with identical terms.
- These derivative transactions are entered with counter parties satisfying the criteria as prescribed by Credit and Treasury policies. These Board approved policies prescribe various parameters/limits to manage and monitor credit and Market risks.
- The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines. The details of which are presented under Schedule 17 - Significant Accounting policies 2011-12.



**3. आ. विनिमय व्यापारिक ब्याज दर व्युत्पन्न**

**मुद्रा वायदे:**

मूल कंपनी तीन विनिमयों पर यू.एस.डॉलर/भारतीय रुपयों में मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार करता है। दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार मुद्रा वायदे के अंतर्गत कोई बकाया नहीं है।

**ब्याज दर वायदा:**

विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न शून्य है। मूल कंपनी विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न में लेन-देन नहीं कर रहा है।

क्रम सं.	विवरण	₹ करोड़ों में
i)	वर्ष के दौरान किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित मूल धन राशि (लिखतवार)	शून्य
ii)	दि. 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की कल्पित बकाया मूलधन राशि (लिखतवार)	
iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है।	
iv)	बाजार मूल्य के लिए अंकित विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार के लिए निर्दिष्ट मूल्य जो अत्यंत प्रभावकारी नहीं है।	

**3. इ. व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण**

**(क) गुणात्मक प्रकटीकरण**

- व्युत्पन्न लेन-देन करने के लिए मूल कंपनी के पास अच्छी खासी नीति है जो मूल कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है।
- मूल कंपनी अपने तुलन पत्र में आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा और व्यापार/बाजार को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। मूल कंपनी और बैंकेतर काउंटर पार्टियों के साथ एफ.आर.ए., ब्याज दर स्वेप, करेंसी स्वेप तथा करेंसी विकल्प जैसे व्युत्पन्न लेन-देन कर रहा है। मूल कंपनी विनिमय दर मुद्रा वायदे का स्वामित्व व्यापार भी करता है।
- पिछली निष्पादन श्रेणी के अंतर्गत वायदा संविदा को सिंड-01 - सिंड-04 के अंतिम निर्धारण के साथ तथा भा.रि. बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही ग्राहकों के लिए बुक किया जाता है।
- मुद्रा वायदे से मूल कंपनी के लिए कोई ऋण जोखिम नहीं है, क्योंकि एक्स्चेंज कंपनियाँ भुगतान की गारंटी देती है।
- वर्ष के दौरान मूल कंपनी ने लंदन शाखा की देयताओं के लिए बैंकिंग बरी में ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु ब्याज दर अदला-बदली और एफ.आर.ए. किया।
- मूल धन और ब्याज समर्थक लेन-देन दोनों को करेंसी स्वेप में शामिल किया गया। इस प्रकार कोई लागत को शामिल किए बिना विनिमय दर जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम दोनों को प्रतिरक्षा प्रदान किया गया।
- विदेशी मुद्रा अदला-बदली को 10 वर्षों तक की अवधि के लिए किया गया जिसमें कोई जोखिम के बिना उसी प्रकार के समर्थक लेन-देन शामिल की गई है।
- केवल उन गैर-बैंक प्रति पार्टी के लिए करेंसी स्वेप लेन-देन किया गया। जिनका श्रेणी निर्धारण सिंड-01 से सिंड-04 है।
- मूल कंपनी ने व्युत्पन्न से जुड़ी जोखिमों का निर्धारण करने के लिए समुचित नियंत्रण प्रणाली और एम.आई.एस. को अपनाया है।
- मूल कंपनी में काउंटर पार्टियों की ऋण जोखिम सीमाओं की निरंतर निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली है।
- व्युत्पन्न लेन-देनों से संबंधित ऋण जोखिमों की निगरानी चालू ऋण जोखिम पद्धति के आधार पर की जाएगी।
- ऋण जोखिम की निगरानी काउंटर पार्टी निवेश सीमाएं निर्धारित करने, देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम निर्धारित करने और सी.सी.आई.एल./सी.एल.एस. के माध्यम से निपटान संबंधी जोखिम को कम करने के द्वारा की जाती है।
- काउंटर पार्टी बैंकों और बैंकेतर ग्राहकों के साथ संचालनों को, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर किया जाता है। गैर बैंक ग्राहकों के साथ लेन-देनों को पृष्ठाधान रक्षा के आधार पर बाजार जोखिम उठाए बिना किया जाता है।
- मूल कंपनी के पास संमिश्र व्युत्पन्न के अंतर्गत कोई निवेश नहीं है और न ही उनके पास न्यून-ब्याजदर वाली आस्तियों के अंतर्गत कोई प्रत्यक्ष निवेश है।
- मूल कंपनी ने न तो किसी लेखे का क्रिस्टलीकरण और अपलेखन किया है और न ही व्युत्पन्न लेन-देन से कोई हानि उठाई है।
- ब्याज संबंधी विवाद को रोकने तथा जोखिम की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस को अलग-अलग कर दिया गया। मिड ऑफिस, नैगम कार्यालय, बंगलूर में स्थित जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है।
- भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार काउंटर पार्टी बैंक और गैर-बैंक ग्राहक के साथ आई.एस.डी.ए. करार निष्पादित/विनिमय किया गया है।
- मिड ऑफिस, व्यापार लेन-देन से उत्पन्न होनेवाली जोखिम का स्वतंत्र रूप से आंकन करता है।

**3. B Exchange Traded Interest Rate Derivatives**

**Currency Futures:**

The Parent Company undertakes proprietary trading in Currency Futures in USD/INR on the three Exchanges. There are no outstanding contracts under Currency future as at 31.03.2012.

**Interest Rate future:**

Exchange Traded Interest Rate Derivative is NIL. The Parent Company is not dealing in Exchange Traded Interest Rate Derivatives.

Sl. No.	Particulars	(₹ in crore)
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012 (instrument-wise)	
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	

**3. C Disclosures on Risk Exposure in Derivatives**

**a) Qualitative Disclosure**

- The Parent Company has a well laid-down policy for undertaking derivative transactions approved by its Board.
- The Parent Company is undertaking derivative transactions for hedging risks on its Balance Sheet as well as for trading/market-making purposes. Parent Company is undertaking derivative transactions like FRAs, Interest rate swaps, Currency swaps and Currency Options, with Parent Company and Non-bank Counter parties. The Parent Company is only undertaking proprietary trading position in Currency Futures on the Exchanges.
- Forward contracts under past performance category are booked for clients with Rating SYND 01- SYND 04 only and on complying with RBI guidelines
- Currency futures have no credit risk for the Parent Company, as the Exchanges guarantee the payment.
- During the year Parent Company undertook Interest Rate Swaps and FRA for Hedging Purpose to Mitigate Interest Rate Risk in Banking Book for Liabilities at London Branch.
- Cross Currency swaps are undertaken for both principal and interest, back-to-back, thus hedging both exchange rate risk and interest rate risk without involvement of any outlays.
- Cross-currency swaps are undertaken upto a period of 10 years, covering the same back-to-back without any open position.
- Currency swaps are undertaken for non-bank counter party with ratings SYND 01 to 04 only.
- The Parent Company has set in place appropriate control system to assess the risks associated with Derivatives and MIS in place to monitor the same.
- The Parent Company has a system of continuous monitoring and appraisal of Credit Risk limits of counter-parties.
- Credit exposures for derivative transactions are monitored on the basis of current credit exposure Method.
- Credit risk is monitored by setting up counterparty exposure limits setting country risk exposure limits and mitigating settlement risk through CCIL/CLS.
- The transactions with our Counter-Party Banks and non-bank counterparty are undertaken within the limits approved by the Board. The transactions with non-bank counterparty's are done on a back-to-back covered basis without assuming any market risk.
- The Parent Company is not having any exposure in complex derivatives nor has it any direct exposure to the sub-prime assets.
- The Parent Company has not crystallized and written off any account nor incurred any loss on account of undertaking derivative transactions.
- The segregation of front Office, Mid Office and Back office is ensured to avoid conflict of interests and to mitigate the degree of risk. The Mid office is directly reporting to Risk Management Department at Corporate Office, Bengaluru.
- ISDA agreements are executed / exchanged with every counter party banks and non-bank clients as per RBI guidelines.
- Mid-office measures and monitors the risk arising out of trading deals independently.



- संचालनों को निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. द्वारा संस्वीकृत समग्र कुल सीमा के भीतर किया जाता है।
- प्रतिरक्षा हेतु किया गया कोई भी लेन-देन, यदि असुरक्षित हो जाता है तो उसे व्यापार लेन-देन समझा जाएगा और उसे परिपक्वता तक चालू रखा जाएगा।
- लेन-देनों को प्रतिरक्षा या गैर-प्रतिरक्षा लेन-देनों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, उसे उचित मूल्य पर आंका जाएगा।
- पृष्ठाधान आधार पर किए गए लेन-देन और मूल कंपनी की आस्तियों एवं देयताओं से संबंधित जोखिमों की प्रतिरक्षा हेतु किए गए लेन-देनों का मूल्य निर्धारण ब्याज उपचय आधार पर किया जाएगा और उसे तदनुसार लेखाबद्ध किया जाएगा।
- खरीद के समय प्रदत्त प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन लेन-देन की अवशिष्ट अवधि पर किया जाएगा। परिपक्व होने पर लाभ दर्ज किया जाएगा। बट्टा घटक को, अग्रिमों से प्राप्त आय लेखे में रखा जाएगा और परिपक्व होने पर उसे लाभ व हानि लेखे में विनियोग किया जाएगा।
- प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु किए गए उन सभी लेन-देनों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, जो असुरक्षित हो जाते हैं और बाजार के लिए अंकित हानि हो जाती है।
- उन निवल निर्धकृत देशी ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जहाँ ऋण राशि मूल कंपनी की आस्तियों के 1% या उस से अधिक है।
- विपणन उद्देश्य हेतु किए गए लेन-देनों को पाक्षिक आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है और प्रतिरक्षा उद्देश्य हेतु रखे गए लेन-देनों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
- मंजूरी की शर्तों के अनुसार संपार्षिक प्रतिभूतियाँ भी प्राप्त की जाती हैं।
- 94.87% व्युत्पन्न, शेष परिपक्वता की एक वर्ष से कम अवधि के अंतर्गत आते हैं।

- The transactions are undertaken within the overall Aggregate Gap Limits and Net Overnight Open position limits sanctioned by the Board/RBI.
- Any transaction undertaken for hedging purpose, if it becomes naked, is treated as a trading transaction and allowed to run till maturity.
- The transactions are separately classified as hedge or non-hedge transactions and measured at fair value.
- The transactions covered on back-to-back basis and the transactions undertaken to hedge the risks on Parent Company assets and liabilities are valued as per the valuation prescribed and Interest is accounted on accrual basis.
- Premium at the time of purchase, if any, is amortized over the residual period of the transaction. Profit is recognized on maturity. Discount is held in Income Received in Advance account and appropriated to P&L account on maturity.
- Adequate provision is made for transactions undertaken for hedging purpose, which became naked resulting in mark-to-market losses.
- Provision is also made for net funded country exposures, where the exposure is 1% or more of the Parent Company's assets.
- Transactions for market making purposes are marked-to-market at fortnightly intervals and those for hedging purposes are accounted for, on accrual basis.
- Collaterals are also obtained depending on the terms of sanction.
- 94.87 % of Derivatives fall under the short tenure of less than one year of remaining Maturity.

**ख) दि. 31.03.2012 को मात्रात्मक निवेश**

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न	व्याज दर व्युत्पन्न
1.	<b>व्युत्पन्न (काल्पनिक मूल राशि)</b>		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	233.99	4,157.43
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य
2.	<b>बाजार स्थितियों को अंकित</b>		
	क) आस्तियाँ (+)	1.14	117.64
	ख) देयताएँ (-)	0.94	4.06
3.	<b>ऋण विनिवेश</b>	<b>25.73</b>	<b>147.84</b>
4.	<b>व्याज दरों में 1% परिवर्तन होने से होनेवाला प्रभाव (100*पीवी 01)</b>		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	4.90	(80.81)
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	शून्य	शून्य
5.	<b>वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम</b>		
	क) प्रतिरक्षा पर		
	न्यूनतम	-	5.16
	अधिकतम	-	10.73
	ख) व्यापार पर		
	न्यूनतम	शून्य	शून्य
	अधिकतम	शून्य	शून्य

**ग) देश जोखिम प्रबंधन**

मूल कंपनी ने दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न देशों को दिए गए अपनी निवल विधिकृत ऋणों का विश्लेषण किया और ऐसे ऋणों की प्रतिशतता मूल कंपनी की कुल आस्तियों के 1% से भीतर ही है।

**4. आस्ति गुणवत्ता**

**क) अनर्जक आस्ति**

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) निवल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्ति (%)	0.96	0.97
(ii) सकल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेष राशि	2,598.97	2,006.82
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियाँ)	3,156.28	1,592.97
ग) वर्ष के दौरान कटौती	2,572.55	1,000.82
घ) इतिशेष	3,182.70	2,598.97

**b) Quantitative Exposures as on 31.03.12**

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	<b>Derivatives (Notional Principal Amount)</b>		
	a) For Hedging	233.99	4,157.43
	b) For Trading	NIL	NIL
2	<b>Marked To Market Positions</b>		
	a) Asset (+)	1.14	117.64
	b) Liability (-)	0.94	4.06
3	<b>Credit Exposure</b>	<b>25.73</b>	<b>147.84</b>
4	<b>Likely impact of 1% change in interest rates (100*PV01)</b>		
	a) On Hedging Derivatives	4.90	(80.81)
	b) On Trading Derivatives	NIL	NIL
5	<b>Maximum &amp; Minimum of 100*PV01 observed during year</b>		
	a) On Hedging		
	Minimum	-	5.16
	Maximum	-	10.73
	b) On Trading		
	Minimum	NIL	NIL
	Maximum	NIL	NIL

**c) Country Risk Management**

The Parent Company has analysed its net funded exposures to various countries as on 31.03.2012 and such exposures to countries is well within the stipulation of 1% of total assets of the Parent Company.

**4. ASSET QUALITY**

**a) Non-Performing Assets**

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) Net NPA to Net Advances (%)	0.96	0.97
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a. Opening balance	2,598.97	2,006.82
b. Additions (Fresh NPAs) during the year	3,156.28	1,592.97
c. Reductions during the year	2,572.55	1,000.82
d. Closing balance	3,182.70	2,598.97



(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(iii) निवल अनुत्पादक आस्तियों का संचलन		
क) प्रारंभिक शेषराशि	1,030.84	963.20
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,755.23	864.86
ग) वर्ष के दौरान कटौती	1,600.64	797.22
घ) इतिशेष	1,185.43	1,030.84
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन (मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
क) प्रारंभिक शेषराशि	1,501.33	997.16
ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,399.75	905.92
ग) अतिरिक्त प्रावधान का अपलेखन/पुनरांकन	969.81	401.75
घ) इतिशेष	1,931.27	1,501.33

ख) वर्ष 2011-12 के दौरान पुनः संरचित खातों के ब्याँरे

(₹ करोड़ों में)

पुनः संरचित खातों के विवरण				
		सी.डी.आर. तंत्र	एस.एम.ई.	अन्य
पुनःसंरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	5	1093	63076
	बकाया राशि	343.70	44.88	2,758.03
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास)	36.70	1.27	84.25
पुनःसंरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	-	12	83
	बकाया राशि	-	1.23	1.35
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास)	-	0.06	0.06
पुनःसंरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	-	2	21
	बकाया राशि	-	0.12	0.66
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास)	-	-	0.03
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	5	1107	63180
	बकाया राशि	343.70	46.23	2,760.04
	घाटा (उचित मूल्य में हुए हास)	36.70	1.33	84.34

नोट: मेसर्स एअर इंडिया लिमिटेड को संस्वीकृत कुल ₹ 1,100.00 करोड़ को अल्पावधि मीयादी ऋण/मीयादी ऋण के वित्तीय पुनःसंरचना पैकेज के अनुसार ऋणों की पुनःसंरचना की वजह से उचित मूल्य में हुए हास की राशि ₹ 127.82 करोड़ है। उचित मूल्य में हुए हास की राशि के लिए किए जाने वाले प्रावधान को 8 तिमाहियों में परिशोधित करने के लिए भा.रि.बैं. ने बैंकों को अनुमति प्रदान की है। तदनुसार, दि. 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार मूल कंपनी की बहियों में 1/8 का प्रावधान किया गया है जिसकी राशि ₹ 15.98 करोड़ है और अनुवर्ती तिमाहियों में प्रावधान की जानेवाली शेष राशि ₹ 111.84 करोड़ है।

ग) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) खातों की संख्या	शून्य	1
(ii) प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों को बिक्री किए गए खातों के कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	शून्य	0.93
(iii) कुल प्रतिलाभ	शून्य	1.13
(iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिलाभ	शून्य	शून्य
(v) निवल बही मूल्य के प्रति कुल लाभ/हानि	शून्य	0.20

घ) खरीदी गयी/विक्रय की गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्याँरे: शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ङ) मानक आस्तियों पर प्रावधान

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	262.81	24.55

मूल कंपनी ने पुनः संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत दबावग्रस्त मानक आस्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण प्रावधान के अंतर्गत मानक आस्ति हेतु ₹137.06 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया।

(₹ in Crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(iii) Movement of Net NPAs		
a. Opening balance	1,030.84	963.20
b. Additions during the year	1,755.23	864.86
c. Reductions during the year	1,600.64	797.22
d. Closing balance	1,185.43	1,030.84
(iv) Movement of Provisions for NPAs (Excl Prov on Std Assets)		
a. Opening balance	1,501.33	997.16
b. Provisions made during the year	1,399.75	905.92
c. Reduction during the year	969.81	401.75
d. Closing balance	1,931.27	1,501.33

b) Details of Accounts Restructured during the Year 2011-12

(₹ in crore)

Particulars of Accounts Restructured				
		CDR Mechanism	SME	Others
Standard Advances restructured	No. of borrowers	5	1093	63076
	Amount outstanding	343.70	44.88	2,758.03
	Sacrifice (diminution in the fair value)	36.70	1.27	84.25
Sub-Standard Advances restructured	No. of borrowers	-	12	83
	Amount outstanding	-	1.23	1.35
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0.06	0.06
Doubtful advances restructured	No. of borrowers	-	2	21
	Amount outstanding	-	0.12	0.66
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	-	0.03
Total	No. of borrowers	5	1107	63180
	Amount outstanding	343.70	46.23	2,760.04
	Sacrifice (diminution in the fair value)	36.70	1.33	84.34

Note: As per the financial restructuring package of short term loans/term loans aggregating to ₹ 1,100.00 crores sanctioned to M/s Air India Limited, the diminution in fair value (DMV) on account of restructuring of debts is ₹ 127.82 crores. Reserve Bank of India permitted Banks to amortize the provision required for diminution in the fair value of advances over 8 quarters. Accordingly 1/8<sup>th</sup> of the provision amounting to ₹ 15.98 crores have been provided in the books of the Parent Company as on 31.03.2012 and the balance amount to be provided in subsequent quarters works out to ₹ 111.84 Crores.

c) Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) No. of accounts	NIL	1
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to Securitisation Company/ Reconstruction Company	NIL	0.93
(iii) Aggregate consideration	NIL	1.13
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v) Aggregate gain/loss over net book value	NIL	0.20

d) Details of non-performing financial assets purchased / sold: Nil (Previous Year: Nil)

e) Provisions on Standard Assets

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provisions towards Standard Assets	262.81	24.55

Parent Company has made additional provision of ₹ 137.06 crores (previous year NIL) being prudential provision in respect of stressed standard assets under restructure process.



5. कारोबार अनुपात

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय की प्रतिशतता (%)	9.42%	8.29%
(ii)	कार्यशील निधियों की तुलना में अब्याजी आय की प्रतिशतता (%)	0.66%	0.66%
(iii)	कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ की प्रतिशतता (%)	2.06%	1.99%
(iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.81%	0.76%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशि + अग्रिम) (₹ लाख में)	1,074.10	875.44
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	5.29	3.99

5. BUSINESS RATIOS

Sl. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	9.42%	8.29%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds (%)	0.66%	0.66%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds (%)	2.06%	1.99%
(iv)	Return on Assets (%)	0.81%	0.76%
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Lacs)	1,074.10	875.44
(vi)	Profit per employee (₹ in Lacs)	5.29	3.99

6. आस्ति देयता प्रबंधन / ASSET LIABILITY MANAGEMENT

आस्तियों और देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न / MATURITY PATTERN OF CERTAIN ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

ऋण और अग्रिम, निवेश, जमा राशि और उधार का परिपक्व पैटर्न / THE MATURITY PATTERN OF LOANS & ADVANCES, INVESTMENTS, DEPOSITS AND BORROWINGS												
(भारि.बैं. द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न परिपक्वता बकेट के अंतर्गत) / (UNDER VARIOUS MATURITY BUCKETS PRESCRIBED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)												
क्रम सं./Sl. No.	As on दि. 31.03.2012 को अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2-7 day	8-14 दिन 8-14 days	15-28 दिन 15-28 days	29 दिनों से और 3 महीने तक 29 days to 3 months	3-6 महीने >3-6 months	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक >6 months to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक >1 year to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक >3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक >5 years	कुल Total
1	जमा राशि/Deposits	1448.64	4201.69	2380.90	3540.99	26560.97	23877.39	22610.62	64424.64	6750.41	2144.81	157941.05
2	अग्रिम/Advances	3547.82	2394.85	2066.63	3203.18	10284.11	8485.30	10139.45	45849.97	16720.01	20928.87	123620.17
3	निवेश/Investments	0.00	603.58	492.58	84.12	1185.60	456.91	149.36	4883.87	5471.51	27487.53	40815.06
4	उधार/Borrowings	0.00	0.15	0.00	244.07	1104.69	512.82	1098.44	1226.95	4217.45	2185.33	10589.90
5	विदेशी मुद्रा आस्तियां/Foreign Currency Assets	1435.33	1479.45	1145.24	1266.59	2795.65	2092.28	244.86	1270.30	1802.70	2297.93	15830.34
6	विदेशी मुद्रा देयताएँ/Foreign Currency Liabilities	711.05	1038.61	766.87	1558.79	4190.82	2490.18	1098.61	475.44	3052.13	0.00	15382.49

नोट: उपर्युक्त मद सं. 5 और 6 को उक्त मद सं 1 से 4 के संबंधित शीर्षों में शामिल किया गया है। / Note: Item no 5 & 6 above are included in respective heads in item no 1 to 4 above

7. निवेश

क. स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) प्रत्यक्ष निवेश	14,278.40	11,206.50
(i) आवासीय बंधक - उधारकर्ता द्वारा निवास करनेवाली या किए जाने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित उधार;	8,583.43	8,346.21
इनमें से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अंतर्गत शामिल करने हेतु पात्र वैयक्तिक आवास ऋण	7,433.30	6,332.06
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (निधि आधारित और गैर निधि आधारित) वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन खुदरा स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक भवन, बहु-पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक भवन, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अभिग्रहण, विकास एवं निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा रक्षित उधार। निवेश में गैर-निधि आधारित (एन.एफ.बी.) सीमाएँ भी शामिल होंगी; * लंदन शाखा से संबंधित ₹ 23.98 करोड़ के सी.आर.ई. निवेश भी शामिल हैं।	4,807.41*	2,427.94
(iii) गैर सी.आर.ई. को अन्य प्रत्यक्ष ऋण	887.56	432.35
(iv) बंधक समर्थित जमानत एम.बी.एस. में निवेश और अन्य प्रतिभूतीकृत निवेश - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा	0.00	0.00
ख) परोक्ष निवेश	2,495.14	2,842.89
राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) और आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश		
स्थायर संपदा क्षेत्र को कुल ऋण	16,773.54	14,049.39

7. EXPOSURES

A. Exposure to Real Estate Sector

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
a) Direct Exposure	14,278.40	11,206.50
(i) Residential Mortgages-Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	8,583.43	8,346.21
Out of the above, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	7,433.30	6,332.06
(ii) Commercial Real Estate (Fund-based & non-fund based) Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse spaces, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure would also include non-fund based limits.	4,807.41*	2,427.94
* Includes CRE exposure of ₹ 23.98 crores pertaining to London Branch.		
(iii) Any other Direct Exposure to Non CRE	887.56	432.35
(iv) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposure a. Residential b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
b) Indirect Exposure	2,495.14	2,842.89
Fund-based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		
<b>Total Exposure to Real Estate Sector</b>	<b>16,773.54</b>	<b>14,049.39</b>





ख. पूंजी बाजार में निवेश

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी निधियों को नेगम ऋण में निवेश नहीं किया गया है	106.84	114.94
(ii) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या इक्विटी शेयरों (आई.पी.ओ./ई.एस.ओ.पी.एस. सहित) परिवर्तनीय बंध पत्रों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, म्यूच्युअल फंड की यूनिटों में और इक्विटी उन्मुख निवेश करने हेतु बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	0.20	0.16
(iii) अन्य उद्देश्यों के लिए दिए गए ऋण जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	0.00	0.00
(iv) किसी अन्य उद्देश्य के लिए उस सीमा तक दिए गए अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों की संपादित प्रतिभूति द्वारा रक्षित हो, यानी, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बंध पत्रों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों से भिन्न प्राथमिकता प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतया रक्षित नहीं करती है।	0.00	0.00
(v) स्टॉक ब्रोकरों को दिए गए जमानती और या बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा शेयर विपणनकर्ताओं की ओर से जारी की गयी गारंटियां	74.23	26.45
(vi) शेयरों/बंध पत्रों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति के लिए बेजमानती आधार पर कंपनी को दिए गए ऋण	1,051.85	1,223.21
(vii) प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण	0.00	0.00
(viii) शेयरों या परिवर्तनीय बंध पत्रों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल फंड की यूनिटों के प्राथमिक निर्गमों के संबंध में मूल कंपनी द्वारा उठायी गयी हमीदारी प्रतिबद्धता	0.00	0.00
(ix) मार्जिन व्यापार के लिए स्टॉकब्रोकरों को दी गयी वित्तीय सहायता	0.00	0.00
(x) जोखिम पूंजी को दिए गए सभी ऋण (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	152.33	171.87
<b>पूंजी बाजार में किए गए कुल निवेश</b>	<b>1385.44</b>	<b>1536.63</b>

ग. जोखिम श्रेणी वार विदेशी निवेश

(₹ करोड़ों में)

जोखिम संवर्ग	31 मार्च 2012 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2012 को धारित प्रावधान	31 मार्च 2011 को निवेश (निवल)	31 मार्च 2011 को धारित प्रावधान
नाण्य	3,577.88	-	2,046.60	-
कम	1,509.31	-	2,036.05	-
मध्यम कम	45.93	-	30.49	-
मध्यम	0.23	-	5.80	-
मध्यम अधिक	9.61	-	1.98	-
अत्यधिक	शून्य	-	शून्य	-
प्रतिबंधित	7.57	-	1.45	-
ऋणेतार	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>5,150.53</b>	-	<b>4,122.37</b>	-

घ. मूल कंपनी द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) में अध्याहरण के ब्यौरे

मूल कंपनी ने किसी भी ग्रुप खातों से संबंधित विवेकपूर्ण ऋण सीमाओं में अध्याहरण नहीं किया है। तथापि निम्नलिखित एकल उधारकर्ता खातों के संबंध में निर्दिष्ट पूंजीगत निधियों 10%/15% की उधार सीमा का अध्याहरण किया गया है।

(₹ करोड़ों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	दि.31.03.2012 की स्थिति के अनुसार उधार	पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)	अध्याहरण की तारीख	अध्याहरण की तारीख तक उधार	अध्याहरण की तारीख को पूंजीगत निधियों की प्रतिशतता (%)
1.	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	1,145.58	11.03	26.07.2011	1,250.00	12.03
2.	एच.डी.एफ.सी.	1,550.00	14.92	30.06.2011	2,050.00	19.73

B. Exposure to Capital Market

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds, the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	106.84	114.94
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds.	0.20	0.16
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds are taken as primary security	0.00	0.00
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	0.00	0.00
(v) Secured and unsecured advances to Stock brokers and guarantees issued on behalf of Stock brokers and Market Makers	74.23	26.45
(vi) Loans sanctioned to Corporates against the security of shares/ bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting Promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	1,051.85	1,223.21
(vii) Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues.	0.00	0.00
(viii) Underwriting commitments taken up by the Parent Companies in respect of primary issues of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds.	0.00	0.00
(ix) Finance to Stockbrokers for margin trading	0.00	0.00
(x) All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	152.33	171.87
<b>Total Exposure to Capital Market</b>	<b>1385.44</b>	<b>1536.63</b>

C. Risk Category wise Country Exposure

(₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31 <sup>st</sup> March 2012	Provision held as at 31 <sup>st</sup> March 2012	Exposure (net) as at 31 <sup>st</sup> March 2011	Provision held as at 31 <sup>st</sup> March 2011
Insignificant	3,577.88	-	2,046.60	-
Low	1,509.31	-	2,036.05	-
Moderately Low	45.93	-	30.49	-
Moderate	0.23	-	5.80	-
Moderately High	9.61	-	1.98	-
High	NIL	-	NIL	-
Very High/Restricted	7.57	-	1.45	-
Off-credit	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5,150.53</b>	-	<b>4,122.37</b>	-

D. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Parent Company.

The Parent Company has not exceeded the prudential credit exposure limits in respect of any group accounts. However, in respect of the following single borrower accounts, the exposure ceiling of 10%/15% of capital funds has been exceeded:

(₹ in crores)

Sl. No.	Name of the borrower	Exposure as on 31-03-2012	% to Capital funds	Date of exceeding	Exposure as on date of exceeding	% to Capital funds as on exceeding
1	Reliance Capital Ltd.	1,145.58	11.03	26.07.2011	1,250.00	12.03
2	HDFC Ltd.	1,550.00	14.92	30.06.2011	2,050.00	19.73



**ड. बेजमानती अग्रिम**

उन अग्रिमों की राशि जिनके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है:

कुल अग्रिमों की राशि जहां अमूर्त प्रतिभूतियां ली गयी है जैसे अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों इत्यादि पर प्रभार	शून्य
ऐसी अमूर्त संपाश्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	लानू नहीं

**8. विविध**

क) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

(₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय कर, संपत्ति कर इत्यादि (डी.टी.ए./डी.टी.एल. और पिछले वर्ष का समायोजन) के लिए प्रावधान	113.93	237.58

ख) वर्ष के दौरान भा.रि.बैं. द्वारा मूल कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

**लेखाकरण मानकों के अनुसार प्रकटीकरण (एएस)**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आई सी ए आई) द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानकों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:

**i) लेखाकरण मानक 9 – राजस्व की पहचान**

अनुसूची - 17, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अंतर्गत लेखाकरण नीति सं. 8 के अनुसार आय की कुल मदों को सांविधिक अपेक्षा या महत्व के कारण उनको उगाही के आधार पर पहचान की गयी है।

**ii) विदेशी विनिमय दरों में होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव (एएस 11)**

क) वर्ष की निवल लाभ में, ₹13.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.72 करोड़ हानि) जो एफ.एक्स. आस्तियों और देयताओं के एएस 11 मूल्यांकन के कारण हुए विनिमय अंतर के अंतर्गत दर्ज किये गये लाभ है।

ख) विनियामक निर्देशों के अनुसार, फोरेक्स आस्तियों और देयताओं से संबंधित लेखाकरण मानक (ए.एस. 11) का पालन किया गया ताकि तुलन-पत्र में इसका उचित और सही प्रकटीकरण किया जा सके।

**iii) कर्मचारी लाभ (एएस 15)**

मूल कंपनी ने संशोधित लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन किया और तदनुसार 31-3-2007 के दौरान ₹ 298.68 करोड़ की राशि को अंतर्वर्ती देयता के रूप में गणना में लिया गया। कुल अंतर्वर्ती देयताओं में से, मूल कंपनी ने ₹ 59.74 करोड़ (1/5) को चालू वर्ष के लाभ व हानि लेखे को प्रभारित किया गया।

भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मूल कंपनी ने कर्मचारियों से संबंधित पेंशन और उपदान के संबंध में ₹726.90 करोड़ की बढ़ाई गई देयता का 1/5 (₹ 145.38 करोड़) अंश का परिशोधन किया। तदनुसार, मूल कंपनी ने ₹ 145.38 करोड़ को चालू वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया है और बाकी बची राशि ₹436.14 करोड़ को अनुवर्ती वर्षों में आभेहित किया जाएगा।

परिनिश्चित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की प्रारंभिक शेष और इतिशेष का समाधान और वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रत्येक मद पर पड़ने वाले प्रभाव निम्नवत् है:

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
प्रारंभिक शेष राशि	3701.36	901.23	211.75
ब्याज लागत	301.47	71.23	16.17
पिछली सेवा की लागत	-	-	-
चालू सेवा लागत	616.89	61.55	12.63
प्रदत्त लाभ	309.30	126.26	43.05
बीमाकिक (लाभ)/ दायित्व पर हानि	(329.01)	27.51	46.71
इति शेष	3981.41	935.26	244.21

**E. Unsecured Advances**

Amount of advance for which, intangible securities has been taken:

The total amount of advances for which intangible securities such as charge over rights, licences, authority etc., has been taken.	NIL
Estimated value of such intangible collaterals.	Not Applicable

**8. MISCELLANEOUS**

a) Amount of provisions made for income tax during the year

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Income Tax, Wealth tax etc. (Net of DTA/DTL and adjustment for earlier years)	113.93	237.58

b) During the year no penalty was imposed by RBI on the Parent Company.

**DISCLOSURE IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS)**

The disclosures under Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) (to the extent applicable) are given below:

**i) Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**

As per Accounting Policy no. 8, given in schedule – 17, Significant Accounting Policies, certain items of income are recognised on realisation basis on account of statutory requirement or on account of materiality.

**ii) Effect of changes in Foreign Exchange Rate (AS 11):**

a) The net profit for the year includes an amount of ₹ 13.54 crores Loss, (₹ 1.72 Cr. Loss for the previous year) being the loss booked under difference in Exchange on account of AS-11 valuation of FX Assets & Liabilities.

b) In terms of Regulatory directives, Accounting Standard (AS 11) in respect of Forex Assets and Liabilities has been implemented to ensure a fair and true disclosure of the value of the same in the Balance-Sheet.

**iii) Employee Benefits (AS 15)**

Parent Company has complied with the revised Accounting Standard 15 and accordingly a sum of ₹ 298.68 crores has been considered as transitional liability as on 31.03.2007. Out of total transitional liability, the Parent Company has charged ₹ 59.74 crores (one fifth) to the current year's profit and loss account being the last year.

In accordance with the RBI guidelines, the Parent Company has amortised 1/5<sup>th</sup> (₹ 145.38 crores) of the enhanced liability of ₹ 726.90 crores from the year 2010-11 in respect of pension and gratuity liabilities relating to continuing employees. Accordingly, the Parent Company has charged ₹ 145.38 crores to the current year profit and loss account and the balance amount of ₹ 436.14 crores will be absorbed in future years.

A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

(₹ in crores)

Defined Benefits details	Pension	Gratuity	Privilege Leave
Opening Balance	3701.36	901.23	211.75
Interest Cost	301.47	71.23	16.17
Past Service Cost	-	-	-
Current Service Cost	616.89	61.55	12.63
Benefit Paid	309.30	126.26	43.05
Actuarial (Gain) / Loss on Obligation	(329.01)	27.51	46.71
Closing Balance	3981.41	935.26	244.21



लाभ व हानि लेख विवरण में अभिनिर्धारित कुल व्यय:

(₹ करोड़ों में)

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
चालू सेवा लागत	616.89	61.55	12.63
ब्याज लागत	301.47	71.24	16.17
आयोजित आस्ति पर प्रत्याशित प्राप्त लाभ	(252.23)	(73.08)	0.00
निवल बीमांकिक(लाभ)/अवधि के दौरान अभिनिर्धारित हानि	(641.29)	73.18	46.71
लाभ व हानि विवरण में अभिनिर्धारित व्यय	24.85	132.89	75.51

तुलन पत्र की तारीख को प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक अनुमान:

परिनिश्चित लाभ के ब्यौरे	पेंशन	उपदान	साधिकार छुट्टी
बढ़ता दर	8.5	8.5	8.5
भावी लागत/वेतन के वृद्धि	5	5	5
हास दर	प्रति हजार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हजार रुपये के लिए 10 प्र.व.	प्रति हजार रुपये के लिए 10 प्र.व.
योजनाबद्ध आस्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.5%	8.5%	-

चालू अवधि के लिए परिनिश्चित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य :

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2012
पेंशन	3,981.41
उपदान	935.26
साधिकार छुट्टी	244.21

विश्लेषण के बाद देयताओं में निम्नलिखित कमी/(अधिशेष) पायी गयी:

(₹ करोड़ों में)

	31.03.2012
पेंशन	384.06
उपदान	25.93
साधिकार छुट्टी	34.27

iv) खण्डवार रिपोर्टिंग (एस 17)/Segment Reporting (AS 17)

(₹ in crores)

कारोबार खण्ड/Business Segments	राजकोष/Treasury		कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग/ Corporate / Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग/Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल/Total	
	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY	चालू वर्ष/CY	पिछला वर्ष/PY
परिणाम (परिचालन लाभ)/Result (Op. Profit)	610	465	1542	1058	1132	936	63	291	3347	2750
अनांशित लाभ/Unallocated Expenses	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1920	1464
परिचालन लाभ/Operating Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	3347	2750
आय कर/Income Tax	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	114	238
असाधारण लाभ/हानि/Extraordinary Profit / Loss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध लाभ/Net Profit	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1313	1048
अन्य सूचना/Other Information										
खण्डवार आस्तियां/Segment Assets	40815	35068	82874	70532	40746	37818	16681	12427	181116	155845
अनांशित आस्तियां/Unallocated Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1352	693
कुल आस्तियां/Total Assets	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	182468	156538
खण्डवार देयताएं/Segment Liabilities	38802	32654	78787	68477	38736	36098	15935	11697	172260	148926
अनांशित देयताएं/Unallocated Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	1163	558
कुल देयताएं/Total Liabilities	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	173423	149484

नोट: भौगोलिक रूप से खण्डवार प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विदेशी शाखा के परिचालन निर्दिष्ट मानदण्ड से कम है।

Note: Geographical segment disclosure is not required to be made since the operation from foreign branch is less than the prescribed norms.



- v) संगत पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)
- अ) संगत पार्टियों के नाम और उनके संबंध
- क) अनुषंगी:  
सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड
- ख) सहायक संस्थाएं:  
प्रथमा बैंक  
कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक  
आंध्रा प्रगति ग्रामीण बैंक  
नाथ मलबार ग्रामीण बैंक  
गुडगाँव ग्रामीण बैंक
- ग) प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी:

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	पदनाम	अवधि
श्री म. गि. संघवी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	दिनांक 01.03.2012 से
श्री बसंत सेठ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29.02.2012 को सेवा निवृत्त
श्री रवि चटर्जी	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 01.09.2010 से
श्री वी के नागर	कार्यपालक निदेशक	दि. 31.07.2011 को सेवा निवृत्त
श्री एम आंजनेय प्रसाद	कार्यपालक निदेशक	दिनांक 24.08.2011 से

आ) संगत पार्टी लेन-देन (₹ लाखों में)

प्रमुख प्रबंधक वर्ग के कर्मचारी	31.03.2012	31.03.2011
वेतन और भत्ते	55.52	51.82

एएस 18 के पैरा 9 के अनुसार अनुषंगी और सहायक संस्थाओं के लेन-देन प्रकट नहीं किए गए हैं।

vi) समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को एएस 21 के अनुसार और मूल कंपनी की अनुषंगी संस्था मेसर्स सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

vii) आय कर का लेखाकरण (एएस 22)

मूल कंपनी ने ए एस 22 की अपेक्षाओं का पालन किया है। वर्ष के दौरान मूल कंपनी ने निम्नलिखित आस्तियों एवं देयताओं पर डी.टी.ए. और डी.टी.एल. की पहचान की है। (दि. 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार डी.टी.एल. की शेषराशि अचल आस्तियों पर मूल्यहास की तुलना में ₹2.09 करोड़ रही)

आस्थगित कर आस्तियां	(₹ करोड़ों में)
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	7.16
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	79.16
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	221.68
पुनःसंरचित आस्तियों पर ब्याज के लिए प्रावधान	114.07
अन्य	28.06
<b>कुल</b>	<b>450.13</b>
आस्थगित कर देयताएं	(₹ करोड़ों में)
प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर मूल्याहास	158.21
प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज जो देय नहीं है	254.71
<b>कुल</b>	<b>412.92</b>
निवल डी.टी.ए.	37.21

v) Related Party Disclosures (AS 18)

A) Names of Related Parties and their relationship:

- a) **Subsidiary:**  
Syndbank Services Limited
- b) **Associates:**  
Prathama Bank  
Karnataka Vikas Grameena Bank  
Andhra Pragathi Grameena Bank  
North Malabar Grameena Bank  
Gurgaon Grameena Bank

c) Key Management Personnel:

Key Management Personnel	Designation	Period
Sri M G Sanghvi	Chairman & Managing Director	From 01.03.2012
Sri Basant Seth	Chairman & Managing Director	Retired on 29.02.2012
Sri Ravi Chatterjee	Executive Director	From 01.09.2010
Sri V K Nagar	Executive Director	Retired on 31.07.2011
Sri M Anjaneya Prasad	Executive Director	From 24.08.2011

B) Related Party Transactions (₹ in Lakh)

Key Management Personnel	31.03.2012	31.03.2011
Salary and Allowances	55.52	51.82

Transaction with Subsidiary and Associates have not been disclosed in terms of para 9 of AS 18.

vi) Consolidated Financial Statements (AS 21)

The consolidated financial statements for the year ended 31<sup>st</sup> March 2012 have been prepared in accordance with AS 21 and on the basis of the audited financial statements of the subsidiary of the Parent Company, M/s Syndbank Services Ltd.

vii) Accounting for Taxes on Income (AS 22)

The Parent Company has complied with the requirements of AS 22. During the year Parent Company has recognised DTA and DTL on various assets and liabilities as detailed below. (DTL balance as on 31.03.2011 stood at ₹ 2.09 crores towards depreciation on fixed Assets)

Deferred Tax Assets	(₹ in crores)
Depreciation on Fixed Assets	7.16
Provision for leave encashment	79.16
Provision for Standard Assets	221.68
Provision for Interest on Restructured Assets	114.07
Others	28.06
<b>Total</b>	<b>450.13</b>
Deferred Tax Liabilities	(₹ in crores)
Depreciation on valuation of securities	158.21
Interest accrued but not due on securities	254.71
<b>Total</b>	<b>412.92</b>
<b>Net DTA</b>	<b>37.21</b>



9. अन्य प्रकटीकरण

क) प्रावधान और आकस्मिक व्यय (₹ करोड़ों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	38.53	38.74
एन.पी.ए. के लिए प्रावधान	1,399.74	929.04
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	262.81	24.55
आय कर/संपत्ति कर आदि के लिए प्रावधान	113.93	237.58
बढ़ते खाते डाले गए अशोध्य ऋण	46.74	52.24
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय	171.65	419.68
<b>कुल</b>	<b>2,033.40</b>	<b>1701.83</b>

ख) अस्थायी प्रावधान के संचलन निम्नप्रस्तुत है: (₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.12	31.03.11
क) अस्थायी प्रावधान लेखे में प्रारंभिक शेष	306.63	306.63
ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	शून्य	शून्य
ग) लेखा वर्ष के दौरान किए गए आहरण की राशि	शून्य	शून्य
घ) अस्थायी प्रावधान लेखे में इतिशेष	306.63	306.63

ग) आरक्षित निधियों में किए गए आहरण

मूल कंपनी ने वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से कोई आहरण नहीं किया है।

घ) ग्राहक से प्राप्त शिकायतों की स्थिति

(i) ग्राहकों की शिकायतें

1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	284
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	2998
3.	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की सं.	3140
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	142

(ii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

1.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	1
2.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की सं.	5
3.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	6
4.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की सं.	0

ड) मूल कंपनी द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र:

क) अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई और शाखाओं द्वारा हमारी लंदन शाखा के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र:

मूल कंपनी ने यू.के. के एफ.एस.ए. (वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण) को वचन दिया है कि एफ.एस.ए. यू.के. की नयी चलनिधि प्रणाली के अंतर्गत लंदन शाखा के "संपूर्ण चलनिधि संशोधन" के लिए किए गए आवेदन के संबंध में अपनी लंदन शाखा को हमेशा चलनिधि संसाधन उपलब्ध कराएगा।

अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग, मुंबई ने, निदेशक मंडल/भा.रि.बैं. के अनुमोदन से यू.एस.डॉलर 75 मिलियन का सहूलियत पत्र जारी किया और यू.एस. डॉलर 100 मिलियन का प्रतिबद्धता पत्र (दि. 31.12.12 तक वैध) जारी किया।

ख) कॉर्पोरेट ग्राहकों को क्रेता उधार सुविधा के उद्देश्य से शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र

शाखाओं ने अपने नैगम ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र ऋण प्रदान करने के लिए दि. 31-03-2012 के स्थिति के अनुसार ₹65.33 करोड़ के सहूलियत पत्र जारी किया है।

9. OTHER DISCLOSURES

a) Provisions and Contingencies

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for depreciation on investment	38.53	38.74
Provision towards NPA	1,399.74	929.04
Provision towards Standard Assets	262.81	24.55
Provision towards Income tax, Wealth tax	113.93	237.58
Bad Debts written off	46.74	52.24
Other provision and contingencies	171.65	419.68
<b>Total</b>	<b>2,033.40</b>	<b>1701.83</b>

b) The movement of Floating Provision is furnished below: (₹ in crore)

Particulars	31.03.12	31.03.11
(a) Opening Balance in the floating provision account	306.63	306.63
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c) Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
(d) Closing Balance in the floating provision account	306.63	306.63

c) Draw down from reserves

The Parent Company has not made any draw down from the Reserves during the year.

d) Status of Customer Complaints

(i) Customer Complaints

1	No. of complaints pending at the beginning of the year	284
2	No. of complaints received during the year	2998
3	No. of complaints redressed during the year	3140
4	No. of complaints pending at the end of the year	142

(ii) Awards passed against the Parent Company by the Banking Ombudsman

1	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
2	No. of awards passed by the Banking Ombudsman during the year	5
3	No. of awards implemented during the year	6
4	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0

e) Letters of comfort issued by the Parent Company

a) Letters of Comfort issued in favour of overseas branch at LONDON by International Division, Mumbai & Branches.

The Parent Company has given an undertaking to FSA (Financial Services Authority) of U.K. with approval from the Board of Directors/RBI, that it will make available liquidity resources at all times to its London branch (if needed) in connection with application made for "Whole form liquidity modification" of the London Branch under the new liquidity regime of FSA U.K.

International Division Mumbai issued Letter of Comfort amounting to US\$ 75 Mio and also issued a letter of commitment amounting to USD 100.00 Mio (valid up to 31.12.2012) with approval from the Board of Directors of the Bank.

b) Letters of Comforts issued by our Branches for the purpose of providing Buyer's Credit facility to Corporate Clients:

Branches have issued Letters of Comfort on behalf of their corporate customers in favour of London branch for providing Buyer's credit, to the extent of ₹ 65.33 crores as on 31.03.2012.





कॉर्पोरेट ग्राहकों को क्रेता के साख पत्र पर ऋण प्रदान करने के लिए शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में जारी किए गए सहूलियत पत्र की राशि ₹986.74 करोड़ है। दि. 31-03-2012 की स्थिति के अनुसार हमारी शाखाओं द्वारा जारी किए गए सहूलियत पत्र की सकल बकाया राशि ₹1052.07 करोड़ है।

सहूलियत पत्र जारी करते समय उसकी गुणवत्ता, साख श्रेणी निर्धारण/वैश्विक श्रेणी निर्धारण, प्रतिभूति, संपाश्विक प्रतिभूति तथा अंतर्निहित संपर्क संस्थाओं को गणना में लिया गया है, इसलिए सहूलियत पत्रों के कारण से हुए वित्तीय प्रभाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है।

**च) कवरेज अनुपात हेतु प्रावधान:**

वि. वर्ष 2010-12 के लिए प्रावधान कवरेज अनुपात 80.06% है।

**छ) बैंकएश्योरेन्स कारोबार:**

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंकएश्योरेन्स कारोबार से प्राप्त आय ₹749.33 लाख है जो पिछले वर्ष ₹704.88 लाख थी।

**अ) जमाराशियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ों में)**

20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल जमाराशियाँ	23,439.20
मूल कंपनी के कुल जमाराशियों में 20 बड़े जमाकर्ताओं की प्रतिशतता	15.87%

**आ) अग्रियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ों में)**

20 बड़े जमाकर्ताओं को कुल अग्रिम	19,888.21
मूल कंपनी के कुल अग्रियों में 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रियों की प्रतिशतता	15.83%

**इ) उधार का संकेन्द्रण (₹ करोड़ों में)**

20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल उधार	26,806.87
उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मूल कंपनी द्वारा दिए गए उधार में 20 बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के उधार की प्रतिशतता	17.18%

**ई) अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण (₹ करोड़ों में)**

चार बड़े एन.पी.ए. खातों को दिए गए कुल उधार	746.26
--	--------

**झ) क्षेत्रवार एन.पी.ए.**

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत कुल अग्रियों की तुलना में एन.पी.ए. की प्रतिशतता
1.	ऋषि और संबद्ध कार्यकलाप	2.88
2.	उद्योग (माइक्रो और लघु, मध्यम और बड़े उद्योग)	1.16
3.	सेवाएं	5.29
4.	वैयक्तिक ऋण	3.13

**ञ) अनर्जक आस्तियों का संचलन (₹ करोड़ों में)**

दि. 1 अप्रैल 2011 को कुल अनर्जक आस्तियां	2,598.97
वर्ष के दौरान संवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां)	3,156.28
उप-जोड़ (क)	5,755.25
घटाईए	
i) स्तरोन्मयन	843.73
ii) वसूलियां (स्तरोन्मत्त खातों से की गयी वसूलियों को छोड़कर)	838.03
iii) अपलेखन	890.79
उप-जोड़ (ख)	2,572.55
दि. 31 मार्च 2012 को कुल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	3,182.70

Letters of Comfort issued by the branches for the purpose of providing buyers credit facility to corporate clients, in favour of various other banks, is ₹ 986.74 crores as on 31.03.2012.

The Outstanding Gross Amount of Letters of Comfort issued by our Branches as at 31.03.2012 stands at ₹ 1,052.07 crores.

The financial impact on account of letters of comfort issued may not be significant when the quality of Letters of Comfort, Credit Ratings / World Rankings, Securities, Collaterals and Counter Guarantees available of / from the underlying reference entities are taken into account.

**f) Provision Coverage Ratio:**

The provision coverage ratio for the financial Year 2011-12 is 80.06%.

**g) Bancassurance Business**

Income on the bancassurance Business during the year 2011-12 is ₹ 749.33 lakhs against ₹ 704.88 lakhs in previous year.

**h) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs.**

**A. CONCENTRATION OF DEPOSITS (₹ in crore)**

Total Deposits of twenty largest depositors	23,439.20
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Parent Company	15.87%

**B. CONCENTRATION OF ADVANCES (₹ in crore)**

Total Advances to twenty largest borrowers	19,888.21
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to total Advances of the Parent Company	15.83%

**C. CONCENTRATION OF EXPOSURES (₹ in crore)**

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	26,806.87
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to total Exposure of the Parent Company on borrowers/customers	17.18%

**D. CONCENTRATION OF NPAs (₹ in crore)**

Total Exposure to top four NPA accounts	746.26
---	--------

**i) Sector-wise NPAs**

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.88
2	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	1.16
3	Services	5.29
4	Personal Loans	3.13

**j) Movement of NPAs (₹ in crore)**

Gross NPAs as on 1st April 2011	2,598.97
Additions (Fresh NPAs) during the year	3,156.28
Sub total (A)	5,755.25
Less	
(i) Upgradations	843.73
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	838.03
(iii) Write-offs	890.79
Sub total (B)	2,572.55
Gross NPAs as on 31st March 2012 (A-B)	3,182.70



ट) विदेशी आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

विवरण (दि. 31.03.2012 को)	रकम (₹ करोड़ों में)
कुल आस्तियां	15,059.80
कुल अनर्जक आस्तियां	31.78
कुल एनपीआई	25.42
कुल राजस्व	535.65

ठ) तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी. (लेखाकरण मानदण्ड के अनुसार जिनको समेकित करना है)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

ड) अन्य

i) अचल आस्तियाँ

मूल कंपनी के कुछ परिसरों के मामले में अधिकारों के हस्तांतरण संबंधी प्रलेखन औपचारिकताएँ अभी पूरी की जानी हैं। फिर भी प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार अपने स्वत्वाधिकार को प्रमाणित करने के प्रलेख मूल कंपनी के पास हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान (पिछले पुनर्मूल्यांकन वर्ष 2006-07 में किया गया) मूल कंपनी के निजी परिसर (लंदन शाखा को छोड़कर) को अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा करवाए गए मूल्यांकन के आधार पर उनका पुनर्मूल्यांकन करवाया गया है। ऐसे मूल्यांकन से हुई कुल अधिशेष रकम ₹644.07 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखे में जमा किया गया। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर किए गए अतिरिक्त मूल्यह्रास की कुल राशि ₹32.56 करोड़ को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि लेखे में समायोजित किया गया।

ii) निवेश

(क) एच.टी.एम. श्रेणी में रखी गयी ₹6,97,46,250.00 की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ को लाभ व हानि लेखे में लिया गया और तदनंतर पूंजीगत आरक्षित निधि लेखे में विनियोजित किया गया।

(ख) एच.टी.एम. श्रेणी की प्रतिभूतियों पर ₹ 58,17,27,342.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 60,77,42,763.02 करोड़) के परिशोधन प्रभार को लाभ व हानि लेखे में नामे डाला गया और उसे भा.रि.बैं. के मास्टर परिपत्र के अनुसार अनुसूची-13, अर्जित ब्याज मद सं. II के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

iii) बंधपत्र/पूँजी जारी करने से संबंधित ब्याँरे

दि. 31.03.2012 वर्ष के दौरान मूल कंपनी ने जीवन बीमा निगम को और उनकी विभिन्न योजनाओं को अधिमानी आधार पर सेबी आइ.सी.डी.आर.विनियमावली के विनियम 76(4) के अनुसार ₹104.15 (एक सौ चार और पैसा पंद्रह मात्र) की प्रीमियम दर प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्यवाले कुल ₹327.20 करोड़ के 2,86,64,284 करोड़ इक्विटी शेयर आबंटित किया।

iv) पिछले वर्ष के आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया गया है वहां उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

k) Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars (31.03.2012)	Amount (₹ in crore)
Total Assets	15,059.80
Total NPAs	31.78
Total NPIs	25.42
Total Revenue	535.65

l) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

m) OTHERS

i) Fixed assets

In respect of certain premises of the Parent Company, documentation formalities as to transfer of title are yet to be completed. However the Parent Company holds documents to prove its title as per the legal opinions obtained.

The Parent Company owned premises (except at London branch) have been revalued during the year 2011-12 (last revaluation done in the year 2006-07) at value determined based on the appraisal by approved valuers. Surplus arising at such valuation aggregating to ₹ 644.07 crores is credited to revaluation reserves. Additional depreciation aggregating to ₹ 32.56 crores on the revalued assets has been adjusted to the revaluation reserve.

ii) Investments

(a) Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹ 6,97,46,250.00 has been taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated towards Capital Reserve Account net of Tax.

(b) The amortization charges of ₹ 58,17,27,342.62 (previous year ₹ 60,77,42,763.02) on the HTM category of securities is debited to Profit and Loss Account and reflected in Schedule-13, Interest Earned : Item II – Income on Investments as a deduction as per RBI Master Circular.

iii) Details of Bonds/Capital Issue

During the year ended 31.03.2012, Parent Company has allotted 2,86,64,284 equity shares of face value of ₹ 10/- each for cash at premium of ₹ 104.15 (Rupees one hundred four and paise fifteen only) determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations aggregating to ₹ 327.20 crore, on preferential basis to LIC of India and its various schemes.

iv) Previous year figures

Previous year figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to conform to the current year's classification.



**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण**  
**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012**

(₹ हजारों में/ ₹ in thousands)

		31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
	<b>परिचालन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता</b> <b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
	वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	15268,35,21	11450,85,89
	अन्य आय/Other Income	1075,96,52	915,13,97
	घटाइए/Less:		
	वर्ष के दौरान जमा, उधार राशियों आदि पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposits, Borrowings etc.	9886,49,35	6770,39,70
	परिचालन व्यय तथा प्रावधान और आकस्मिक व्यय Operating Expenses and Provision & Contingencies	4728,50,20	4011,63,37
	आय पर कर/Taxes on income	114,36,87	237,99,44
	जोड़िए/Add:		
	वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास/Depreciation charged during the year	66,04,75	70,97,41
I.	<b>परिचालनों से उत्पन्न नकदी लाभ</b> (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) <b>CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS</b> (Prior to changes in operating Assets & Liabilities)	1681,00,06	1416,94,76
II.	<b>परिचालन आस्तियों और देयताओं से नकदी उपलब्धता</b> <b>CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES</b>		
	<b>देयताओं में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Liabilities</b>		
	ग्राहकों और बैंकों से प्राप्त जमाराशियाँ/Deposits from Customer & Banks	22343,85,65	18569,43,54
	बैंकों और अन्य संस्थाओं से उधार राशियाँ/Borrowings from Banks & Other Institutions	1062,26,31	- 2545,04,44
	अन्य देयताएँ आदि (पिछले वर्षों में व्यय के लिए किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन सहित) Other Liabilities etc. (including write back of excess provision for exp. made in the earlier years)	512,43,84	74,88,48
	<b>आस्तियों में कमी/(वृद्धि)/Decrease/(Increase) in Assets</b>		
	अग्रिम/Advances	- 16838,25,72	- 16375,56,07
	निवेश/Investments	- 5747,44,52	- 2056,68,68
	अन्य आस्तियाँ/Other Assets	- 765,99,26	167,50,87
		566,86,30	- 2165,46,30
क.	<b>परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता (I+II)</b>	2247,86,36	- 748,51,54
A.	<b>NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)</b>		
	<b>निवेश गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
	अचल आस्तियों पर/On Fixed Assets	- 105,33,57	- 69,29,31
	प्रक्रियाधीन कार्य पर/On Work in Progress	- 8,05,08	- 3,26,09
ख.	<b>निवेश गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता</b>	- 113,38,65	- 72,55,40
B.	<b>NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
	<b>वित्तीयन गतिविधियों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
	लाभांश/Issue of Capital	327,20,28	633,00,00
	प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	- 246,52,74	- 182,59,82
	गौण ऋण (चरण I और चरण II की पूँजी)/ Subordinated Debts (Tier I and Tier II Capital)	0	- 100,00,00
	चरण I और चरण II की पूँजी पर ब्याज/Interest on Tier I and Tier II Capital	- 296,53,48	- 297,53,47
ग.	<b>वित्तीयन गतिविधियों से निवल नकदी उपलब्धता</b>	- 215,85,94	52,86,71
C.	<b>NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
	<b>वर्ष के दौरान कुल नकदी उपलब्धता (क+ख+ग)</b> <b>TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)</b>	1918,61,77	- 768,20,23
	<b>नकदी उपलब्धता में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow</b>		



**31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण**  
**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012**

(₹ हजारों में / ₹ in thousands)

		31.03.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012		31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011	
I.	<b>वर्ष के प्रारंभ में शेष</b> <b>Balances at the beginning of the Year</b>				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष/Cash & Balances with the R.B.I.	<b>10443,11,63</b>		7189,12,35	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	<b>1522,53,43</b>	<b>11965,65,06</b>	5544,72,94	12733,85,29
II.	<b>वर्ष के अंत में शेष/ Balances at the end of the Year</b>				
	भा.रि.बैंक के पास नकदी और शेष/Cash & Balances with the R.B.I.	<b>8808,62,77</b>		10443,11,63	
	बैंकों के पास शेष और मांग पर प्रतिदेय राशि Balances with Banks and Money at Call	<b>5075,64,06</b>	<b>13884,26,83</b>	1522,53,43	11965,65,06
III.	<b>वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह</b> <b>TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR</b>		<b>1918,61,77</b>		- 768,20,23
	नकदी प्रवाह में वृद्धि/(कमी)/Increase/(Decrease) in Cash Flow				

आई पी नागराज राव / I P NAGARAJA RAO  
उप महा प्रबंधक/DY. GENERAL MANAGER

एम आंजनेय प्रसाद / M ANJANEYA PRASAD  
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

रवि चटर्जी / RAVI CHATTERJEE  
कार्यपालक निदेशक/EXECUTIVE DIRECTOR

म गि संघवी / M G SANGHVI

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

**लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र / Auditors' Certificate**

हम, सिंडिकेट बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों ने, बैंक के 31-03-2012 को समाप्त हुए वर्ष के उपर्युक्त नकदी उपलब्धता विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 32 की अपेक्षा के अनुसार तैयार किया गया है और यह तत्संबंधी लाभ और हानि लेखे में प्रस्तुत हमारी तद्विनांकित रिपोर्ट में शामिल बैंक के तुलन पत्र पर आधारित है और उससे मेल खाता है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of the Syndicate Bank, have verified the above Consolidated Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2012. The Statement has been prepared in accordance with the requirements of clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchanges and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our Report.

कृते जैन एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

For **Jain & Associates**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 001361 एन/N)

(एस सी पाठक)  
साझेदार

(S C Pathak)  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 010194

कृते आर वेन्दर गुप्ता एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

For **R Vender Gupta & Associates**  
Chartered Accountants  
(पं.सं./Regn. No.: 002614 एन/N)

(राघवेंदर गुप्ता)  
साझेदार

(Raghvender Gupta)  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 081544

कृते प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

For **Prakash Chandra Jain & Co.**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 002438 सी/C)

(प्रतिभा शर्मा)  
साझेदार

(Pratibha Sharma)  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 400755

कृते ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

For **Thakur Vaidyanath Aiyar & Co.**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 000038 एन/N)

(के एन गुप्ता)  
साझेदार

(K N Gupta)  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 009169

कृते एस सोनी एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार

For **S Sonny Associates**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 003935 एस/S)

(एस सुंदर)  
साझेदार

(S Sundar)  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 023425

कृते चंडोक एण्ड गुलियानी  
सनदी लेखाकार

For **Chandiok & Guliani**  
Chartered Accountants  
(पं. सं./Regn. No.: 001199 एन/N)

(वी. के. लल्ला)  
साझेदार

(V K Lalla)  
Partner

सदस्यता सं./Membership No.: 080847

स्थान/Place: बेंगलूर/Bengaluru

दिनांक/Date: 05.05.2012

## लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड के सदस्य:

- हमने, 31 मार्च, 2012 के सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, मणिपाल के संलग्न तुलन-पत्र और उससे उपाबद्ध, उक्त तारीख को समाप्त अवधि की लाभ व हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधक वर्ग की प्रमुख जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें कि समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गयी राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत प्रबंध-तंत्र द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किए गए समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।
- भारत के कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 की उप-धारा 4 (क) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश 2004 (आदेश के साथ) द्वारा यथा संशोधित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जाँच जिसे हम उचित समझते हैं, के आधार पर और हमको प्रस्तुत सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषयों के विवरण इसके साथ संलग्न कर रहे हैं।
- उपर्युक्त अनुच्छेद (3) में संदर्भित अनुबंध में दी गयी हमारी टिप्पणी के सिलसिले में हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:
  - हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त की हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।
  - कंपनी की लेखा बहियों की जांच करने पर यह पता चला है कि कंपनी ने बहियों का विधिवत् रख-रखाव किया है।
  - इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र एवं लाभ व हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा-बहियों के साथ मेल खाते हैं।
  - हमारी राय में, इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3 ग) में संदर्भित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
  - दि. 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि दि. 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार किसी भी निदेशक को

## AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF SYNDBANK SERVICES LTD.

- We have audited the attached Balance Sheet of **SYNDBANK SERVICES LIMITED**, as at 31<sup>st</sup> March, 2012 and also the Profit And Loss Account and Cash flow statement of the Company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 as amended by the companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004 (together the 'Order') issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (4A) of the Section 227 of the Companies Act, 1956, of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to information and explanations given to us, we give in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the Order.
- Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph (3) above, we state that:
  - We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
  - In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books.
  - The Balance Sheet, Profit and Loss account and Cash flow statement referred to in this report are in agreement with the books of account.
  - In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and the Cash flow statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in Sub-section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956.
  - On the basis of the written representations received from the Directors, as on 31<sup>st</sup> March, 2012 and taken on record by the Board of Directors, we report that



कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खण्ड (जी) की शर्तों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों तथा उस पर दी गयी और उसके साथ संलग्न की गयी टिप्पणियां कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी देती है और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार एक सही और सत्य चित्र दर्शाती है:

- i) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2012 के अनुसार कंपनी के कार्य संचालन।
- ii) लाभ व हानि लेखे के संबंध में उक्त तारीख को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का लाभ।
- iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नकदी प्रवाह।

कृते मेसर्स नायक एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजीकरण सं.: 007580S)

ह/-  
सी. ए. नरसिंह नायक  
(मालिक)  
(सदस्यता संख्या: 205543)

स्थान : उडुपि  
दिनांक : 23.04.2012

none of the Directors are disqualified as on 31<sup>st</sup> March, 2012 from being appointed as a director in terms of Clause (g) of Sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements together with the notes thereon and attached thereto give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- i) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31<sup>st</sup> March, 2012;
- ii) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit of the Company for the year ended on that date;
- iii) in the case of the Cash flow Statement, of the cash flows of the company for the year ended on that date.

For **M/s Nayak and Associates**  
Chartered Accountants  
(FRN: 007580S)

Sd/-  
**C.A. Narasimha Nayak**  
(Proprietor)  
(Membership No. 205543)

Place: Udupi  
Date : 23.04.2012

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध:

संदर्भ: सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड

उक्त दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में

- i) (क) कंपनी ने उचित अभिलेखों का रख-रखाव किया है, जिसमें उन्होंने अचल संपत्तियों के परिमाणत्मक ब्यौरे एवं अवस्थिति समेत संपूर्ण विवरण दर्शाया है।
- (ख) हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम तैयार किया है जिसके जरिये कंपनी की सभी आस्तियों का सत्यापन किया जाएगा, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की दृष्टि से समुचित है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान सत्यापन करने पर बही-अभिलेखों के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गयी है।
- (ग) अचल संपत्तियों के पर्याप्त भाग का निपटान नहीं किया गया है।
- ii) कंपनी कोई माल सूची नहीं रखती है, इसलिए अनुच्छेद 4 (iii) (क) से (ग) लागू नहीं होता।
- iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है, चाहे जमानती हो या बेजमानती। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (क) से (घ) लागू नहीं होता।
- iv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी भी कंपनी फर्म और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत रखी जानेवाली पंजी में शामिल अन्य पार्टियों को कोई ऋण, चाहे वे जमानती हो या बेजमानती, उपलब्ध नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 4 (iii) (ड) से (छ) लागू नहीं होते।
- v) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के पास एक ऐसी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कंपनी के आकार तथा अचल आस्तियों की खरीद एवं सेवाओं की बिक्री के संबंध में उसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमने, कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण कमजोरी नहीं पायी है।
- vi) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में दर्ज करने की आवश्यकता हो।
- vii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है। इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 क और 58 क के उपबंध एवं तदंतर्गत नियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
- viii) हमारी राय में कंपनी के पास आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो इसके कारोबार के आकार और स्वरूप के अनुरूप है।
- ix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के परिचालन के संबंध में, केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209(1) (घ) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने की शर्त नहीं लगाई है।
- x) क) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी, भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उपकर सहित सभी अविवादित देय राशियों एवं उस पर लागू होनेवाली अन्य सांविधिक देय राशियों को उचित प्राधिकारियों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा की है।
- ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय कर, सेवा कर के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि दि. 31 मार्च, 2012 को, उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि तक बकाया नहीं थी। बशर्त दि. 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार देय टी.डी.एस. के अंतर्गत

ANNEXURE TO THE AUDITOR'S REPORT

Re: SYNDBANK SERVICES LIMITED

Referred to in paragraph 3 of our report of even date.

- i) (a) The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of its fixed assets.
- (b) According to the information and explanations given to us, the Company has formulated a regular programme of verification by which all the assets of the Company shall be verified, which in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. To the best of our knowledge, no material discrepancies were noticed on verification conducted during the year as compared with the book records.
- (c) There was no disposal of a substantial part of fixed assets.
- ii) The Company does not have any Inventory and hence paragraph 4(ii)(a) to (c) are not applicable.
- iii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured, to any Company, firm and other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (a) to (d) of the order are not applicable.
- iv) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any loans, secured or unsecured, from any Company, firm and other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly, paragraph 4 (iii) (e) to (g) of the order are not applicable.
- v) In our opinion and according to the information and explanations given to us, there exists an adequate internal control system commensurate with the size of the company and the nature of its business with regard to purchases of fixed assets and with regard to the sale of services. During the course of our audit, we have not observed any major weakness in the internal control system of the Company.
- vi) In our opinion and according to the explanations given to us, there is no transaction that needs to be entered into the register in pursuant of sec 301 of the Companies Act, 1956.
- vii) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted deposits from the public during the year covered by our audit report. Therefore the provisions of section 58A and 58AA of the Companies Act, 1956 and rules there under are not applicable to the company.
- viii) In our opinion, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- ix) According to the information and explanations given to us, the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956 with regard to the company's operation.
- x) (a) According to the information and explanations provided to us, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other statutory dues, applicable to it.
- (b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Income tax, Service tax were in arrears, as at 31<sup>st</sup> March, 2012 for a period of more than six months from the date they became payable subject

खे गए ₹ 38,900/- की टी.डी.एस. रकम को केन्द्रीय सरकार को विप्रेषित नहीं किया गया है। प्रबंधन के स्पष्टीकरण के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं. 8102/2011 के स्थगन आदेश की शर्तों के अनुसार उक्त रकम को केन्द्रीय सरकार को विप्रेषित नहीं किया गया है और उसे दि. 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान आई.टी. उचित खाते में रखा गया है।

to TDS amount of ₹ 38900/- held under TDS payable as on 31.03.2011 has not been remitted to Central Government. As per the explanations of the Management, the amount has not been remitted to Central Government based on in terms of the stay order of High Court of Madras in W.P. No.8102/2011 and is held under IT suspense account during the year ended 31.03.2012.

- ग) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार उन आय कर, सेवा कर और उपकर कोई भी राशि देय नहीं है जिन्हें किसी विवाद के कारण से जमा नहीं किया गया हो।
- x) कंपनी के पास कोई संचित हानि नहीं है और हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को कोई नकदी हानि नहीं हुई है।
- xii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों को देय-राशि की चुकौती में चूक नहीं की है।
- xiii) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण और अग्रिम मंजूर नहीं किया है।
- xiv) हमारी राय में, कंपनी एक चिट फंड, या निधि/पारस्परिक लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। इसलिए कंपनी पर आदेश का खण्ड 4 (xiii) लागू नहीं होता है।
- xv) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में लेन-देन नहीं कर रही है। इसलिए आदेश का खण्ड 4 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- xvi) कंपनी ने अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।
- xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है।
- xviii) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जाँच करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अल्पावधि आधार पर जुटाई गयी निधियों का दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग नहीं किया है।
- xix) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गयी पंजी में शामिल पार्टियों और कंपनियों को शेयरों का अधिमाम्य आबंटन नहीं किया है।
- xx) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने हमारी रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कोई जमानती डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार कंपनी पर आदेश का खण्ड (xix) लागू नहीं होता।
- xxi) हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
- xxii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा से संबंधित अवधि के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं की गयी है।

(c) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Income Tax, Service tax and cess which have not been deposited on account of any dispute.

- x) The company does not have accumulated losses and has not incurred cash losses during the financial year covered by our audit and the immediately preceding financial year.
- xii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions, banks or debentures holders.
- xiii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- xiv) In our opinion, the Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society. Therefore, the provisions of clause 4(xiii) of the Order are not applicable to the Company.
- xv) According to the information and explanations given to us, the Company is not dealing in shares, securities and debentures. Therefore, the provisions of clause 4(xiv) of the Order are not applicable to the Company.
- xvi) The Company has not given any guarantee in connection with loans taken by others.
- xvii) The Company has not obtained any term loans during the year.
- xviii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, we report that no funds raised on short term basis have been used for long term investment.
- xix) According to the information and explanations given to us, the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
- xx) According to the information and explanations given to us, the Company has not issued any secured debentures during the period covered by our report. Accordingly, the provisions of clause (xix) of the Order are not applicable to the Company.
- xxi) During the period covered by our audit report, the Company has not raised any money by way of public issue.
- xxii) To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit.

कृते मेसर्स नायक एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजीकरण सं.: 007580S)

For **M/s Nayak and Associates**  
Chartered Accountants  
(FRN: 007580S)

ह/-  
(सी.ए. नरसिंह नायक)  
मालिक  
सदस्यता संख्या: 205543

Sd/-  
(CA. Narasimha Nayak)  
Proprietor  
Membership No. 205543

स्थान : उडुपी  
दिनांक : 23.04.2012

Place: Udupi  
Date : 23.04.2012

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल - 576 104  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal - 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)  
**31 मार्च, 2012 का तुलन पत्र / BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2012**

(रकम रुपयों में / Amount in ₹)

	नोट सं. Notes No.	As at दि. 31.03.2012 को	As at दि. 31.03.2011 को
<b>I इक्विटी और देयताएं / EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>1 शेयरधारकों की निधि / Shareholders Funds:</b>			
क/अ) शेयर पूंजी / Share Capital	3	2,500,000	2,500,000
ख/ब) आरक्षित निधि और अधिशेष / Reserves & Surplus	4	38,301,597	28,568,520
<b>2 आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन पत्र की राशि</b>		-	-
<b>SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENTS</b>			
<b>3 गैर चालू देयताएं / NON CURRENT LIABILITIES</b>			
क/अ) दीर्घावधि उधार / Long Term Borrowings			
ख/ब) आस्थगित कर देयताएं (निवल) / Deferred Tax Liabilities (Net)			
ग/स) अन्य दीर्घावधि देयताएं / Other Long Term Liabilities			
घ/द) दीर्घावधि प्रावधान / Long Term Provisions	5	717,285	542,327
<b>4 चालू देयताएं / CURRENT LIABILITIES</b>			
क/अ) अल्पावधि उधार / Short Term Borrowings			
ख/ब) व्यापार देय राशि / Trade Payables			
ग/स) अन्य चालू देयताएं / Other Current Liabilities	6	1,962,266	1,252,014
घ/द) अल्पावधि प्रावधान / Short Term Provisions	7	183,556	183,556
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>43,664,704</b>	<b>33,046,417</b>
<b>II आस्तियां / ASSETS</b>			
<b>1. गैर चालू आस्तियां / NON-CURRENT ASSETS</b>			
क/अ) अचल आस्तियां / Fixed Assets			
(i) मूर्त आस्तियां / Tangible Assets	8	197,251	278,430
(ii) अमूर्त आस्तियां / Intangible Assets			-
(iii) प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य / Capital Work in Progress			-
(iv) अमूर्त आस्तियां जो प्रक्रियाधीन है / Intangible Assets under-Development			-
ख/ब) गैर चालू निवेश / Non-Current Investments			
ग/स) आस्थगित कर अस्तियां (निवल) / Deferred Tax Asset (Net)	9	303,900	256,030
घ/द) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम / Long Term Loans and Advances	10	59,500	60,500
ड/ए) अन्य गैर चालू आस्तियां / Other Non-Current Assets			
<b>2. चालू आस्तियां / CURRENT ASSETS</b>			
क/अ) चालू निवेश / Current Investments			-
ख/ब) माल सूची / Inventories			-
ग/स) व्यापार प्राप्त राशियां / Trade Receivables	11	1,809,420	1,489,631
घ/द) नकद और नकदी समतुल्य राशि / Cash and Cash Equivalents	12	39,861,243	29,020,893
ड/ए) अल्पावधि ऋण और अग्रिम / Short Term Loans and Advances	13	642,111	1,501,280
च/फ) अन्य चालू आस्तियां / Other Current Assets	14	791,279	439,653
<b>कुल / TOTAL</b>		<b>43,664,704</b>	<b>33,046,417</b>
लेखा संबंधी टिप्पणियां / Notes on Accounts			
इसमें उल्लिखित नोट तुलन पत्र का अभिन्न भाग बनते हैं			
Notes referred to herein forms an integral part of Balance Sheet			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड / For Syndbank Services Ltd.

ह/स/द/ (म. गि. संघवी / M. G. Sanghvi)  
अध्यक्ष / Chairman

ह/स/द/ (रवि चटर्जी / Ravi Chatterjee) (एम. आंजनेय प्रसाद / M. Anjaneya Prasad)  
उपाध्यक्ष / Vice-Chairman निदेशक / Director

ह/स/द/ (यू. गणेश कामत / U. Ganesh Kamath)  
निदेशक / Director

ह/स/द/ (एस. के. ढिंगरा / S. K. Dhingra)  
निदेशक / Director

ह/स/द/ (जी. ए. शेणै / G. A. Shenai)  
निदेशक / Director

तारीख / Date : 23.04.2012  
स्थान / Place : बेंगलूर / Bengaluru

ह/स/द/ (डी. के. कुंडू / D. K. Kundu)  
प्रबंध निदेशक / Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार - एफ.आर.एन.: 007580S  
As per our report of even date  
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN: 007580S

ह/स/द/ (सी ए नरसिंह नायक / C A Narasimha Nayak)  
मालिक, सदस्यता सं. / Proprietor, M. No. 205543

**सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104**  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा

**PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31-03-2012**

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

ब्यौरे/PARTICULARS	नोट सं. Notes No.	2011-12	2010-11
I. परिचालन प्राप्त राजस्व/ Revenue From Operations	15	<b>22,358,607</b>	23,737,217
II. अन्य आय/Other Income	16	<b>3,005,439</b>	1,643,898
III. कुल राजस्व/Total Revenue		<b>25,364,046</b>	25,381,115
IV. व्यय/Expenditure :			
वेतन और भत्ते/Salary & Allowances	17	<b>5,352,481</b>	7,931,111
परिचालन व्यय/Operational Expenses	18	<b>5,825,178</b>	4,948,520
मूल्यहास/Depreciation	8	<b>81,179</b>	114,887
V. कुल/Total Expenses		<b>11,258,838</b>	12,994,518
VI. कर से पहले लाभ/Profit Before Tax		<b>14,105,207</b>	12,386,597
VII. कर संबंधी व्यय/Tax Expenses			
– चालू कर/Current tax		<b>4,420,000</b>	4,122,648
– आस्थगित कर/Deferred Tax		<b>(47,870)</b>	(19,186)
VIII. उक्त अवधि के लिए लाभ/Profit for the Period		<b>9,733,077</b>	8,283,135
IX. ईपीएस – मूल और हासमान (अंकित मूल्य ₹ 10/-) EPS – Basic and Diluted (Face value of ₹10/-)		<b>38.93</b>	33.13
लेखा संबंधी टिप्पणियां/Notes to Accounts			
इसमें उल्लिखित नोट, लाभ व हानि लेखे का अंतिम भाग बनते हैं Notes referred to herein forms an integral part of Profit and Loss Account			

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/  
(म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi)  
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/  
(रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee) (एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)  
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman निदेशक/Director

ह/Sd/  
(यू. गणेश कामत/U. Ganesh Kamath)  
निदेशक/Director

ह/Sd/  
(एस. के. ढिंगरा/S. K. Dhingra)  
निदेशक/Director

ह/Sd/  
(जी. ए. शेणे/G. A. Shenai)  
निदेशक/Director

तारीख/Date : 23.04.2012  
स्थान/Place : बेंगलूर/Bengaluru

ह/Sd/  
(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)  
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार – एफ.आर.एन.: 007580S  
As per our report of even date  
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN: 007580S

ह/Sd/  
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)  
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543



सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल - 576 104  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal - 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)  
नोट जो तुलन पत्र का भाग बनते हैं  
**NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET**

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2012 को	As at दि. 31.03.2011 को
<b>नोट सं./Note No. 3: शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL</b>		
<b>प्राधिकृत / Authorised :</b>		
1,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/1,00,00,000 equity shares of ₹10 each (पी.वाइ. 1,00,00,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/(P.Y. 1,00,00,000 equity shares of ₹10 each)	<b>100,000,000</b>	100,000,000
<b>निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी / Issued, subscribed and paid up Capital</b>		
2,50,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त/2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid (पी.वाइ. 2,50,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10 पूर्णतया प्रदत्त)/ (P.Y. 2,50,000 equity shares of ₹ 10 each fully paid)	<b>2,500,000</b>	2,500,000
उपर्युक्त सभी शेयर सिंडिकेट बैंक द्वारा धारित है / All the above shares are held by Syndicate Bank and its Nominees		
<b>कुल / Total</b>	<b>2,500,000</b>	2,500,000
<b>नोट सं./Note No. 4: आरक्षित निधि और अधिशेष / Reserves &amp; Surplus</b>		
<b>सामान्य आरक्षित निधि / General Reserve:</b>		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि / Balance as per Last Financial Statement	<b>6,272,689</b>	5,444,375
जोड़िए: लाभ व हानि लेखे की अधिशेष से अंतरित रकम Add: Amount transferred from Surplus Balance in the Statement of Profit and Loss Account	<b>973,308</b>	828,314
इतिशेष / Closing Balance	<b>7,245,997</b>	6,272,689
<b>लाभ व हानि लेखा विवरण में अधिशेष / Surplus in the Statement of Profit and Loss:</b>		
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेषराशि / Balance as per Last Financial Statement	<b>22,295,831</b>	14,841,010
वर्ष के लिए लाभ / Profit for the Year	<b>9,733,077</b>	8,283,135
घटाइए / Less: विनियोजन / Appropriations		
सामान्य आरक्षित निधि को अंतरण / Transfer to General Reserve	<b>973,308</b>	828,314
<b>लाभ व हानि लेखा विवरण में निवल अधिशेष / Net Surplus in the Statement of Profit and Loss A/c</b>	<b>31,055,601</b>	22,295,831
<b>नोट सं./Note No. 5: दीर्घावधि प्रावधान / Long Term Provisions</b>		
<b>उपदान के लिए प्रावधान / Provision For Gratuity</b>	<b>717,285</b>	542,327
<b>कुल / Total</b>	<b>717,285</b>	542,327
<b>नोट सं./Note No. 6: अन्य चालू देयताएं / Other Current Liabilities</b>		
<b>व्ययों के लिए लेनदार / Creditors for Expenses</b>		
कार का रख-रखाव / Car Maintenance	<b>5,600</b>	6,200
वाहन व्यय (कर्मचारी) / Conveyance Exp (Staff)	<b>11,350</b>	7,975
ड्राइवर का वेतन / Driver's Salary	<b>6,700</b>	11,400
आतिथ्य भत्ता (कर्मचारी) / Ent Allow (Stf)	<b>8,350</b>	8,125
भोजन व्यय / Lunch Expenses	<b>2,450</b>	2,800
समाचार पत्र बिल की प्रतिपूर्ति / News paper Bill Reim	<b>1,200</b>	1,292
व्यावसायिक सेवाएं / Professional services	<b>5,000</b>	5,515
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क / Internal Audit Fee	<b>16,545</b>	16,545
कर्मचारी आवास सफाई व्यय / Stf Qtr Clg Exp	<b>1,650</b>	1,550
दूरभाष व्यय / Telephone Exp	<b>7,000</b>	7,800
एसएमएस / SMS	<b>15,700</b>	1,200
अधिकारियों के लिए आवास किराया / Qtr rent officers	<b>11,500</b>	10,100
लेखा परीक्षा शुल्क / Audit Fees	<b>22,060</b>	22,060
कर लेखा परीक्षा शुल्क / Tax audit fee	<b>22,060</b>	22,060
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय / Retail Loan Foll Exp	<b>49,647</b>	0

**सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104**  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)  
नोट जो तुलन पत्र का भाग बनते हैं  
**NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET**

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2012 को	As at दि. 31.03.2011 को
कार्ड वैयक्तीकरण व्यय / Card Personal Exp	170,325	–
मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and Sty	6,679	–
कियोस्क व्यय / Kiosk Exp	306,599	–
लेखा परीक्षा व्यय / Audit expenses	15,000	9,000
सिंडिकेट बैंक – देय भविष्य निधि / Syndicate Bank – PF payable	1,192,733	934,521
देय सेवा कर / Service Tax Payable	15,318	141,671
देय टीडीएस (आय कर उच्चतं ₹38900) TDS Payable (IT suspense ₹38900)	68,800	42,200
<b>कुल / Total</b>	<b>1,962,266</b>	<b>1,252,014</b>
<b>नोट सं. / Note No. 7: अल्पावधि प्रावधान / Short Term Provisions</b>		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान / Provision for Leave Encashment	183,556	183,556
<b>कुल / Total</b>	<b>183,556</b>	<b>183,556</b>
<b>नोट सं. / Note No. 10: दीर्घावधि ऋण और अग्रिम / Long Term Loans and Advances</b>		
किराया जमा / Rent Deposits	58,500	58,500
दूरभाष जमा / Telephone Deposits	1,000	2,000
<b>कुल / Total</b>	<b>59,500</b>	<b>60,500</b>
<b>नोट सं. / Note No. 11: व्यापार प्राप्य राशियां / Trade Receivable</b>		
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से कम) / (Unsecured, Considered good and less than six months)		
सिंडिकेट बैंक / Syndicate Bank	1,420,590	1,463,729
अन्य / Others	224,792	25,902
(बेजमानती, अच्छे समझे गए और छह महिने से अधिक) / (Unsecured, Considered good and more than six months)		
सिंडिकेट बैंक / Syndicate Bank	164,038	–
<b>कुल / Total</b>	<b>1,809,420</b>	<b>1,489,631</b>
<b>नोट सं. / Note No. 12: नकद और नकदी समतुल्य राशि / Cash and Cash Equivalents</b>		
नकदी शेष / Cash in Hand	–	–
<b>अनुसूचित बैंकों के पास शेषराशि / Balances with Scheduled Banks</b>		
मीयादी जमा राशि में / In Term Deposit	39,200,000	27,500,000
चालू खाते में – सिंडिकेट बैंक / In Current A/c – Syndicate bank	661,243	1,520,893
<b>कुल / Total</b>	<b>39,861,243</b>	<b>29,020,893</b>
<b>नोट सं. / Note No. 13: अल्पावधि ऋण और अग्रिम / Short Term Loans and Advances</b>		
कर्मचारी त्योहार अग्रिम / Staff Festival Advance	196,584	231,050
पूर्वदत्त एएमसी प्रभार / Prepaid AMC Charges	–	3,220
अग्रिम आय कर / टीडीएस / Advance Income Tax/TDS	445,527	1,267,010
<b>कुल / Total</b>	<b>642,111</b>	<b>1,501,280</b>
<b>नोट सं. / Note No. 14: अन्य चालू आस्तियां / Other Current Assets</b>		
जमाराशियों पर उपचित ब्याज / Interest Accrued on Deposits	791,279	436,781
प्राप्य सेनवैट जमा / Cenvat Credit Receivable	–	2,873
<b>कुल / Total</b>	<b>791,279</b>	<b>439,654</b>

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल - 576 104  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुसंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal - 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

(रकम रुपये में / Amount in ₹)

नोट सं. / Note No. 8 : अचल आस्तियां / Fixed Assets	सकल खण्ड / Gross Block		मूल्यहास खण्ड / Depreciation Block		निवल खण्ड / Net Block		
	दि. 01.04.2011 को शेष राशि Balance as on 01.04.2011	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the Year	दि. 01.04.2011 को प्रारंभिक शेष Opening Balance 01.04.2011	मूल्यहास की दर Depn. Rate	वर्ष के लिए परिवर्धन Additions for the Year	दि. 31.03.2012 को शेष राशि Balance as on 31.03.2012	दि. 31.03.2011 को मूल्यहासित मूल्य WDV as on 31.03.2011
<b>मूर्त आस्तियां:</b> <b>Tangible Assets:</b>							
फर्नीचर/Furniture	87,214	-	50,845	18.10%	6,583	87,214	36,369
विद्युत जुड़नार Electrical Fittings	24,450	-	13,573	13.91%	1,513	24,450	10,877
कंप्यूटर और पेरिफेरल्स Computer & Peripherals	667,739	-	564,203	40.00%	41,414	667,739	103,536
मोबाइल फोन Mobile Phones	9,900	-	4,474	13.91%	755	9,900	5,426
वैक्यूम क्लीनर Vacuum Cleaner	7,790	-	1,705	13.91%	846	7,790	6,085
मोटर कार/Motor Car	519,870	-	403,733	25.89%	30,068	519,870	116,137
<b>कुल/Total</b>	<b>1,316,963</b>	<b>-</b>	<b>1,038,533</b>		<b>81,179</b>	<b>1,119,712</b>	<b>278,430</b>
पिछला वर्ष Previous Year	1,287,386	29,577	923,646		114,887	1,038,533	363,740

नोट सं. / Note No. 9 : आस्थगित कर / DEFERRED TAX			
आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets	आय कर Income Tax	वित्तीय विवरण Financial Statements	आस्थगित कर आस्तियां / Deferred Tax Assets
अचल आस्तियां: कर मूल्यहास और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रभारित मूल्यहास के बीच के अंतर का प्रभाव / Fixed Assets: Impact of difference between Tax Depreciation and Depreciation charged for Financial Reporting	2,79,905	197,251	25,540
लाभ व हानि विवरण को प्रभारित परंतु कर के प्रयोजन हेतु भुगतान आधार पर अनुमत व्ययों का प्रभाव / Impact of Expenditure charged to the Statement of Profit and Loss but allowed for tax purpose on payment basis	0	9,00,841	278,360
<b>कुल आस्थगित कर आस्तियां / Total Deferred Tax Assets</b>			<b>303,900</b>

स्थान/Place : बेंगलूरु/Bengaluru  
तारीख/Date : 23.04.2012

**सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104**  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)  
नोट जो तुलन पत्र का भाग बनते हैं  
**NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET**

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2012 को	As at दि. 31.03.2011 को
<b>नोट सं./Note No. 15: सेवा राजस्व/REVENUE FROM OPERATIONS</b>		
हार्डवेयर परीक्षण प्रभार/Hardware Testing Charges	3,684,410	2,674,110
अनियमित रिटेल ऋणों की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सेवा प्रभार/Irregular Retail Loans follow up Income	8,349,214	14,645,660
मेलर प्रेषण राजस्व/Mailer Despatch Revenue	1,025,587	2,612,602
कार्ड वैयक्तीकरण आय/Card Personalisation Income	4,992,419	3,064,402
क्रेडिट कार्ड की अनुवर्ती कार्रवाई से प्राप्त आय/Credit Card Followup Income	156,923	224,738
ई-फाइलिंग से प्राप्त आय/E-Filing Income	42,574	89,566
सी.एम.एस.-एस.एम.एस. से प्राप्त आय/CMS-SMS Income	159,455	32,906
कर्नाटक राज्य पेंशन डाटाबेस निर्माण से प्राप्त आय/Karnataka State Pensions Database buildup income	98,720	240,000
प्रथमा बैंक के निष्क्रिय लेखा रख-रखाव से प्राप्त आय/Prathama Bank Dormant A/c Maintenance income	-	57,437
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से प्राप्त आय/Internet Banking Password Income	3,012,998	-
क्रियोस्क वसूली से प्राप्त आय/KIOSK Collection Income	358,380	-
के.पी.एस.सी. से प्राप्त आय/KPSC Income	74,940	-
आर.ई.सी.एस. से प्राप्त आय/RECS Income	50,000	-
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से प्राप्त आय/Software Development Income	350,000	-
विविध सेवा से प्राप्त आय/Miscellaneous Service Income	2,987	95,796
<b>कुल/Total</b>	<b>22,358,607</b>	<b>23,737,217</b>
<b>नोट सं./Note No. 16: अन्य आय/OTHER INCOME</b>		
बैंक ब्याज/Bank Interest	2,890,131	1,639,279
आय कर वापसी पर ब्याज/Interest on Income Tax Refund	115,308	-
विविध आय/Miscellaneous Income	-	4,619
<b>कुल/Total</b>	<b>3,005,439</b>	<b>1,643,898</b>
<b>नोट सं./Note No. 17: वेतन और भत्ते/Salary and allowances</b>		
कर्मचारियों का वेतन/Staff Salaries	4,377,424	6,814,546
पेंशन/भविष्य निधि और अन्य निधियों को अंशदान/Contribution to Pension, Provident and other Funds	258,212	262,016
उपदान और छुट्टी का नकदीकरण/Gratuity and Leave Encashment	174,958	240,788
अन्य भत्ते और परिलब्धियां/Other Allowances & perquisites	541,887	613,761
<b>कुल/Total</b>	<b>5,352,481</b>	<b>7,931,111</b>
<b>नोट सं./Note No. 18: परिचालन संबंधी व्यय/OPERATIONAL EXPENSES</b>		
कार्ड वैयक्तीकरण व्यय/Card Personalisation expenses	3,010,575	1,838,750
क्रेडिट कार्ड अनुवर्ती कार्रवाई प्रभार/Credit Card Follow Up Charges	25,227	25,779
ई. फाइलिंग प्रभार/E-Filing charges	326	846
कर्नाटक पेंशन डाटाबेस निर्माण प्रभार/Karnataka Pension Database buildup charges	-	5,932
मेलर प्रेषण व्यय/Mailer despatch expense	275,695	1,069,197
प्रथमा बैंक निष्क्रिय लेखा रख-रखाव प्रभार/Prathama Dormant A/c Maintenance expense	-	4,615
खुदरा ऋण अनुवर्ती कार्रवाई व्यय /Retail Loan Follow up expense	898,523	703,253
दूरभाष प्रभार और एस.एम.एस. /Telephone charges & SMS	198,387	118,322
पंजीकरण और नवीकरण/Registration and Renewals	5,000	8,000
फाइलिंग शुल्क/Filing fees	6,300	4,130
लेखा परीक्षा शुल्क/Audit fees	20,000	20,515
कर लेखा परीक्षा शुल्क/Tax Audit fees	20,000	20,515
लेखा परीक्षा व्यय/Audit Expenses	24,534	17,152
व्यावसायिक प्रभार अनुपालन और अन्य/Professional charges for Compliance & others	10,000	18,368

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल - 576 104  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal - 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)  
नोट जो तुलन पत्र का भाग बनते हैं  
**NOTES FORMING PART OF BALANCE SHEET**

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

	As at दि. 31.03.2012 को	As at दि. 31.03.2011 को
निदेशकों की बैठक का शुल्क/Director's sitting fees	15,000	12,000
यात्रा व्यय/Travelling Expenses	47,209	26,384
वाहन रख-रखाव व्यय/Vehicle Maintenance expenses	106,734	115,398
कार बीमा/Car Insurance	-	4,773
वेबसाइट डेवलपमेंट प्रभार/Website Development charges	3,905	8,320
मुद्रण और लेखन सामग्री/Printing and Stationery	223,789	87,809
विराम और वाहन व्यय/Halting & conveyance	191,175	149,634
कार्यालय का किराया/Office Rent	243,600	243,600
आंकडा प्रविष्टि प्रभार/Data Entry charges	63,113	162,147
कंप्यूटर का रख-रखाव/Computer Maintenance	36,644	124,707
विविध व्यय/Miscellaneous Expenses	17,835	23,022
आंतरिक लेखा परीक्षकों का शुल्क/Internal Auditors Fees	15,000	15,000
विद्युत प्रभार/Electricity Charges	36,000	36,000
मनोरंजन व्यय/Entertainment Exps.	-	2,843
डाक व्यय/Postal Charges	342	72,052
कियोस्क वसूली व्यय/KIOSK Collection Expenses	306,599	-
बैठक और सम्मेलन व्यय/Meeting and Conference expenses	23,666	9,457
<b>कुल/Total</b>	<b>5,825,178</b>	<b>4,948,519</b>

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/ (म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi) अध्यक्ष/Chairman	ह/Sd/ (रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee) उपाध्यक्ष/Vice-Chairman	ह/Sd/ (एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad) निदेशक/Director
ह/Sd/ (यू. गणेश कामत/U. Ganesh Kamath) निदेशक/Director	ह/Sd/ (एस. के. डींगरा/S. K. Dhingra) निदेशक/Director	ह/Sd/ (जी. ए. शेणै/G. A. Shenai) निदेशक/Director

तारीख/Date : 23.04.2012  
स्थान/Place : बेंगलूर/Bengaluru

ह/Sd/  
(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)  
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार - एफ.आर.एन.: 007580S  
As per our report of even date  
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN: 007580S

ह/Sd/  
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)  
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543



**सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104**  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal – 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त होनेवाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट  
**NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2012**

**नोट सं. 1: नैगम सूचना**

सिंडबैंक सर्विसेज लि. की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन 25 जनवरी, 2006 को की गई थी, जो सिंडिकेटबैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली कंपनी है, जिसकी प्राधिकृत पूंजी ₹ करोड़ और प्रदत्त पूंजी ₹ लाख है। इसका उद्देश्य बैंक ऑफिस सेवाएं उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2011-2012 के दौरान कंपनी द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संपन्न किए गए:

1. नोटिस, एस.एम.एस. संदेशों तथा टेली कॉल के जरिए सिंडिकेट बैंक के अनियमित खुदरा ऋण तथा अतिदेय क्रेडिट कार्ड खतों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई।
2. सिंडिकेट बैंक और उसके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजे जाने वाले कंप्यूटर हार्डवेयरों की पोतलदानपूर्व जांच।
3. सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रदान किए जानेवाले एटी.ए.आई.जी. सुरक्षा के लिए सुचारू ऋण विभाग की मलरों का प्रेषण।
4. सिंडिकेट बैंक को कार्ड वैयक्तिकरण सेवाएं।
5. सी.एम.एस.सी., सिंडिकेट बैंक, मुंबई के ग्राहकों को देशी और अंतर्राष्ट्रीय एस.एम.एस. संदेश भेजना।
6. सिंडिकेट बैंक के बेंगलूर क्षेत्र से संबंधित कर्नाटक राज्य के पेंशनों के संबंध में पेंशन डेटा को केंद्रीकृत करना।
7. सिंडिकेट बैंक के बेंगलूर और मणिपाल क्षेत्र की शाखाओं की तिमाही टी.डी.एस. विवरणियों (फार्म 24 क्यू, 26 क्यू, और 27 क्यू) की ई-फाइलिंग।
8. सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड का मुद्रण।
9. मेसर्स रूपेन एक्ससेस के साथ गठजोड़ द्वारा वेतनभोगी वर्ग की आय कर विवरणों की ई-फाइलिंग।
10. सिंडिकेट बैंक के लिए बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी. कियोस्क से नकद और चेकों की वसूली।
11. सिंडिकेट बैंक के लिए के.पी.एस.सी. अभ्यर्थियों के अंकडों को संसाधन एस.बी.एस.एल. एक लाभ कमानेवाली कंपनी है और अपने राजस्व में निरंतर वृद्धि कर रही है।

**नोट सं. 2: लेखा संबंधी टिप्पणियाँ**

**1. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ**

**क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार**

इस वित्तीय विवरण को प्रायोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों तथा कंपनी अधिनियम 1956 के संगत उपबंधों के अनुसार उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अंतर्गत तैयार किया गया है।

**ख. राजस्व की पहचान**

i) कारोबार प्रक्रिया बाह्यनियोजन (बी.पी.ओ.) सेवाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान, समय एवं सामग्री, निर्दिष्ट मूल्य और यूनिट मूल्य संविदाओं पर की गयी है। समय एवं सामग्री, यूनिट मूल्य संविदा से प्राप्त राजस्व की पहचान, प्रदान की गयी संगत सेवाओं के रूप में की गयी है। नियत कीमत संविदाओं से प्राप्त राजस्व की पहचान आनुपातिक समापन पद्धति तथा समापन के स्तर निर्धारित करने की संविदागत लागत के अनुसार की गयी है।

ii) सेवा की पहचान, सेवा कर घटाने के बाद की जाती है।

iii) ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि तथा लागू होनेवाली दर की गणना में लेकर समय अनुपात के आधार पर की गयी है।

**ग. अचल आस्तियाँ**

अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यहास को घटाने के बाद अभिग्रहण की परंपरागत लागत पर किया गया है।

कंपनी अचल आस्तियों के अभिग्रहण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागतों का पूंजीकरण करती है।

**घ. मूल्यहास**

i) अचल संपत्ति पर मूल्यहास को, कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में दी गयी दरों और उसमें यथा निर्दिष्ट रीति के अनुसार अवलेखित मूल्य पद्धति पर प्रावधान किया गया है।

ii) आस्तियों में किए गए परिवर्धन पर मूल्यहास का प्रावधान उनके अभिग्रहण की तारीख को प्रचलित दरों पर समानुपातिक आधार पर किया गया है।

**Note No. 1: Corporate information**

SyndBank Services Ltd. (the Company) is a wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank, incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and domiciled in India. The Company is engaged in providing Back Office support to Syndicate Bank and other Financial Institutions. The major activities undertaken by the Company are as under:

1. Follow-up of irregular retail loans and delinquent credit cards of the Bank by sending Notices and SMS messages and tele-calling.
2. Pre-shipment testing of computer hardware procured by Syndicate Bank and RRBs sponsored by SyndicateBank.
3. Dispatch of mailers to Housing Loan account holders of Syndicate Bank offering Tata AIG Suraksha Policy.
4. Card personalization services to SyndicateBank.
5. Sending of domestic and international SMS messages to clients of CMSC, SyndicateBank, Mumbai.
6. Centralizing the pension data in respect of Karnataka State Pensions pertaining to the Bengaluru Region of SyndicateBank.
7. E filing of quarterly TDS returns (24Q, 26Q and 27Q) of the branches of Bengaluru and Manipal Regions of SyndicateBank.
8. Printing of Internet Banking Passwords for customers of Syndicate Bank.
9. E filing of IT returns of salaried class through a tie up with M/s Span Across.
10. Collection of cash and cheques from Kiosks of BWSSB for Syndicate Bank.
11. Processing of Data of KPSC Candidates for Syndicate Bank.

**Note No. 2: Notes to Accounts**

**1. Significant Accounting Policies**

**A. Basis of Preparation of Financial Statements**

The financial statements are prepared under the historical cost convention on accrual basis in accordance with the applicable mandatory Accounting Standards and the relevant provisions of the Companies Act, 1956.

**B. Revenue Recognition**

i) Revenue from Business Process Outsourcing (BPO) services are recognized on time and material, fixed price and unit priced contracts. Revenue on time and material, unit priced contracts is recognized as the related services are rendered. Revenue from fixed price contracts is recognized as per the proportionate completion method with contract cost determining the degree of Completion.

ii) Services are Recognized net of Service Tax.

iii) Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

**C. Fixed Assets**

Fixed Assets are stated at historical cost of acquisition less accumulated depreciation.

The company capitalizes all direct costs relating to the acquisition of the fixed assets.

**D. Depreciation**

i) Depreciation on fixed assets has been provided on Written Down Value method at the rates and in the manner prescribed in the Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

ii) Depreciation on the additions to the assets is provided on pro-rata basis, at their respective rates with reference to the date of acquisition.

**ड. आस्तियों की हानि**

आस्तियों की रखाव राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। यदि किसी आंतरिक/बाहरी घटकों के आधार पर हानि का संकेत मिलता है तो, जब कभी आस्तियों की रखाव रकम उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि की पहचान की जाती है। वसूली योग्य राशि, आस्तियों के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य से अधिक है।

**च. कराधान**

कर व्यय में, चालू और आस्थगित कर शामिल हैं।

चालू कर का आंकन भारतीय आय कर अधिनियम के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली रकम पर किया जाता है। आस्थगित आय करों की पहचान, आय के वित्तीय विवरण के निर्धारण तथा कर उद्देश्य हेतु उनकी पहचान करने के बीच के समय अंतर के लिए लगाए जाने वाले भावी कर के परिणामों के लिए की जाती है। कर की दरों में हुए परिवर्तन के कारण से आस्थगित कर आस्ति तथा देयताओं पर पड़नेवाले प्रभाव की पहचान, तुलन-पत्र की तारीख तक लागू कर की दरों और लागू किए गए या वास्तविक रूप से लागू किए गए कर संबंधी कानूनों का प्रयोग करते हुए आय लेखों में की गयी है। आस्थगित कर आस्तियों की केवल उस सीमा तक पहचान की गयी और आगे ले जाया गया है जिस पर यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि पर्याप्त मात्रा में भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो जिसके लिए ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त की जा सकें।

पिछले वर्ष की आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया गया और पहचान की गयी जिस से भावी कर योग्य आय उपलब्ध है, जिसके प्रति आस्थगित कर आस्तियाँ प्राप्त हो सकें।

**छ. खण्डवार रिपोर्टिंग**

कंपनी, मुख्यतः सिंडिकेट बैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करनेवाली कंपनी के रूप में कार्य कर रहा है। कंपनी, हार्डवेयर परीक्षण, रिटेल ऋण पर अनुवर्ती कार्रवाई, डाक प्रेषण, कार्ड वैयक्तीकरण सेवाएं, विभिन्न प्रकार के ग्राहक संबंधी आंकड़ों का संग्रहण तथा बैंकिंग परिचालनों से संबंधित अन्य सेवाएं प्रदान करती है।

इन सभी सेवाओं में समान प्रकार की जोखिम और प्रतिलाभ शामिल हैं। इसलिए पहचान की गयी एक ही रिपोर्ट योग्य खण्ड है, यानी, सिंडिकेट बैंक को बाह्य नियोजन सेवा प्रदान करना। कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खण्ड नहीं है।

**ज. कर्मचारी लाभ**

कंपनी के सभी कर्मचारी सिंडिकेट बैंक के स्थायी कर्मचारी हैं और वे प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं। सभी कर्मचारी लाभ-भविष्य निधि में सांविधिक अंशदान, पेंशन निधि, उपदान निधि और छुट्टी के नकदीकरण से संबंधित देयता का प्रावधान सिंडिकेट बैंक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया है।

**झ. आकस्मिक देयताएं**

कोई आकस्मिक देयताएं नहीं हैं।

**ञ. प्रावधान**

प्रावधानों की पहचान तभी किया जाता है जब पिछले परिणामों के कारण से वर्तमान दायित्व शामिल होता है और यह संभव है कि उस दायित्व के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके। प्रावधानों को उसके वर्तमान मूल्य पर बट्टा नहीं किया गया है और उसका निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर किया गया है। इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है। मौजूदा प्रबंधन प्राक्कलन को दर्शाने के लिए उसका समायोजन किया जाता है।

**ट. प्राक्कलनों का प्रयोग**

वित्तीय विवरणों की तैयारी, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप की गयी है जो प्रबंधक वर्ग को उन प्राक्कलनों तथा पूर्वानुमानों के लिए अपेक्षित है जो वित्तीय विवरणों की तारीख तथा आलोच्य वर्ष के अंत में परिचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करता है। ये प्राक्कलन चालू परिणामों और कार्रवाइयों के संबंध में प्रबंधक वर्ग की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होने के बावजूद वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकता है।

**ठ. प्रति शेयर अर्जन**

मूल प्रतिशेयर अर्जन का परिकलन, उक्त अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या का प्रयोग करते हुए किया गया है। हटाया गया प्रति शेयर अर्जन का परिकलन, ईक्विटी की भारत औसत संख्या तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया हासमान ईक्विटी के बराबर शेयरों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा, सिवाय उन मामलों में जहाँ परिणाम हासमान न हो।

**E. Impairment of Assets**

The carrying amount of assets are reviewed at each Balance Sheet date. If there is any indication of impairment based on internal/external factors, an impairment is recognized whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use.

**F. Taxation**

Tax expense comprises of current and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Indian Income Tax Act. Deferred income taxes are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences between the financial statement determination of income and their recognition for tax purposes. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in the tax rates are recognized in income using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deferred tax assets are recognized and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable incomes will be available against which such deferred tax assets can be realized. Unrecognized deferred tax assets of earlier year are reassessed and recognized to the extent that future taxable income will be available against which deferred tax assets can be realized.

**G. Segment Reporting**

The company operates as an outsourcing service provider to Syndicate Bank. The company provides services of Hardware testing, Retail loan follow-up, Mailer despatch, Card Personalisation services, creating various customer database and other services facilitating banking operations. All these services have similar risk and returns. Thus, there is only one identified reportable segment that is outsourcing service to Syndicate bank. There is no reportable geographical segment either.

**H. Employee Benefits**

All the staff of the company are permanent employees of Syndicate Bank and are on deputation to the company. All the employee benefits - statutory contributions to Provident Fund, Pension Fund, Gratuity Fund and Liability towards Leave Encashment are provided based on information given by Syndicate Bank.

**I. Contingent liabilities**

There are no contingent liabilities.

**J. Provisions**

Provisions are recognized when there is present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

**K. Use of Estimates**

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reporting year end. Although these estimates are based upon management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

**L. Earning per share**

Basic earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity and dilutive equity equivalent shares outstanding during the period except where the results would be anti-dilutive.

**सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल – 576 104**  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office: Manipal – 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

**कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार विवरण**  
**Statement Pursuant to Part IV of Schedule VI of the Companies Act, 1956**

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

I.	<b>पंजीकरण के ब्यौरे/Registration details</b>	यू/U72300 के ए/KA2006 ओकेसीओ/OKCO38305	
	राज्य कूट/State Code	08	
	तुलन पत्र की तारीख/Balance Sheet Date	31.03.2012	
II.	<b>वर्ष के दौरान जुटाई गई पूँजी/Capital raised during the year</b>		
	सार्वजनिक निर्गम/Public issue	0	अधिकार निर्गम/Right issue 0
	बोनस निर्गम/Bonus issue	0	निजी तौर पर शेयर आबंटन/Private Placement 0
III.	<b>निधियों का संग्रहण और विनियोजन की स्थिति</b> <b>Position of Mobilisation and Deployment of Funds</b>		
	कुल देयताएँ/Total Liabilities	43,664.70	कुल आस्तियाँ/Total Assets 43,664.70
	<b>निधियों का स्रोत/Sources of Funds :</b>		
	प्रदत्त पूँजी/Paid up Capital	2,500.00	आरक्षित निधि और अधिशेष/Reserves & Surplus 38,301.60
	जमानती ऋण/Secured Loans	0.00	बेजमानती ऋण/Unsecured Loans 0.00
	<b>निधियों का अनुप्रयोग/Application of Funds:</b>		
	निवल अचल आस्तियाँ/Net Fixed Assets	0.00	निवेश/Investments 0.00
	विविध व्यय/Misc. Expenditure	0.00	संचित हानि/Accumulated losses 0.00
	निवल चालू आस्तियाँ/Net Current Assets	43,104.05	आस्थगित कर आस्ति/Deferred tax Asset 303.90
IV.	<b>कंपनी का निष्पादन/Performance of the Company</b>		
	आय/Income	25,364.05	व्यय/Expenditure 11,258.84
	कर से पहले लाभ/Profit before Tax	14,105.21	कर के बाद लाभ/Profit after Tax 9,733.08
	प्रति शेयर अर्जन/Earnings per Share ₹	38.93	लाभांश की दर/Dividend rate % 0
V.	<b>कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम</b> <b>Generic names of three principal products/services of the company :</b>		
	मद कूट सं (आइ.टी.सी. कूट)/Item Code No. (ITC Code):	लागू नहीं/NA	
	उत्पाद के ब्यौरे/Product description :	सेवाएँ/Services	

**कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.**

ह/Sd/  
**(म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi)**  
अध्यक्ष/Chairman

ह/Sd/  
**(रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee)** (एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad)  
उपाध्यक्ष/Vice-Chairman निदेशक/Director

ह/Sd/  
**(यू. गणेश कामत/U. Ganesh Kamath)**  
निदेशक/Director

ह/Sd/  
**(एस. के. ढींगरा/S. K. Dhingra)**  
निदेशक/Director

ह/Sd/  
**(जी. ए. शेणै/G. A. Shenai)**  
निदेशक/Director

तारीख/Date : 23.04.2012  
स्थान/Place : बेंगलूर/Bengaluru

ह/Sd/  
**(डी. के. कुंडू/D. K. Kundu)**  
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
**कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार - एफ.आर.एन.: 007580S  
As per our report of even date  
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN: 007580S

ह/Sd/  
**(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)**  
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543

सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: मणिपाल - 576 104  
(सिंडिकेट बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी संस्था)  
**Syndbank Services Ltd., Registered Office : Manipal - 576 104**  
(A Wholly owned Subsidiary of Syndicate Bank)

दि. 31-03-2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

**CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2012**

(रकम रुपयों में/Amount in ₹)

व्यौरे/Particulars	2011-12	2010-11
<b>परिचालन क्रियाकलापों से नकदी उपलब्धता/CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
सतत परिचालन के संबंध में कराधान से पहले लाभ/Profit before tax from continuing operations	14,105,207	12,386,597
कराधान से पहले लाभ और निवल नकदी प्रवाह के समाधान हेतु किया गया गैर नकदी समायोजन Non-cash adjustment to Reconcile Profit before tax to Net Cash Flows		
सतत परिचालनों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Continuing Operations	81,179	114,887
उपदान के लिए प्रावधान/Gratuity Provisions	174,958	185,244
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान/Leave Encashment Provision	-	55,544
ब्याज आय/Interest Income	(2,890,131)	(1,639,279)
कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ/Operating Profit before Working Capital Changes	11,471,213	11,102,993
कार्यशील पूंजी में उतार-चढ़ाव/Movement In Working Capital:		
व्यापार देय राशि में हुई वृद्धि/(कमी)/Increase/(decrease) in Trade Payable		
अन्य चालू देयताओं में हुई वृद्धि (कमी)/Increase/(decrease) in other Current Liabilities	710,252	305,891
व्यापार प्राप्य राशियों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in trade receivable	(319,790)	(4,681)
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई कमी/(वृद्धि)/Decrease/(increase) in long term loans and advances	1,000	(57,500)
अल्पावधि ऋणों और अग्रिमों में हुई वृद्धि/(कमी)/Decrease/(increase) in short term loans and advances	37,686	(49,299)
अन्य चालू आस्तियों में हुई वृद्धि (कमी)/Decrease/(increase) in other current assets	(351,625)	(127,860)
परिचालनों से सृजित नकद/Cash generated from operations	11,548,736	11,169,544
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी को घटाकर)/Direct taxes paid (net of refund)	(3,598,517)	(4,396,361)
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह/Net cash flow from operating activities	7,950,219	6,773,183
असाधारण मदें/Extra ordinary items	-	-
परिचालन कार्यकलापों से निवल नकदी/Net cash from operating activities	7,950,219	6,773,183
<b>निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह/Cash flow from investing activities</b>		
अचल आस्तियों की खरीद/Purchase of fixed assets	-	(29,577)
प्राप्त ब्याज/Interest received	2,890,131	1,639,279
<b>निवेश कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from investing activities</b>	2,890,131	1,609,702
<b>वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/Cash flow from financing activities</b>		
शेयर पूंजी जारी करने से प्राप्त आगम राशि/Proceeds from issuance of share capital	-	-
वित्तीयन कार्यकलापों से प्राप्त निवल नकद/Net cash from financing activities	-	-
<b>नकद और नकदी समतुल्य मदों में निवल वृद्धि/Net increase in cash &amp; cash equivalents</b>	10,840,350	8,382,886
<b>वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी के समतुल्य मदें/Cash &amp; cash equivalents at the beginning of the year</b>	29,020,893	20,638,007
<b>वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य मदें/Cash &amp; cash equivalents at the end of the year</b>	39,861,243	29,020,893
<b>नोट:</b> नकदी प्रवाह विवरण को नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखाकरण मानक - 3 में निर्धारित "परोक्ष पद्धति" के अंतर्गत तैयार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम 1956 कि धारा 211 कि उप-धारा (3ग) के अंतर्गत अधिसूचित है। <b>Notes:</b> The Cash flow statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in Accounting Standard-3 on Cash Flow Statements, notified under sub section (3c) of Section 211 of the Companies Act, 1956.		

कृते सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड/For Syndbank Services Ltd.

ह/Sd/ (म. गि. संघवी/M. G. Sanghvi) अध्यक्ष/Chairman	ह/Sd/ (रवि चटर्जी/Ravi Chatterjee) उपाध्यक्ष/Vice-Chairman	ह/Sd/ (एम. आंजनेय प्रसाद/M. Anjaneya Prasad) निदेशक/Director
ह/Sd/ (यू. गणेश कामत/U. Ganesh Kamath) निदेशक/Director	ह/Sd/ (एस. के. दींगरा/S. K. Dhingra) निदेशक/Director	ह/Sd/ (जी. ए. शेणे/G. A. Shenai) निदेशक/Director

तारीख/Date : 23.04.2012  
स्थान/Place : बेंगलूर/Bengaluru

ह/Sd/  
(डी. के. कुंडु/D. K. Kundu)  
प्रबंध निदेशक/Managing Director

समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
कृते नायक एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार - एफ.आर.एन.: 007580S  
As per our report of even date  
**FOR NAYAK & ASSOCIATES**  
Chartered Accountants  
FRN: 007580S

ह/Sd/  
(सी ए नरसिंह नायक/C A Narasimha Nayak)  
मालिक, सदस्यता सं./Proprietor, M. No. 205543





प्रिय शेयरधारक,

**विषय: ई.सी.एस. (जमा) के माध्यम से लाभांश का भुगतान/खाते में सीधा जमा।**

- कभी-कभी शेयरधारकों को डाक के जरिए वारंटों के प्रेषण द्वारा लाभांश के भुगतान की मौजूदा प्रणाली के अधीन निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
  - प्रेषण में हानि
  - तृतीय पक्ष द्वारा कपटपूर्ण भुनाई
  - डाक में देरी
- इन समस्याओं से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाभांशों/ ब्याज इत्यादि के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ई सी एस) की शुरुआत की है, जो शेयरधारकों के लिए उनके बैंक खातों में लाभांशों की समयोचित सीधे जमा सुनिश्चित करता है।
- आगे, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) ने निर्देश दिया है कि लाभांशों के वितरण के लिए ईसीएस सुविधा अनिवार्य है।
- ई सी एस के अधीन शेयरधारक सदस्य के बैंक खाते में लाभांश की रकम जमा की जाएगी। भुगतान का अनुदेश शाखा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाशोधन प्राधिकारी (भारतीय रिजर्व बैंक) को जारी किया जाएगा तथा समाशोधन प्राधिकारी उस शाखा को जमा सूचना प्रेषित करेगा जहाँ शेयरधारक सदस्य ने अपना खाता रखा है। संबंधित शाखा खाते में रकम जमा करेगी तथा जमा प्रविष्टि को पासबुक/खाता विवरण में ई सी एस के रूप में सूचित करेगी। इस व्यवहार को कार्यान्वित करने के बाद बैंक शेयरधारक सदस्य को सीधे एक सूचना पत्र जारी करेगा।
- संप्रति, यह सुविधा कुछ विशिष्ट केन्द्रों में स्थित बैंकों में खाता रखनेवाले शेयरधारकों को उपलब्ध है और भा.रि.बैं. इस सुविधा को अन्य केन्द्रों में भी शुरू करनेवाला है। विशेष रूप से ई सी एस सुविधा प्राप्त करने के लिए, शेयरधारक सदस्य के लिए नया बैंक खाता खोलना आवश्यक नहीं है। क्योंकि शेयरधारक सदस्य के किसी भी मौजूदा बैंक खाते में रकम जमा की जाएगी।
- हमने लाभांशों के भुगतान के लिए यह सुविधा शुरू की है और आप से अनुरोध करते हैं कि आप अपने स्वयं के हित में यह सुविधा उपलब्ध करें। कृपया यह नोट करें कि यह केवल भुगतान का एक अतिरिक्त प्रकार है और यह वैकल्पिक है।
- कृपया नोट करें कि यदि आपने बैंक विवरण का कोई अधिदेश, निर्देश, वारंटों के अग्रभाग पर मुद्रित कराने हेतु पहले प्रस्तुत किया है तो उसे निरस्त समझा जाएगा और ई सी एस अधिदेश दर्ज किया जाएगा यदि आपने ई सी एस के लिए विकल्प दिया है।
- हम एतद्वारा एक ई सी एस अधिदेश फार्म संलग्न कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक खाते का पूरा ब्यौरा उसमें प्रस्तुत करें जहाँ लाभांश की रकम जमा की जानी है। अधिदेश फार्म में दी जाने वाली सूचना सही, पूर्ण होनी चाहिए और बेहतर होगा यदि वह आपके बैंक द्वारा प्रमाणित की गई हो (अनिवार्य नहीं)। कृपया अपने बैंक द्वारा जारी एक चेक की फोटो प्रति या रद्द किया गया कोरा चेक संलग्न करें ताकि चेक के निचले हिस्से में सूचित एम आई सी आर कूट पंक्ति (कोड लाईन) की यथातथ्यता सत्यापित की जा सके।
- सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएं सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) परिवेश में कार्य कर रही हैं। हमारे पास बचत बैंक/चालू खाता/ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले निवेशकों से अनुरोध है कि वे संलग्न बैंक अधिदेश में अपनी 14 अकों वाली खाता संख्या प्रस्तुत करें ताकि लाभांश को सीधे उनके खाते में जमा किया जा सके।
- कृपया ई सी एस फार्म को विधिवत भर कर सीधे हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वाय कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक, प्लॉट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर, माधपुर, हैदराबाद - 500 081 को अग्रेषित करें।
- आपके द्वारा दी गई सूचना गुप्त रखी जाएगी और केवल भविष्य में लाभांश वारंटों पर कार्रवाई के उद्देश्य से ही इस सूचना का उपयोग किया जाएगा।

दिनांक: 19.06.2012

भवदीय,  
रवि  
(आर. रवि)  
कंपनी सचिव

Dear Shareholder,

**Sub: Payment of Dividend through ECS (Credit)/Direct Credit to the account.**

- At times, the Shareholders may face the following problems under the present system of payment of dividend by mailing of warrants, through post.
  - Loss in transit
  - Fraudulent encashment by third parties
  - Postal delay
- To avoid these problems, the Reserve Bank of India has introduced the Electronic Clearing Service (ECS) for payment of dividend/ interest etc. that ensures the shareholders timely credit of dividends directly into their Bank Account.
- Further, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) has directed that the use of ECS facility for distribution of dividend is mandatory.
- Under ECS, the Bank Account of the Shareholder member would be credited with the dividend amount. Payment instructions would be issued electronically through the branch to the Clearing Authority (RBI) and the Clearing Authority would supply credit reports to the branch at which the shareholder member maintains the account. The concerned branch will credit the amount to the account and indicates the credit entry as ECS in the Pass Book / Statement of Account. The Bank would be issuing an advice directly to the shareholder member after the transaction is effected.
- This facility is presently available to shareholders having Bank Account with all Banks at certain specified centres and RBI is proposing to extend this facility to other centres as well. The shareholder member need not open any new Bank Account specially for availing ECS facility, as credit will be given to any existing Bank Account of the shareholder member.
- This facility has been introduced for payment of Dividends and we would request you to avail this facility in your own interest. Please note that this is only an additional mode of payment and is optional.**
- Kindly note that if any mandate instructions of Bank particulars for printing on the face of warrants have been furnished earlier by you, the same will stand cancelled and the ECS mandate will be taken on record, in case you opt for ECS.
- The 'ECS Mandate Form' is annexed and we request you to furnish the details of your Bank Account, where the dividend is to be credited. The information to be supplied in the Mandate should be accurate, complete and it would be better (not compulsory) if certified by your Bank. Please attach a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank for verifying the accuracy of the MICR Code Line indicated at the bottom of the cheque.**
- All the branches of Syndicate Bank are operating under CBS (Core Banking Solutions) environment. The investors maintaining their Savings Bank/Current/Overdraft accounts with us are requested to provide us their 14 digit account number in the Bank Mandate (annexed) for **DIRECT CREDIT** of dividend to their accounts.
- Kindly send the ECS Form/ Bank Mandate duly filled, directly to our Registrars and Share Transfer Agents viz. **M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. UNIT: SyndicateBank, Plot No. 17 to 24, Vithal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081.**
- The information provided by you will be kept confidential and would be utilised only for the purpose of remitting the future dividend payments.

Date: 19.06.2012

Yours faithfully,

(R. RAVI)

COMPANY SECRETARY



This Page is Left Blank



इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (क्रेडिट)  
ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ई सी एस अधिदेश फार्म  
**ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT)**  
**ECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES**

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड  
यूनिट : सिंडिकेट बैंक  
प्लॉट सं. 17 से 24  
विठ्ठलराव नगर, माधापुर  
हैदराबाद – 500 081

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.  
**Unit : SyndicateBank**  
Plot No. 17 to 24  
Vithalrao Nagar, Madhapur  
Hyderabad – 500 081

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)  
First Shareholder's Name (IN BLOCK LETTERS) :
2. पता/Address :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या/Shareholder's Folio No. :
4. बैंक खाते का विवरण/Particulars of Bank Account :

क) बैंक का नाम  
A) Bank Name :

ख) शाखा का नाम तथा शहर (पिन कूट)  
B) Branch Name & City (Pin Code) :

ग) खाता संख्या (चेक बुक पर जो लिखा गया है)  
C) Account No. (as appearing on the cheque book) :

घ) खाते का प्रकार (कृपया निशान लगाएं)  
D) Account Type (Please tick) :  
(बचत बैंक खाता, चालू खाता या नकदी उधार)  
(SB Account, Current A/c or Cash Credit) :

ब.बैं.  चालू  नकदी उधार   
SB Current Cash Credit

ङ) बैंक खाते का खाता बही पन्ना (यदि चेक बुक पर दिया गया है)  
E) Ledger Folio No. of the Bank A/c  
(If appearing on the Cheque Book) :

च) बैंक द्वारा जारी किये गए एम आई सी आर चेक पर दिया हुआ बैंक  
तथा शाखा की 9 अंकवाली कूट संख्या  
F) 9-Digit Code No. of the Bank & Branch appearing  
on the MICR Cheque issued by the Bank :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



कूट संख्याओं की शुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित 'चेक पन्ने' की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें।

Please attach a photocopy of the 'Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

## घोषणा DECLARATION

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण पूर्ण एवं सही हैं। अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेनदेन में विलंब होता है या सम्पन्न ही नहीं होता है तो मैं सिंडिकेटबैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी।

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold SyndicateBank responsible.

स्थान/Place:  
दिनांक/Date:

प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर  
Signature of the First Shareholder

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरण हमारे अभिलेखों के अनुसार सही हैं।  
Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

स्थान/Place:  
दिनांक/Date:

संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर  
Signature of the Manager of Bank Concerned

**टिप्पणी:** शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी फोलियो संख्या का उल्लेख अवश्य करें।  
**NOTE :** Shareholders are requested to furnish their Folio No. without fail.

- अनुलग्नक:**
- 1) एकल/प्रथम शेयरधारक के 'पैन' कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति  
Self attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.
  - 2) बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त किया गया चेक पन्ना  
Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.



## प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए और हस्ताक्षर किए जाए)

पंजीकृत फोलियो  
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)

डी पी आई डी व ग्राहक आई डी  
(यदि बेकागजीकृत हो)

मैं/हम ..... निवासी .....  
जिला ..... राज्य ..... सिंडिकेटबैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा  
श्री/श्रीमती ..... निवासी .....  
जिला ..... राज्य ..... को, अथवा इनके न होने पर,  
श्री/श्रीमती ..... निवासी .....  
जिला ..... राज्य ..... को सिंडिकेटबैंक के शेयरधारकों की .....  
को सिंडिकेटबैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में 17 जुलाई 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे होनेवाली वार्षिक आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2012 के ..... माह के ..... दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹ 1/-  
का राजस्व  
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

### मुख्तारी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश:

1. प्राक्सी की लिखत तभी वैध होगा जब
  - क) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया जाए।
  - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
  - ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। यह नोट किया जाए कि उस संकल्प की प्रति संलग्न की जाए जिसमें उन्हें सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने/प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने के अधिकार का उल्लेख हो जो सत्य प्रतिलिपि के रूप में बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित हो।
2. मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। किन्तु शेयरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेट बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
3. मुख्तारी के साथ
  - क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
  - ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् गुरुवार, 12 जुलाई 2012 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले प्र.का. सिंडिकेट बैंक नैगम सूचना केन्द्र, सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल – 576 104 में जमा किए जाने चाहिए।
4. मुख्तारी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत् स्टाम्पित और विनियमावली के फर्म 'बी' में न हों।
5. बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
6. यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाए।
7. जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस लिखत से संबंधित वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हों।
8. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



### PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

<b>Regd. Folio</b> (If not dematerialised)
<b>DP ID &amp; Client ID</b> (If dematerialised)

I/We ..... resident(s) of ..... in the district of ..... in the State of ..... being a shareholder/ shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. .... resident of ..... in the district of ..... in the State of ..... **OR** failing him/her, Shri/Smt. .... resident of ..... in the district of ..... in the state of ..... as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Annual General Meeting of the shareholders of SyndicateBank to be held on 17th July 2012 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this ..... day of ..... 2012.

Please Affix  
₹ 1/-  
Revenue  
Stamp

.....  
Signature of Proxy

.....  
Signature of First named/Sole Shareholder

Name :  
Address :

#### INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
  - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
  - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
  - c) in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his/ her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
3. The proxy together with
  - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
  - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Syndicate Bank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Thursday 12th July 2012.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulations.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.





**फॉर्म 2 बी**  
(नियम 4 सीसीसी एवं 5 डी देखें)

**नामांकन प्रपत्र**

(उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाए जो अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन कर रहे हैं)

मैं/हम ..... और .....  
और ..... जो सिडिकेट बैंक के फोलियो नं. .... के अन्तर्गत  
शेयरधारक हूँ/हैं एतद्वारा निम्न व्यक्ति(यों) को नामित करता हूँ /करते हैं, जिन्हें मेरी अथवा हमारी मृत्यु होने पर शेयरों के मामले में अंतरण और/ अथवा देय रकम के बारे में सभी अधिकार होंगे।

**नामिती का नाम और पता**

नाम : \_\_\_\_\_

पता : \_\_\_\_\_

जन्म तिथि\* ( \* यदि नामिती नाबालिग हो)

\*\*नामिती नाबालिग, जिसका संरक्षक \_\_\_\_\_

नाम और पता \_\_\_\_\_

\*\* (यदि लागू नहीं है तो काट दीजिए)

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

दिनांक: .....

**गवाह का पता, नाम और हस्ताक्षर**

नाम और पता \_\_\_\_\_ दिनांक सहित हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

- अनुदेश:**
- नामांकन केवल वे लोग कर सकते हैं जो अपने ही नाम पर या संयुक्त रूप से शेयर के लिए आवेदन करते हैं/शेयर रखते हैं। सोसाइटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं। यदि शेयर संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो सभी संयुक्त धारक नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। नमूने के लिए जगह दी गयी है। यदि कई संयुक्त धारक हैं तो अधिक पन्ने लगाये जा सकते हैं, जिस पर शेयर धारक व गवाह हस्ताक्षर करेंगे।
  - नाबालिग को नामित किया जा सकता है, और उस स्थिति में तब उसके संरक्षक का नाम व पता धारक द्वारा दिया जाए।
  - सोसायटी, न्यास, संस्था, नैगम, साझेदार फर्म, अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता, मुख्तारनामा रखने वाला जैसे गैर व्यक्ति नामित नहीं हो सकते हैं। एक अनिवासी भारतीय प्रत्यावर्तनीय आधार पर नामिति हो सकता है।
  - शेयर के अंतरण पर नामांकन समाप्त हो जाएगा।
  - नामिती के पक्ष में शेयरों के अंतरण उसके कानूनी वारिस के प्रति बैंक का वैध उन्मोचन होगा।
  - नामांकन/नामांकन प्रपत्र के बारे में दी जानेवाली सूचना बैंक/रजिस्ट्रार एवं बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास दो प्रतियों में भरी जाए जो उसकी एक प्रति शेयरधार को वापस लौटा देंगे।

**कार्यालय उपयोग हेतु**

क्र. सं. .... नामांकन प्रपत्र दिनांक ..... को प्राप्त हुआ

पंजीकरण सं. .... दिनांक: .....

टिप्पणी: .....

अनुलमक : पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति



**FORM 2B**  
(See rules 4 CCC and 5 D)  
**NOMINATION FORM**

(To be filled in by individual(s) applying singly or jointly)

I/We ..... and .....  
and ..... the holder(s) of shares under the Folio No. .... of SyndicateBank wish to  
make a nomination and do hereby nominate the following person(s) in whom all rights of transfer and/or amount payable in respect  
of shares shall vest in the event of my or our death.

**Name and Address of Nominee**

Name : \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

Date of Birth\* \_\_\_\_\_ (\* To be furnished in case the nominee is a minor)

\*\*The Nominee is a minor whose guardian is \_\_\_\_\_

Name and Address: \_\_\_\_\_

(\*\* To be deleted if not applicable)

Signature : .....

Name : .....

Address : .....

Date : \_\_\_\_\_

Signature : .....

Name : .....

Address : .....

Date : \_\_\_\_\_

**Address, name and signature of witnesses :**

Name and Address

Signature with date

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Instructions:**

1. The Nomination can be made by individuals only applying/holding shares on their own behalf singly or jointly. Non-individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family, holder of power of attorney cannot nominate. If the shares are held jointly, all joint holders will have to sign the nomination form. Space is provided as a specimen, if there are more joint holders more sheets can be added for signatures of holders of shares and witness.
2. A minor can be nominated by a holder of shares and in that event the name and address of the guardian shall be given by the holder.
3. The nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, Karta of Hindu undivided family or a power of attorney holder. A non-resident Indian can be a nominee on repatriable basis.
4. Nomination stands rescinded upon transfer of shares.
5. Transfer of shares in favour of a nominee shall be a valid discharge by the BANK against the legal heir.
6. The intimation regarding nomination/nomination form shall be filed in duplicate with Bank/Registrar & Share Transfer Agents of the Bank who will return one copy thereof to the shareholder.

**FOR OFFICE USE**

SL. NO. .... NOMINATION FORM RECEIVED ON .....

REGISTRATION NO. .... DATE: .....

REMARKS: .....

Encl : Self attested copy of PAN Card



## उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 17 जुलाई 2012

समय : प्रातः 11.00 बजे

स्थान : सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की 13वीं वार्षिक आम बैठक में मैं एतद्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	डीपी आइडी:
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	



## प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्राक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	डीपी आइडी:
	ग्राहक आइडी:
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	(यदि बेकागजीकृत हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारक/प्राक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों, तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। प्रवेश-पत्र-मतदान-पत्र पास अंश को शेयरधारक (प्राक्सी/प्रतिनिधियों को वापस किया जाएगा, जिसे बैठक के अंत तक रखा जाना चाहिए मतदान-पत्र पास को मतदान-पत्र प्राप्त करने हेतु अभ्यर्पित किया जाए। किन्हीं भी परिस्थितियों में बैठक के प्रवेश द्वारा पर डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-मतदान-पत्र पास जारी नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उसकी जांच/सत्यापन किया जाएगा।



### ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : 17th July 2012

Time : 11.00 a.m.

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

**I hereby record my presence at the 13th Annual General Meeting of the Bank.**

Signature of the Shareholder/ Proxy/ Representative present	
<b>Regd. Folio</b>	<b>DP ID</b>
	<b>Client ID</b>
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	



### ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	
<b>Regd. Folio</b>	<b>DP ID</b>
	<b>Client ID</b>
(If not dematerialised)	(If dematerialised)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The entry pass – Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate attendance slip-cum Entry pass-cum Ballot Paper Pass will be issued at the entrance to the meeting.



**सिंडिकेट बैंक / SYNDICATE BANK**  
**प्रधान कार्यालय: मणिपाल / Head Office: Manipal**

**मतदान पत्र पास / BALLOT PAPER PASS**

मतदान पत्र प्राप्त करने के लिए मतदान काँउटरों पर अभ्यर्पित किया जाए  
 (to be surrendered to the Polling counters to get Ballot Paper)

**वार्षिक आम बैठक की तारीख 17 जुलाई 2012 सुबह 11.00 बजे**  
**Annual General Meeting Date: 17th July 2012 at 11.00 a.m.**

नाम, स्पष्ट अक्षरों में / Name in Block Letters (शेयरधारक / प्रॉक्सी / ए.आर. / Shareholder / Proxy / AR)	
शेयरों की संख्या / No. of Shares	
पंजीकृत फोलियो / Regd. Folio	डीपी आईडी और ग्राहक आईडी / DP ID & Client ID
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो / If not dematerialised)	(यदि बेकागजीकृत हो / If dematerialised)
उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative Present	



This Page is Left Blank



सभी शेयरधारकों से अपील

APPEAL TO ALL SHAREHOLDERS

प्रिय शेयरधारक,

Dear Shareholder,

संदर्भ: अप्रदत्त लाभांश

Re: Unpaid Dividends

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (दि.16.10.2006 से लागू) की शर्तों के अनुसार वे लाभांश जो अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक बैंक के पास अदत्त रह जाते हैं उनको कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना है।

In terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 (which has come into force from 16.10.2006), the dividends remaining unpaid with the Bank for a period of 7 years from the date of transfer to Unpaid Dividend account, are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act, 1956.

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करते हुए ऐसी सभी धनराशियों जो सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या अदावी रहती है उन्हें दि. 16.10.2013 से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा।

In compliance of the above guidelines, all such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund, commencing from 16.10.2013.

बैंक वर्ष 2000 से हर वर्ष लाभांश की घोषणा करता रहा है। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 1999-2000, 2000-01, 2001-02, 2002-03, के लिए लाभांश वारंट, वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-2011 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने अप्रदत्त लाभांशों का दावा करने के लिए बैंक के निवेशक संपर्क केन्द्र, नैगम कार्यालय, बेंगलूर से संपर्क करें।

The Bank has a track record of declaring dividends every year since the year 2000. **Such of those shareholders, who have not encashed their Dividend Warrants for the year(s) 1999-2000, 2000-01 2001-02, 2002-03, Interim/Final Dividend Warrants 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-2009, 2009-10 and 2010-2011 are requested to approach the Company Secretary at Investor Relations Centre of the Bank at Corporate Office, Bengaluru for assistance in claiming their unpaid dividends.**

भवदीय,

Yours faithfully,

(आर. रवि)

(R. RAVI)

कंपनी सचिव

Company Secretary

दिनांक: 19.06.2012

Date: 19.06.2012

दूरभाष : 080 22283030

Phone No. : 080 22283030

ई-मेल आई.डी : Inrc@syndicatebank.co.in

Email ID : inrc@syndicatebank.co.in

Syndinvest@Syndicatebank.co.in

syndinvest@syndicate.co.in



प्रिय शेयरधारक,

**विषय: नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल:  
बिना कागज के**

नैगम कार्य मंत्रालय ("मंत्रालय") ने कंपनियों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा पेपरलेस अनुपालन अपनाकर नैगम अभिशासन में पर्यावरण संरक्षण पहल (ग्रीन इनीशिएटिव) लागू करने का निर्णय लिया है। हाल ही में, उक्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. 17/2011 दि. 21-04-2011 और 18/2011 दि. 29-4-2011 के अनुसार कंपनियाँ अब अपने शेयरधारकों को विभिन्न नोटिसें/दस्तावेजों (वार्षिक आम बैठक से संबंधित बुलावा पत्र, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट इत्यादि) को उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती हैं।

समाज के हित की दृष्टि से यह एक अनूठी पहल है। इस से कागज की खपत बहुत कम होगी और आम जनता के लिए हरा-भरा पर्यावरण प्रदान करने के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।

बैंक के प्रत्येक शेयरधारक के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वह बैंक की नैगम सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संसूचना प्राप्त करने के लिए केवल आपको अपना ई-मेल आइ. डी. बैंक के पास पंजीकृत कराना होगा।

**ई-मेल संसूचना के लिए पंजीकरण करने से मिलनेवाले लाभ:**

- संसूचना तत्काल प्राप्त होगी।
- कागज की खपत कम होगी और पेड़ों को बचाया जा सकता है।
- डाक प्रेषण के दौरान दस्तावेज के गुम होने से बचा जा सकता है।

यदि आप कोई अन्य ई-मेल आइ.डी. पंजीकृत करवाना चाहते हैं तो, कृपया उसे अपने डी.पी. में अद्यतन कराएं। (यदि उसका शेयर इलेक्ट्रॉनिक फार्म में है) यदि आपके शेयर कागजी फार्म में है तो मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर (प्राइवेट) लिमिटेड के पास तत्काल अद्यतन करवाएं।

बैंक वर्ष 2011-12 की वार्षिक रिपोर्टों के उन निवेशों के पंजीकृत ई-मेल आइ.डी. पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा जिन्होंने उक्त सुविधा हेतु विकल्प दिए हैं।

कृपया नोट करें कि यदि आप सभी संसूचनाओं को कागजी रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं तो, बैंक उसे आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएगी।

आइए, हम इस पर्यावरण संरक्षण पहल में सहभागी (ग्रीन इनीशिएटिव) बनें।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

**रवि**

(आर. रवि)

कंपनी सचिव

दिनांक: 19.06.2012

Dear Shareholder,

**RE: Green Initiative in Corporate Governance:  
Go Paperless**

The Ministry of Corporate Affairs ("Ministry") has taken a "Green Initiative in Corporate Governance" by allowing paperless compliances by companies through electronic mode. In accordance with the recent Circular bearing No.17/2011 dated 21-04-2011 and 18/2011 dated 29-04-2011 issued by the Ministry, companies can now send various notices/documents (including notice calling Annual General Meeting, Audited Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report etc.) to their shareholders through electronic mode, to the registered e-mail addresses of the shareholders.

It is a welcome move for the society at large, as this will reduce paper consumption to a great extent and allow public at large to contribute towards a greener environment.

This is also a golden opportunity for every shareholder of the Bank to contribute to the Corporate Social Responsibility initiative of the Bank. All you have to do is to register your e-mail id with the Bank to receive communication through electronic mode.

**ADVANTAGES OF REGISTERING FOR E-COMMUNICATION**

- Receive communication promptly
- Reduce paper consumption and save trees
- Avoid loss of document in postal transit

In case you desire to have a different e-mail id to be registered, please update the same in your DP (if you are holding shares in electronic form) and with M/s Karvy Computershare (P) Ltd., (if you are holding shares in physical form) immediately.

The Bank is sending Annual Reports 2011-12 to the investors who have opted through electronic mode to the registered email-IDs of the investors, who have opted for the same.

Kindly note that if you still wish to get a physical copy of all the communications, the Bank undertakes to provide the same at no extra cost to you.

**Let's be part of this 'Green Initiative'.**

With warm regards

Yours faithfully,

(R. RAVI)

COMPANY SECRETARY

Date: 19.06.2012



## लाभांश अधिदेश पत्र

(शेयरों को कागज़ी रूप में रखनेवाले और सिंडिकेटबैंक में खाता रखनेवाले शेयरधारकों के लिए)

सेवा में  
निवेशक संबंध केन्द्र  
सिंडिकेटबैंक, नैगम कार्यालय  
॥ क्रॉस, गांधीनगर  
बेंगलूर - 560 009

प्रिय महोदय,

**विषय: लाभांश को सीधे जमा करने हेतु अधिदेश**

मेरे/हमारे ईक्विटी शेयरों पर देय लाभांश राशि को सिंडिकेटबैंक में रखे गए मेरे /हमारे निम्नलिखित खाते में जमा करने के लिए मैं/हम आपको प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं।

1. फोलियों सं.: एस.वाइ.एन. ....
2. एकल/प्रथम शेयरधारक का नाम और पता .....  
.....  
.....
3. दूरभाष सं.: .....
4. ई-मेल आई.डी.: .....
5. बैंक खाते के ब्यौरे:  
शाखा का नाम:  
बी.आइ.सी.:  
खाता सं.:  
खाताधारक का नाम:

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण सही और पूर्ण है। सूचना अपूर्ण या गलत होने की वजह से यदि लेन-देन में विलंब होता है तो मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी/ठहराएँगे।

भवदीय,

**एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर**

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त ब्यौरे हमारे अभिलेखों के अनुसार सही है।

दिनांक:

स्थान:

संबंधित शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर

- अनुलग्नक: 1. एकल/प्रथम शेयरधारक के पैन कार्ड की स्वयं साक्ष्यांकित प्रति।  
2. अद्यतन पते के सबूत की स्व-साक्ष्यांकित प्रति। (टेलिफोन बिल/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)  
3. बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त चेक पन्ना।



**DIVIDEND MANDATE FORM  
(ONLY FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN PHYSICAL FORM AND  
HAVING AN ACCOUNT WITH SYNDICATEBANK)**

To  
Investor Relations Centre,  
SyndicateBank Corporate Office,  
Second Cross, Gandhinagar,  
Bengaluru – 560 009.

Dear Sir,

**Sub: Mandate for direct credit of Dividend.**

I / We hereby authorise you to credit the amount of Dividend on my / our equity shares directly to my / our account with SyndicateBank, as per the following particulars:

1. Folio No.: SYN .....
2. Name & Address of the Sole / First Shareholder: .....  
.....  
.....
3. Phone No.: .....
4. E-mail ID: .....
5. Details of the Bank Account:  
Name of the Branch:  
BIC:  
Account No.:  
Name of the Account Holder:

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I / We will not hold the Bank responsible.

Yours faithfully,

**SIGNATURE OF THE SOLE / FIRST SHAREHOLDER**

Date:

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Date:

Place:

Signature of the Manager of Branch concerned

- Enclosures:
1. Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.
  2. Self-attested copy of latest address proof (Telephone Bill/Passport/Voters ID Card/Driving Licence, etc.)
  3. Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.





नैगम कार्यालय : गांधीनगर, बेंगलूर - 560 009

**निवेशक संबंध केन्द्र**

दूरभाष : 22283030, फैक्स : 22268717, ई-मेल : [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in)

देखें हमारा वेबसाइट: [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in)

टॉल फ्री सं. : 1800 425 6655

**शिकायत पंजीकरण फॉर्म**

दिनांक :

1) शेयरधारक का नाम व पता

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) दूरभाष सं./ई-मेल आइडी \_\_\_\_\_

3) फोलियो सं./डीपीआइडी और ग्राहक आइडी के ब्यौरे: \_\_\_\_\_

4) बैंक अधिदेश :

मेरे बैंक खाता संख्या संबंधी विवरण निम्नवत् हैं :

बैंक का नाम : \_\_\_\_\_  
शाखा : \_\_\_\_\_  
खाता सं. : \_\_\_\_\_  
एम.आइ.सी.आर. कूट : \_\_\_\_\_

5) शिकायत का स्वरूप: \_\_\_\_\_

शेयरधारक के हस्ताक्षर

- अनुलमनक: 1. एकल/प्रथम शेयरधारक के पैन कार्ड की स्वयं साक्ष्यांकित प्रति ।  
2. अद्यतन पते के सबूत की स्व-साक्ष्यांकित प्रति । (टेलिफोन बिल/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि)  
3. बैंक खाते से संबंधित चेक पन्ने की प्रति/निरस्त चेक पन्ना ।

CORPORATE OFFICE: GANDHINAGAR: BENGALURU – 560 009

**INVESTOR RELATIONS CENTRE**

Ph: 22283030, Fax: 22268717, E-mail: [inrc@syndicatebank.co.in](mailto:inrc@syndicatebank.co.in)

Visit us at: [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in)

Toll Free No. 1800 425 6655



**GRIEVANCE REGISTRATION FORM**

Date:

1) Name & Address of the shareholder

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2) Phone No./E-Mail ID: \_\_\_\_\_

3) Folio No./DPID & Client ID particulars: \_\_\_\_\_

4) Bank Mandate:

Details of my Bank account number are as under:

Name of the Bank : \_\_\_\_\_  
Branch : \_\_\_\_\_  
Account No. : \_\_\_\_\_  
MICR Code : \_\_\_\_\_

5) Nature of Grievance : \_\_\_\_\_

Signature of the Shareholder

- Enclosures: 1. Self-attested copy of PAN Card of the sole / first shareholder.  
2. Self-attested copy of latest address proof (Telephone Bill/Passport/Voters ID Card/Driving Licence, etc.)  
3. Copy of / Cancelled Cheque Leaf of the Bank Account.

This Page is Left Blank



## अनुबंध / ANNEXURE

### निदेशकों का चुनाव – संगत अधिनियमों, योजना और विनियमावलियों इत्यादि का उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 19(3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारकनिदेशकों की नियुक्ति उक्त अधिनियम की-धारा 3 की उप-धारा (2 बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी की सीमा तक ही की जाए।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 की संगत धारा तथा सिंडिकेट बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमावली 1998 और भा.रि.बैं. के उचित और उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का संगत विनियमावलियों को शेयरधारकों की सूचना हेतु नीचे दोहराया गया है:

#### बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

##### सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध – धारा 16(1)

भारत में निगमित किसी भी बैंकिंग कंपनी अपने बोर्ड में ऐसे व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त न करें जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

##### ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध – धारा 20

- 1) कंपनी अधिनियम 1956, (1956 का 1) की धारा 77 में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए, कोई भी बैंकिंग कंपनी-
  - क) अपने शेयरों की जमानत पर कोई ऋण या अग्रिम मंजूर नहीं करेगा या
  - ख) निम्नलिखित को या निम्नलिखित की ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने के लिए कोई वायदा नहीं करेगा-
    - i) अपने किसी निदेशक
    - ii) कोई फर्म जिसमें उसके किसी निदेशक-साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर के रूप में हित रखता हो, या
    - iii) कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी संस्थान हो या किसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या किसी सरकारी कंपनी (या होल्डिंग कंपनी की अनुषंगी कंपनी) जिसका कोई निदेशक बैंकिंग कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर हो या जिसमें वह पर्याप्त हित रखता हो, या
    - iv) कोई भी व्यक्ति, जिसके संबंध में उसके कोई निदेशक, साझेदार या गारंटर हो।
- 2) जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा संस्वीकृत ऋण या अग्रिम के लिए कोई वायदा न किया गया हो, बशर्ते जिस तारीख को ऋण या अग्रिम मंजूर किया गया था उस तारीख को उप धारा (1) के खंड (बी) प्रचलन में हो (या ऋण को बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के प्रारंभ के बाद बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर किया गया हो, किंतु उक्त धारा के प्रारंभ से पूर्व किए गए वायदे के अनुसरण में किया गया हो) तो ऐसे मामले में ऋण या

### ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

In terms of Sections 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under Clause (C) of Sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Syndicate Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and RBI's fit and proper guidelines, respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

#### THE BANKING REGULATION ACT, 1949

##### Prohibition of Common Directors - Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

##### Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall -
  - a) grant any loans or advances on the security of its own share, or
  - b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of -
    - I. any of its Directors,
    - II. any firm in which any of its Directors is interest as partner, manager, employee or guarantor, or
    - III. any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary of the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or Guarantor or in which he holds substantial interest, or
    - IV. any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in



अग्रिम की वजह से बैंकिंग कंपनी को देय राशि तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ ऋण या अग्रिम को उसकी मंजूरी के समय निर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गयी है तो उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर उसकी चुकौती की जाए।

बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, इस संबंध में बैंकिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को उस तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उक्त अधिनियम 5 के प्रारंभ से तीन वर्षों से अधिक न हो, जो ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जो भा.रि.बैं. द्वारा उचित समझा जाए।

आगे, यह उप धारा उन मामलों में लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को रिक्त कर देता है भले ही वह निदेशक की मृत्यु की वजह से हो, सेवानिवृत्ति, इस्तीफा या किसी अन्य कारण से हो।

- 3) उप-धारा (2) या उसके किसी भाग में संदर्भित किसी भी ऋण या अग्रिम को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना विप्रेषित न किया जाए और ऐसे अनुमोदन के बिना दी गयी छूट अमान्य और निष्प्रभावी हो जाएगी।
- 4) यदि उप-धारा (2) में संदर्भित किसी ऋण या अग्रिम किसी व्यक्ति द्वारा देय हो जिसका चुकौती उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को नहीं की गयी है तो, ऐसा व्यक्ति, उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है तो ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त तारीख को अपने पद को रिक्त कर दिया है।

#### इस धारा का स्पष्टीकरण

- क) “**ऋण या अग्रिम**” में वे लेन-देन शामिल नहीं होंगे जिनके संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लेन-देन के स्वरूप पर विचार करते हुए निर्दिष्ट अवधि के भीतर और ढंग से तथा परिस्थितियों के अधीन लेन-देन के कारण देय किसी राशि की उगाही होने की संभावना हो, जमाकर्ता के हित और अन्य संगत प्रतिफल जिनका उल्लेख उक्त धारा के उद्देश्य हेतु सामान्य या विशेष आदेश में ऋण या अग्रिम के रूप में न किया गया हो।
- ख) “**निदेशक**” में वह सदस्य शामिल है जो भारत में किसी बोर्ड या उस समिति का सदस्य हो जिसका गठन किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा अपने किसी या सभी कार्यों के प्रबंधन के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से किया गया हो।
- 5) यदि इस धारा के प्रयोजन हेतु किसी ऋण या अग्रिम के लेन-देन होने का प्रश्न उठता है तो इसे भारतीय रिज़र्व बैंक को संदर्भित किया जाए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on application made in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:

Provided further that this Sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in Sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in Sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that Sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

#### Explanation in this Section

- a. “**Loan or advance**” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- b. “**Director**” includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.



**बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 [अधिनियम]**

**मतदान अधिकार पर प्रतिबंध:**

3(2 ई): अनुरूपी नया बैंक के किसी भी शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार से भिन्न, अनुरूपी नया बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के एक प्रतिशत अधिक शेयर रखता है, तो यह उक्त अतिरिक्त शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

**निदेशक मंडल का गठन:**

9(3)(i) धारा 3 की उप-धारा (2 बी) खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी की गयी पूंजी:

- I कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है तो एक निदेशक,
- II कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो, दो निदेशक
- III कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक तीन निदेशकों

का चयन किए जाएंगे जो केन्द्र सरकार से भिन्न है:

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे निदेशकों के चयन करने के बाद उनके पदग्रहण करने पर खण्ड (एच) के अंतर्गत समान संख्या के निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट ढंग से निवृत्त होंगे।

बशर्ते कि यदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के प्रारंभ की तारीख को या उस से पहले संबंधित नये बैंक में चयनित निदेशकों की संख्या उप खण्ड (i) या उप खण्ड (ii) या उप खण्ड (iii), इनमें से जो भी पहले हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों के संख्या से अधिक है तो ऐसे चयनित अतिरिक्त निदेशकगण, योजना में विनिर्दिष्ट ढंग से सेवनिवृत्त हो जाएंगे और अपनी पद से समयपूर्व ढंग से निवृत्त होनेवाले ऐसे अतिरिक्त निदेशक अपनी पदावधि के संबंध में कोई क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

9 (3 ए): उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित निदेशकों से अपेक्षित है कि वे

- (क) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के संबंध में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखें यानी-
  - i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
  - ii) बैंकिंग
  - iii) सहकारी
  - iv) अर्थशास्त्र
  - v) वित्त
  - vi) विधि
  - vii) लघु उद्योग
  - viii) अन्य कोई विशेष जानकारी और व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय के अनुसार, नए बैंक के लिए उपयोगी हो।
- (ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो या
- (ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

**THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970 [ACT]**

**Restrictions on voting rights:**

3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

**Composition of the Board of Directors:**

9(3)(i) Where the capital issued under Clause (c) of Sub-section (2B) of Section 3 is:

- I. not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director,
- II. more than sixteen per cent but not more than thirty-two per cent of the total paid-up capital, two Directors,
- III. more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this Clause, equal number of Directors under Clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Provided that in case the number of the Directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Law (Amendment) Act 2006, in corresponding new bank exceed the number of Directors specified in sub clause (I) or sub clause (II) or sub clause (III), as the case may be, such excess number of Directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for premature retirement of the term of office.

9(3A): The Directors to be nominated under clause (h) or elected under the said Clause (i) of Sub-section (3) shall –

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following namely –
  - i) agriculture and rural economy,
  - ii) banking,
  - iii) co-operation,
  - iv) economics,
  - v) finance,
  - vi) law,
  - vii) small scale industry,
  - viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.
- (B) represent the interest of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.





9 (3 ए ए): उप-धारा (3ए) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम या प्रचलित किसी विधि में शामिल किसी बात के होते हुए किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित नहीं किया जा सकता है बशर्ते उक्त व्यक्ति अच्छे ट्रेक रिकार्ड, निष्ठा के आधार पर उचित और उपर्युक्त स्थिति बनाए रखता हो तथा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित अन्य मानदण्डों का पालन करता हो।

9 (3 ए बी): भारतीय रिज़र्व बैंक उप-धारा (3 ए ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उचित और उपयुक्त स्थिति को निर्धारित करने का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण का ढंग, ऐसे निर्धारण के संबंध में पालन की जानेवाली प्रक्रिया तथा अन्य मामलों का उल्लेख भी कर सकेगा जो आवश्यक या प्रासंगिक समझा गया हो।

9 (3 बी): जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक मानता है कि उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत अनुरूपी नया बैंक का किसी निदेशक उप-धारा (3 ए ए) और (3 ए ए) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर रहा है तो यह ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकेगा और इस प्रकार निदेशक को निकालने के बाद अगलि वार्षिक आम बैठक के दौरान अनुरूपी नया बैंक के शेरधारकों द्वारा निदेशक का विधिवत् चयन किए जाने तक निदेशक मंडल, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में सहयोजित कर सकता है जो उप-धारा (3ए) और (3 ए ए) की अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को अनुरूपी नया बैंक के शेरधारकों द्वारा विधिवत् चयनित निदेशक समझा जाएगा।

#### निष्ठा और गोपनीयता का दायित्व:

13(2): हर निदेशक, स्थानीय या समिति का सदस्य या लेखा परीक्षक या अनुरूपी नया बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी से अपेक्षित है कि वे अपने कार्य शुरू करने से पहले तीसरी अनुसूची में दिए गए फॉर्म के अनुसार निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करें।

#### राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 (योजना)

##### 4 ए. अतिरिक्त चयनित निदेशक की निवृत्ति का ढंग:

अतिरिक्त निदेशकों की संख्या का निर्धारण बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उप-धारा के खण्ड (i) के दूसरे परंतुक के अनुसार किया जाएगा और शेरधारकों (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा चयनित निदेशकों की संख्या के बराबर संख्या के निदेशक निवृत्त हो जाएंगे और जिस निदेशक ने सब से लंबी अवधि तक सेवा की है उसकी निवृत्ति सब से पहले होगी।

बशर्ते, यदि दो या अधिक निदेशकों ने एकही अवधि के लिए सेवा की है तो उनमें से अधिक उम्रवाले निदेशक पहले निवृत्त होंगे।

#### 9. चयनित निदेशक की पदावधि:

##### खण्ड 9 (4):

चयनित निदेशक की पदावधि तीन वर्ष की होगी और वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं।

बशर्ते कोई भी निदेशक निरंतर छह वर्षों से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

9 3(AA): Without prejudice to the provisions of Sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under Clause (i) of Sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may inform from time-to-time in this regard.

9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under Sub-section (3AA), the authority to determine, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under Clause(i) of Sub-section (3) does not fulfill the requirements of Sub-section (3A) and 3(AA), it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Directors and on such removal, the Board of Directors shall co-opt. any other person fulfilling the requirement of Sub-section (3A) and 3(AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholder of the corresponding new Bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

#### Obligation as to Fidelity and Secrecy:

13(2) Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

#### THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970 [SCHEME]

##### 4A. Manner of retirement of excess elected director:

"The number of excess directors shall be determined under the second proviso to Clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and such number of directors elected by the shareholders (other than the Central Government) equal to the number so determined shall retire, and the order in which the directors shall retire, will begin with the longest serving director ;

Provided that, if two or more Directors have served for the same period of time, the older among the said Directors shall retire first."

#### 9. Terms of office of elected Director:

##### Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.



## 10. निदेशकों की अनर्हता

किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मामले में निदेशक बनने से अनर्ह किया जा सकता है:

- क. यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान को रोक गया है या अपने लेनदारों के साथ प्रशमन किया हो या
- ख. उसको सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्तवाले व्यक्ति घोषित किया गया है।
- ग. उसको किसी अपराध के लिए अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किया गया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टता शामिल हो या।
- घ. यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में, पूर्णकालिक निदेशक के पद से भिन्न, बैंक के कर्मचारियों में से उक्त अधिनियम धारा 9 की उप-धारा-(3) के खण्ड (ङ) और (च) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक एवं निदेशक सहित किसी लाभकारी पद का ग्रहण कर रहा हो।

## 11. निदेशकों के पद को रिक्त करना, इत्यादि

1. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अंतर्गत आता हो या वह निरंतर तीन या उससे अधिक बैठकों में बोर्ड की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता हो तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है और तदनुसर उसका पद रिक्त हो जाएगा।
2. उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में यथा उल्लिखित अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक तथा प्रबंध निदेशक का या किसी निदेशक केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और यदि उसका इस्तीफा सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है; अन्य निदेशक भी केन्द्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और ऐसा इस्तीफा, केन्द्र सरकार द्वारा इस्तीफा की सूचना की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगा।
3. पूर्वगामी उपखण्डों के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3) के खण्ड (ङ) और (च) में उल्लिखित निदेशक का पद तभी रिक्त हो जाएगा, जब निदेशक की, कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवाएं समाप्त हो जाती है, उस राष्ट्रीयकृत बैंक के कामगार से भिन्न, जिसका वह निदेशक हो।
4. चयनित निदेशक से भिन्न किसी अन्य निदेशक का पद रिक्त हो जाता है तो उसे उक्त अधिनियम की धारा 9 के उप-धारा (3) के अनुसार भरा जाएगा।

### 11 ए. चयनित निदेशक को पद से हटाया जाना:

केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारक उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत चयनित किसी भी निदेशक को उन शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनको पद से हटा सकते हैं, जिनकी शेयरधारिता सभी शेयरधारकों द्वारा रखी गयी कुल शेयर पूंजी के 1/2 से कम न हो।

## 10. Disqualification of Directors:

A person shall be disqualified from being appointed as, and from being a Director:

- a. If he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- b. If he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c. If he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude.
- d. If he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under Sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

## 11. Vacation of office of Directors, etc.:

- (1) If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in Clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- (2) The Chairman or whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) or Clause (d) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- (3) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- (4) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected Director, it shall be filled in accordance with Sub-section (3) of Section 9 of the Act.

### 11-A. Removal from office of an Elected Director:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.



**11 बी. चयनित निदेशक पद में हुई रिक्ति को भरना:**

- 1) यदि चयनित निदेशक की पदावधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त हो जाता है तो उक्त रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा:  
बशर्ते, यदि रिक्ति की अवधि छह महीने से अधिक होने की संभावना है तो, उक्त रिक्त पद को अन्य निदेशकों द्वारा भरा जाए।
- 2) उप-खण्ड (1) के अंतर्गत चयनित या स्वयोजित व्यक्ति, इन में से जो भी मामला हो, अपने पूर्ववर्ती निदेशक की अवधि के असमाप्त भाग के लिए पदभार संभाल सकता है।

**12(8) निदेशकों के हितों का प्रकटीकरण:**

किसी निदेशक, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उनकी ओर से की गयी या की जानेवाली किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से संबद्ध या हितबद्ध हो, उससे अपेक्षित है कि ज्यों ही उसे संगत परिस्थितियों की सूचना मिलती है, वह अपने हितों की प्रकृति को यथाशीघ्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रकट करेगा और उस मंडल बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव के बारे में उक्त बैठक में चर्चा की जाती हो, बशर्ते इस संबंध में सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो और बैठक में उपस्थित होनेवाले किसी भी निदेशक ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते, इस उपखण्ड में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित कारणों से ऐसे निदेशक पर उक्त खण्ड लागू होगा:

- i) किसी शेयरधारक (निदेशक से भिन्न) जो कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या किसी निगम जो भारत में फिलहाल प्रचलित किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित हो या किसी सहकारी समिति जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव हेतु करार किया हो या करार करने का प्रस्ताव किया हो उसमें उसकी प्रदत्त पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक शेयर न रखता हो।
- ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो उक्त अधिनियम के धारा 9 के उप-धारा (3) के खण्ड (ड) या खण्ड (च) में उल्लिखित निदेशक हो।

**11-B. Filling of vacancy in the office of an Elected Director:**

- 1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an Elected Director, the vacancy shall be filled in by election:  
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.
- 2) A person elected or co-opted, as the case may be, under Sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

**12 (8) Disclosure of Interest by Directors:**

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this Sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being –

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two per cent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a Director (referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act.)



## सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998

### विनियम 10: संयुक्त धारक के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले उल्लेख किया गया उसे मतदान, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस जारी करने या शेयरों के अंतरण से भिन्न बैंक से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में एकल शेयरधारक माना जाएगा।

### विनियम 61: आम बैठकों में मतदान

- i) किसी भी आम बैठक में मतदान हेतु प्रस्तुत संकल्प को हाथ उठाकर निर्धारित किया जाएगा बशर्ते मतदान की मांग न की गयी हो।
- ii) अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आम बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक मामले का निर्धारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा।
- iii) उप विनियम (i) के अंतर्गत जब तक मतदान के लिए मांग नहीं की जाती है और बैठक के अध्यक्ष यह घोषण नहीं करते हैं कि संकल्प को हाथ उठाकर पारित किया जाए या किया गया है भले ही उसे एक मत से पारित किया गया हो या बहुमत से और जिसकी प्रविष्टि बैठक के कार्यवृत्त से संबंधित बही में की गयी हो, तब तक इस तथ्य को ऐसे संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए वोटों के अनुपात की संख्या के सबूत के बिना निर्णायक सबूत माना जाएगा।
- iv) मतदान के परिणामों की घोषणा करने से पहले या उसके बाद या हाथ उठाकर किसी संकल्प पारित करने के बाद बैठक के अध्यक्ष अपने स्व निर्णय से मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं और इस संबंध में किसी शेयरधारक या स्वयं उपस्थित शेयरधारकों या उस प्रॉक्सी जिसके पास बैंक के शेयर हो जिससे उसको मतदान करने का अधिकार हो और जो संकल्प के संबंध में कुल मतदान अधिकार के 1/5 से कम न हो, उनकी ओर से की गयी मांग पर या उनके द्वारा दिए जानेवाले आदेश के अनुसार मतदान के लिए आदेश दे सकते हैं।
- v) मतदान के लिए जो मांग की जाती है उसे उसी व्यक्ति द्वारा वापस ली जा सकती जिसने मांग की हो।
- vi) बैठक के स्थगन और अध्यक्ष के चुनाव के मामले मतदान हेतु मांग की जाती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
- vii) अन्य किसी मामले में मतदान के लिए मांग की जाती है तो उस पर बैठक के अध्यक्ष के निदेशानुसार मांग किए जाने के समय से 48 घंटे भीतर कार्रवाई की जाएगी।
- viii) किसी व्यक्ति के मतदान की अर्हता और मतदान में कोई व्यक्ति कितने वोट डालने के लिए सक्षम है, इस पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिया जाता वह अंतिम निर्णय होगा।

### विनियम 63: आम बैठक में चयनित किए जानेवाले निदेशक

- i) उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत किसी निदेशक का चयन केन्द्र सरकार से भिन्न, रजिस्टर में शामिल शेयरधारकों द्वारा बैंक की आम बैठक में शेयरधारकों में से किया जाएगा।
- ii) यदि किसी आम बैठक में निदेशक का चयन करना है तो इसकी सूचना बैठक आयोजित करने के संबंध में जारी की जानेवाली नोटिस में शामिल की जानी

## SYNDICATEBANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1998

### Regulation 10: EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with the Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

### Regulation 61: VOTING AT GENERAL MEETINGS

- i) At any General Meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded be decided on a show of hands.
- ii) Save as otherwise provided in the Act every matter submitted to a General Meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under Sub-Regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting or any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the Meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- v) The demand for the poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) The poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

### Regulation 63: DIRECTORS TO BE ELECTED AT GENERAL MEETING

- i) A Director under Clause (i) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
- ii) Where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included





चाहिए। ऐसी प्रत्येक नोटिस में चयनित होनेवाले निदेशकों की संख्या तथा उन रिक्तियों के ब्यौर का उल्लेख किया जाना चाहिए जिनके लिए चुनाव आयोजित किया जाना है।

#### विनियम 64: शेयरधारकों की सूची

- i) इन विनियमावलियों के विनियम 63 के उपविनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य हेतु रजिस्टर पर शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से निदेशक का चयन किया जाएगा।
- ii) उक्त सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, संख्या और उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उक्त शेयरों को पंजीकृत करवाने की तारीख तथा चुनाव के लिए आयोजित की जानेवाली बैठक की तारीख को वे कितने वोटों के लिए पात्र हैं, आदि जैसे ब्यौरे शामिल होंगे और सूची की प्रतियां खरीद के लिए उपलब्ध होंगी, जो मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति पर बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम तीन हफ्ते पहले प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होंगी बशर्ते इसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता हो।

#### विनियम 65: चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन:

- i) निदेशक के रूप में चयन के लिए उसका नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह:
  - क) बैंक में 100 (एक सौ) से अधिक शेयर रखनेवाला शेयरधारक न हो;
  - ख) नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को उसे उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेश के रूप में चयनित करने के लिए अनर्ह नहीं कर दिया गया हो;
  - ग) उसने, एकल रूप में या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से रखे गए बैंक शेयरों से संबंधित सभी मांग राशियों को भुगतान हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख को या उस से पहले भुगतान न कर दिया हो;
  - घ) लिखित नामांकन पर कम से कम एक सौ शेयरधारकों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत या उनके सम्यक् रूप नियुक्त अटर्नी द्वारा निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र हो, बशर्ते नामांकन किया जानेवाला शेयरधारक एक कंपनी है तो नामांकन को उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प द्वारा किया जाए और ऐसे मामले में संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जाए जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो जिसमें उक्त संकल्प को पारित किया गया हो और ऐसी प्रति को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
  - ङ) नामांकन के साथ एक घोषणा-पत्र भी संलग्न हो या शामिल हो जो अभ्यर्थी द्वारा किसी न्यायाधीश, मेजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासनों के उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित हो और उक्त घोषणा पत्र में यह उल्लेख हो कि वे नामांकन को स्वीकार करेंगे और वे चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं तथा उनको उक्त अधिनियम या योजना या इन विनियमावलियों के अंतर्गत निदेशक बनने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है।

in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

#### Regulation 64: LIST OF SHAREHOLDERS

- i) For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

#### Regulation 65: NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

- i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless –
  - a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;
  - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
  - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
  - d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
  - e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the scheme or these regulations from being a Director.





- ii) कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक यह पूरी तरह भरे हुए संगत दस्तावेजों के साथ प्राप्त नहीं होता है और वह बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से चौदह कार्य दिवसों से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए।

#### विनियमावली 66: नामांकन की छानबीन

- i) नामांकनों की छानबीन उसकी प्रति के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद प्रथम कार्यदिवस को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के कारणों को अभिलेखित किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हुआ है तो ऐसे नामित अभ्यर्थी को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पते को प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे मामले में बैठक में कोई चुनाव आयोजित नहीं किया जाएगा और यदि बैठक को उपर्युक्त चुनाव आयोजित करने के लिए ही बुलाया गया है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।
- ii) चुनाव आयोजित किए जाने के मामले में यदि प्राप्त वैध नामांकनों की संख्या चयनित किए जानेवाले निदेशकों की संख्या से अधिक है तो, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
- iii) वर्तमान रिक्ति को भरने के लिए चयनित निदेशक, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने निर्वाचन की तारीख या उसे चयनित समझे जाने की तारीख के अगले दिन कार्यग्रहण कर लिया है।

#### विनियम 67: चुनाव संबंधी विवाद

- i) यदि चयनित समझे गए या चयनित घोषित किए गए व्यक्ति या निदेशक, या किसी व्यक्ति जो एक अभ्यर्थी थे या शेयरधारक हो जो उक्त चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हो उसकी अर्हता या अनर्हता के बारे में संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे चुनाव के परिणाम घोषित करने की तारीख से सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित सूचना दी जा सकती है और उक्त सूचना में उन सभी कारणों का उल्लेख किया जाए जिनकी वजह से उन्होंने चुनाव की वैधता पर संदेह या विरोध किया है।
- ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के बाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद पर निर्णय लेने हेतु उसे तुरंत एक समिति को संदर्भित करेंगे जिसमें बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) और (ग) के अंतर्गत नामित किन्हीं दो निदेशक शामिल होंगे।
- iii) इस मामले में उप-विनियम (ii) में उल्लिखित समिति द्वारा आवश्यक जाँच की जाएगी और यदि समिति द्वारा चुनाव वैध पाया जाता है तो वह घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या समिति द्वारा यह पाया जाता है कि चुनाव वैध नहीं था, तो समिति जाँच शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर दोबारा मतदान आयोजित करने के साथ-साथ ऐसे आदेश और निदेश पारित करेगी जो यह परिस्थितियों के अनुरूप उचित समझे।
- iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा जारी किए गए आदेश और निदेश निर्णायक होंगे।

- ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

#### Regulation 66: SCRUTINY OF NOMINATIONS

- i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

#### Regulation 67: ELECTION DISPUTES

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of Sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.



### विनियम 68: मतदान अधिकारों का निर्धारण

- i) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ड) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन, प्रत्येक शेयर धारक, जिसे आम बैठक तारीख से पहले रजिस्टर के समापन की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक वोट डालने के लिए पात्र है और मतदान के मामले में वह अपने पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट डाल सकेगा।
- ii) उक्त अधिनियम की धारा 3(2ड) में उल्लिखित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयरधारक, जो कंपनी नहीं हो, और बैठक में स्वयं या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो या जो एक कंपनी हो और बैठक में एक विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि का प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होता हो तो उसके पास हाथ उठाकर एक वोट डालने का अधिकार होगा और मतदान के मामले में उपर्युक्त उप-विनियम (i) के अनुसार इसके पास रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।  
स्पष्टीकरण - इस अध्याय के लिए “कंपनी” का अर्थ किसी निकाय या निगम से होगा।
- iii) बैंक के शेयरधारक जो आम बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए पात्र हैं वे अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिए और वोट डालने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं; परंतु इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं होगा।

### विनियम 69: विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

1. किसी शेयरधारक, जो केन्द्र सरकार हो या कंपनी हो किसी संकल्प द्वारा इनमें से जो भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति को शेयरधारकों की आम बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इस विनियामवली में “विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि” कहा गया है) केन्द्र सरकार या उस कंपनी की ओर से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग के लिए पात्र है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो, जैसा कि वह बैंक का एक वैयक्तिक शेयरधारक हो। इस प्रकार दिए गए प्राधिकार वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में दिया जा सकता है और ऐसे मामले में केवल एक ही व्यक्ति केन्द्र सरकार/कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
2. किसी भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक उपस्थित नहीं हो सकेगा या वोट नहीं डाल सकेगा जब तक वह उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने से संबंधित संकल्प की प्रति को बैठक के लिए निर्दिष्ट तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं करता हो, जो इस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो जिसमें उक्त संकल्प पारित किया जाएगा।

### विनियम 70: प्रॉक्सी

- i) प्रॉक्सी की लिखत तभी वैध होगी जब व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह उसके द्वारा या लिखित रूप में उसकी अटर्नी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाए या संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए, अथवा किसी कंपनी निकाय के मामले में वह

### Regulation 68: DETERMINATION OF VOTING RIGHTS

- i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a General Meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i)  
Explanation – for this Chapter, “Company” means any body corporate.
- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

### Regulation 69: VOTING BY DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE

1. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a ‘duly authorised representative’ in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government/ Company.
2. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

### Regulation 70: Proxies

- i) No instruments of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing, or in the case of



उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

बशर्ते, प्रॉक्सी लिखित पर शेरधारक सदस्य के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए किंतु शेरधारक सदस्य किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और अगर वह ऊपर अंगूठा-निशान आंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों का रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेट बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

- ii) प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह विधिवत स्टांपित न ते तथा बैठक हेतु निर्धारित तिथि से चार दिन पहले उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न किया गया हो, इसके साथ ही, मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो जिसके तहत हस्ताक्षर किया गया हो, तो उसे भी जमा किया जाए; अथवा उस मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार की प्रमाणित सत्य प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यप्रति किया गया हो कशर्ते ऐसा मुख्तारनामा या कोई अन्य प्राधिकार पहले बैंक में जमा न किया गया हो।
- iii) प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह विधिवत स्टांपित और विनियमावली के फार्म “बी” में न हो।
- iv) बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिमसंहरणीय होगी।
- v) यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हों तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाए।
- vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी लिखत के गारंटर को, उस बैठक से संबंधित लिखत पर, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- vii) सिंडिकेट बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

### भारतीय रिज़र्व बैंक का उचित और उपयुक्त मानदण्ड से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत

भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3 (एए) और 3(ए.बी.) के अंतर्गत प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. डी. बी. ओ. डी.बी.सी. सं. 46/29.39.001/2007-08 दि.01 नवंबर 2007 में जारी की है जिसमें उन्होंने बैंकिंग में कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूर्ति किए जानेवाले विशिष्ट “उचित और उपयुक्त” मानदण्ड दिए गए हैं।

#### मार्गदर्शी सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं:

1. “उचित और उपयुक्त” स्थिति इत्यादि को निर्धारित करने का प्राधिकार, ढंग/प्रक्रिया और मानदण्ड निम्नवत् हैं:

#### क) प्राधिकार

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षा है कि वे एक “नामांकन समिति” का गठन करें जिसमें निदेशक मंडल में से किन्हीं तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) हों। निदेशक मंडल को चाहिए कि वे अपने किसी निदेशक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करें। कोरम

a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Syndicate Bank.

- ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed, or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form “B”
- iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

### RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI) in exercise of powers conferred on it under Sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific “fit and proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act, 1970/1980.

#### SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES:

1. The authority, manner /procedure and criteria for deciding the “fit and proper” status etc., are as under:

#### (a) Authority

All the Nationalized Banks are required to constitute a “Nomination Committee” consisting of a minimum of three directors (all independent /non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman



अध्यक्ष सहित तीन सदस्यगण होने चाहिए। यदि पहले से नामित कोई सदस्य अनुपस्थिति रहता है तो, निदेशक मंडल आगामी बैठक के लिए अनुपस्थित सदस्य के स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड उसकी अवधि का निर्धारण कर सकता है।

**ख) ढंग और प्रक्रिया**

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चयनित व्यक्ति/वर्तमान चयनित निदेशक की “उचित और उपयुक्त” स्थिति के निर्धारण हेतु सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें। इस उद्देश्य हेतु बैंकों से अपेक्षा है कि वे उन वर्तमान चयनित निदेशकों से विनिर्दिष्ट संलग्न फॉर्मट (अनुबंध-1) में आवश्यक सूचना और घोषणा पत्र प्राप्त करें जिन्होंने चुनाव के लिए अपना नाम दर्ज करवाया है। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे अभ्यर्थी के चयन करने के मामले में नामांकन की स्वीकृति हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख से पहले बैठक आयोजित करें और निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर व्यक्ति की अभ्यर्थिता को स्वीकार करना है या नहीं इसके बारे में उक्त बैठक में निर्णय लें। बैठक में समिति द्वारा जो चर्चा की जाती है उसको औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकार्ड किया जाए और यदि मतदान किया गया है तो वर्तमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के ब्यौरे नोट किए जाएं। नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे विधिवत् हस्ताक्षरित घोषणापत्र में प्रस्तुत की गयी सूचना के आधार पर अभ्यर्थियों को स्वीकार करने या न करने के बारे में निर्णय लें और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इसकी सूचना समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को दी जाए ताकि उपर्युक्त अपेक्षाओं के संबंध में उनके अनुपालन की पुष्टि की जा सके।

**ग) मानदण्ड:**

नामांकन समिति को चाहिए कि वे वर्तमान चयनित निदेशकों/प्रस्तावित अभ्यर्थियों की “उचित और उपयुक्त” स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित व्यापक मानदण्डों के आधार पर करें:

- i) शैक्षिक अर्हता
- ii) अनुभव और विशेषता का क्षेत्र
- iii) ट्रैक रिकार्ड और ईमानदारी इत्यादि

नामांकन समिति को चाहिए कि वे उपर्युक्त किसी मानदण्ड के अनुपालन से क्या वर्तमान चयनित निदेशक/प्रस्तावित अभ्यर्थी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाल सकता है, इसकी जाँच करें। पुनः, यदि अभ्यर्थी के खिलाफ किसी प्राधिकारी/विनियामक एजेंसी या दिवालिया या किसी बैंक की वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण की चुकौती में की गयी चूक की वजह से प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है तो अभ्यर्थी को अनुचित बैंक के बोर्ड में निदेशक बनने के लिए अयोग्य और अनुपयुक्त ठहराया जाएगा।

**घ) अन्य मामले**

यह वांछनीय है कि जनहित की दृष्टि से यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि चयनित निदेशक एक प्रसंविदा विलेख का निष्पादन करेंगे (भा.रि.बैं. के परिपत्र डी.बी.ओ.डी.सं. बी.सी. 116/08.139.001/2001-02 दि. 20 जून 2002 के तहत डॉ. गांगुली ग्रूप की सिफारिशों के अनुसरण में) और दि. 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष भी करेंगे।

पुनः, यह अनिवार्य है कि सभी चयनित निदेशक हर वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा पहले प्रस्तुत की गयी सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यदि उससे कोई परिवर्तन हुआ है तो उनके ब्यौरे तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे। यदि उसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो नामांकन समिति से अपेक्षा है कि वे नए सिरे से सम्यक् तत्परता प्रक्रिया शुरू करें और निदेशक की “उचित एवं उपयुक्त” स्थिति की जाँच करें।

of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the Board of Directors may nominate any other independent Director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee, the board can decide on its tenure.

**(b) Manner and procedure**

The Nomination Committee should undertake a process of due diligence to determine the “fit and proper” status of existing elected directors/the person to be elected as director under Section 9(3)(i) of the Act. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the specified format enclosed (Annexure – I), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person’s candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee’s discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done should also be noted in case of both existing and proposed directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

**(c) Criteria**

The nomination committee should determine the “fit and proper” status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational Qualification
- (ii) Experience and field of expertise
- (iii) Track record and integrity etc.

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority /regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a Bank.

**(d) Other Matters**

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI Circular DBOD No. BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20<sup>th</sup> June 2002) and also every year as on 31<sup>st</sup> March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31<sup>st</sup> March and that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the “fit and proper” status of the director.





**घोषणा पत्र**  
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)  
(विनियमावली का विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती .....  
..... निवासी ..... एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि:

- क) मैं सिंडिकेट बैंक का शेयरधारक हूँ और शुक्रवार 15 जून, 2012 को यानी चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को मेरे पास ₹10/- के ..... ईक्विटी शेयर हैं।
- ख) \*मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि,  
vii) लघु उद्योग, या..... (विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो) में विशेष जानकारी है और मैं उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए की शर्तों के अनुसार मैं जमाकर्ताओं, किसानों, कामगारों और कारिगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके सदस्यस्वरूप, मैं इसके साथ संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, और
- ग) मैं ..... संख्यावाले नामांकनों को स्वीकार करता हूँ और
- घ) मैं सिंडिकेट बैंक के निदेशकों के चुनाव में सहभागिता करना चाहता हूँ और
- ङ) मुझे, अधिनियम, योजना, विनियमावली, भा.रि.बैं. की अधिसूचना, के अंतर्गत बैंक के निदेशक बनने से अनर्ह नहीं ठहराया गया है, तथा
- च) न तो मैं किसी लाभकारी पद पर हूँ न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1995 की धारा 3 की उपधारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ।
- छ) मैं अपने वैयक्तिक विवरण संलग्न कर रहा /रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है: और
- ज) इस घोषणा के बाद घटनेवाली उन सभी घटनाओं की पूरी सूचना बैंक को देने का वचन देता/देती हूँ जो प्रदान की गयी सूचनाओं से संबद्ध हो और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयन होने के बाद मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
सी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

न्यायाधीश, मेजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या आश्वासनों का उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या सिंडिकेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गए।

(हस्ताक्षर और मोहर)

नाम :

दिनांक :

\*जो लागू है उस पर निशान लगाएँ





## DECLARATION

(By the Candidate)

(Refer regulation 65 of the Regulations)

I, Sri/Smt. \_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Sri/Smt. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ a resident of \_\_\_\_\_ hereby confirm that:

- a) I am a shareholder of SyndicateBank holding \_\_\_\_\_ equity shares of ₹10/- as on Friday, the 15<sup>th</sup> June, 2012 i.e. the Specified Date for participating in the elections, and
- b) \*I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or \_\_\_\_\_ (special knowledge of, and practical experience in, which in the opinion of the Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of depositors, farmers, workers and artisans, in terms of Sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- c) I accept the nominations numbering \_\_\_\_\_ and
- d) I am willing to contest for the election of Directors of SyndicateBank, and
- e) I am not disqualified from being a director of the bank under the provisions of The Act, Scheme, Regulations and RBI Notification, and
- f) I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under Sub-section(1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (subsidiary Banks) Act, 1959.
- g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete; and
- h) I undertake to keep the Bank fully informed as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
Number of Shares	
<b>Regd. Folio No.</b> (If not dematerialised)	
<b>DP ID No. and Client ID No.</b> (If dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or Syndicate Bank or any Nationalised Bank

The above declaration was signed before me.

(Signature with Seal)

Name :

Date :

\* Tick whichever is applicable.



**व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन**

**बैंक का नाम: सिंडिकेट बैंक**

यहाँ पासपोर्ट साइज  
फोटो चिपकाएँ

**अभ्यर्थी द्वारा घोषणा और वचन  
(दि. .... 2012 की स्थिति के अनुसार विनियोजित अनुबंधों के साथ)**

I निदेशक के वैयक्तिक ब्यौरे		
क)	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का पूरा नाम	
ख)	जन्म तिथि	
ग)	शैक्षिक अर्हता	
	(शैक्षिक/अकादमी) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
	(शैक्षिक/व्यावसायिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
घ)	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें। (बैंक में निदेशक पर से संबंधित अनुभवों का उल्लेख करें।)	
ङ)	स्थायी पता	
च)	वर्तमान पता	
छ)	ई-मेल पता दूरभाष सं. (लैंड लाइन) दूरभाष सं. (मोबाइल)	
ज)	1) आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें) 2) आय कर सर्किल/मंडल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत रिटर्न भरा जाता हो।	
झ)	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें।	
ञ)	बैंक के निदेशकत्व से संबद्ध अन्य कोई सूचना	
II अभ्यर्थी के साथ संबंध		
क)	उन रिश्तेदारों यदि कोई हो, की सूची जो बैंक के साथ संबंध रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची, 1 ए का संदर्भ लें)	
ख)	उन संस्थाओं यदि कोई हो की सूची जिनमें वे हितबद्ध हो (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 299 (3) (ए) और धारा 300 (का) संदर्भ लें)	



**Personal Information, Declaration and Undertaking**

**Name of Bank: SYNDICATEBANK**

Affix Passport Size  
Photo here

**Declaration and Undertaking by the Candidate  
(with enclosures as appropriate as on \_\_\_\_\_ 2012)**

<b>I Personal details of Candidate</b>		
a.	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in full)	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
	(Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
	(Educational/professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
d.	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank)	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
h.	1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) 2) Name and Address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
<b>II Relevant Relationships of Candidate</b>		
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	



	ग)	उन संस्थाओं की सूची जिनमें वे बैंकिंग विनियमावली अधिनियम 1949 की धारा 5 (एन.ई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखते/ रखती हो, वर्तमान और प्रस्तावित।	
	घ)	उस बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हो या रहे हों (पदावधि के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं)।	
	ङ)	बैंक से उनके द्वारा और/या उपर्युक्त ॥ (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा हाल ही में उपलब्ध की निधि आधारित और निधि आधारित सुविधाएँ, यदि कोई हो।	
	च)	वे मामलें, यदि कोई हो, या उपर्युक्त ॥ (ख) और (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक से या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की है चूक कर रहे है।	
III	<b>व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख</b>		
	क.	व्यावसायिक उपलब्धियाँ संबंधी	
IV	<b>निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कुछ हो:</b>		
	क.	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनिक कार्रवाइयों का विवरण, यदि कुछ हो, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इसमें प्रभावित कार्रवाई, अथवा उन्हें क्या किसी व्यावसायिक/पेशे में आने के लिए कभी निषिद्ध/निषेधित किया गया था।	
	ख	अभियोजना का विवरण, यदि कुछ हो, अभ्यर्थी और/या उक्त मद सं. ॥ (ख) में उद्धृत किसी सदस्यों के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार की कार्रवाई जिससे आर्थिक नियमों तथा विनियमों की अवहेलना हो।	
	ग	अभ्यर्थी के विरुद्ध, यदि कुछ हो, लंबित या चल रही अथवा अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार का अभियोजन।	
	घ	क्या अभ्यर्थी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के तहत किसी प्रकार की परिकल्पित अयोग्यता दर्शायी है।	
	ङ	क्या अभ्यर्थी या उक्त मद सं. ॥ (ख) तथा (ग) में सूचित कोई सदस्य, किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के मामले किसी प्रकार की पड़ताल से संबद्ध हैं।	
	च.	क्या अभ्यर्थी ने पहले कभी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों संबंधी नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	



	c.	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d.	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
	e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	
	f.	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank	
<b>III</b>	<b>Records of Professional Achievements</b>		
	a.	Professional achievements relevant	
<b>IV</b>	<b>Proceedings, if any, against the Candidate</b>		
	a.	If the Candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time	
	b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d.	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act, 1956?	
	e.	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	f.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange/ other revenue authorities, if so give particulars	





<p>छ</p>	<p>क्या अभ्यर्थी को पहले कभी सेबी, आई.आर.डी.ए., डी.सी.ए. जैसे नियंत्रण तंत्र से प्रतिकूल नोटिस मिल चुकी है? (हालांकि किसी भी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, इस कॉलम में वैसे आदेशो तथा निष्कर्षों को लिखा जाए जिन्हें बाद में नियंत्रक तंत्र द्वारा वापस ले लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। इस बारे में यह सूचित करना आवश्यक होगा बशर्ते वह क्षेत्राधिकार में बाहर या सीमा जैसे कारणों से वापस लिया गया हो/छोड़ा गया हो न कि व्यक्तिगत गुणों के कारण। यदि नियंत्रक तंत्र का आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है तथा अपीलीय/न्यायालयीन कार्यवाहियाँ लंबित हैं तो इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।</p>		
<p>V</p>	<p>मद सं. I से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त एवं उचित का निर्णित करने संबंधी कोई अन्य सूचना</p>		
<p><b>वचन</b></p> <p>मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .....</p> <p>पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। मैं वचन देता हूँ कि ऊपर वर्णित सभी बातें जिनसे मेरी नियुक्ति का संबंध है तथा उनसे संबंधित सभी सूचनाएँ तथा सभी घटनाओं से बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा।</p>			
<p>मैं, बैंक के निर्देशकों द्वारा निष्पादित किए जाने संबंधी सभी अपेक्षित विलेखों को निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ।</p>			
<p>स्थान: दिनांक:</p>	<p>अभ्यर्थी के हस्ताक्षर</p>		
<p><b>संलग्नक:</b></p> <p>1. यदि स्थान पर्याप्त न हो तो जानकारी क्रमानुसार तथा उचित संदर्भ सहित, अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें। 2. अनुलग्नक सहित सभी पृष्ठों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।</p>			
<p><b>नामांकन समिति की टिप्पणियाँ/अभियुक्तियाँ</b></p>			
<p>समिति सदस्य</p>	<p>समिति सदस्य</p>	<p>समिति सदस्य</p>	<p>समिति सदस्य</p>
<p>स्थान: दिनांक:</p>			



g.	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>											
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper											
<b>Undertaking</b>												
I ..... Son/Daughter/Wife of Sri ..... confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.												
I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the bank.  Place :  Date :												
Signature of Candidate												
<b>Enclosures:</b>												
1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference. 2. Each page (including annexures) are required to be signed by the candidate.												
<b>Observations/Remarks of the Nomination Committee</b>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; height: 40px;"></td> <td style="width: 25%; height: 40px;"></td> <td style="width: 25%; height: 40px;"></td> <td style="width: 25%; height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Committee Member</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Committee Member</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Committee Member</b></td> <td style="text-align: center;"><b>Committee Member</b></td> </tr> </table>									<b>Committee Member</b>	<b>Committee Member</b>	<b>Committee Member</b>	<b>Committee Member</b>
<b>Committee Member</b>	<b>Committee Member</b>	<b>Committee Member</b>	<b>Committee Member</b>									
Place :												
Date :												



## नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)

(विनियमावली के विनियम 65 (घ) का संदर्भ लें)

सेवा में  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
सिंडिकेट बैंक  
प्रधान कार्यालय, मणिपाल

प्रिय महोदय,

### निदेशकों के चुनाव हेतु नामांकन

दिनांक 19 जून 2012 की आपकी नोटिस के संदर्भ में मैं, श्री/श्रीमती .....  
... सिंडिकेट बैंक का शेयरधारक हूँ और मैं, शुक्रवार दि. 15 जून 2012 (चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख) को ..... ईक्विटी  
शेयर रखता/रखती हूँ जिनका मूल्य प्रति शेयर ₹10 है और मैं श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी  
श्री ..... निवासी .....  
..... को मंगलवार, 17 जुलाई 2012 को मणिपाल में आयोजित की जानेवाली  
बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों  
के प्रतिनिधि के रूप में सिंडिकेट बैंक के निदेशक के पद पर निर्वाचित होने के लिए नामित करता हूँ/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

#### नोटः

- 1) यदि नामांकन किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया गया है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जिसमें संकल्प पारित हुआ है।
- 2) अभ्यर्थी को नामित करनेवाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मिलान होने चाहिए।



## NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To  
Chairman & Managing Director  
Syndicate Bank  
H.O. Manipal

Dear Sir,

### NOMINATION FOR ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your notice dated 19th June, 2012, I, Sri/Smt. \_\_\_\_\_  
a shareholder of SyndicateBank holding \_\_\_\_\_ Equity shares of ₹10/- each as on Friday, the 15<sup>th</sup> June, 2012 (being the Specified Date for participating in the election), do hereby nominate Sri/Smt. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ son/daughter/wife of Sri \_\_\_\_\_ residing at \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ for being elected as  
Director of SyndicateBank representing the shareholders of the bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Tuesday, the 17<sup>th</sup> July, 2012 at Manipal.

Name	
Signature	
Number of Shares	
<b>Regd. Folio No.</b> (If not dematerialised)	
<b>DP ID No. and Client ID No.</b> (If dematerialised)	
Place	
Date	

**Notes:**

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified True copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.

This Page is Left Blank



This Page is Left Blank

This Page is Left Blank

This Page is Left Blank

# सिंड आवर्ती जमा SyndRecurring Deposit



खुशियों से भरपूर एक अनोखी मासिक जमा योजना

An ideal scheme of **monthly savings** with assured returns of cumulative happiness.

- न्यूनतम जमाराशि ₹100 प्रति माह • जमा अवधि - 12 माह से 10 वर्षों तक
- हर माह के न्यूनतम इतिशेष पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज • नामांकन सुविधा उपलब्ध
- Minimum deposit is ₹100/- per month • Period of deposit ranges from 12 months to 10 years
- Monthly minimum balance in the account earns compound interest every quarter • Nomination facility available

**ब्याज भुगतान पर कोई कर-कटौती नहीं / No TDS on Interest payment**



www.syndicatebank.in Toll Free Voice Mail No.: 1800 425 66 55

सिंड  
स्वर्ण

अनोखी स्वर्ण ऋण योजना/ओवरड्राफ्ट योजना



Synd  
Swarna


(Unique Gold Loan Scheme/  
Over Draft Scheme)



हम आपकी अभिलाषाओं की कद्र करते हैं  
We value your aspiration

सिंड विद्या  
SyndVidya

छात्र हितैषी शिक्षा  
ऋण योजना  
A Student Friendly  
Education Loan Scheme



सिंडिकेटबैंक  
SyndicateBank

भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking

Toll Free Voice Mail No: 1800 425 66 55

www.syndicatebank.in

Registrars & Share Transfer Agents  
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.  
Unit: SyndicateBank, Plot No. 17 to 24  
Vithalrao Nagar, Madhapur  
Hyderabad - 500081  
Ph.: 040 44655000-Exten: 116 or 040 44655116 (D)  
Fax: 040 23420814

Permitted to post on Prepayment of postage  
in cash in Mail Business Center, Manipal - 576104  
under P.M.G., S.K. Region, Bangalore - 560001.  
Vide licence No. KT/SK/BD/4/192791/2012 -  
13/19-06-2012 to 21-06-2012 with postage of  
₹19/- (Rupees Nineteen Only)